



Impact Factor :
7.834

गीना देवी शोध संस्थान

द्वारा पटियाला, श्रीगंगानगर व नेपाल से प्रसारित
साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध का अंतर्राष्ट्रीय मासिक

ISSN : 2321-8037

May-June 2026

Volume 14, Issue 5-6

Gina Shodh SANGAM

AN INTERNATIONAL MULTI DISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 2018)



Editor :

Dr. Rekha Soni

Chief-Editor :

Dr. Naresh Sihag Adv.



संस्थापक सम्पादिका :
स्मृति शेष
डॉ. विश्वकीर्ति

संगम SANGAM

बहुभाषिक बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक

AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI
LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

www.ginajournal.com



संस्थापक संरक्षक :
स्मृति शेष
श्री हरविन्द्र कमल चौधरी

वर्ष : 14

अंक : 5-6, भाग-2

मई-जून : 2026

आईएसएसएन : 2321-8037

सम्पादक :

डॉ. रेखा सोनी

टांटिया वि.वि., श्रीगंगानगर, राज.

प्रधान सम्पादक :

डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट

सचिव, गीना देवी शोध संस्थान,
भिवानी (हरियाणा)

अंतर्राष्ट्रीय सम्पादक मण्डल :

डॉ. लक्ष्मी जोशी

त्रिभुवन वि.वि. काठमाण्डू।

शिओंग छन श्यू, चीन।

डॉ. ऋतु शर्मा ननन पाँडे

साहित्यकार, शिक्षाविद, नीदरलैंड।

डॉ. सुनीता शर्मा

हिन्दी साहित्यकार, कवयित्री, संपादक

एवं शिक्षाविद् मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया

डॉ. अनुरुद्ध बायन

मध्य कामरूप कॉलेज, सुभा

जिला बारपेटा, असम।

डॉ. सृष्टि चौधरी

लेक्चरर, इलेक्ट्रानिक्स एंड

कम्प्युनिकेशन, सरकारी पॉलिटेक्निक

कॉलेज फॉर गर्ल्स, पटियाला, पंजाब।

श्री श्रेष्ठ चौधरी,

सीनियर मैनेजर,

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, साहिबजादा

अजित सिंह नगर, मोहाली, पंजाब।

कानूनी सलाहकार :

डॉ. रामफल दलाल एडवोकेट,

श्रीमती रूपिन्द्र कौर, एडवोकेट

सलाहकार समिति (Advisory Committee)

डॉ. सुलक्षणा अहलावत

अंग्रेजी प्रवक्ता, शिक्षा विभाग

नूंह (हरियाणा)

डॉ. अरूणा अंचल

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय,

रोहतक (हरियाणा)

डॉ. सुशीला

चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी।

डॉ. अल्पना शर्मा

आईएसई विश्वविद्यालय सरदारशहर

डॉ. विजय महादेव गाडे

बाबा साहेब चितले महाविद्यालय

भिलवडी (महाराष्ट्र)

डॉ. लता एस. पाटिल

राजीव गांधी बीएड कॉलेज

धारवाड़ (कर्नाटक)

डॉ. रीना कुमारी

दशमेश गर्ल्स कॉलेज,

अल्ला बक्श, मुकरिया, पंजाब।

श्री राकेश शंकर भारती

साहित्यकार, अनुवादक, यूक्रेन।

डॉ. हेमराज न्यौपाने

काठमाण्डु, नेपाल।

डॉ. ममता तनेजा

अबोहर, पंजाब।

डॉ. प्रियंका खंडेलवाल

बराण, राजस्थान।

डॉ. संदीप

ओम विश्वविद्यालय, हिसार।

डॉ. मधुबाला

राजकीय महाविद्यालय, लाखनमाजरा।

डॉ. पीयूष कुमार द्विवेदी

जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग

विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उत्तरप्रदेश

डॉ. हवासिंह ढाका

राजकीय महाविद्यालय, हिन्दुमलकोट,

श्रीगंगानगर (राजस्थान)

डॉ. मानसिंह दहिया

संस्कृत प्रवक्ता, शिक्षा विभाग हरियाणा

डॉ. राजेश शर्मा

शिक्षा संकाय, टांटिया विश्वविद्यालय,

श्रीगंगानगर (राजस्थान)

डॉ. मोहिनी दहिया

माती जीतोजी कन्या महाविद्यालय,

सूरतगढ़ (राजस्थान)

डॉ. मुद्दस्सिर अहमद भट्ट

हिन्दी विभाग,

कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर, कश्मीर

डॉ. सीहेच वी. महालक्ष्मी

सीहेच एसडीएसटी थेरेसा महिला

महाविद्यालय, एलुरु, आंध्र प्रदेश

डॉ. मोरवे रोशन के.

यूनाईटेड किंगडम।

डॉ. अनुपमा, पूर्व प्रोफेसर,

अंकारा विश्वविद्यालय, अंकारा, टर्की

डॉ. आर.के विश्वास

अध्यक्ष होम्योपैथिक, लखनऊ।

प्रकाशक, स्वामी एवं मुद्रक डॉ. नरेश सिहाग, एडवोकेट ने मनभावन प्रिन्टर्ज, पुराना बस स्टैंड रोड़, नया बाजार, भिवानी से छपवाकर 202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी-127021 (हरियाणा) से जारी किया।

संगम SANGAM

बहुभाषिक बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक

**AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI
LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL**

(Journal of Literature, Arts, Science, Commerce, Culture, Humanities and Social Sciences)

सचिव :

डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट
202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड,
भिवानी-127021 (हरियाणा)

Email : grngobwn@gmail.com

मो. 09466532152

संगम मासिक पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं/लेखों की मौलिकता का दायित्व स्वयं रचनाकारों/लेखकों का है। उससे सम्पादक व प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं। किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्यायक्षेत्र केवल भिवानी (हरियाणा) होगा। सम्पादन और प्रबंधन के सभी पद पूर्ण रूप से अवैतनिक हैं।

Published by :

Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

202, Old Housing Board,

Bhiwani-127021 (Haryana) INDIA

Email : grsbohwal@gmail.com

Facebook.com/bohalshodhmanjusha

Website : www.bohalsm.blogspot.com

WhatsApp : 9466532152

All Right Reserved by Publisher & Editor

Price

Individual/Institutional : 1300/-

- Disclaimer :**
1. Printing, Editing, Selling and distribution of this Journal is absolutely honorary and non-commercial.
 2. All the Cheque/Bank Draft/IPO should be sent in the name of Gugan Ram Educational & Social Welfare Society payable at Bhiwani.
 3. Articles in this journal do not reflect the Views or Policies of the Editor's or the Publisher's. Respective authors are responsible for the originality of their views/opinions expressed in their articles.
 4. All dispute will be Subject to Bhiwani, Hry. Jurisdiction only.

Printed by : Manbhawan Printers, Old Bus Stand Road, Naya Bazar, Bhiwani (Hry.)

अनुक्रमाणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1.	सम्पादकीय	डॉ. रेखा सोनी	07-07
2.	Assessment of Bird Diversity, Behaviour, and Their Ecological Roles in the Agricultural Landscape of Saidabad, Prayagraj	Sakshi Mishra, Dr. RSV Gautam	08-15
3.	पर्यावरण विमर्श : चुनी हुई कविता के संदर्भ में	Dr. Salini. C	16-20
4.	Social Implications of Alcoholism and Evaluation of Psychological Interventions	Dr. Prity Kumari	21-30
5.	वर्तमान दौर में भवन निर्माण श्रमिकों की समस्याएं एवं जीवन स्तर	डॉ. विजय बलीराम गावंडे	31-36
6.	बेमेतरा जिले में सामाजिक कारक एवं शिशु मर्त्यता	डॉ. मधु, डॉ. खेमचंद	37-52
7.	हिन्दी सिनेमा की भाषा और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति : जनमानस, संवाद और वैश्विक प्रभाव	डॉ. रमा राहुल दूधमांडे	53-56
8.	विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्धि में शिक्षकों की मनोवृत्ति एवं विद्यालयी वातावरण में सम्बन्ध का अध्ययन	ममता कुमारी, डॉ. वंदना दुआ	57-63
9.	आधुनिक समाज में मुस्लिम महिलाओं की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन	डॉ. जोगिंदर	64-70
10.	‘कभी ना छोड़े खेत’ उपन्यास में व्यक्त यथार्थ जीवन	प्रा. डॉ. पवन नागनाथ एमेकर	71-74
11.	छत्तीसगढ़ में आदिवासी राजनीति : सशक्तीकरण या उपकरणीकरण? Tribal Politics in Chhattisgarh : Empowerment or Instrumentalization?	डॉ. मन्ना राम पटेल	75-80
12.	EFFECTIVE COMMUNICATION A TOOL TO PERSONALITY DEVELOPMENT	Dr. J. SAJITHA, Dr. R. REKHA, Dr. P. VIDHYA	81-85
13.	ओमप्रकाश वाल्मीकि और शरण कुमार लिम्बाले के कथा साहित्य में दलित चेतना	रीतू साकेत, डॉ. प्रदीप विश्वकर्मा	86-88
14.	हिन्दी सिनेमा का कलात्मक स्वरूप	डॉ. प्रकाश नारायण सिंह चौहान	89-94

15. Ecological Diversity Indices and Limnological Relationship of Zooplankton in Rajsamand Lake	Dr. Prem Singh, Prof. Deepali Lal	95-100
16. कृष्णा सोबती के संस्मरणों में सांस्कृतिक परिवेश एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन	रामानंदी अंजना आशारामभाई	101-112
17. दलित महिलाओं की पंचायती राज्य व्यवस्था में भूमिका (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)	अंजुलि शुक्ला, डॉ. एस.पी. शुक्ला	113-122
18. नागपुरी नाटक साहित्य में महिला साहित्यकारों का योगदान	डॉ० प्रवीण सिंह	123-127
19. डॉ० गजाधर महतो प्रभाकर का खोरठा साहित्य में योगदान : एक समीक्षा	अमित कुमार करमाली	128-131
20. Plagiarism Detection in Academic English Writing Using Machine Learning	Dr. S. Sudha, Dr. M.Mary Velanganni, Dr. Vijayalakshmi. S, Dr. B. Abirami, Mr. B. Manojkumar, Dr. K. Angel Vinoliya, Dr. Prema. K,	132-136
21. पंजाब के गौरवमयी साहित्यकार डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी	डॉ. अजयपाल सिंह	137-145
22. क्रांति और कलम के सिपाही : अगस्त क्रांति में रामवृक्ष बेनीपुरी की विचारधारा	कल्पना भारती, प्रो० पंकज कुमार राय	146-150
23. The Impact of Technology on Modern Society	Mrs. R. Priyadharsini, Dr. Jayanthi Sobhana. S, Dr. P. Suji, Dr. V. Deepa, Dr. S. Kirubadevi	151-155
24. The Role of Artificial Intelligence in Social Welfare Systems	Dr. P. Suji, Mrs. R. Priyadharsini, Dr. V. Deepa, Dr. Charlesbabu. J,	

Dr. Jayanthi Sobhana. S,

Dr. C. Thangamani,

Dr. S. Kirubadevi, 156-159

Kuldeep Mishra,

Dr. Santosh Kumar Singh 160-166

ज्योति हिण्डोलिया,

डॉ. संगीता कौल 167-174

दिलीप कुमार 175-180

Vishal Dhaka,

Dr. Surjeet Singh Kaswan 181-184

25. Ecological Study of Aquatic Plants in Local Water Bodies

26. शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में अधिगम सामग्री की भूमिका : एक अध्ययन

27. समकालीन हिंदी उपन्यासों में विस्थापन की समस्या

28. Effect of Pranayama on Concentration, Memory

Power and Fatigue Level among High School Students

29. INFLUENCE OF PHYSIOLOGICAL VARIABLES ON

PLAYING PERFORMANCE AMONG DIFFERENT

CATEGORIES OF CRICKET PLAYERS

Ekta Pramod Singh,

Dr. Arun Mathur 185-192

30. संतों द्वारा वैश्विक मानवता का संदेश

डॉ. ललिता बी.एन. 193-195

31. क्रोनिक किडनी डिजीज में बहुआयामी हस्तक्षेपों (पोषण, जीवनशैली एवं सामाजिक समर्थन) का समेकित प्रभाव : वाराणसी जनपद के परिप्रेक्ष्य में

दिव्या सिंह,

डॉ० मोनिका गुप्ता,

डॉ० शिखा खरे 196-205

32. डॉ. भीमराव अंबेडकर का सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण और उसका ऐतिहासिक महत्व

डॉ. अश्विनी राज

206-215

संपादक की कलम से.....

ज्ञान, शोध और समाज के मध्य सेतु निर्माण की दिशा में

प्रिय पाठकों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों एवं विद्वान साथियों,

गीना शोध संगम के मई-जून 2026 अंक को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। ज्ञान-विज्ञान के निरंतर विस्तार और बदलते वैश्विक परिदृश्य में शोध की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आज का युग सूचना, नवाचार और अंतर्विषयी अध्ययन का युग है, जहाँ केवल जानकारी पर्याप्त नहीं है, बल्कि तथ्यों के वैज्ञानिक विश्लेषण, तर्कपूर्ण व्याख्या और समाजोपयोगी निष्कर्षों की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को केंद्र में रखते हुए गीना शोध संगम निरंतर शोध एवं अकादमिक विमर्श को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहा है।

भारत की नई शिक्षा नीति 2020 ने भी बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान को विशेष महत्व दिया है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और शोध संस्थानों में अनुसंधान गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में भारतीय शोध प्रकाशन जगत ने तीव्र विकास किया है तथा शोधार्थियों की संख्या और शोध प्रकाशनों में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। गीना शोध संगम का मूल उद्देश्य केवल शोध पत्रों का प्रकाशन नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शोध संस्कृति का विकास करना है। पत्रिका बहुविषयक शोध को प्रोत्साहित करती है और साहित्य, शिक्षा, समाज विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, संस्कृति, पुस्तकालय विज्ञान, प्रबंधन, विज्ञान एवं अन्य विषयों के शोधार्थियों को एक साझा मंच प्रदान करती है। पत्रिका की समीक्षा प्रक्रिया शोध की गुणवत्ता, मौलिकता और अकादमिक विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। डबल ब्लाइंड समीक्षा प्रणाली जैसे मानकों का अनुसरण शोध प्रकाशन की निष्पक्षता और गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाता है।

आज शोध के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती केवल सामग्री का सृजन नहीं, बल्कि उसकी विश्वसनीयता और सामाजिक प्रासंगिकता है। इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में जानकारी का विस्फोट हुआ है, परंतु सत्य, प्रमाणिकता और नैतिकता की कसौटी पर खरा उतरने वाला शोध ही समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। इसलिए शोधकर्ताओं का दायित्व है कि वे अपने अनुसंधान में नैतिक मानकों, संदर्भों की शुद्धता और मौलिक चिंतन को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इस अंक में प्रकाशित शोध आलेख विभिन्न विषयों और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें साहित्यिक समीक्षा, सामाजिक विश्लेषण, सांस्कृतिक अध्ययन, शैक्षिक विमर्श, पर्यावरणीय चिंतन तथा समसामयिक विषयों पर आधारित शोध शामिल हैं। हमें विश्वास है कि ये शोध पत्र पाठकों को नवीन दृष्टि प्रदान करेंगे तथा आगे के अनुसंधान के लिए प्रेरित करेंगे।

हम सभी शोधार्थियों और विद्वानों से आग्रह करते हैं कि वे शोध को केवल पदोन्नति या डिग्री प्राप्ति का माध्यम न मानें, बल्कि समाज, राष्ट्र और मानवता के कल्याण का साधन समझें। शोध की वास्तविक सफलता तभी है जब उसके निष्कर्ष समाज के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक हों। ज्ञान का मूल्य तभी है जब वह मानव कल्याण से जुड़ सके।

अंत में, मैं पत्रिका के सभी लेखकों, समीक्षकों, संपादकीय मंडल के सदस्यों तथा पाठकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके सहयोग से यह अंक संभव हो सका है। आशा है कि गीना शोध संगम का यह अंक शोध और ज्ञान की नई संभावनाओं को उद्घाटित करेगा तथा अकादमिक जगत में सार्थक संवाद को आगे बढ़ाएगा।

-संपादक



संगम

Impact Factor : 7.834

Website :
www.ginajournal.com

ISSN : 2321-8037

SANGAM

Vol. 14, Issue 5-6

पृष्ठ : 8-15

गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक-बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTILANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREEED RESEARCH JOURNAL

Assessment of Bird Diversity, Behaviour, and Their Ecological Roles in the Agricultural Landscape of Saidabad, Prayagraj

Sakshi Mishra, M.Sc. (Zoology),

Dr. RSV Gautam, Assistant Professor, (Zoology)

Pt. Deen Dayal Upadhyay Government College, Saidabad, Prayagraj.

Abstract :

The present research paper examines bird diversity, behavioural patterns, and ecological roles in the agricultural landscape of Ghisapur Bajaha Mishran, Saidabad, Prayagraj, Uttar Pradesh. Agricultural landscapes are not merely crop-producing spaces; they are living ecological systems that support many resident, seasonal, and migratory birds. In a rural settlement such as Ghisapur Bajaha Mishran, birds occupy different habitats, including crop fields, field boundaries, trees, orchards, homestead gardens, ponds, irrigation channels, grazing areas, and village settlements. The study is descriptive and ecological in nature and is based on secondary literature, regional avifaunal studies, and a suggested field-observation framework. Since no exhaustive primary bird census of Ghisapur Bajaha Mishran is presently available, the paper uses cautious regional inference from bird studies of eastern Uttar Pradesh and the Gangetic agricultural plain. The paper identifies common groups such as granivorous birds, insectivorous birds, omnivorous birds, carnivorous birds, frugivorous birds, and wetland-associated birds. It also discusses important behavioural aspects such as feeding, nesting, flocking, breeding, seasonal movement, territoriality, and human-bird interaction. The study highlights that birds provide essential ecological services such as pest control, seed dispersal, pollination support, scavenging, nutrient cycling, and environmental indication. However, pesticide use, loss of old trees, disappearance of nesting sites, pond degradation, mechanised agriculture, and habitat simplification are major threats. The paper concludes that bird diversity in agricultural villages should be documented and conserved as part of sustainable rural development.

Keywords :

Bird Diversity, Avifauna, Agricultural Landscape, Ghisapur Bajaha Mishran, Saidabad, Prayagraj, Rural Ecology, Bird Behaviour, Ecological Roles, Pest Control, Conservation

Introduction :

Birds are among the most visible and ecologically significant components of rural biodiversity. They are found in forests, wetlands, grasslands, cities, villages, and agricultural fields. In the Indian countryside, birds remain closely associated with agriculture, village settlement, traditional tree cover, ponds, livestock, and seasonal crops. Ghisapur Bajaha Mishran, located in Saidabad area of Prayagraj district, represents a typical agricultural village landscape of eastern Uttar Pradesh. Village records identify Bajaha Mishran as a rural settlement under Saidabad block of Prayagraj district, with a recorded population of 4,554 and 674 households according to 2011 Census-based village information.¹ Such a settlement provides a useful local field for studying how birds live in human-modified rural environments.

The agricultural landscape of Ghisapur Bajaha Mishran may include wheat fields, paddy fields, pulses, mustard, vegetable patches, fodder areas, orchards, homestead trees, ponds, irrigation channels, grazing zones, and roadside vegetation. These habitats together create a mosaic landscape. Birds use this mosaic for feeding, nesting, roosting, breeding, resting, and movement. Some birds depend on grain, seeds, and crop residues; others feed on insects, worms, frogs, rodents, reptiles, fruits, nectar, or carrion. Therefore, bird diversity in such a village is directly linked with cropping pattern, tree cover, water availability, pesticide use, and human tolerance.

The importance of agricultural bird studies has increased in recent years because many bird species are declining due to intensification of farming, pesticide use, habitat simplification, loss of hedgerows, disappearance of wetlands, and reduction of nesting spaces. A study of birds in the agricultural fields of Ayodhya district in eastern Uttar Pradesh recorded 139 bird species belonging to 107 genera, 49 families, and 15 orders, showing that agricultural landscapes of eastern Uttar Pradesh can support rich avifaunal diversity.² Another related study on agricultural fields of Ayodhya reported 128 bird species from 49 families and 15 orders, with Passeriformes forming the dominant order.³ These studies provide a strong regional basis for examining similar agricultural landscapes in Prayagraj.

Prayagraj district itself has growing recognition as a bird habitat region. Recent reports on the proposed bird sanctuary near Kanihar Lake in Prayagraj indicate that the district supports both local and migratory bird populations, including winter visitors associated with wetlands and riverine habitats.⁴ Though Ghisapur Bajaha Mishran is not a protected wetland or sanctuary, its local ponds, fields, trees, and settlement areas may function as small but important habitats for common birds. Thus, the

present study focuses on the bird diversity, behaviour, and ecological roles of birds in this agricultural landscape.

Literature Review :

The literature on birds in agricultural landscapes suggests that farmlands are important secondary habitats for many bird species. Earlier bird studies focused mainly on forests, wetlands, sanctuaries, and protected areas, but recent ecological research has shown that cultivated landscapes also support considerable avian diversity. Birds in farmland habitats are influenced by crop type, irrigation, availability of insects, presence of trees, field margins, ponds, and the degree of human disturbance.⁵ The eastern Uttar Pradesh study on birds in agricultural fields is particularly relevant. It recorded a high number of bird species in farmlands and classified birds according to feeding guilds such as omnivores, insectivores, carnivores, granivores, frugivores, and nectarivores.⁶ This guild-based classification is useful for the present study because it helps explain ecological function rather than merely listing species. For example, insectivorous birds reduce harmful insects, granivorous birds consume seeds and grains, carnivorous birds regulate small animals, and frugivorous birds assist seed dispersal.

Bird behaviour has also been widely studied in relation to feeding, nesting, breeding, migration, flocking, and territory. Standard ornithological works show that bird behaviour is shaped by food availability, season, habitat structure, competition, predation pressure, and reproductive needs.⁷ In agricultural villages, behaviour is further shaped by human activities such as ploughing, harvesting, irrigation, cattle grazing, tree cutting, and pesticide spraying. Egrets often follow cattle or tractors to catch disturbed insects and small animals. Mynas, crows, and drongos frequently feed around fields, houses, and livestock. Parakeets may visit fruiting trees and crop fields. Owls and kites regulate rodents and small vertebrates.

The ecological role of birds is central to agro-ecosystem stability. Birds act as pest controllers, pollinators, seed dispersers, scavengers, and environmental indicators.⁸ Insectivorous birds reduce pest pressure in crops. Raptors and owls control rodents. Scavenging birds help remove dead organic matter. Water birds indicate the health of ponds and wetlands. The decline of birds may therefore indicate ecological degradation.

Studies on Indian birds also show the importance of common species. House sparrow, common myna, Asian koel, black drongo, red-vented bulbul, Indian roller, cattle egret, pond heron, parakeet, crow, pigeon, owl, and kingfisher are not rare in many rural regions, but they provide significant ecological services.⁹ Conservation literature increasingly argues that common birds should not be ignored because they maintain everyday ecological processes in human-dominated landscapes.

Research Methodology :

The present study is descriptive, analytical, and ecological. It is designed as a preliminary assessment of bird diversity, behaviour, and ecological roles in the agricultural landscape of Ghisapur Bajaha Mishran, Saidabad, Prayagraj. Since detailed primary survey data from the village is not available, the paper uses secondary literature and a suggested field-observation method for future empirical work.

The study area may be divided into five habitat zones : crop fields, field boundaries and hedges, homestead gardens, ponds and moist areas, and village settlement zones. Bird observations should ideally be conducted in morning and evening hours because bird activity is highest during these periods. The fixed-radius point count method and line transect method may be used for systematic bird recording.¹⁰ Feeding guilds may be classified as insectivore, granivore, omnivore, carnivore, frugivore, nectarivore, piscivore, and scavenger.¹¹

Objectives of the Study :

The major objective of this study is to assess the bird diversity, behaviour, and ecological roles of birds in the agricultural landscape of Ghisapur Bajaha Mishran. The specific objectives are to identify common bird groups found in the area; to classify birds according to habitat and feeding guild; to study common behavioural patterns; to understand the relationship between agriculture and bird activity; to examine the ecological services provided by birds; and to identify threats to bird diversity in the village landscape.¹²

Bird Diversity in the Agricultural Landscape :

The bird diversity of Ghisapur Bajaha Mishran can be understood through habitat-wise distribution. Crop fields may support cattle egrets, pond herons, mynas, drongos, wagtails, larks, doves, pigeons, sparrows, and parakeets. Field boundaries and trees may support bulbuls, crows, koels, bee-eaters, shrikes, owls, rollers, hoopoes, and parakeets. Ponds and waterlogged areas may attract kingfishers, herons, egrets, moorhens, ducks, lapwings, and other wetland-associated birds depending on water availability. Settlement areas may support house sparrows, mynas, pigeons, crows, swifts, swallows, and owls.¹³

On the basis of feeding guilds, birds of Ghisapur Bajaha Mishran may be broadly classified into six groups. The first group includes insectivores such as drongos, bee-eaters, wagtails, swallows, and many small passerines. The second group includes granivores such as sparrows, doves, pigeons, munias, and parakeets. The third group includes omnivores such as mynas, crows, bulbuls, and babblers. The fourth group includes carnivores and raptors such as kites, owls, shrikes, and herons. The fifth group includes frugivores such as koels, bulbuls, parakeets, and barbets where present. The sixth

group includes aquatic or wetland feeders such as kingfishers, egrets, pond herons, and ducks where water bodies are suitable.¹⁴

Behavioural Patterns of Birds :

Bird behaviour in agricultural landscapes is closely related to food, shelter, season, and human activity. Feeding behaviour is the most visible. Egrets often feed in fields with cattle or behind tractors. They catch insects, frogs, and small organisms disturbed by movement. Drongos perch on electric wires, branches, or field posts and catch flying insects. Mynas search for insects and grains in fields and around human settlements. Crows are highly adaptive omnivores and feed on grains, waste, insects, eggs, and carrion. Sparrows feed on seeds, grains, and small insects, particularly during breeding season.

Flocking behaviour is common among pigeons, doves, sparrows, mynas, and parakeets. Flocks help birds locate food and avoid predators. During harvest season, groups of granivorous birds may gather in fields. Parakeets may move in noisy groups from one tree or crop field to another. In contrast, many raptors and owls are solitary or occur in pairs. Territorial behaviour is visible in drongos, bulbuls, robins, and some nesting birds.

Nesting behaviour depends on availability of trees, house corners, roof spaces, holes, shrubs, and field vegetation. Sparrows may nest in house crevices, roof spaces, or artificial cavities. Crows build nests on trees. Weavers and munias may use grasses and reeds. Owls may use old tree holes, abandoned structures, or quiet spaces. Loss of old trees and changes in house architecture reduce nesting opportunities for many species.¹⁵

Ecological Roles of Birds :

Birds perform several ecological roles in the agricultural landscape of Ghisapur Bajaha Mishran. The first and most important role is pest control. Insectivorous birds consume grasshoppers, beetles, caterpillars, flies, termites, mosquitoes, and other insects. This helps reduce pest pressure in crops and gardens. Drongos, bee-eaters, swallows, wagtails, mynas, and babblers are important insect feeders.¹⁶

The second role is rodent and small vertebrate control. Owls, kites, shrikes, herons, and some other carnivorous birds feed on rodents, lizards, frogs, insects, and small animals. Rodent control is particularly important in agricultural areas because rats and mice damage stored grains and standing crops. Barn owls and other owls are considered useful natural controllers of rodents in farming systems.¹⁷

The third role is seed dispersal. Birds such as bulbuls, koels, parakeets, mynas, crows, and barbets consume fruits and disperse seeds through droppings. Trees such as peepal, banyan, neem,

jamun, and other fruiting plants benefit from bird-mediated seed dispersal. This process helps maintain tree diversity around fields, ponds, temples, houses, and roadsides.

The fourth role is scavenging and waste removal. Crows, kites, and other scavenging birds consume carrion and organic waste. Although excessive waste around villages is a problem, scavenging birds help in natural decomposition and sanitation. The fifth role is pollination support. While birds are not the main pollinators in most local crops, nectar-feeding birds and flower-visiting birds may assist some flowering plants. The sixth role is ecological indication. The presence or absence of sparrows, frogs-eating birds, wetland birds, raptors, and insectivores can indicate changes in habitat quality, pesticide pressure, tree cover, and water availability.¹⁸

Birds and Agriculture :

The relationship between birds and agriculture is complex. Birds are beneficial in many ways, but some species may also cause crop damage. Parakeets, pigeons, doves, munias, and sparrows may feed on grains, fruits, and seeds. Farmers often consider them pests when crop loss becomes visible. However, the same bird communities may also control insects, disperse seeds, and maintain ecological balance. Therefore, birds should not be viewed only as crop-damaging organisms. A balanced ecological understanding is necessary.

Agricultural practices strongly affect bird diversity. Mixed cropping, field margins, ponds, trees, organic manure, and low pesticide use support more birds. On the other hand, monoculture, excessive pesticide use, removal of bushes, cutting of old trees, and disappearance of water bodies reduce bird diversity. Studies of agricultural landscapes show that habitat heterogeneity, especially vegetation along field boundaries, contributes to higher avian diversity.¹⁹ Thus, traditional village landscapes with trees, ponds, boundaries, and mixed crops can be more bird-friendly than simplified modern farmlands.

Threats to Bird Diversity :

The major threats to bird diversity in Ghisapur Bajaha Mishran are likely to be pesticide use, habitat loss, decline of old trees, pond degradation, plastic pollution, and disturbance during breeding season. Pesticides reduce insect populations and also affect birds indirectly through contaminated food chains. Loss of insects reduces food for insectivorous birds, especially during breeding when chicks need protein-rich food.

The disappearance of old trees is another major threat. Old mango, neem, peepal, banyan, jamun, and shisham trees provide nesting, roosting, shade, fruits, insects, and perching places. When these trees are cut, many birds lose habitat. Modern house construction also reduces nest spaces for sparrows and swallows. The decline of house sparrows in many areas has been associated with changes

in architecture, reduced food availability, pollution, and loss of nesting sites.²⁰

Pond degradation affects wetland birds. If ponds are filled, polluted, encroached, or covered with waste, birds such as herons, egrets, kingfishers, moorhens, ducks, and wagtails lose feeding areas. Plastic waste and open dumping may harm birds through ingestion or entanglement. Noise, frequent disturbance, and hunting or trapping may also reduce bird presence.

Conclusion :

The agricultural landscape of Ghisapur Bajaha Mishran, Saidabad, Prayagraj, is likely to support a meaningful diversity of birds because of its crop fields, trees, ponds, field boundaries, livestock areas, and village settlement habitats. Birds in this landscape are not only beautiful natural elements but also active ecological agents. They control insects and rodents, disperse seeds, clean organic waste, indicate ecological health, and enrich rural life through their songs, movements, and seasonal presence.

The study shows that bird diversity depends on habitat diversity. A village with trees, ponds, hedges, mixed crops, insects, and nesting spaces supports more birds than a simplified landscape without vegetation or water bodies. Therefore, the conservation of birds in Ghisapur Bajaha Mishran requires protection of old trees, clean ponds, reduced pesticide use, preservation of field boundaries, and community-based biodiversity documentation. Future research should include systematic seasonal surveys, point counts, feeding-guild analysis, nesting studies, interviews with farmers, and comparison of bird abundance across different crop seasons.

References :

1. VillageInfo. (2026). Bajaha Mishran village in Handia, Prayagraj, Uttar Pradesh: Census-based village details. The source records Bajaha Mishran's population as 4,554 and its location under Saidabad/Handia administrative area.
2. Kumar, P., & Gupta, R. C. (2021). Birds in agricultural landscapes: A case study from eastern Uttar Pradesh, India. *Journal of Threatened Taxa*. The study recorded 139 bird species from agricultural landscapes of eastern Uttar Pradesh.
3. Indian Ecological Society. (2022). Birds in agricultural fields of Ayodhya District, Uttar Pradesh. The study reported 128 bird species belonging to 49 families and 15 orders.
4. Times of India. (2025). National bird sanctuary to come up soon in Prayagraj. The report mentions the proposed bird sanctuary near Kanihar Lake and its importance for local and migratory birds.
5. Ali, S., & Ripley, S. D. (1987). *Compact handbook of the birds of India and Pakistan*. Oxford University Press.

6. Kumar, P., & Gupta, R. C. (2021). Birds in agricultural landscapes: A case study from eastern Uttar Pradesh, India. *Journal of Threatened Taxa*.
7. Goodenough, J., McGuire, B., & Wallace, R. A. (2010). *Perspectives on animal behavior*. Wiley.
8. Sekercioglu, C. H. (2006). Increasing awareness of avian ecological function. *Trends in Ecology & Evolution*, 21(8), 464–471.
9. Grimmett, R., Inskipp, C., & Inskipp, T. (2011). *Birds of the Indian subcontinent*. Oxford University Press.
10. Bibby, C. J., Burgess, N. D., Hill, D. A., & Mustoe, S. H. (2000). *Bird census techniques*. Academic Press.
11. Sutherland, W. J. (2006). *Ecological census techniques: A handbook*. Cambridge University Press.
12. Kothari, C. R., & Garg, G. (2019). *Research methodology: Methods and techniques*. New Age International.
13. Ali, S. (2002). *The book of Indian birds*. Bombay Natural History Society and Oxford University Press.
14. Indian Ecological Society. (2022). *Birds in agricultural fields of Ayodhya District, Uttar Pradesh. Feeding guild classification in the study is useful for agricultural bird assessment*.
15. Newton, I. (1998). *Population limitation in birds*. Academic Press.
16. Sekercioglu, C. H. (2012). Bird functional diversity and ecosystem services in tropical forests, agroforests and agricultural areas. *Journal of Ornithology*, 153, 153–161.
17. Taylor, I. (1994). *Barn owls: Predator-prey relationships and conservation*. Cambridge University Press.
18. Millennium Ecosystem Assessment. (2005). *Ecosystems and human well-being: Synthesis*. Island Press.
19. Sarwar, M. (2019). Density and diversity of birds in agricultural landscape. The study discusses the importance of wild vegetation and field-boundary heterogeneity for avian diversity.
20. Dandapat, A., Banerjee, D., & Chakraborty, D. (2010). The case of the disappearing house sparrow. *Current Science*, 99(12), 1685–1686.



संगम

Impact Factor : 7.834

Website :
www.ginajournal.com

ISSN : 2321-8037
SANGAM

Vol. 14, Issue 5-6

पृष्ठ : 16-20

गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक-बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTILANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREEED RESEARCH JOURNAL

पर्यावरण विमर्श : चुनी हुई कविता के संदर्भ में

Dr. Salini. C

Associate Professor, Dept of Hindi

Govt.College For Women, Thiruvananthapuram. University of Kerala.

‘पर्यावरण’ शब्द संस्कृत भाषा के ‘परि’ उपसर्ग और ‘आवरण’ शब्द के योग से बना हुआ है। यह अंग्रेजी भाषा के ‘Environment’ शब्द का पर्यायवाची शब्द है। इसका अर्थ है बहुत व्यापक और विस्तृत। इसके अन्तर्गत हमारे चारों ओर का वातावरण आता है। हमारे चारों ओर का प्राकृतिक पदार्थ, वनस्पति और जीवन-जगत् आदि सबकुछ इसके अन्तर्गत आते हैं। इन सबके बीच जब सन्तुलन होगा, तब पर्यावरण सुदृढ़ एवं स्वस्थ रहेगा। कहते हैं कि पर्यावरण का सीधा सम्बन्ध प्रकृति से है। प्रकृति में जैविक और अजैविक संघटक भी हैं। हमारे चारों ओर सूक्ष्म जीवाणु, कीड़े-मकोड़े, और पेड़-पौधे आदि हैं। ये सब जैविक संघटक के अन्तर्गत आते हैं तो चट्टानें, पर्वत, और नदियाँ अजैविक संघटकों के अन्तर्गत आते हैं।

‘परिस्थितिकी’ विज्ञान का मतलब है – जिसमें विभिन्न जीव-जन्तुओं एवं उनके पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है। इसमें वातावरण या परिवेश का प्रमुख स्थान है। विभिन्न जीव-जन्तु अलग-अलग वातावरण में रहते हैं। वातावरण में आने वाला परिवर्तन जीव-जन्तुओं के जीवन में भी अपना प्रभाव डालता है। ये जीव-जन्तु अपने वातावरण के साथ एक विशेष प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करते हैं। इसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जीव-जन्तुओं और उनके वातावरण के बीच के इस सम्बन्ध को ‘परिस्थितिकी’ कहते हैं।

वेद, उपनिषद, पुराण और महाभारत में प्रकृति और पर्यावरण के बारे में कहा गया है। संस्कृत, जैन और बौद्ध साहित्य में भी पर्यावरण के बारे में स्पष्ट चर्चा की गई है। मनुष्य और प्रकृति के आँगन में (जीवन) पुष्पित और पल्लवित होता है।

वेद, उपनिषद, पुराण और महाभारत में प्रकृति और पर्यावरण के बारे में कहा गया है। संस्कृत, जैन और बौद्ध साहित्य में भी पर्यावरण के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। मनुष्य और प्रकृति का घनिष्ठ संबंध है। मानव का जीवन प्रकृति के आँगन में पुष्पित और पल्लवित होता है। प्राणदायिनी प्रकृति मनुष्य की सदा प्रेरक एवं आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी रही है। भारतीय साहित्य में प्रकृति का उपदेशिका के रूप में प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। पर्यावरण का प्रभाव व्यक्ति के मानसिक एवं बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है। हर रचनाकार हमेशा प्रकृति को प्रेम करते हैं। प्रकृति उनके सुख-दुख की सहचरी रही है।

पर्यावरण सुरक्षा का महत्व वैदिक साहित्य में ही नहीं, हिंदी साहित्य के आदिकाल एवं मध्यकाल में भी अंकित किया गया है, जहाँ पेड़-पौधों और नदियों व सरोवरों की उपासना के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।

साहित्यकार कहते हैं कि ये पर्यावरणीय घटक वास्तव में साधु-संतों के समान हैं, क्योंकि ये अपना (बादल आदि) परम अर्थ को सूचित करते हैं। फिर हम स्वयं की रक्षा के लिए इनका संरक्षण प्रदान करते हैं। कबीरदास जी भी प्रकृति घटकों की परमार्थ सेवा को उद्धृत करते हैं —

जैसे — ‘वृक्ष कबहुँ न फल भक्षे
नदी न संचौ नीर,
परमार्थ के कारणे साधुन
धरा शरीर।’

आधुनिक कवियों की कविता में भी पर्यावरण विमर्श है। जैसे ‘धरती, गंगास्नान, गंगा को प्यार, पानी की प्रार्थना, उस दिन का जंगल, पेड़ और हरियाली, एक पत्ती का खोजा जाना’ जैसी अनेक कविताओं में पर्यावरण विमर्श है।

नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता है ‘धरती’। इस कविता में प्रकृति और मनुष्य के बीच अटूट होने वाले संबंध का चित्रण है। हमारी प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता में हम मनुष्य प्रकृति को माता कहते हैं। दोहन और पोषण ही हमारी संस्कृति का मूल आधार बनी रही। लेकिन आज हम प्रकृति को आदर नहीं करते। आज के मानव मन में प्रकृति का शोषण करने की इच्छा है। यह जिंदगी अधिक से अधिक तेजी से बढ़ती जा रही है। आवश्यक है कि प्रकृति केवल मानव कल्याण का साधन मात्र नहीं है। यह तो मानव जाति के विनाश का प्रमुख कारण बन सकती है। हम प्रगति की अन्यथा दौड़ में पृथ्वी को भूलते जाते हैं। कवि कहते हैं कि —

‘धरती धरती है,
पन्हाई हुई गाय नहीं
कि चर के दुह लो
कटोरी भर दूध।’

प्रस्तुत कविता में कवि ‘ऑटोमोबाइल’ शब्द के द्वारा भौतिकता की अभिव्यक्ति की है। आज का व्यस्त मनुष्य अपनी भाग-दौड़ में कृत्रिमता, कपटता, हृदयहीनता आदि अनेक विशेषताओं को प्रकट करने के लिए ऑटोमोबाइल शब्द का प्रयोग करता है। हमने प्रकृति तथा पर्यावरण को सदा पूजा एवं अर्चना करती थी।

सर्वसहनशीलता धरती हमको पुत्रवत् पालन-पोषण करती है। धरती नाश का नहीं, निर्माण का प्रतीक है। लेकिन इस प्रकृति का दुर्बल प्राणी मानव आधुनिक एवं नवीन मशीनों का आविष्कार कर सबल हो गया है। ऐसी विनाशात्मक चीजें बनाकर प्रकृति या पर्यावरण को संभालने की जिम्मेदारी से हटकर प्रकृति का सर्वनाश करता है। मानव अपनी अस्मिता प्रकृति के विरोध में खड़ी करके सदा शोषण करता है।

जैसे — ‘सचल अचल वस्तुओं की जननी,
सर्वसहनशीलता अन्नपूर्णा वसुंधरा।’

धरती की सर्वसहनशीलता का परिचय देता है — सबकी जननी है, माँ है, साथ ही साथ अन्न देने वाली भी है। यह कहकर वसुंधरा यानी धरती को कवि ने अपने शब्दों से स्तुति की है।

केदारनाथ सिंह की प्रसिद्ध कविता है ‘पानी की प्रार्थना’। प्रस्तुत कविता में जल प्रदूषण जैसी विकट समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। जल के उपयोग में भी मानव क्रूर बन जाता है। कवि कहता

है कि जल को पवित्र एवं पूजनीय माननीय होना चाहिए। जल की हर एक बूंद के प्रति श्रद्धा और संवेदना का रिश्ता होना चाहिए। प्रस्तुत कविता में मानव और पानी के बीच होने वाले अटूट संबंध का सुंदर एवं मनोहारी चित्रण किया गया है। कवि कहता है कि प्राकृतिक दोहन का खामियाजा इस धरती के सभी प्राणियों को भुगतना पड़ता है। प्रकृति और मानव जीवन इतना घुला-मिला है कि एक को दूसरे से अलग करना संभव नहीं। मनुष्य प्रकृति की गोद में पहुँचकर सुख-दुख एवं आनंद पाना चाहता है। उसी प्रकार प्रकृति के अन्य जीव-जंतु भी प्रकृति अपनी माता की गोद में आकर सुख एवं दुख की अनुभूति पा सकते हैं।

जैसे —

“कल एक वो आई
और बैठ गई मेरी बाजू में
पहले चौंक कर उसने इधर-उधर देखा
फिर अपनी लंबी चोंच गड़ा दी मेरे सीने में।
और वह मुझे अच्छा लग रहा प्रभु,
लगता रहा जैसे घूँट-घूँट
मेरा जन्मान्तर हो रहा है
एक चील के कंठ में
रक्त से फिर एक नई चील में।”

प्रस्तुत पंक्तियों में एक चील और पानी का सुंदर चित्रण किया है। चील नदी के किनारे आते वक्त इधर-उधर देखने के बाद अपनी लंबी चोंच से पानी पीती है। चील संतुष्ट हो जाती है और पानी भी। पानी चील के कंठ से होता हुआ रक्त में, और रक्त से पूरे शरीर में व्याप्त होकर नई चील के रूप में पैदा होता है। यह तो जन्म-जन्मान्तर का कार्य है। प्रस्तुत कविता में कवि पक्षी, पशु और मानव के व्यवहार के बारे में भी कदम उठाता है।

अनामिका जी की प्रसिद्ध कविता है “हरियाली है एक पत्ती का खोजना”। प्रस्तुत कविता में प्रकृति और पर्यावरण के बारे में कहा गया है।

“किसी टूट पर
पत्ती के
फिर फूट पड़ने की।
यही धमक
सुनती हूँ गई रात
ओरत टपकती है जब
दुनिया की हर ढूँठ पर।”

प्रस्तुत कविता में कवियत्री मानव-मन में होने वाले संघर्ष का चित्रण करती है।

ज्ञानेन्द्रपति जी की प्रसिद्ध कविता है “गंगा स्नान।” प्रस्तुत कविता में एक बुढ़ी मैया ने अपनी विवशता को भूलकर बेटे और बहू का हाथ पकड़कर आधी गंगा तट पर आई है। अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगा

नदी में स्नान करने के लिए ठिगड़ते पैरों से वह आई है। अपने जीवन को निर्मल बनाने के लिए उस पवित्र नदी में नहाना कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो आधुनिक समाज में जीने वाली नई पीढ़ी को जानना चाहिए। पुरानी पीढ़ी के लिए गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि अपने संस्कारों का प्रतीक है।

जैसे : “गंगा में स्नान कर रही,
वह बूढ़ी मैया,
दो ओर से बाँहें पकड़े, बेटे-बहू को लिए,
सीढ़ियाँ उतरती,
आई थी जल तक जो कूकती-कहरती,
निहुरी-दुहरी
यह बूढ़ी मैया दूर से आई
तुम क्या जानो
अपने को प्राणों तक प्रणलित कर रही है,
पवित्र कर रही है।”

आज की नई पीढ़ी ने गंगा जैसी पुण्य नदी को अपवित्र मानकर दूषित एवं विषाक्त बना दिया है।

‘पेड़’ कविता में पेड़ के हरेपन का चित्रण किया है। पेड़ और मानव का जीवन भी एक जैसा है। कवि कहते हैं कि हरेपन और युवावस्था में हम सबके पास सब कुछ है, लेकिन बुढ़ापे की अवस्था में हम सब अकेलेपन में पड़ जाते हैं।

जैसे – “तुम पेड़, उसी वक्त तक
पड़े हो
जब तक ये
हरे पत्ते हिल रहे हैं
तुम्हारी टहनियों पर।”

यहाँ कवि ने पेड़ के माध्यम से जीवन का चित्रण किया है। मनुष्य और प्रकृति के बीच अटूट संबंध है।

‘उस दिन का जंगल’ कविता में अतीत और वर्तमान को एक साथ उपस्थित किया गया है। पुराना कभी भी पुराना नहीं होता, वह हर नए को जन्म देता है। इस कविता में अतीत का पतझर है, जिसकी पत्तियाँ आज भी झड़ती जा रही हैं। किन्तु वह सुखमयता और सुंदर भी था।

“पिछले पतझर में
हम कितने रोशन थे,
जैसे उजाले के दो पेड़।”

प्रस्तुत कविता में पर्यावरण के नए संदर्भ हैं। इस कविता में जंगल पुरानी पीढ़ी का भी प्रतीक है, जो सबको आश्रय देता है। मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी सबको आश्रय देता है। उसमें एक नएपन को स्वीकार करने का गुण भी है।

‘गंगा को प्यार’ कविता में कवि ने गंगा नदी की पवित्रता एवं हमारी संस्कृति के बारे में कहा है।

‘देर तक बैठा रहा
गंगा किनारे
ग्रीष्म का नीला आकाश
कुछ ज्यादा ऊपर उठा हुआ।
और हवा बस इतनी कि
भरा लगे सब कुछ।’

कवि कहते हैं कि हमारा अस्तित्व और जीवन का आधार भी गंगा है।

प्रस्तुत कविताओं में पर्यावरण और उससे संबंधित अनेक समस्याएँ भी हैं। पैसे के पीछे दौड़ने वाले मानव, अपनी खाता में पैसे भरने की स्वार्थता आदि का चित्रण भी है। दान के रूप में मिलने वाले प्राकृतिक संसाधनों का नाश करना ही मानव का उद्देश्य रहा। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य की आधुनिक कविता में पर्यावरण है, प्रकृति है और पर्यावरण विमर्श भी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. धरती — नागार्जुन — पृ. संख्या — 95
2. पानी की प्रार्थना — केदारनाथ सिंह — पृ. संख्या — 100
3. गंगा स्नान — ज्ञानेन्द्रपति — पृ.सं. — 118
4. पेड़ — ओमप्रकाश वाल्मीकि — पृ.सं. — 123
5. उस दिन का जंगल — लीलाधर जगूड़ी — पृ.सं. — 107
6. गंगा को प्यार — अरुण कमल — पृ.सं. — 111

सहायक ग्रंथ सूची :

1. पारिस्थितिक पाठ और हिन्दी साहित्य — डॉ. सुमा एस, डॉ. एस.आर. जयश्री।
2. पर्यावरण विमर्श — डा ब्रिजेश सिंह।



संगम

Impact Factor : 7.834

Website :
www.ginajournal.com

ISSN : 2321-8037

SANGAM

Vol. 14, Issue 5-6

पृष्ठ : 21-30

गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक-बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTILANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREEED RESEARCH JOURNAL

Social Implications of Alcoholism and Evaluation of Psychological Interventions

Dr. Prity Kumari,

Research Fellow, Magadh University, Bodh Gaya

Abstract :

Alcoholism, clinically conceptualized as Alcohol Use Disorder (AUD), remains one of the most critical psychosocial and public health concerns across contemporary societies. Its effects are not confined to physiological deterioration but extend deeply into social institutions, interpersonal relationships, economic productivity, and psychological well-being. The present paper critically examines the social implications of alcoholism and evaluates the effectiveness of major psychological interventions used in the treatment and rehabilitation of alcohol-dependent individuals. Using a descriptive-analytical approach grounded in psychological and sociological literature, the study investigates the impact of alcoholism on family systems, domestic violence, crime, workplace efficiency, social stigma, mental health, and community stability. The paper further evaluates evidence-based therapeutic approaches including Cognitive Behavioral Therapy (CBT), Motivational Interviewing (MI), Family Therapy, Group Therapy, and Mindfulness-Based interventions. The findings indicate that alcoholism is a multidimensional disorder shaped by complex interactions between biological predispositions, psychological vulnerabilities, and socio-cultural environments. Psychological interventions demonstrate significant effectiveness when integrated with social support systems, family participation, and community rehabilitation structures. However, relapse, social stigma, inadequate mental health infrastructure, and cultural barriers continue to challenge treatment outcomes. The paper argues that alcoholism should be understood not as a moral failing but as a chronic psychosocial disorder requiring interdisciplinary intervention and policy-level commitment. The study concludes with recommendations emphasizing prevention, mental health awareness, rehabilitation accessibility, and culturally responsive therapeutic models.

Keywords : Alcoholism, Alcohol Use Disorder, Psychological Intervention, Cognitive Behavioral Therapy, Social Impact, Rehabilitation.

Introduction :

Alcohol consumption has historically occupied a paradoxical place in human civilization. In many cultures, alcohol has functioned as a medium of social interaction, ritual celebration, and symbolic identity. Simultaneously, excessive alcohol consumption has generated severe social, psychological, and economic consequences across societies. In contemporary public health discourse, alcoholism—medically recognized as Alcohol Use Disorder (AUD)—is understood as a chronic and relapsing condition characterized by compulsive alcohol use, impaired behavioral control, tolerance, withdrawal symptoms, and continued consumption despite harmful consequences (American Psychiatric Association [APA], 2022).

The global burden of alcoholism has increased significantly due to rapid urbanization, social fragmentation, economic stress, changing lifestyles, and psychological vulnerability. According to the World Health Organization (WHO, 2023), harmful alcohol use contributes to millions of deaths annually and remains strongly associated with non-communicable diseases, accidents, suicides, violence, and mental health disorders. The consequences of alcoholism are multidimensional and extend far beyond individual pathology. Alcohol dependency disrupts family structures, weakens workplace productivity, increases healthcare expenditure, intensifies criminal behavior, and destabilizes community life.

The social implications of alcoholism are particularly severe in developing countries where mental health infrastructure, rehabilitation services, and public awareness remain inadequate. In many communities, alcohol abuse contributes directly to domestic violence, child neglect, marital instability, poverty, and intergenerational trauma. The economic burden associated with alcoholism includes healthcare costs, law enforcement expenditure, reduced labor productivity, and social welfare dependency. Consequently, alcoholism represents not merely a medical issue but a profound social and developmental challenge.

Historically, alcoholism was interpreted through moralistic frameworks that associated addiction with weak character and ethical failure. Modern psychological science, however, conceptualizes alcoholism as a biopsychosocial disorder influenced by genetic predisposition, cognitive patterns, emotional trauma, social environment, and behavioral conditioning. This transformation in understanding has led to the emergence of evidence-based psychological interventions aimed at behavioral regulation, emotional recovery, relapse prevention, and social reintegration.

The present paper critically examines the social implications of alcoholism and evaluates major psychological interventions employed in its treatment. By integrating sociological perspectives

with clinical psychological approaches, the study seeks to develop a comprehensive understanding of alcoholism as a complex human and societal phenomenon.

Theoretical Understanding of Alcoholism :

Alcoholism is best understood through a multidisciplinary framework integrating biological, psychological, and sociological perspectives. Biological theories emphasize hereditary predisposition and neurochemical dependency mechanisms involving dopamine-mediated reward systems. Genetic studies indicate that individuals with family histories of alcoholism possess increased susceptibility to addictive behaviors due to inherited neurobiological vulnerabilities (Volkow & Boyle, 2018).

Psychological theories interpret alcoholism as a maladaptive coping mechanism associated with emotional distress, trauma, anxiety, depression, and cognitive dysfunction. Psychoanalytic perspectives historically viewed addiction as a manifestation of unresolved unconscious conflict and emotional fixation. Behavioral theorists later explained alcoholism through reinforcement processes in which alcohol temporarily reduces stress or emotional discomfort, thereby strengthening repeated consumption behavior.

Cognitive theory further contributed to addiction studies by emphasizing dysfunctional thinking patterns, irrational beliefs, self-defeating attitudes, and distorted emotional interpretations associated with compulsive drinking. Beck et al. (1993) argued that alcohol-dependent individuals frequently develop automatic cognitive schemas that normalize drinking behavior and justify continued alcohol consumption despite harmful outcomes.

Sociological theories focus on environmental and structural influences including peer pressure, cultural acceptance of drinking, unemployment, social isolation, media influence, and socioeconomic stress. Durkheimian interpretations of social disintegration and anomie remain relevant in understanding how weakened social bonds contribute to substance abuse behavior in modern societies.

Contemporary addiction research increasingly supports the biopsychosocial model, which recognizes alcoholism as the product of interacting biological, psychological, and social determinants. This perspective suggests that effective intervention requires integrated treatment approaches rather than isolated medical or behavioral responses.

Social Implications of Alcoholism :

Family Disintegration and Domestic Violence :

One of the most destructive consequences of alcoholism is the destabilization of family systems. Alcohol dependency significantly disrupts interpersonal communication, emotional security, financial stability, and parental functioning. Families affected by alcoholism frequently experience chronic conflict, emotional neglect, domestic violence, and psychological trauma.

Spouses of alcohol-dependent individuals often suffer from depression, anxiety, social embarrassment, and emotional exhaustion. The unpredictable behavior associated with intoxication creates environments characterized by fear, insecurity, and instability. In many households, alcohol abuse contributes directly to marital separation and divorce.

Children raised in alcoholic families are particularly vulnerable to developmental and psychological disturbances. Research demonstrates that children of alcohol-dependent parents exhibit increased rates of behavioral problems, academic difficulties, emotional insecurity, low self-esteem, and future substance abuse vulnerability (Kuppens & Ceulemans, 2019). Exposure to parental alcoholism also increases the likelihood of trauma-related disorders and dysfunctional relationship patterns during adulthood.

The relationship between alcoholism and domestic violence remains especially alarming. Alcohol intoxication impairs judgment, reduces impulse control, and intensifies aggressive tendencies. Numerous studies have identified alcohol abuse as a major contributing factor in intimate partner violence and child maltreatment (Foran & O’Leary, 2008). In patriarchal social settings, alcoholism often exacerbates gender-based violence and economic exploitation within families.

The long-term social impact of family disintegration caused by alcoholism extends across generations, perpetuating cycles of trauma, emotional dysfunction, and substance dependency.

Economic Burden and Occupational Dysfunction :

Alcoholism imposes significant economic costs upon individuals, families, organizations, and governments. Chronic alcohol consumption reduces workplace productivity through absenteeism, impaired concentration, reduced efficiency, occupational accidents, and poor professional decision-making.

Employees suffering from alcohol dependency often struggle with punctuality, interpersonal relationships, and emotional regulation within organizational environments. Workplace accidents linked to intoxication create additional financial liabilities and safety risks, particularly in labor-intensive sectors such as transportation, manufacturing, and construction.

At the household level, alcoholism frequently contributes to financial instability and poverty. Large portions of income may be diverted toward alcohol consumption, reducing expenditure on education, healthcare, nutrition, and housing. Financial strain further intensifies family conflict and emotional distress.

Governments bear enormous costs related to alcohol-associated healthcare treatment, law enforcement, rehabilitation services, and traffic accident management. Rehm et al. (2017) observed that harmful alcohol use contributes substantially to the global burden of disease and economic loss

through reduced workforce participation and increased healthcare dependency.

The economic implications of alcoholism are therefore not confined to individual consumers but represent a broader developmental challenge affecting national productivity and social welfare systems.

Crime, Violence, and Public Disorder :

Alcoholism is strongly associated with criminal behavior, interpersonal violence, and social disorder. Alcohol intoxication impairs cognitive functioning, weakens moral inhibition, and increases impulsive aggression, thereby contributing to violent and antisocial conduct.

Alcohol-related crimes commonly include assault, homicide, sexual violence, vandalism, and drunk-driving offenses. Road accidents caused by intoxicated driving represent one of the leading causes of preventable death globally. These incidents not only produce physical injuries and fatalities but also generate long-term psychological and economic trauma for victims and families.

Urban environments often witness increased public disorder associated with excessive drinking, including street violence, gang conflict, nightlife disturbances, and property damage. Among adolescents, alcohol abuse contributes significantly to risky behaviors, juvenile delinquency, unsafe sexual activity, and academic disengagement.

From a sociological perspective, alcohol-related violence reflects deeper structural problems including unemployment, social alienation, economic frustration, and inadequate mental health support systems. Therefore, effective prevention strategies must address both individual addiction and broader social conditions that encourage destructive coping behaviors.

Psychological Consequences and Mental Health Deterioration :

Alcoholism severely affects emotional stability and psychological functioning. Chronic alcohol use alters neurochemical balance and contributes to mood disorders, anxiety disorders, cognitive impairment, suicidal ideation, and emotional dysregulation.

Many individuals initially consume alcohol as a mechanism for coping with loneliness, trauma, stress, or depression. However, prolonged alcohol dependency intensifies psychological suffering rather than alleviating it. Alcohol acts as a depressant on the central nervous system and gradually reduces emotional resilience and cognitive clarity.

The relationship between alcoholism and depression is particularly significant. Research indicates high comorbidity between Alcohol Use Disorder and depressive disorders, with each condition reinforcing the severity of the other (Grant et al., 2015). Alcohol-dependent individuals often experience profound feelings of guilt, hopelessness, shame, and social isolation.

Psychological deterioration associated with alcoholism also undermines interpersonal

functioning. Emotional unpredictability, distrust, irritability, manipulation, and dependency patterns frequently damage friendships, marital relationships, and social support networks. Consequently, alcoholism generates not only individual suffering but collective emotional disruption within communities.

Social Stigma and Marginalization :

Despite advancements in addiction science, alcoholism continues to be heavily stigmatized across societies. Alcohol-dependent individuals are frequently perceived as morally weak, irresponsible, or socially dangerous. Such stigma discourages treatment-seeking behavior and intensifies social exclusion.

Social marginalization associated with alcoholism creates barriers to employment, healthcare access, social acceptance, and rehabilitation opportunities. Many individuals avoid professional treatment due to fear of discrimination and public humiliation. Women experiencing alcoholism frequently face harsher moral condemnation because of gender-based social expectations.

Stigmatization further worsens addiction by isolating individuals from supportive relationships and community participation. Homeless populations, unemployed individuals, and socially excluded groups remain particularly vulnerable to chronic alcoholism because of persistent social alienation and psychological distress.

Reducing social stigma therefore represents an essential component of effective alcoholism prevention and rehabilitation policies.

Evaluation of Psychological Interventions :

Cognitive Behavioral Therapy (CBT) :

Cognitive Behavioral Therapy (CBT) remains one of the most empirically supported interventions for Alcohol Use Disorder. CBT is based on the principle that dysfunctional thoughts influence emotional responses and maladaptive behaviors. In alcoholism treatment, CBT helps individuals identify cognitive distortions, emotional triggers, and environmental conditions associated with drinking behavior.

Therapeutic sessions focus on developing coping mechanisms, emotional regulation skills, stress management strategies, and relapse prevention techniques. Patients are encouraged to challenge irrational beliefs such as helplessness, denial, and catastrophic thinking patterns.

Meta-analytic evidence indicates that CBT significantly improves treatment outcomes and reduces relapse frequency among alcohol-dependent individuals (Magill et al., 2019). The structured and goal-oriented nature of CBT allows adaptation across clinical, community, and rehabilitation settings.

However, CBT also possesses limitations. Its effectiveness depends heavily upon patient motivation, cognitive engagement, literacy level, and therapeutic consistency. Individuals experiencing severe psychiatric disorders or unstable living conditions may struggle to sustain behavioral change through cognitive intervention alone.

Motivational Interviewing (MI) :

Motivational Interviewing is a client-centered counseling approach developed to enhance intrinsic motivation for behavioral change. Unlike confrontational treatment models, MI emphasizes empathy, reflective listening, collaboration, and respect for patient autonomy.

Many alcohol-dependent individuals experience ambivalence regarding treatment and abstinence. Motivational Interviewing addresses this ambivalence by helping individuals recognize discrepancies between their personal values and destructive drinking patterns. The therapist functions not as an authority figure but as a facilitator of self-directed change.

Research demonstrates that MI is particularly effective during early intervention stages and among resistant or treatment-avoidant individuals (Miller & Rollnick, 2013). The approach has shown strong effectiveness in reducing hazardous drinking among adolescents and young adults.

Nevertheless, Motivational Interviewing may produce limited long-term outcomes when used independently in severe addiction cases. Sustainable recovery generally requires integration with behavioral therapy, relapse prevention strategies, and social rehabilitation support.

Family Therapy :

Family-based therapeutic approaches recognize that alcoholism affects entire relational systems rather than isolated individuals. Family Therapy addresses dysfunctional communication patterns, co-dependency, emotional trauma, and conflict associated with alcohol dependency.

Approaches such as Behavioral Couples Therapy and Multidimensional Family Therapy aim to improve emotional support, accountability, and interpersonal stability within families affected by alcoholism. Family participation often enhances treatment retention and relapse prevention outcomes.

O'Farrell and Clements (2012) observed that family-based interventions significantly improve recovery effectiveness, especially among married individuals and adolescents. Family therapy also benefits children by reducing household conflict and improving emotional security.

However, the effectiveness of Family Therapy depends upon willingness among family members to participate constructively. In severely abusive or highly conflictual family environments, therapeutic engagement may become difficult.

Group Therapy and Alcoholics Anonymous :

Group-based interventions provide emotional solidarity, social accountability, and shared

recovery experiences for individuals struggling with alcoholism. Alcoholics Anonymous (AA) remains one of the most influential peer-support recovery models worldwide.

The Twelve-Step framework emphasizes abstinence, personal reflection, spiritual growth, and mutual support among recovering individuals. Many participants report that peer acceptance and collective understanding reduce loneliness and strengthen recovery motivation.

Kelly et al. (2020) found that consistent participation in AA and Twelve-Step Facilitation programs significantly improves abstinence outcomes compared to certain alternative interventions. Group therapy additionally reduces treatment costs and increases rehabilitation accessibility.

Nevertheless, criticisms of AA include concerns regarding its spiritual orientation and lack of universal compatibility across cultural and ideological contexts. Some individuals may also experience discomfort with public disclosure within group settings.

Mindfulness-Based Interventions :

Mindfulness-Based interventions have gained increasing recognition within addiction psychology due to their effectiveness in emotional regulation and relapse prevention. These approaches encourage individuals to observe cravings, stress responses, and emotional states without impulsive reaction.

Mindfulness-Based Relapse Prevention integrates meditative practices with cognitive awareness strategies aimed at reducing automatic drinking behavior. Research indicates that mindfulness interventions improve psychological resilience, reduce stress-related relapse, and enhance emotional self-control (Bowen et al., 2014).

Such interventions appear particularly effective for individuals whose alcoholism is strongly associated with anxiety, trauma, or emotional dysregulation. However, mindfulness approaches require sustained practice and may not produce immediate behavioral change without complementary therapeutic support.

Challenges in Alcoholism Treatment :

Despite substantial progress in psychological intervention research, alcoholism treatment continues to face multiple barriers. Social stigma remains one of the greatest obstacles preventing individuals from seeking professional help. In many societies, addiction is still interpreted through moralistic rather than medical frameworks.

Relapse represents another major challenge. Alcoholism is a chronic relapsing disorder, and repeated relapse often produces frustration, shame, and treatment discontinuation. Co-occurring psychiatric disorders including depression, anxiety, and personality disorders further complicate rehabilitation outcomes.

Limited mental health infrastructure, shortage of trained addiction specialists, and economic inequality restrict treatment accessibility, particularly in developing regions. Cultural factors also influence therapeutic effectiveness. Interventions developed within Western psychological frameworks may require adaptation for collectivist societies characterized by different family structures, spiritual beliefs, and social norms.

Consequently, effective alcoholism rehabilitation requires integrated, culturally sensitive, and community-based intervention models.

Conclusion :

Alcoholism represents a multidimensional psychosocial disorder with profound implications for individuals, families, communities, and national development. Its consequences extend beyond physical health deterioration into the domains of domestic violence, economic instability, criminal behavior, emotional trauma, workplace dysfunction, and social fragmentation.

The findings of this study indicate that alcoholism cannot be adequately understood through simplistic moral interpretations. Instead, it must be recognized as a chronic biopsychosocial condition shaped by interacting biological vulnerabilities, psychological distress, and socio-environmental influences.

Psychological interventions including Cognitive Behavioral Therapy, Motivational Interviewing, Family Therapy, Group Therapy, and Mindfulness-Based approaches have demonstrated substantial effectiveness in promoting recovery and relapse prevention. However, treatment success depends heavily upon social support systems, family participation, cultural sensitivity, and continuity of care. Future policy frameworks should prioritize prevention, mental health education, early intervention, rehabilitation accessibility, and reduction of addiction-related stigma. Sustainable recovery requires interdisciplinary collaboration among psychologists, psychiatrists, social workers, healthcare institutions, educational systems, and community organizations.

Ultimately, a compassionate and evidence-based societal response remains essential for reducing the devastating human and social consequences of alcoholism.

References :

1. American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.; DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing.
2. Beck, A. T., Wright, F. D., Newman, C. F., & Liese, B. S. (1993). *Cognitive therapy of substance abuse*. Guilford Press.
3. Bowen, S., Chawla, N., Collins, S. E., Witkiewitz, K., Hsu, S., Grow, J., ... Marlatt, G. A. (2014).

Mindfulness-based relapse prevention for substance use disorders: A pilot efficacy trial. *Substance Abuse*, 30(4), 295–305. <https://doi.org/10.1080/08897070903250084>

4. Foran, H. M., & O’Leary, K. D. (2008). Alcohol and intimate partner violence: A meta-analytic review. *Clinical Psychology Review*, 28(7), 1222–1234. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2008.05.001>
5. Grant, B. F., Goldstein, R. B., Saha, T. D., Chou, S. P., Jung, J., Zhang, H., ... Hasin, D. S. (2015). Epidemiology of DSM-5 alcohol use disorder. *JAMA Psychiatry*, 72(8), 757–766. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2015.0584>
6. Kelly, J. F., Humphreys, K., & Ferri, M. (2020). Alcoholics Anonymous and other 12-step programs for alcohol use disorder. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2020(3), CD012880. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD012880.pub2>
7. Kuppens, S., & Ceulemans, E. (2019). Parenting styles: A closer look at a well-known concept. *Journal of Child and Family Studies*, 28(1), 168–181. <https://doi.org/10.1007/s10826-018-1242-x>
8. Magill, M., Ray, L. A., Kiluk, B. D., Hoadley, A., Bernstein, M. H., Tonigan, J. S., & Carroll, K. M. (2019). A meta-analysis of cognitive-behavioral therapy for alcohol or other drug use disorders: Treatment efficacy by contrast condition. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 87(12), 1093–1105. <https://doi.org/10.1037/ccp0000447>
9. Miller, W. R., & Rollnick, S. (2013). *Motivational interviewing: Helping people change* (3rd ed.). Guilford Press.
10. O’Farrell, T. J., & Clements, K. (2012). Review of outcome research on marital and family therapy in treatment for alcoholism. *Journal of Marital and Family Therapy*, 38(1), 122–144. <https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2011.00242.x>
11. Rehm, J., Gmel, G., Sr., Gmel, G., Hasan, O. S. M., Imtiaz, S., Popova, S., ... Shield, K. D. (2017). The relationship between different dimensions of alcohol use and the burden of disease—An update. *Addiction*, 112(6), 968–1001. <https://doi.org/10.1111/add.13757>
12. Volkow, N. D., & Boyle, M. (2018). Neuroscience of addiction: Relevance to prevention and treatment. *American Journal of Psychiatry*, 175(8), 729–740. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2018.17101174>
13. World Health Organization. (2023). *Global status report on alcohol and health and treatment of substance use disorders*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240096745>

email: prityrajpur931115@gmail.com



संगम

Impact Factor : 7.834

Website :
www.ginajournal.com

ISSN : 2321-8037

SANGAM

Vol. 14, Issue 5-6

पृष्ठ : 31-36

गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक-बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTILANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREEED RESEARCH JOURNAL

वर्तमान दौर में भवन निर्माण श्रमिकों की समस्याएं एवं जीवन स्तर

डॉ. विजय बलीराम गावंडे

एसो. प्रोफेसर, श्री सरस्वती समाज कार्य महाविद्यालय, वाशिम, महाराष्ट्र
संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती, महाराष्ट्र।

संक्षेप :

भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, भवन निर्माण क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध है। इसी क्षेत्र से अर्थचक्र घूमता है। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसी क्षेत्र पर सीमेंट, पेंट, सरिया, टाइल्स, इलेक्ट्रिक, कांच, सेनेटरी, फर्नीचर, और भी कई बड़ी-बड़ी हजारों कंपनियां निर्भर हैं। इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कार्यरत हैं। इसी उद्योग क्षेत्र में देश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है यह क्षेत्र करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जो निर्माण कार्य इंजीनियरिंग से लेकर मैनुअल श्रमिकों तक का कार्य होता है। भारत का भवन निर्माण क्षेत्र एक विशाल उद्योग क्षेत्र है जिसमें करोड़ों असंगठित श्रमिक कार्य करते हैं और अपना जीवन बिताते हैं जिसमें आवासीय (ग्रामीण-शहरी) वाणिज्यिक और औद्योगिक भवनों का निर्माण होता है। निर्माण कार्य में कुल कितने श्रमिक हैं इसका कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं है केवल अनुमान लगाया जा सकता है। असंगठित क्षेत्र के इन भवन निर्माण श्रमिक अनेकों समस्याओं से ग्रस्त हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु अनेकों कानूनी प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान और योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं फिर भी इन श्रमिकों के हालत में सुधार नहीं हुए हैं।

बीज शब्द - भवन निर्माण, श्रम, ठेका, पारिश्रमिक, प्रवसन, जोखिम, असंगठित, समस्याएं।

प्रस्तावना :-

हर साल 1 मई को भारत समेत दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूरों को समर्पित यह दिन मनाने का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में मजदूरों के योगदान को याद कर उनकी दशा सुधारने हेतु विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाएं निर्माण करना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। भवन निर्माण आधुनिक काल में नई-नई तकनीक के साथ निर्माण हो रहा है जिसके लिए नए-नए तकनीकी श्रमिकों की आवश्यकता होती है, इसलिए भवन निर्माण में श्रमिकों के प्रकार भी दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं। देश भर में भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में 8 करोड़ से अधिक श्रमिक लगे हुए हैं यह श्रमिक भारत में असंगठित क्षेत्र के सबसे कमजोर वर्ग में से एक है, उनका कार्य अस्थायी प्रवृत्ति का होता है, नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच संबंध अस्थायी

और काम के घंटे अनिश्चित होते हैं।

परिभाषा -

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तों विनिमय अधिनियम 1996 में की धारा 2 आई के अनुसार निर्माण श्रमिक से अर्थ ऐसे व्यक्ति से हैं जो किसी भवन या निर्माण कार्य में कुशल अर्ध-कुशल या कुशल श्रमिक के रूप में शारीरिक, पर्यवेक्षक, तकनीकी तथा लिपिकीय कार्य वेतन या पारिश्रमिक के लिए करता हो। निर्माण श्रमिक का आशय उस श्रमिक वर्ग से हैं जो निर्माण कार्य में दैनिक अथवा ठेका मजदूरों के रूप में कार्यरत हैं, प्रोफेसर थॉमस का कथन है— सभी प्रकार का मानव श्रम चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक परंतु जो पारिश्रमिक प्राप्त करने की आशा से किया जाता है अर्थशास्त्र में श्रम कहलाता है (श्रम अर्थशास्त्र पेज 4) मार्शल ने भी इसी परिभाषा को स्वीकार किया है श्रम अर्थशास्त्र में श्रम से तात्पर्य नियुक्त श्रम से है वे सभी व्यक्ति जिनकी जीविका का मुख्य साधन श्रम का विक्रय है अर्थात् जो श्रमिक है।

निर्माण श्रमिकों का महत्व - अपना एक घर या मकान बनाना हर किसी का सपना होता है। निर्माण श्रमिकों का देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है और महत्व भी है। निर्माण श्रमिकों के बिना बढ़ती अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती, निर्माण श्रमिकों का समाज में अपना एक अलग स्थान है। बहुत सारी इकाइयां और कंपनियां निर्माण श्रमिकों पर निर्भर करती हैं। निर्माण श्रमिकों की वजह से अर्थ-चक्र तेजी से घूमता है। निर्माण श्रमिक जो कार्य करते हैं वह इंसान की बुनियादी जरूरत और सबसे महत्वपूर्ण जरूरत जो घर या मकान के लिए कार्य करते हैं जो एक महत्वपूर्ण कार्य है।

निर्माण श्रमिकों की विशेषताएं - यह असंगठित श्रमिक के क्षेत्र में आते हैं, इनका कोई संगठन नहीं होता, यह भ्रमणशील होते हैं, किसी एक स्थान या एक भवन पर ज्यादा दिन काम नहीं करते और बीच में यह दूसरे कार्य भी करते हैं जैसे कृषि से संबंधित कार्य, यह कुशल और अकुशल और अर्ध-कुशल श्रमिक होते हैं, इन मजदूरों को कम मजदूरी भी मिलती है, इसमें महिला श्रमिकों को पुरुष श्रमिकों के मुकाबले कम पारिश्रमिक मिलता है, सेवायोजक या ठेकेदारों और उनके बीच अस्थायी संबंध होते हैं, काम या भवन निर्माण कार्य के बाद यह दूसरे ठेकेदारों के यहां कार्य करते हैं, भवन निर्माण श्रमिकों के लिए कानून का अभाव है, इन श्रमिकों में पिछड़ी जातियों की संख्या सबसे अधिक है, विगत वर्षों में भवन निर्माण श्रमिकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है, अधिकतर श्रमिक ऋणग्रस्त होते हैं और निरक्षर याने शिक्षा का अभाव होता है, इनकी सौदाशक्ति कम होती है, इनमें प्रवासी श्रमिकों की संख्या भी अधिकांश होती है।

भवन निर्माण में लगे श्रमिकों के प्रकार - भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तों विनिमय अधिनियम 1996 में श्रमिकों के साठ प्रकार बताए गए हैं, उनमें से कुछ प्रकार— राजमिस्त्री, कारपेंटर, पुताई करने वाले, पेंटर, पत्थर काटने वाले, कारागीर, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबिंग के कार्य करने वाले, बोरवेल खोदने वाले, वेल्डिंग करने वाले, मुख्य मजदूर, मिक्सर चलाने वाले, लकड़ी या पत्थर पैक करने वाले, हथोड़ा चलने वाले, छप्पर डालने वाले, लोहार मिश्रण करने वाले, पंप ऑपरेटर, सिक्क्योरिटी गार्ड मिक्सर मशीन चलाने वाले, रोलर चालक, मोजैक पॉलिश करने वाले, कडप्पा संगमरमर मार्बल टाइल्स संबंधित कार्य करने वाले कर्मकार, सड़क कर्मकार, चट्टान तोड़ने वाले कर्मकार, मिट्टी के कार्य में जुटे श्रमिक, शीतलीकरण एयर कंडीशनर की कार्य करने वाले, लोहे के ग़्रिल खिड़कियां बनाने वाले, स्टेनलेस स्टील की रोलिंग बनाने वाले, कार्पेंटो का काम करने

वाले, लिफ्ट का काम करने वाले, सोलर पैनल लगाने वाले या मरम्मत करने वाले, मॉड्यूल किचन निर्माण करने वाले, पीओपी के कार्य करने वाले, सेंट्रिंग का कार्य करने वाले, सुरक्षा दरवाजे सुरक्षा यंत्र लगाने वाले, वाटर हार्वैस्टिंग जल संरक्षण से संबंधित कार्य करने वाले, कांच के कार्य करने वाले, स्विमिंग पूल, गोल्फ कोर्स जैसे मनोरंजन स्थल का निर्माण करने वाले, घर में फवारा या आधुनिक डिजाइंस बनाने वाले, घर में मिनी गार्डन बनाने वाले और इस प्रकार के अनेकों श्रमिक भवन निर्माण कार्य में कार्य करते हैं।

निर्माण स्थलों पर असुविधाएं और जोखिम - भवन निर्माण क्षेत्र प्राइवेट या ठेकेदारों के हाथों में है जो केवल मुनाफा कमाने के लिए ही कार्य करते हैं। निर्माण श्रमिक जहां कार्य करते हैं उस जगह बुनियादी सुविधाएं नहीं होती हैं और जोखिम भरे कार्य करने पड़ते हैं। ना पीने के लिए शुद्ध जल ना शौचालय की व्यवस्था और ना ही महिला श्रमिकों के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था और ना ही श्रमिकों के लिए सुरक्षा व्यवस्था, बहुत बार इस कारण दुर्घटनाएं घटती हैं जिसका मुआवजा ठेकेदार नहीं देते और दुर्घटना बीमा भी नहीं होता। पत्थर काटने, ड्रिल चलने, सीमेंट के कार्य में सिलिका युक्त धूल सांस के जरिए शरीर में जाने से सिलिकोसिस जैसी फेफड़ों की बीमारी का खतरा होता है। बहुत सारी असुविधाओं के बीच निर्माण श्रमिक कार्य करते हैं। निर्माण श्रमिकों में से अधिकांश श्रमिकों को पारिश्रमिक ठेके के स्वरूप में मिलता है यानी जितना कम उतना दाम तो यह श्रमिक किसी भी सुविधा के बारे में शिकायत नहीं करते और बिना किसी सुरक्षा संसाधनों के निरंतर कार्य करते हैं।

निर्माण श्रमिकों की बस्तियां एवं आवास समस्याएं - जो दूसरों के घर का निर्माण करते हैं उनका खुद का कोई मकान नहीं होता, गांव में रोजगार नहीं है लिहाजा यह श्रमिक टियर 1 टियर 2 या फिर टियर 3 शहरों में रोजगार के लिए निकलते हैं। भवन निर्माण में लगे श्रमिक पहले अकुशल फिर अर्ध कुशल और फिर कुशल श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं जिसे कई वर्ष लग जाते हैं। शहरों में काम तो मिलता है किंतु रहने के लिए मकान नहीं मिलता और यह जिम्मेदारी ठेकेदार नहीं लेते, किराया बहुत ज्यादा होता है तो यह लोग गंदी बस्तियों में रहने लगते हैं जिसका सीधा असर उनके जीवन स्तर, स्वास्थ्य एवं विकास पर पड़ता है जिससे झुग्गी झोपड़ी और गंदी बस्तियों का विस्तार होता है। गंदी बस्तियों में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती है और बहुत ज्यादा स्वास्थ्य समस्याएं निर्माण होती हैं इसके लिए सरकारों की योजनाएं हैं किंतु उसका लाभ कुछ या बहुत कम श्रमिक ले पाते हैं।

निर्माण श्रमिकों की स्वास्थ्य समस्याएं - निर्माण स्थलों पर सुविधाएं और जोखिम भरे कार्य एवं गंदी बस्तियों में रहने और शिक्षा के अभाव में निर्माण श्रमिकों को अनेकों स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होती और पैसों के अभाव में एवं अत्यधिक गरीबी के कारण महंगे इलाज नहीं कर सकते। अनेक श्रमिकों को व्यवसायिक बीमारियां भी होती हैं। महिला श्रमिकों को अनेक स्वास्थ्य समस्याएं निर्माण होती हैं। गर्भावस्था के दौरान जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह उन महिलाओं को नहीं मिलती, बच्चों में कुपोषण जैसी समस्याएं निर्माण होती हैं, महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान भी काम करना पड़ता है, निर्माण श्रमिकों में से अधिकांश श्रमिक शराब या अन्य मादक चीजों का सेवन करते हैं जिसे उनके शरीर पर बुरा असर पड़ता है। भवन निर्माण कार्य करते समय कभी श्रमिकों को की दुर्घटना में मौत हो जाती है या फिर वह अपाहिज यानी दिव्यांग हो जाते हैं। निर्माण कार्य स्थलों पर प्रारंभिक चिकित्सा उपकरण एवं दवाई उपलब्ध नहीं

होती, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन के अध्याय 7 अधिनियम 1996 की धारा 38 और 41 में भवन और निर्माण श्रमिकों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य के उपाय शामिल हैं किंतु उसका क्रियान्वयन नहीं होता है।

कोरोना काल की गंभीर समस्याएं – निर्माण श्रमिकों को कोरोना काल में जब भारत में लॉकडाउन हुआ था तब बहुत सारी गंभीर समस्याओं को झेलना पड़ा इस विषय में 2022 में मधुर भंडारकर (मोशन पिक्चर्स) की इंडिया लॉकडाउन नाम की फिल्म भी आई थी जिसमें इन प्रवासी मजदूरों के हालात के बारे में चित्रण किया गया था। मिलो पैदल चलने से इन मजदूरों में और महिला श्रमिकों में बहुत सारी गंभीर समस्याएं निर्माण हुई थी। इन मजदूरों का 'पीठ पर पेट' यानी रोज कमाओ और रोज खाओ इस प्रकार का जीवन यतन होता है, भविष्य में अगर फिर से लॉकडाउन होता है तो इन मजदूरों के पास भूखे रहने के सिवा कोई विकल्प नहीं है।

हीट वेव यानी गर्मी की लहर – निर्माण श्रम में लगे श्रमिकों को धूप में गर्मी के साथ काम करना पड़ता है भवन का कलरिंग से लेकर बाहरी प्लास्टर तक का काम पूरे दिन यह लोग धूप में करते हैं जिसका सीधा और सबसे गंभीर असर निर्माण श्रमिकों पर पड़ता है। हीट वेव से भारत के कई राज्य प्रभावित हैं जिसमें राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र, छत्तीसगढ़ यह राज्य सबसे अधिक हीट वेव से प्रभावित हैं जहां का तापमान 46 से 48 डिग्री सेल्सियस तक जाता है जो घातक और गंभीर परिणाम श्रमिकों की स्वास्थ्य पर होता है इस वजह से कई श्रमिकों की मौतें भी हुई हैं।

ऊपर दी गई समस्याओं के अलावा निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की अनेक समस्याएं हैं जिनमें निर्माण कार्य में लगे बाल श्रमिक, महिला श्रमिक और वृद्ध श्रमिकों की अनेकों अलग-अलग समस्याएं हैं। इन श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के स्वास्थ्य की अनेक समस्याओं से यह जूझते हैं। ठेकेदारों के द्वारा इन श्रमिकों का सभी प्रकार का शोषण होता है। इन सभी की दशा सुधारने हेतु अनेकों राज्यों ने एवं केंद्र सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी श्रम कानूनों के द्वारा निर्माण श्रमिकों की शोषण मुक्ति के लिए प्रयास किया है जो निरंतर जारी है।

संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान – निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु अनेकों संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान हैं जिनमें भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार (रोजगार विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम 1979 यह अधिनियम पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन 5 या उससे अधिक अंतरराज्यीय कामगारों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों और ठेकेदारों पर लागू होता है, बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 43, 43A, 41, 23 सातवीं अनुसूची में निर्माण एवं असंगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु प्रावधान है, केंद्रीकृत डेटाबेस के लिए ई-श्रम पोर्टल है जिसके मदद से इन श्रमिकों के लिए योजनाएं निर्गमित होते हैं।

श्रम कानूनों में अनुपालन को आसान बनाने और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने केंद्रीय श्रम कानूनों को व्यापक समूहों में समेकित करने की सिफारिश की है जैसे : (i) मजदूरी, (ii) औद्योगिक

संबंध, (iii) सामाजिक सुरक्षा, (iv) सुरक्षा, कल्याण और कार्य स्थितियां। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, वेतन संहिता, 2019, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 लेकिन इन सभी कानून और संवैधानिक प्रावधानों का कार्यान्वयन नहीं हो पता है, टियर 1 और टियर 2 शहरों की बात छोड़ दीजिए टियर 3 शहरों में भी हजारों कंस्ट्रक्शन फील्ड्स हैं हर एक निर्माण परियोजना में कार्यस्थल पर कौन सी सुविधा है या नहीं यह देखने के लिए कोई यंत्रणा मौजूद नहीं है।

कार्यक्रम एवं योजनाएं – केंद्र सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाएं कार्यान्वित हैं जिनमें पीएम विश्वकर्मा योजना, सामाजिक सुरक्षा हेतु मध्यान भोजन योजना, प्रथम विवाह की प्रतिपूर्ति योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा मान्यता प्रशिक्षण योजना, शैक्षणिक योजनाएं जो श्रमिकों के बच्चों को दी जाती हैं उनमें कक्षा 1 से लेकर मेडिकल और इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई के लिए प्रतिवर्ष 5000 से 160000 तक सहायता दी जाती है, श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर बीमारी के इलाज के लिए, परिवार नियोजन, सर्जरी के लिए विकलांगता के मामले में, महिलाओं के प्राकृतिक प्रसव, सिजेरियन के लिए, स्वास्थ्य जांच करवाने के लिए सहायता राशि दी जाती है। महात्मा ज्योतिबा फुले जन स्वास्थ्य योजना के तहत अनेक बीमारियों के इलाज के लिए भी सहायता दी जाती है। काम के दौरान श्रमिकों की मृत्यु होने पर या प्राकृतिक मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी को सहायता राशि दी जाती है। आवास के मामले में अटल निर्माण श्रमिक आवास योजना, पीएम आवास योजना के तहत गृह दिया जाता है जिस पर ब्याज छूट होती है। अनेक राज्यों में केंद्र की योजनाओं के साथ राज्य की योजनाएं भी कार्यान्वित हैं जिसमें मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, विशेष शिक्षा सहायता योजना, दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना, मुख्यमंत्री अटल पेंशन योजना, निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना, दिव्यांगता सहायता योजना इस प्रकार की अनेक योजना योजनाएं निर्माण श्रमिकों के लिए कार्यरत हैं किंतु इसके लिए निर्माण श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण आवश्यक है। बहुत से श्रमिक पंजीकरण नहीं करते, श्रमिक अशिक्षित या फिर शिक्षा के अभाव में उनको इस योजना के बारे में पता नहीं होता इसीलिए कुछ ही श्रमिक इन योजनाओं का लाभ लेने में सक्षम होते हैं।

निष्कर्ष एवं समस्या समाधान :

निर्माण श्रमिकों की दशा सुधारने हेतु विभिन्न राज्यों/केंद्र सरकार द्वारा अनेकों योजना का अमल होता है फिर भी इन असंगठित श्रमिकों के जीवन स्तर में विशेष सुधार नहीं होता। इसीलिए लंबी अवधि के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। निर्माण श्रमिकों को सशक्त बनाने का मतलब केवल तत्काल राहत प्रदान करना नहीं है बल्कि दीर्घकालिक सुरक्षा और विकास के अवसर भी सुनिश्चित करना है।

निर्माण श्रमिकों की दशा सुधारने हेतु उपाय – कानूनी एवं संवैधानिक प्रावधानों का अमल, श्रमिक शिक्षा, श्रमिक कल्याण योजना का कार्यान्वयन, श्रमिकों का सुलभ रजिस्ट्रेशन, महिला श्रमिकों के प्रावधानों का अमल, शोषण मुक्ति के लिए गैर सरकारी संस्था, सामान्य जनता, राजकीय पार्टी इन सभी का प्रयास, बाल श्रम पर प्रतिबंध, नशा मुक्ति अभियान, निर्माण कार्य स्थल पर सुविधा संचालन के हेतु यंत्रणा, निर्माण श्रमिक और उनके परिवार को स्वास्थ्य सुविधाएं, बीमा योजना, दुर्घटना रोकने हेतु प्रशिक्षण, आपातकालीन व्यवस्था, सभी सरकारी

योजनाओं का बिना किसी भ्रष्टाचार एवं भेदभाव के कार्यान्वयन, निर्माण श्रमिकों के आवास के लिए योजनाओं का दायरा बढ़ाना, आरटीई के तहत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के शिक्षा का मौका, एजेंटों द्वारा श्रमिकों की भर्ती हेतु लाइसेंस, पेंशन योजना ऐसे अनेकों प्रयासों के द्वारा निर्माण श्रमिकों की दशा में सुधार हो सकता है जो एक निरंतर प्रक्रिया है।

संदर्भ सूची -

1. डॉ. गावंडे विजय बी, कोरोना तालेबंदी व शहरी असंगठित श्रमिक, अजिंक्य प्रकाशन वाशिम।
2. डॉ. कविमंडन विजय, कृषि अर्थशास्त्र, मंगेश प्रकाशन नागपुर।
3. डॉ. नाडगोंडे गुरुनाथ, औद्योगिक समाजशास्त्र, कॉन्टिनेंटल प्रकाशन विजयनगर पुणे।
4. प्रभाकर डीके (इंजीनियर) निर्माण श्रमिक, लोशन प्रेस इंडिया।
5. डॉ. शिरसाट सतीश, असंगठित कामगार, पुणे विद्यापीठ पुणे।
6. डॉ. सिन्हा वी सी एवं पुष्पा सिन्हा, श्रम अर्थशास्त्र, मयूर पेपरबैक्स सेक्टर 5 नोएडा।
7. योजना अप्रैल 2017
8. <https://mahabocw.in>
9. <https://bandhkamkamgar.com>
10. <https://eshram.gov.in/act-and-rules>

Prof.vijaygawande@gmail.com



संगम

Impact Factor : 7.834

Website :
www.ginajournal.com

ISSN : 2321-8037

SANGAM

Vol. 14, Issue 5-6

पृष्ठ : 37-52

गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक-बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTILANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREEED RESEARCH JOURNAL

बेमेतरा जिले में सामाजिक कारक एवं शिशु मृत्यता

डॉ. मधु, अतिथि व्याख्याता,

स्व. दौलतराम शर्मा शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कसडोल, बलौदा बाजार (छ.ग.)

डॉ. खेमचंद, अतिथि व्याख्याता,

शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय, नगरी, धमतरी (छ. ग.)

शोध सारांश

प्रस्तुत अध्ययन बेमेतरा जिले में सामाजिक कारक एवं शिशु मृत्यता से संबंधित है। अध्ययन क्षेत्र में 4 विकासखण्डों से 24 गाँवों का यादृच्छिक प्रतिचयन विधि से चयन किया गया है। जिनमें 934 महिलाओं से सूचना एकत्र की गई। क्षेत्र में 54.17 प्रतिहजार शिशु मृत्यता दर है। शिशु मृत्यता दर 36.40 प्रतिहजार बालिकाओं में तथा 69.62 प्रतिहजार बालकों में है। जिले में 5 से कम सदस्य वाले परिवारों में शिशु मृत्यता दर सबसे कम 32.78 प्रति हजार, 5-6 सदस्य वाले परिवारों में 50.19 प्रति हजार, 7-8 सदस्य वाले परिवारों में 68.18 प्रति हजार और 8 से अधिक सदस्य संख्या वाले परिवारों में 132.07 प्रति हजार है। संयुक्त परिवार में शिशु मृत्यता दर सर्वाधिक 59.81 प्रति हजार एवं नाभिकीय परिवार में सबसे कम 38.46 प्रति हजार है। हिन्दू परिवारों में 53.34 प्रति हजार है एवं मुस्लिम परिवारों में शिशु मृत्यता दर 200.00 प्रति हजार है। जिले में शिशु मृत्यता दर सबसे अधिक सतनामी अन्य में 90.90 प्रति हजार एवं सबसे कम अन्य में 29.41 प्रति हजार है। सतनामी में शिशु मृत्यता दर 58.44 प्रति हजार, लोधी में 30.76 प्रति हजार है।

शब्द कुंजी - चिकित्सा, मुस्लिम, मृत्यता दर तथा पारिवारिक।

प्रस्तावना :

जनसंख्या संरचना को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक - प्रजननता, मृत्यता

और प्रवास हैं। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या परिवर्तन में मृत्युता का महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि शिशु मृत्यु एक ऐसी स्वाभाविक घटना है जो जनसंख्या के आकार घनत्व एवं वितरण को कम करने में प्रत्यक्ष रूप से सहायक है। किसी भी क्षेत्र की मृत्युता वहाँ की जनांकिकी, सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति का सूचक होता है। इसी प्रकार जीवन प्रत्याशा, जननीति एवं जनसंख्या वृद्धि में मृत्युता का महत्वपूर्ण सक्रिय एवं क्रियात्मक सहयोग होता है। मृत्युता के निर्धारक कारक भिन्न - भिन्न स्थानों में भिन्न - भिन्न होते हैं जो समय के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलते रहते हैं वर्तमान में मृत्युता निर्धारकों घटकों की प्रकृति में जो परिवर्तन हुए हैं वे जनांकिकी संक्रमण के महत्वपूर्ण अंग हैं इस प्रकार मृत्युता की कमी जनसंख्या विकास का सर्वोत्तम सूचक होता है। संपूर्ण भारत में शिशु मृत्यु दर अधिक है मृत्यु अनेक जटिलताओं एवं अंतर्संबंधित कारकों का प्रतिफल है। भारत में अल्पपोषण एवं कुपोषण दोनों ही समस्या हैं। अधिक शिशु मृत्यु दर के कारण भारतीय जनता परिवार नियोजन के स्थायी उपाय को अपनाने से डरते हैं।

अध्ययन का उद्देश्य :

बेमेतरा जिले में सामाजिक कारक एवं शिशु मृत्युता एक भौगोलिक विश्लेषण का आंकलन तथा सुझाव प्रस्तुत करना है।

आँकड़ों के स्रोत एवं विधि तंत्र :

प्रस्तुत शोध पत्र का अध्ययन प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित है। आँकड़ों के संकलन के लिए तीन प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया है। प्रथम-परिवारिक, द्वितीय-व्यक्तिगत एवं तृतीय ग्राम अनुसूची। इस अध्ययन हेतु बेमेतरा जिले के चार विकासखण्ड से 24 गाँव का चयन प्रतिचयन यादृच्छिक विधि से किया गया। जिनमें गाँव के उन्हीं 934 महिलाओं से सूचना ली गई है, जिनके यहाँ गत वर्ष में किसी शिशु को जन्म दिया हो एवं जिनकी एक वर्ष से कम उम्र में शिशु की मृत्यु अथवा मृत जन्म हुआ। इन महिलाओं से शिशु मृत्यु तथा सामाजिक कारक सम्बन्धी जानकारी एकत्र किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र :

छत्तीसगढ़ राज्य के बेमेतरा जिले के उत्तर पश्चिम मध्य भाग में स्थित है। इसका विस्तार 21°90' उत्तरी अक्षांश तथा 81°90' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है, इसका क्षेत्रफल 624.98 वर्ग किलोमीटर है। जिले की समुद्र सतह से औसत ऊँचाई 278 मीटर है। जिले का अपवाह तंत्र महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। शिवनाथ नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, शिवनाथ नदी जिले की प्रमुख नदी है। जिसकी प्रमुख सहायक नदी आमनेर, हाप, सुरही और डोंकु नदी है। बेमेतरा जिला में 2011 के जनगणनानुसार कुल जनसंख्या 795759 व्यक्ति है।

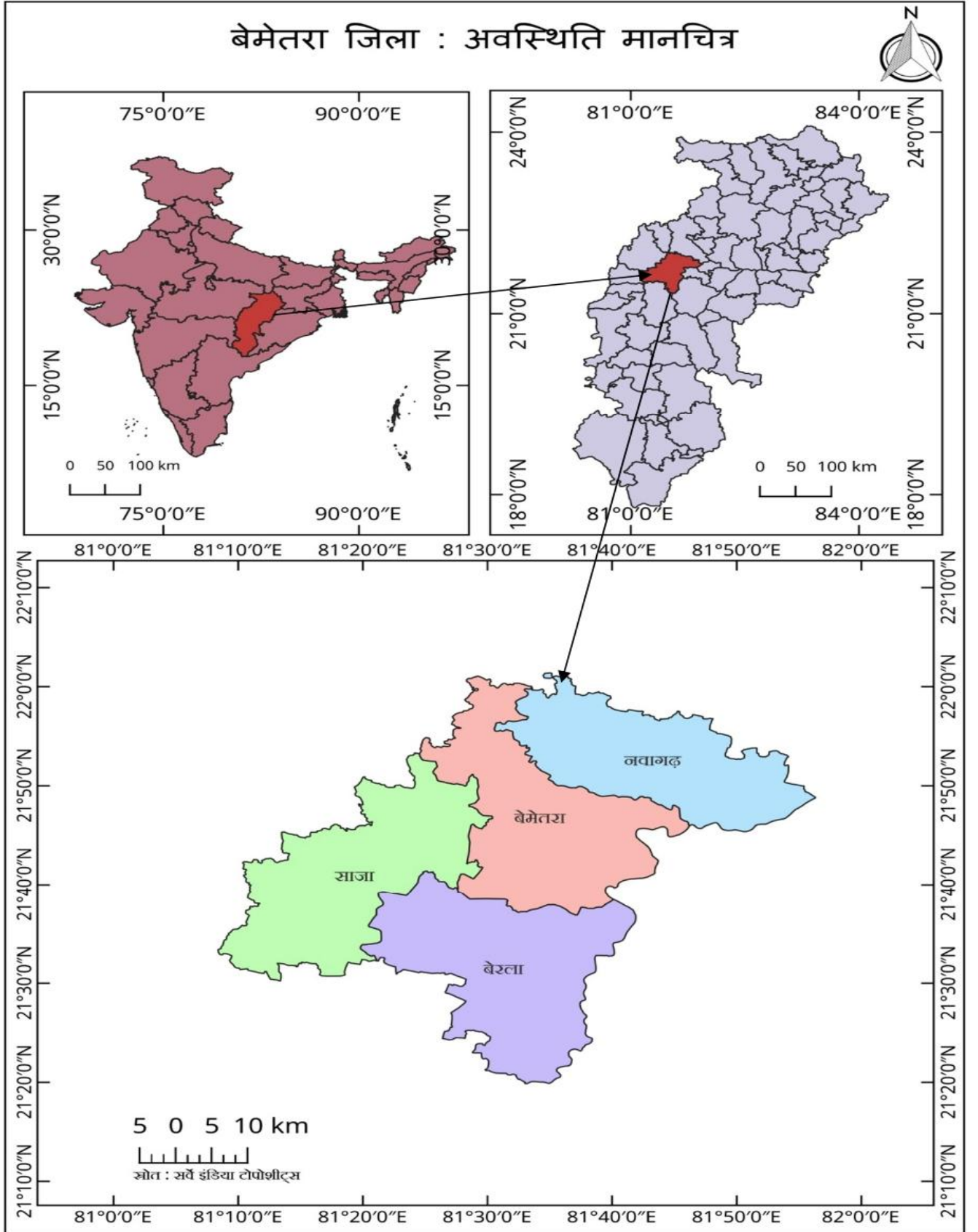
शिशु मृत्युता :

शिशु मृत्यु का सम्बन्ध आयु के प्रथम वर्ष में होने वाली मृत्यु से है। यह किसी वर्ष में एक वर्ष से कम आयु वाले शिशुओं की मृत्यु संख्या और उसी वर्ष में जन्म लेने वाले कुल जीवित शिशुओं की संख्या का अनुपात है, जिसे प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है।

$$\text{शिशु मृत्यु दर} = \frac{\text{किसी वर्ष में एक वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत संख्या}}{\text{उसी वर्ष सजीव जीवित जन्मों की कुल संख्या}} \times 1000$$

बेमेतरा जिले में 54.17 प्रति हजार शिशु मृत्युता दर है जो सम्पूर्ण भारत (47 प्रति हजार) एवं छत्तीसगढ़ (42.0 प्रति हजार, एस.आर.एस., 2011) से काफी अधिक है। जिले में बालकों से बालिकाओं में शिशु मृत्युता दर कम है। शिशु मृत्युता दर बालिकाओं में 36.40 प्रति हजार तथा बालकों में 69.62 प्रति हजार है। जिसका प्रमुख कारक जैविकी दृष्टि से शिशु बालिका श्रेष्ठ होती है, जिससे प्रारम्भिक नवजात अवधि में शिशु बालिकाओं के जीवित रहने की संभावना अधिक होती है मधु एवं टिके सिंह (2022)। बेमेतरा और नवागढ़ विकासखण्ड में प्रारम्भिक नवजात मृत्युता दर (क्रमशः 33.05 और 30.17 प्रति

मानचित्र क्रमांक-1



हजार) तथा नवजात मृत्यता दर (क्रमशः 4.13 और 8.62 प्रति हजार) दोनों ही कम है। किन्तु साजा विकासखण्ड में प्रारम्भिक नवजात मृत्यता दर अपेक्षाकृत कम (28.98 प्रति हजार) है और नवजात्तोतर मृत्यता दर अधिक (14.49 प्रति हजार) है। इसके विपरीत नवागढ़ विकासखण्ड में जहाँ (43.10 प्रति हजार) शिशु मृत्यता दर सबसे कम है। (4.31 प्रति हजार) नवजात्तोतर मृत्यता दर भी है (सारणी क्रमांक 1)।

सारणी क्रमांक 1
बेमेतरा जिला: शिशु मृत्यता दर में लिंग भिन्नता, 2020

विकासखण्ड	लिंग	जीवित जन्म	प्रारम्भिक नवजात मृत्यता दर		नवजात मृत्यता दर		नवजात्तोतर मृत्यता दर		शिशु मृत्यता दर	
			संख्या	दर	संख्या	दर	संख्या	दर	संख्या	दर
नवागढ़	बालक	138	6	43.47	2	14.49	-	-	8	57.97
	बालिका	94	1	10.63	-	-	1	10.63	2	21.27
	योग	232	7	30.17	2	8.62	1	4.31	10	43.10
बेरला	बालक	96	4	41.66	3	31.25	3	31.25	10	104.16
	बालिका	109	4	36.69	-	-	-	-	4	36.69
	योग	205	8	39.02	3	14.63	3	14.63	14	68.29
बेमेतरा	बालक	131	5	38.16	1	7.63	1	7.63	7	53.43
	बालिका	111	3	27.02	-	-	1	9.00	4	36.03
	योग	242	8	33.05	1	4.13	2	8.26	11	45.45
साजा	बालक	109	4	36.69	2	18.34	2	18.34	8	73.39
	बालिका	98	2	20.40	1	10.20	2	20.40	5	51.02
	योग	207	6	28.98	3	14.49	4	19.32	13	62.80
जिला : बेमेतरा	बालक	474	19	40.08	8	16.87	6	12.65	33	69.62
	बालिका	412	10	24.27	1	2.42	4	9.70	15	36.40
	योग	886	29	32.73	9	10.15	10	11.28	48	54.17

स्रोत: व्यक्तिगत सर्वेक्षण, 2020

मृत्यु का कारण

शिशु मृत्यु के अनेक कारण है, जनांकिकीविदों ने शिशु मृत्यता के कारणों को दो वर्गों में रखा है -

(1) अन्तर्जात कारण -

अन्तर्जात कारण मूलतः जैव कारण होते हैं, जिनमें अपिरपक्वता (अवधि पूर्व जन्म, जन्म के समय शिशुओं का वजन 250 ग्राम से कम) जन्म के समय ही

विकृति, आन्तरिक अभिघात, जन्म की चोटें, श्वास में तकलीफ और जीवन के प्रारम्भिक दिनों में व्यवस्थित पालन-पोषण की कमी है।

(2) बहिर्जात कारण –

इसके अन्तर्गत बिमारियों को मुख्य रूप से रखा जाता है, जैसे- निमोनिया, संक्रामक रोग, दुर्घटना आदि। अधिकांश मृत्यु के कई कारण होते हैं, जिसमें से बिमारियाँ सर्वाधिक है।

बेमेतरा जिले में सबसे अधिक शिशु मृत्युता निमोनिया से 21.44 प्रतिहजार हुई है। अन्य कारणों में (पीलिया, दुर्घटना, रक्तदोष, बुखार) आदि है जिसमें शिशु मृत्युता दर 15.80 है। 7.90 प्रतिहजार शिशु मृत्युता दर श्वास में तकलीफ में है।

सारणी क्रमांक 2
बेमेतरा जिला: शिशु मृत्युता का कारण, 2020

क्रमांक	मृत्युता के कारण	शिशु मृत्यु की संख्या	शिशु मृत्युता दर /प्रतिहजार
1.	निमोनिया	19	21.44
2.	श्वास में तकलीफ	7	7.90
3.	अवधि-पूर्व प्रसव	3	3.38
4.	आनुवांशिक रोग	5	5.64
5.	अन्य	14	15.80
	योग	48	54.17

स्रोत: व्यक्तिगत सर्वेक्षण, 2020

शिशु मृत्यता को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक

सामाजिक विकास एवं चिकित्सा सेवा की सुविधा से शिशु मृत्यता दर में कमी हुई है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं चिकित्सा सुविधा में कमी के कारण शिशु मृत्यता अधिक है। शिशु मृत्यता के कारक किसी समुदाय की स्वास्थ्य दशाओं का उपयोगी एवं विश्वसनीय सूचक है तथा मृत्यता के कारण स्थानीय भिन्नता के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। ग्रामीण व्यक्ति अपने संस्कारों से इतने बंधे होते हैं कि वे नवीन विचार अथवा संस्कृति को जल्दी से नहीं मानते, फिर भी चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता एवं शिक्षा का प्रचार-प्रसार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता लाने में अवश्य ही आंशिक सफलता प्राप्त की है। शिशु मृत्यता को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों में विशेष महत्व रहता है।

परिवार का आकार :

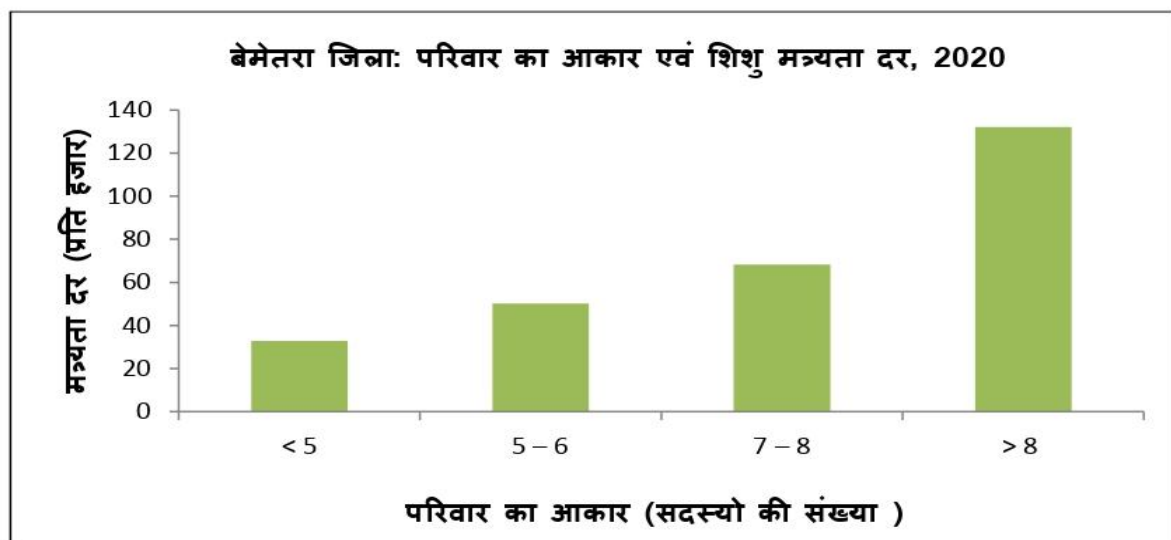
परिवार के आकार से तात्पर्य परिवार के सदस्यों की संख्या से है। शिशु मृत्यता दर बड़े परिवारों में छोटे परिवारों की तुलना में अधिक होता है, जो माता द्वारा शिशु के देखभाल की मात्रा को प्रदर्शित करता है डिपोर्ट (1982)। जिन परिवारों में सदस्यों की संख्या कम है वे परिवार आर्थिक दृष्टि से निर्धन होते हैं, परिणामस्वरूप शिशु के पालन-पोषण में भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके विपरीत जिन परिवारों में सदस्यों की संख्या कम है उन परिवारों में शिशु के पालन-पोषण में भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। साथ ही इन परिवारों में आर्थिक और शैक्षणिक स्तर उच्च होता है। परिवार में सदस्यों की संख्या पर सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी शैक्षणिक स्थिति का निर्धारण होता है। तभी समाज में परिवार एक सामाजिक ईकाई होता है। सभी परिवारों की कुछ मूलभूत सुविधा की आवश्यकता होती है - भौतिक आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र और आवास। शुद्ध भौतिक पर्यावरण आदि प्रमुख है। जैविकीय आवश्यकताओं में संक्रामक बीमारियों से मुक्त, कीट एवं रोगाणुवाहकों पर नियंत्रण, नियोजित पालन-पोषण आदि है तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में एक खुशहाल घर, सुरक्षित कार्य और विशिष्ट समूहों (महिलाओं एवं बच्चों तथा विकलांगों) की सुरक्षा प्रमुख है (पार्क तथा पार्क, 1989)। अध्ययन

क्षेत्र में परिवार का आकार बढ़ने के साथ-साथ शिशु मृत्युता दर में भी वृद्धि दृष्टव्य हुई है।

सारणी क्रमांक 3
बेमेतरा जिला: परिवार का आकार एवं शिशु मृत्युता दर

परिवार का आकार (सदस्यों की संख्या)	परिवारों की संख्या	जीवित जन्म	शिशु मृत्युता	दर (प्रतिहजार)
< 5	189	183	6	32.78
5 – 6	544	518	26	50.19
7 – 8	141	132	9	68.18
> 8	60	53	7	132.07
योग	934	886	48	54-17

स्रोत: व्यक्तिगत सर्वेक्षण, 2020



आरेख क्रमांक 1

बेमेतरा जिले में 6.42% शिशु 8 से अधिक संख्या वाले परिवारों में, 15.10% शिशु 7-8 सदस्य वाले परिवारों में, 58.24% शिशु 5-6 सदस्य वाले परिवार एवं 20.24% शिशु 5 से कम सदस्य वाले परिवारों से सम्बन्धित है।

जिले में 5 से कम सदस्य वाले परिवारों में शिशु मृत्युता दर सबसे कम 32.78 प्रति हजार, 5-6 सदस्य वाले परिवारों में 50.19 प्रति हजार, 7-8 सदस्य वाले परिवारों में 68.18 प्रति हजार और 8 से अधिक सदस्य संख्या वाले परिवारों में 132.07 प्रति हजार है (सारणी क्रमांक 3.) (आरेख क्रमांक 1)।

5 से कम सदस्य वाले परिवारों में मृत्युता की उच्च दर बेरला विकासखण्ड 55.55 प्रति हजार एवं न्यूनतम दर नवागढ़ 17.54 प्रति हजार है। इसके विपरीत 8 से अधिक सदस्य संख्या वाले परिवारों में मृत्युता की उच्च दर बेरला, बेमेतरा विकासखण्ड 166.66 प्रति हजार एवं न्यूनतम दर नवागढ़ 100.00 प्रति हजार है। जिले में 5 से कम सदस्य वाले परिवारों में तेली सबसे कम 59.52 एवं सामान्य में सर्वाधिक 142.85 प्रति हजार शिशु मृत्युता दर है। 5-6 सदस्य वाले परिवारों में शिशु मृत्युता दर गांड़ में सर्वाधिक 157.89 एवं केवट 86.95 प्रति हजार है। 8 से अधिक सदस्य वाले परिवारों में सतनामी शिशु मृत्युता दर 90.90 एवं तेली 181.81 प्रति हजार है।

परिवार का प्रकार :

परिवार समाज की प्राथमिक ईकाई है। किसी भी क्षेत्र की जनांकिकी एवं सामाजिक संरचना के निर्धारण में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिशु की प्रथम परवरिश चूंकि परिवार में होता है। इसलिए परिवार का प्रकार एवं आकार शिशु मृत्युता दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न समाजों में विशिष्ट परिस्थिति एवं संस्कृति के अनुसार नाभिकीय एवं संयुक्त दो प्रकार के परिवार होते हैं, जिनमें संयुक्त परिवार की प्रमुखता होती है।

संयुक्त परिवार :

संयुक्त परिवार भारतीय समाज की महत्वपूर्ण ईकाई तथा प्रमुख विशेषता है। यह भारतीय हिन्दू सामाजिक संगठन का प्रमुख आधार है। संयुक्त परिवारों में परिवार का सम्पूर्ण दायित्व घर के मुखिया (बुजुर्ग व्यक्ति) पर होता है। जिसके कारण सन्तानोत्पत्ति आयु वर्ग के महिला-पुरुष शिशु के पालन-पोषण की ओर

कम ध्यान दे पाते हैं। उसी प्रकार पालन-पोषण की ओर कम ध्यान दे पाने के कारण शिशु मृत्युता दर भी बढ़ जाता है।

नाभिकीय परिवार :

नाभिकीय परिवार में पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे रहते हैं। परिवार का सम्पूर्ण दायित्व पति-पत्नी मिलकर संभालते हैं। नाभिकीय परिवार का आकार व प्रकार छोटा होता है। जिससे पिता अपने एवं बच्चों की हर आवश्यकताओं की पूर्ति सरलतापूर्वक करते हैं। परिवार में स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण बनाएँ रखने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं, जिस कारण शिशु मृत्युता दर में कमी आती है।

सारणी क्रमांक 4

बेमेतरा जिला : परिवार का प्रकार एवं शिशु मृत्युता दर

परिवार का प्रकार	परिवारों की संख्या	जीवित जन्म	शिशु मृत्युता	दर (प्रतिहजार)
संयुक्त परिवार	691	652	39	59.81
नाभिकीय परिवार	243	234	9	38.46
योग	934	886	48	54.17

स्रोत: व्यक्तिगत सर्वेक्षण, 2020

बेमेतरा जिले में 73.98% परिवार संयुक्त प्रकार के हैं और 26.02% नाभिकीय परिवार से है। संयुक्त परिवार में शिशु मृत्युता दर सर्वाधिक 59.81 प्रति हजार एवं नाभिकीय परिवार में सबसे कम 38.46 प्रति हजार है (सारणी क्रमांक 4)। संयुक्त प्रकार परिवार वाले परिवारों में मृत्युता की उच्च दर बेरला विकासखण्ड 71.89 प्रति हजार एवं न्यूनतम दर नवागढ़ 49.38 प्रति हजार है। इसके विपरित नाभिकीय परिवार वाले परिवारों में मृत्युता की उच्च दर बेरला

विकासखण्ड 57.69 प्रति हजार एवं न्यूनतम दर नवागढ़ 28.57 प्रति हजार है। जिले में नाभिकीय परिवार में सामान्य में शिशु मृत्युता दर सर्वाधिक 111.11, राउत में 62.50 एवं सतनामी 52.63 प्रति हजार है। संयुक्त परिवार में गांड़ सर्वाधिक 125.00, केवट 83.33 एवं सतनामी में 60.34 प्रति हजार शिशु मृत्युता दर है।

धार्मिक संरचना :

धर्म मनुष्य के जीवन के प्रति एक विशेष रूप से दृष्टिकोण पैदा करता है। जिस पर एक समाज के विकास को एक गति मिलती है। धर्म का प्रभाव परिवार के आकार, माता-पिता के विचार, माता के आहार, शिशु का पोषण और संस्कार पर पड़ता है।

सारणी क्रमांक 5
बेमेतरा जिला: धार्मिक संरचना एवं शिशु मृत्युता दर

धार्मिक संरचना	परिवारों की संख्या	जीवित जन्म	शिशु मृत्युता	दर (प्रतिहजार)
हिन्दू	928	881	47	53.34
मुस्लिम	6	5	1	200.00
योग	934	886	48	54.17

स्रोत: व्यक्तिगत सर्वेक्षण, 2020

बेमेतरा जिले में 99.36% परिवार हिन्दू है जबकि 0.64% परिवार मुस्लिम है। हिन्दू परिवारों में शिशु मृत्युता दर 53.34 प्रति हजार है एवं मुस्लिम परिवारों में शिशु मृत्युता दर 200.00 प्रति हजार है (सारणी क्रमांक 5)।

मुस्लिम परिवार नियोजन को अपनाने में हिचकिचाते है। हिन्दू परिवार में मृत्युता की उच्च दर बेरला विकासखण्ड 68.29 प्रति हजार एवं न्यूनतम दर

नवागढ़ 43.10 प्रति हजार है। इसके विपरित मुस्लिम परिवार में मृत्यता की दर साजा विकासखण्ड 500.00 प्रति हजार है।

जातिवार शिशु मृत्यता दर :

जातियों के अनुसार शिशु मृत्यता में अन्तर पाया जाता है। भिन्न-भिन्न जातियों का रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाजों और आर्थिक स्थिति, जोत का आकार में भी काफी भिन्नता होती है। जिसका प्रभाव विशेष रूप से शिशु मृत्यता दर पर पड़ता है।

“मुम्बई सर्वेक्षण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शिशु मृत्यता का अध्ययन किया और पाया कि शिशु मृत्यता अनुसूचित जनजाति की अपेक्षा अनुसूचित जाति में अधिक है (चन्द्रशेखर, 1972)।

सारणी क्रमांक 6 बेमेतरा जिला: जातिवार शिशु मृत्यता दर

जाति	परिवारों की संख्या	जीवित जन्म	शिशु मृत्यता	दर (प्रतिहजार)
तेली	452	428	24	56-07
राउत	76	72	4	55-55
लोधी	67	65	2	30-76
कुर्मी	32	31	1	32-25
केवट	32	30	2	66.66
अन्य	35	34	1	29-41
अन्य पिछड़ा वर्ग	694	660	34	51-51
सतनामी	163	154	9	58-44
अन्य	12	11	1	90.90
अनुसूचित जाति	175	165	10	60-60
गोंड़	39	36	3	83-33
सामान्य	26	25	1	40-40
योग	934	886	48	54-17

स्रोत: व्यक्तिगत सर्वेक्षण, 2020

बेमेतरा जिले में शिशु मृत्यता दर सबसे अधिक सतनामी अन्य में (90.90 प्रति हजार) एवं सबसे कम अन्य में (29.41 प्रति हजार) है। सतनामी में शिशु मृत्यता दर (58.44 प्रति हजार) ,लोधी में (30.76 प्रति हजार) है। तेली में

प्रारम्भिक नवजात मृत्युता दर बालकों (42.73 प्रति हजार) की तुलना में बालिकाओं में (5.15 प्रति हजार) अपेक्षाकृत कम है। सतनामी में प्रारम्भिक नवजात मृत्युता दर बालकों में (37.03 प्रति हजार) एवं बालिकाओं में (13.69 प्रति हजार) अपेक्षाकृत कम है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न जातियों में शिशु मृत्युता दर में अन्तर बहुत अधिक पाया गया है (सारणी क्रमांक 6)।

शिशु मृत्युता दर :

1. उच्च मृत्युता (>65%)

इसके अन्तर्गत बेरला विकासखण्ड जिसमें मृत्युता दर 65% से अधिक है। जिसका मुख्य कारण स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी, शिक्षा गुणवत्ता में कमी, निम्न आय का होना एवं जोत का आकार छोटा होना है।

2. मध्यम मृत्युता (60 – 65%)

इसके अन्तर्गत क्षेत्र में साजा विकासखण्ड है, जिसमें 60 से 65% है। विकासखण्ड में रुढ़िवादी सोच, लोगों में जागरूकता का अभाव, माता-पिता कृषि कार्य में संलग्न है।

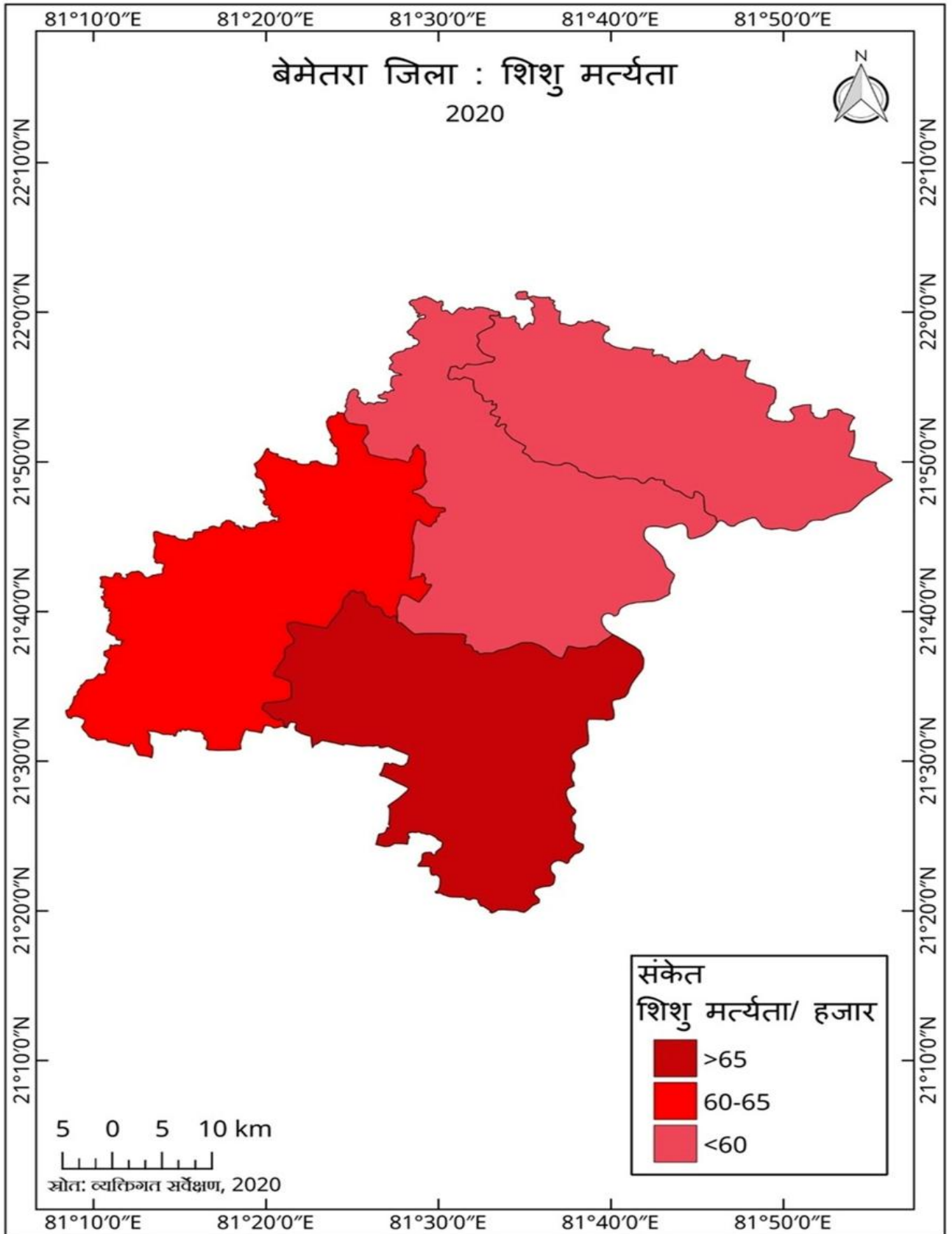
3. निम्न मृत्युता (< 60%)

इसके अन्तर्गत दो विकासखण्ड बेमेतरा एवं नवागढ़ विकासखण्ड शामिल है। जिसमें मृत्युता दर < 60% है। जिसका कारण स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकता, जीवन स्तर का उच्च होना, शिक्षा की अधिकता, उच्च आय का होना एवं जोत का आकार बड़ा होना है (सारणी क्र. 7)।

सारणी क्रमांक 7
बेमेतरा जिला: शिशु मृत्युता दर

श्रेणी	शिशु मृत्युता दर	विकासखण्डों की संख्या	विकासखण्डों का प्रतिशत
उच्च	> 65	01	25
मध्यम	60– 65	01	25
निम्न	< 60	02	50
कुल		04	100

स्रोत: व्यक्तिगत सर्वेक्षण, 2020



मानचित्र क्रमांक-2

निष्कर्ष :

बेमेतरा जिले में शिशु मृत्युता दर बहुत अधिक है, शिशु मृत्युता दर को कई कारक प्रभावित करते हैं। शिशु मृत्युता दर को प्रभावित करने वाले कारकों में सामाजिक कारक प्रमुख है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्युता दर को कम करने के लिए ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण व्यक्ति अपने संस्कारों से इतने बंधे होते हैं कि वे नवीन विचार अथवा संस्कृति को जल्दी से नहीं मानते, फिर भी चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता एवं शिक्षा का प्रचार-प्रसार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता लाने में अवश्य ही आंशिक सफलता प्राप्त की है।

सुझाव :

ग्रामीण क्षेत्रों में छोटा परिवार सुखी परिवार को महत्व देना चाहिए। इससे बच्चों के खान-पान, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं पर विशेष ध्यान की आवश्यकता है। साथ ही साथ रूढ़िवादी परम्परा जाति - पाति, धर्म और संस्कारों को मानते हैं कि वे नवीन विचार अथवा संस्कृति को जल्दी से नहीं अपनाते हैं। भारतीय जनता परिवार नियोजन के स्थायी उपाय को अपनाने से डरते हैं।

सन्दर्भ सूची :

1. Chandrashekhar, S. (1959) : *Infant Mortality in India 1901-55* George Allen & Unwin Ltd. London.
2. Deporte, J.V. (1982) : "Inter Racial variation in infant mortality", *The American journal of Higiene* (U.S.A.) , vol.V, No.4, pp. 445-496.
3. Park, J.E. and K. Park (1989) : *Textbook of preventive and social medicine, Eighteenth Edition* , Jabalpur : m/s Banarasidas bhanot Publishers.
4. मधु एवं टिके सिंह (2022): “बेमेतरा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जनांकिकीय कारक एवं शिशु मृत्युता एक: भौगोलिक अध्ययन”, उतर प्रदेश ज्योग्राफिकल जर्नल कानपुर, वाल्यूम 27 पेज नंबर 166-181.

5. मधु एवं टिके सिंह (2024): बेमेतरा जिले में आर्थिक कारक एवं ग्रामीण शिशु मृत्युता एक: भौगोलिक विश्लेषण ", केरल ज्योति जर्नल, वाल्यूम-3, इसु-61, सितम्बर 42-46.
6. मधु (2024): बेमेतरा जिले में शिशु मृत्युता पर स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रभाव: एक भौगोलिक विश्लेषण, अप्रकाशित शोध प्रबंध पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
7. शर्मा, सरला (2004): दक्षिण महानदी बेसिन में ग्रामीण शिशु मृत्युता शोध, परियोजना पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
8. मधु, (2025) : बेमेतरा जिले में ग्राम स्तर पर प्राप्त जनसुविधाएँ एवं शिशु मृत्युता एक: भौगोलिक विश्लेषण, शोध सरोवर पत्रिका, Vol.-9, Issue-35, September. pp. 32-38.

पूरा डाक पता—

1. डॉ. मधु

अतिथि व्याख्याता, स्व. दौलतराम शर्मा शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कसडोल, बलौदाबाजार (छ.ग.)।

D/o, परमेश्वर सिंह, ग्राम — मेहना, पोस्ट— संबलपुर, तहसील— नवागढ़, जिला— बेमेतरा, छत्तीसगढ़,

पिन कोड — 491340. Mo. 9340074843, 9165523259 Gmail : drmadhu0808@gmail.com

2. डॉ. खेमचंद

अतिथि व्याख्याता, शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय, नगरी, धमतरी (छ. ग.) 493778.।

S/o उमराव टंडन, ग्राम व पोस्ट — दामरी, तहसील— खैरागढ़, जिला — खैरागढ़—छुईखदान—गंडई,

छत्तीसगढ़, पिन कोड — 491881. Mo. 8770917591, 8305437225 Gmail : drkhemchand0610@gmail.com



हिन्दी सिनेमा की भाषा और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति : जनमानस, संवाद और वैश्विक प्रभाव

डॉ. रमा राहुल दूधमांडे

सहयोगी आचार्य एवं हिंदी विभाग प्रमुख,

डॉ. (सौ.) इं. भा. पाठक महिला कला महाविद्यालय, समर्थ नगर, छत्रपती संभाजीनगर (महाराष्ट्र)

सारांश :

हिन्दी सिनेमा भारतीय समाज की सांस्कृतिक चेतना और भाषिक अभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली माध्यम रहा है। सिनेमा ने हिन्दी भाषा को केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जनजीवन की संवाद-भाषा के रूप में स्थापित किया। हिन्दी फिल्मों के संवाद, गीत, कथानक और चरित्रों ने भाषा को सरल, सहज और भावपूर्ण बनाया। हिन्दी सिनेमा ने साहित्यिक हिन्दी, लोकभाषा और क्षेत्रीय शब्दों के समन्वय से ऐसी अभिव्यक्ति विकसित की जिसे सामान्य जन ने सहज रूप से स्वीकार किया।

यह शोध आलेख हिन्दी सिनेमा की भाषिक भूमिका, हिन्दी के प्रसार में उसके योगदान, क्षेत्रीय भाषाओं के समन्वय, फिल्मी गीतों की लोकप्रियता, साहित्य और सिनेमा के संबंध तथा वैश्वीकरण के दौर में हिन्दी की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि हिन्दी सिनेमा ने हिन्दी भाषा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान प्रदान की है।

बीज शब्द :- हिन्दी सिनेमा, हिन्दी भाषा, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, जनसंचार, संवाद, फिल्मी गीत, वैश्वीकरण, साहित्य।

उद्देश्य :

1. हिन्दी सिनेमा की भाषिक भूमिका का अध्ययन करना।
2. हिन्दी भाषा के प्रसार में सिनेमा के योगदान को स्पष्ट करना।
3. हिन्दी फिल्मों में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव का अध्ययन करना।
4. फिल्मी गीतों और संवादों की अभिव्यक्ति शक्ति को समझना।
5. साहित्य और हिन्दी सिनेमा के संबंध का विश्लेषण करना।
6. वैश्वीकरण के दौर में हिन्दी सिनेमा की भूमिका का अध्ययन करना।

भूमिका :

भाषा मनुष्य की संवेदना और विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। मनुष्य अपने

अनुभव, भावनाएँ और सामाजिक संबंध भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करता है। किसी भी समाज की सांस्कृतिक पहचान उसकी भाषा से निर्मित होती है। भारत जैसे बहुभाषिक देश में हिन्दी ने संपर्क भाषा के रूप में विशेष स्थान प्राप्त किया है।

हिन्दी भाषा के विकास और प्रसार में साहित्य, पत्रकारिता, रेडियो और दूरदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनमें हिन्दी सिनेमा का योगदान अत्यंत व्यापक और प्रभावशाली माना जाता है। सिनेमा आधुनिक युग का ऐसा दृश्य-श्रव्य माध्यम है, जिसकी पहुँच समाज के प्रत्येक वर्ग तक है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का प्रभावी माध्यम भी है।

हिन्दी फिल्मों ने भाषा को जीवन से जोड़ा। फिल्मों की भाषा ने आमजन की बोलचाल को प्रभावित किया। संवाद, गीत और कथानक लोगों की स्मृति का हिस्सा बन गए। यही कारण है कि हिन्दी सिनेमा ने हिन्दी को जनभाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

हिन्दी सिनेमा का प्रारंभ और भाषिक स्वरूप :

भारतीय सिनेमा का इतिहास राजा हरिश्चंद्र से प्रारंभ होता है। प्रारंभिक दौर की फिल्में मूक थीं। उनमें दृश्यात्मकता अधिक महत्वपूर्ण थी। बाद में बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ। तब भाषा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बन गई।

प्रारंभिक हिन्दी फिल्मों में साहित्यिक और संस्कृतनिष्ठ हिन्दी का प्रयोग किया जाता था। धार्मिक और पौराणिक फिल्मों की भाषा गंभीर और औपचारिक होती थी। धीरे-धीरे सामाजिक फिल्मों का विकास हुआ। फिल्मों की भाषा में सहजता आने लगी। बोलचाल के शब्दों का प्रयोग बढ़ा।

स्वतंत्रता आंदोलन के समय हिन्दी फिल्मों ने राष्ट्रीय चेतना को स्वर दिया। फिल्मों के गीत और संवाद लोगों में देशभक्ति की भावना जगाते थे। इस दौर में हिन्दी भाषा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रही। वह सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय एकता की भाषा बन गई।

हिन्दी सिनेमा और जनभाषा :

हिन्दी सिनेमा की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसने भाषा को आमजन से जोड़ा। फिल्मों की भाषा न अत्यधिक साहित्यिक रही और न ही पूरी तरह क्षेत्रीय। वह ऐसी मिश्रित भाषा थी जिसे अलग-अलग भाषाई क्षेत्रों के लोग आसानी से समझ सकें।

फिल्मों के संवाद जनजीवन का हिस्सा बन गए। लोगों ने उन्हें अपनी बोलचाल में अपनाया।

छोले :

“कितने आदमी थे?”

“ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे।”

दीवार :

“मेरे पास माँ है।”

श्री इंडियट्स

“All is Well.”

ये संवाद केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रहे। वे सामाजिक स्मृति का हिस्सा बन गए।

हिन्दी फिल्मी गीत और अभिव्यक्ति :

हिन्दी फिल्मों में गीतों का विशेष महत्त्व रहा है। भारतीय दर्शकों के लिए गीत केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि भावनात्मक अनुभव का माध्यम रहे हैं।

फिल्मी गीतों ने हिन्दी भाषा को संगीतात्मकता और भावात्मक गहराई प्रदान की। प्रेम, विरह, करुणा, देशभक्ति और संघर्ष जैसे भाव गीतों के माध्यम से जनमानस तक पहुँचे। साहिर लुधियानवी, गुलजार और मजरूह सुल्तानपुरी जैसे गीतकारों ने हिन्दी फिल्मी गीतों को साहित्यिक ऊँचाई प्रदान की।

मुगल-ए-आजम :

“प्यार किया तो डरना क्या।”

शोले :

“ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे।”

ये गीत आज भी लोगों की स्मृति में जीवित हैं।

क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव :

हिन्दी सिनेमा की भाषा समय के साथ बदलती रही। इसमें विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों का समावेश हुआ।

मुंबई फिल्म उद्योग का केंद्र होने के कारण हिन्दी फिल्मों में मराठी, गुजराती और उर्दू का प्रभाव दिखाई देता है। दक्षिण भारतीय फिल्मों के प्रभाव से तमिल और तेलुगु शैली के शब्द और उच्चारण भी हिन्दी फिल्मों में आए। चेन्नई एक्सप्रेस, सिंघम और एक दूजे के लिए जैसी फिल्मों में भाषाई मिश्रण स्पष्ट दिखाई देता है।

इस समन्वय ने हिन्दी भाषा को अधिक लचीला और प्रभावशाली बनाया।

साहित्य और हिन्दी सिनेमा :

हिन्दी सिनेमा और साहित्य का संबंध अत्यंत गहरा रहा है। अनेक साहित्यिक कृतियों पर आधारित फिल्मों ने हिन्दी साहित्य को व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुँचाया।

गोदान, सद्गति, शतरंज के खिलाड़ी और तीसरी कसम जैसी फिल्मों ने साहित्यिक संवेदना को दृश्यात्मक रूप प्रदान किया।

इन फिल्मों के माध्यम से हिन्दी भाषा की साहित्यिक गरिमा और अभिव्यक्ति शक्ति दोनों का विस्तार हुआ।

समानान्तर सिनेमा और यथार्थ :

सत्तर और अस्सी के दशक में समानान्तर सिनेमा का विकास हुआ। इस दौर के निर्देशकों ने सिनेमा को सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया।

श्याम बेनेगल, मृणाल सेन और सत्यजीत रे जैसे निर्देशकों ने समाज के वास्तविक संघर्षों को फिल्मों में प्रस्तुत किया।

अर्धसत्य, अंकुर और मंथन जैसी फिल्मों में भाषा अधिक यथार्थवादी और संवेदनशील दिखाई देती है।

वैश्वीकरण और हिन्दी सिनेमा :

आज हिन्दी सिनेमा वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। विदेशों में हिन्दी फिल्मों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ-साथ विदेशी दर्शक भी हिन्दी फिल्मों की ओर आकर्षित

हुए हैं।

हॉलीवुड फिल्मों के हिन्दी रूपांतरण ने हिन्दी भाषा को नई अभिव्यक्ति दी। टाइटैनिक, हैरी पॉटर और जेम्स बॉन्ड जैसी फिल्मों के हिन्दी संस्करणों ने दर्शकों में विशेष लोकप्रियता प्राप्त की।

इस प्रक्रिया ने हिन्दी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई।

हिन्दी सिनेमा और सांस्कृतिक प्रभाव :

हिन्दी सिनेमा ने भारतीय संस्कृति को व्यापक स्तर पर प्रस्तुत किया। फिल्मों ने परिवार, रिश्तों, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों को अभिव्यक्ति दी।

फिल्मों के माध्यम से पहनावा, भाषा, रहन-सहन और जीवनशैली भी प्रभावित हुई। हिन्दी सिनेमा ने भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आधुनिक समय में हिन्दी सिनेमा की भूमिका :

डिजिटल युग में हिन्दी सिनेमा का प्रभाव और अधिक व्यापक हुआ है। ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से हिन्दी फिल्में विश्वभर में देखी जा रही हैं।

आज हिन्दी फिल्मों की भाषा अधिक व्यावहारिक और युवा पीढ़ी के निकट दिखाई देती है। तकनीक और वैश्वीकरण के प्रभाव से हिन्दी भाषा में नए शब्दों और अभिव्यक्तियों का समावेश हुआ है।

फिर भी हिन्दी सिनेमा अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हुआ है। यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है।

निष्कर्ष :

हिन्दी सिनेमा ने हिन्दी भाषा को व्यापक जनस्वीकृति प्रदान की है। उसने भाषा को केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जनजीवन की भाषा बनाया।

फिल्मों के संवाद, गीत और कथानक लोगों की स्मृति और व्यवहार का हिस्सा बन गए। हिन्दी सिनेमा ने भाषा को नई ऊर्जा, नए शब्द और नई शैली प्रदान की।

क्षेत्रीय भाषाओं के समन्वय, साहित्यिक कृतियों के फिल्मांकन और वैश्विक विस्तार ने हिन्दी को अधिक समृद्ध बनाया।

इस प्रकार हिन्दी सिनेमा हिन्दी भाषा के विकास, प्रसार और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली माध्यम सिद्ध हुआ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. सिंह, अजय कुमार. मीडिया की बदलती भाषा. नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन।
2. रामकृष्ण. फिल्मी जगत में अर्धशती का रोमांच. दिल्ली : राजकमल प्रकाशन।
3. बिसारिया, पुनीत एवं राजनारायण शुक्ल (सम्पा.). भारतीय सिनेमा का सफरनामा. नई दिल्ली।
4. भारद्वाज, शैलजा. साहित्य और सिनेमा. दिल्ली : साहित्य अकादेमी।
5. चव्हाण, अर्जुन. मीडिया कालीन हिन्दी : स्वरूप एवं संरचना. पुणे : विकास प्रकाशन।
6. पांडेय, सुधीश. हिन्दी सिनेमा और समाज. नई दिल्ली : लोकभारती प्रकाशन।

दूरभाष : 8975032435, ईमेल : ramadudhmande1968@gmail.com



संगम

Impact Factor : 7.834

Website :
www.ginajournal.com

ISSN : 2321-8037

SANGAM

Vol. 14, Issue 5-6

पृष्ठ : 57-63

गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक-बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTILANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREEED RESEARCH JOURNAL

विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्धि में शिक्षकों की मनोवृत्ति एवं विद्यालयी वातावरण में सम्बन्ध का अध्ययन

ममता कुमारी, पी.एच.डी. शोधार्थी

डॉ. वंदना दुआ, सह आचार्य

टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर, राजस्थान।

सारांश :-

प्रस्तुत शोध में “विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्धि में शिक्षकों की मनोवृत्ति एवं विद्यालयी वातावरण में सम्बन्ध का अध्ययन” किया गया है। अध्ययन में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किये गए हैं। प्रस्तुत शोध में श्रीगंगानगर जिले के अंग्रेजी व हिन्दी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 400 विद्यार्थियों को वर्गीकृत क्रम में यादृच्छिक विधि के अन्तर्गत लाटरी विधि से चयनित किया गया है। “उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता अभिवृत्ति मापने के लिए डॉ. नागाप्पा पी. एवं डॉ. सी. आर. राव, तथा विद्यालयी वातावरण मापने के लिए स्वयं द्वारा निर्मित उपकरण का प्रयोग किया गया है। निष्कर्ष रूप में अंग्रेजी माध्यम के उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्धि पर विद्यालय वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है जबकि हिन्दी माध्यम के उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्धि पर विद्यालय वातावरण का प्रभाव पड़ता है।

मुख्य शब्द – विद्यार्थी, वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्धि, शिक्षकों की मनोवृत्ति एवं विद्यालयी वातावरण।

प्रस्तावना :-

किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति और समृद्धि का आधार उसके विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के स्तर में निहित होता है। किसी देश की वैज्ञानिक उन्नति इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी शिक्षा व्यवस्था कितनी गुणवत्तापूर्ण है तथा वह विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में कितनी सक्षम है। विश्व के विकसित देशों की सफलता का प्रमुख कारण यह है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक सोच, अनुसंधान प्रवृत्ति, जिज्ञासा तथा प्रयोगात्मक अधिगम को विशेष महत्व प्रदान किया है। इसके विपरीत, भारत जैसे विकासशील देशों में विज्ञान शिक्षा अभी भी अनेक समस्याओं और सीमाओं से प्रभावित है। यह स्थिति इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि विज्ञान शिक्षा को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित रखने के बजाय उसे व्यवहारिक, प्रयोगात्मक तथा तर्कपूर्ण स्वरूप प्रदान करना समय की प्रमुख आवश्यकता है।

विज्ञान की वास्तविक सार्थकता केवल सिद्धांतों के निर्माण में नहीं, बल्कि उन सिद्धांतों को प्रयोगों और

अवलोकनों के माध्यम से प्रमाणित करने में निहित होती है। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तभी विकसित हो सकता है जब उन्हें प्रयोग करने, निरीक्षण करने, खोज करने तथा समस्याओं का समाधान स्वयं खोजने के अवसर प्राप्त हों। यदि विद्यालयों में प्रयोगशालाओं का उपयोग सीमित रह जाए, वैज्ञानिक उपकरणों की कमी हो, अथवा शिक्षक केवल पुस्तक आधारित शिक्षण तक ही सीमित रहें, तो विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता का समुचित विकास नहीं हो पाता। परिणामस्वरूप विज्ञान शिक्षा केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने का माध्यम बनकर रह जाती है और उसका वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है।

वैज्ञानिक अभियोग्यता वह मानसिक, बौद्धिक तथा व्यवहारिक क्षमता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक एवं तार्किक पद्धति से करने में सक्षम बनता है। यह केवल विज्ञान विषय तक सीमित अवधारणा नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीवन-दृष्टि है जो व्यक्ति को विचार करने, विश्लेषण करने, परीक्षण करने तथा उचित निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। वैज्ञानिक अभियोग्यता का आशय केवल विज्ञान के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक पद्धतियों और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यवहारिक रूप से अपनाना है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यवहार तथा निर्णय क्षमता को प्रभावित करती है और उसे विवेकशील तथा जागरूक नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करती है।

वर्तमान तकनीकी और वैज्ञानिक युग में यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को प्रभावशाली, व्यावहारिक तथा विद्यार्थी-केंद्रित बनाया जाए। इस अवस्था में विद्यार्थियों की जिज्ञासा, विश्लेषणात्मक क्षमता तथा खोजपरक प्रवृत्ति अत्यधिक सक्रिय रहती है। यदि इस स्तर पर उन्हें उचित मार्गदर्शन, प्रेरणा तथा अनुकूल वातावरण प्राप्त हो, तो वे अपनी वैज्ञानिक अभियोग्यता का समुचित विकास कर सकते हैं तथा विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियाँ प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। किंतु वर्तमान समय में विज्ञान शिक्षण अनेक चुनौतियों और सीमाओं से घिरा हुआ है। विद्यालयों में प्रयोगात्मक गतिविधियों की कमी, प्रयोगशालाओं का अपर्याप्त उपयोग, शिक्षण-सामग्री और संसाधनों का अभाव, पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की अनुपलब्धता, शिक्षकों की नकारात्मक मनोवृत्ति तथा विद्यालयी वातावरण का असहयोगात्मक होना — ये सभी ऐसे प्रमुख कारक हैं जो विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं।

विद्यालयी पर्यावरण, शिक्षक की मनोवृत्ति तथा प्रयोगशाला सुविधाएँ— ये तीनों तत्व विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता के विकास की आधारशिला हैं। विद्यालयों में यदि वैज्ञानिक वातावरण उपलब्ध हो, प्रयोगशालाएँ सक्रिय रूप से संचालित हों तथा शिक्षण प्रक्रिया गतिविधि आधारित हो, तो विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से विकसित होने लगता है। ऐसा वातावरण विद्यार्थियों को केवल ज्ञान अर्जित करने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें नवाचार, अनुसंधान तथा सृजनात्मक चिंतन की ओर प्रेरित करता है।

वैज्ञानिक अभियोग्यता केवल ज्ञान का संग्रह नहीं, बल्कि उस ज्ञान का उचित एवं प्रभावी उपयोग करने की क्षमता है। यह व्यक्ति को समस्याओं का समाधान खोजने, निर्णय लेने तथा नवाचार की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती है। जब विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभियोग्यता विकसित हो जाती है, तब वे केवल विज्ञान विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन ही नहीं करते, बल्कि समाज के जागरूक, उत्तरदायी और विवेकशील नागरिक के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि शिक्षा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त, समाजोपयोगी तथा मानव विकास केंद्रित बनाना है, तो उसमें शोध प्रक्रिया को समाहित करना अत्यंत आवश्यक है। यही प्रक्रिया विद्यार्थियों

में वैज्ञानिक चेतना, तार्किक दृष्टिकोण तथा नवाचार की भावना का विकास कर राष्ट्र को प्रगति और समृद्धि की दिशा में अग्रसर कर सकती है।

प्रस्तुत शोध का महत्व :-

शिक्षा एक निरंतर विकसित होने वाली गतिशील प्रक्रिया है, जिसमें समय, समाज और तकनीकी परिवर्तनों के अनुरूप निरंतर नवाचारों की आवश्यकता बनी रहती है। शिक्षा को प्रभावशाली, प्रासंगिक और जीवनोपयोगी बनाए रखने में शोध की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शोध शिक्षा में नवीनता का संचार करता है तथा उसे आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप दिशा प्रदान करता है। यह केवल प्रचलित सिद्धांतों और शिक्षण पद्धतियों की समीक्षा ही नहीं करता, बल्कि नए सिद्धांतों, नवीन तकनीकों और प्रभावी शिक्षण विधियों के विकास का आधार भी बनता है। वर्तमान समय में स्मार्ट क्लास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई-लर्निंग, डिजिटल शिक्षा तथा वर्चुअल लर्निंग जैसे आधुनिक माध्यम शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से अपनाए जा रहे हैं। इन तकनीकों की उपयोगिता, प्रभावशीलता, सीमाएँ तथा विद्यार्थियों के अधिगम पर उनके प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन शोध के माध्यम से ही संभव हो पाता है। इसलिए शिक्षा में शोध का महत्व आज पहले की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है।

शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार, दृष्टिकोण और व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। वास्तविक शिक्षा वही मानी जाती है जो व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा नैतिक विकास को संतुलित रूप से प्रभावित करे। यह उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब शिक्षण प्रक्रिया विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं के अनुरूप हो। इस उपयुक्तता का परीक्षण करने तथा उसमें आवश्यक सुधार करने का सबसे प्रभावी और वैज्ञानिक माध्यम शोध है। शोध के माध्यम से शिक्षक यह समझ सकता है कि विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, कक्षा-कक्ष के वातावरण को अधिक अनुकूल और सहभागितापूर्ण कैसे बनाया जा सकता है, तथा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। इस प्रकार शोध शिक्षा को अधिक प्रभावी, विद्यार्थी-केंद्रित और परिणामोन्मुख बनाता है।

वर्तमान युग तीव्र प्रतिस्पर्धा, वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी विकास का युग है। आज समाज में परिवर्तन अत्यंत तीव्र गति से हो रहे हैं, इसलिए शिक्षा को केवल पारंपरिक पद्धतियों तक सीमित रखकर प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। शिक्षा को आधुनिकता, प्रयोगशीलता तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ने के लिए शोध की आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है। शोध न केवल शैक्षिक समस्याओं की पहचान करता है, बल्कि उनके समाधान हेतु नवीन और व्यावहारिक उपाय भी प्रस्तुत करता है। शिक्षा में शोध का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि यह समाज की आवश्यकताओं और शिक्षा के उद्देश्यों के मध्य संतुलन एवं सामंजस्य स्थापित करता है। समाज निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए शिक्षा के उद्देश्य और स्वरूप भी समयानुसार परिवर्तित होते रहते हैं। शोध इन सामाजिक परिवर्तनों का विश्लेषण कर यह निर्धारित करता है कि शिक्षा को किस दिशा में विकसित किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता, डिजिटल साक्षरता, नैतिक मूल्यों, मानवाधिकार, समावेशी शिक्षा तथा सतत विकास जैसे विषय अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। इन विषयों को शिक्षा प्रणाली में प्रभावी रूप से समाहित करने तथा उनके परिणामों का मूल्यांकन करने का कार्य शोध के माध्यम से ही संभव होता है। इस प्रकार शोध शिक्षा को समाजोपयोगी और समयानुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

समस्या कथन -

“विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्धि में शिक्षकों की मनोवृत्ति एवं विद्यालयी वातावरण में सम्बन्ध का अध्ययन।”

अध्ययन में प्रस्तुत तकनीकी शब्दों की व्याख्या -

वैज्ञानिक अभियोग्यता - सामान्यतः वैज्ञानिक अभियागे यता का अर्थ कुछ मानवीय गुणों से युक्त उस अभियोग्यता से लिया गया है जो लगभग सभी वैज्ञानिकों में पाया जाता है एवं जिसके द्वारा वे मानव कल्याण के लिये उपयोगी अनुसंधान कार्य में सतत् प्रयत्नशील रहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आमतौर पर सभी वैज्ञानिक अपने शोध कार्य में समान रूप से सोचते हैं एवं कार्य करते हैं। उनके सोचने एवं कार्य करने की पद्धति में विश्वास को वैज्ञानिक अभियोग्यता कहते हैं। अर्थात् विज्ञान के प्रति सच्चा दृष्टिकोण वैज्ञानिक चिन्तन स्वतंत्र विचारण एवं अटूट विश्वास उत्पन्न होना ही वैज्ञानिक अभियोग्यता है।

मनोवृत्ति - मनोवृत्ति किसी व्यक्ति वस्तु या घटना के प्रति एक खास ढंग से कार्य करने की एक मानसिक अभियोग्यता होती है। मनोवृत्ति में व्यक्ति में अनुकूलन-प्रतिकूलन की दिशा पर किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति प्रतिक्रिया करने की इच्छा पायी जाती है। मनोवृत्ति की एक विशेष गुण, यह है कि मनोवृत्ति अर्जित होती है।

विद्यालयी वातावरण - विद्यालयी वातावरण वह वातावरण होता है जिसमें विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है जहाँ उसका सर्वांगीण विकास होता है साथ ही उसे विशिष्ट क्रियायों तथा ज्ञान से प्रशिक्षित किया जाता है। विद्यालयी वातावरण का तात्पर्य न केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित है बल्कि उन सभी प्रक्रियायों को समाहित किया जाता है जो बालक के सर्वांगीण विकास से जुड़ी होती है।

अध्ययन के उद्देश्य :-

- (1) अंग्रेजी माध्यम के उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्धि पर विद्यालय वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करना।
- (2) हिन्दी माध्यम के उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्धि पर विद्यालय वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ :-

- (1) अंग्रेजी माध्यम के उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्धि पर विद्यालय वातावरण का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।
- (2) हिन्दी माध्यम के उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्धि पर विद्यालय वातावरण का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

न्यादर्श :- प्रस्तुत शोध में न्यादर्श के रूप में श्री गंगानगर जिले के अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम के उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत 400 विद्यार्थियों को वर्गीकृत क्रम में यादृच्छिक विधि के अन्तर्गत लाटरी विधि से चयनित किया गया है।

शोध में प्रयुक्त उपकरण :-

1. वैज्ञानिक अभियोग्यता अभिवृत्ति (डॉ. नागाप्पा पी. एवं डॉ. सी. आर. राव)

2. विद्यालय वातावरण मापनी (स्वनिर्मित)

प्रदत्तों का विश्लेषण व विवेचन -

- (1) अंग्रेजी माध्यम के उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्धि पर विद्यालय वातावरण का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

सारणी संख्या - 1

चर	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	सहसम्बन्ध	सार्थकता का स्तर
अंग्रेजी माध्यम के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता	200	52.36	5.311	0.072	स्वीकृत
अंग्रेजी माध्यम के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों का विद्यालय वातावरण	200	19.15	2.914		

व्याख्या :- परिकल्पना संख्या 1 के अंग्रेजी माध्यम के उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्धि पर विद्यालय वातावरण सम्बन्धी प्रदत्तों का विश्लेषण किया गया जिसमें गणना के आधार पर सहसम्बन्ध गुणांक r का मान 0.072 प्राप्त हुआ जो कि सार्थकता के स्तर .01 तथा .05 पर सार्थक नहीं है। अतः शोधकर्त्री द्वारा निर्मित परिकल्पना अंग्रेजी माध्यम के उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्धि पर विद्यालय वातावरण का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, स्वीकृत की जाती है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अंग्रेजी माध्यम के उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्धि पर विद्यालय वातावरण का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

- (2) हिन्दी माध्यम के उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्धि पर विद्यालय वातावरण का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

सारणी संख्या - 2

चर	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	सहसम्बन्ध	सार्थकता का स्तर
हिन्दी माध्यम के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता	200	52.28	5.842	0.154	अस्वीकृत
हिन्दी माध्यम के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों का विद्यालय वातावरण	200	19.47	2.756		

परिकल्पना संख्या 2 के अनुसार हिन्दी माध्यम के उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्धि पर विद्यालय वातावरण सम्बन्धी प्रदत्तों का विश्लेषण किया गया जिसमें गणना के आधार पर सहसम्बन्ध गुणांक r का मान 0.154 प्राप्त हुआ जो कि सार्थकता के स्तर .01 तथा .05 पर सार्थक है। अतः शोधकर्त्री द्वारा निर्मित परिकल्पना हिन्दी माध्यम के उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्धि पर विद्यालय वातावरण का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, अस्वीकृत की जाती है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि हिन्दी माध्यम के उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्धि पर विद्यालय वातावरण का सार्थक प्रभाव पड़ता है।

शैक्षिक सुझाव -

1. जब विद्यार्थी अपना विकास निश्चित वैज्ञानिक पद्धति से करेंगे तो उनका भविष्य उज्ज्वल होगा क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से निश्चित सत्य की प्राप्ति होगी।
2. जिज्ञासा व खोजपरक दृष्टिकोण का संवर्धन होगा।
3. विद्यार्थियों में तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच का विकास करना।
4. विज्ञान विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ना।
5. समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से हल करने की क्षमता में वृद्धि होगी।

भावी शोध हेतु सुझाव -

1. प्रस्तुत शोध में मात्र 400 विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है। इससे बड़ा न्यादर्श भी लेकर अध्ययन किया जा सकता है।
2. प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्त्री ने अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों व शिक्षकों को ही शामिल किया है। आगामी शोध के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों व शिक्षकों को लेकर शोध कार्य किया जा सकता है।
3. प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्त्री ने अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को ही शामिल किया है। आगामी शोध के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय, महाविद्यालय के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्धि में शिक्षकों की मनोवृत्ति एवं विद्यालयी वातावरण के सम्बन्ध को लेकर भी लिया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची :

1. आर्य पी. के. "आत्मविश्वास सफलता की सीढ़ी है" हिन्दी पुस्तिका कक्षा 6, राजस्थान पुस्तक मण्डल।
2. कपिल, एच. के. (2006), सांख्यिकी के मूल तत्व, आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर।
3. गुप्ता, मीरा (2010), उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षण में प्रभावी एवं अप्रभावी अध्यापकों की मनोवृत्ति तथा व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन, पीएच.डी. शोध, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. गुप्ता, एम.पी. (2007), धार्मिक अभिवृत्ति, वैज्ञानिक अभियोग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में किशोरों की पर्यावरणीय जागरूकता का अर्थ, पीएच.डी. शोध, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
5. डॉ. शर्मा, वी. एस. "शिक्षा मनोविज्ञान" साहित्य प्रकाशन आगरा (2004)

6. डॉ. अरोड़ा रीता, सुदेश मारवाह (2005) " शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी" शिक्षा प्रकाशन जयपुर पृष्ठ संख्या (407-430)
7. गर्ग, के.पी. (1990) : डेवेलपमेन्ट ऑफ एबीलिटी टू रिजनिंग इन स्कूल, न्यू दिल्ली कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, पृष्ठ संख्या-30
8. डॉ. एम पन्नीर सेल्वम डॉ. एम मुतमीज सेल्वन, "वैज्ञानिक अभियोग्यता के संबंध में माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की विज्ञान में उपलब्धि स्तर में अंतर का अध्ययन", जर्नल ऑफ रिसर्च एंड मेथड्स इन एजुकेशन, पृष्ठ संख्या 5-8.
9. सुखिया, एस.पी. (1990) शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व. आगरा : विनोद पुस्तक मन्दिर।
10. वर्मा, अरुण, मालवीय, डी.एस., निगम, भूपेन्द्र (2008), उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की विज्ञान में उपलब्धि पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन, भारतीय आधुनिक शिक्षा 2008, पृष्ठ संख्या 88.95



संगम

Impact Factor : 7.834

Website :
www.ginajournal.com

ISSN : 2321-8037

SANGAM

Vol. 14, Issue 5-6

पृष्ठ : 64-70

गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक-बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTILANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREEED RESEARCH JOURNAL

आधुनिक समाज में मुस्लिम महिलाओं की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. जोगिंदर

सहायक प्रोफेसर, समाजशास्त्र

राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, रोहतक।

सारांश :

आधुनिक समाज में महिलाओं की भूमिका निरंतर परिवर्तनशील होती जा रही है और मुस्लिम महिलाएँ भी इस सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। ऐतिहासिक रूप से मुस्लिम महिलाओं को घरेलू कार्यों और पारिवारिक जिम्मेदारियों तक सीमित माना जाता था, किंतु वर्तमान समय में वे शिक्षा, राजनीति, रोजगार, प्रशासन, चिकित्सा, उद्यमिता और सामाजिक नेतृत्व जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य आधुनिक समाज में मुस्लिम महिलाओं की बदलती भूमिका का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है।

इस अध्ययन में द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है, जिनमें पुस्तकें, शोध पत्र, सरकारी रिपोर्टें और ऑनलाइन सामग्री शामिल हैं। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है। उच्च शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता ने महिलाओं के आत्मविश्वास तथा सामाजिक पहचान को मजबूत किया है। साथ ही, सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाएँ, कौशल विकास कार्यक्रम और महिला कल्याण नीतियाँ भी उनकी प्रगति में सहायक सिद्ध हुई हैं।

हालाँकि, मुस्लिम महिलाओं को आज भी पितृसत्तात्मक सोच, धार्मिक रूढ़िवादिता, गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असुरक्षा जैसी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और रोजगार के अवसरों की कमी उनकी प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है। अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण केवल एक समुदाय का प्रश्न नहीं, बल्कि समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की अनिवार्य आवश्यकता है। शिक्षा, आर्थिक अवसर और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से ही मुस्लिम महिलाओं को समाज की मुख्यधारा से पूर्णतः जोड़ा जा सकता है।

मुख्य शब्द (Keywords)

मुस्लिम महिलाएँ, सशक्तिकरण, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक परिवर्तन, लैंगिक समानता, समाजशास्त्र, आर्थिक आत्मनिर्भरता, आधुनिक समाज, महिला अधिकार।

प्रस्तावना :

आधुनिक युग को सामाजिक परिवर्तन, वैश्वीकरण, तकनीकी विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के विस्तार का युग माना जाता है। इस परिवर्तनशील समाज में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। किसी भी समाज की प्रगति और विकास का आकलन वहाँ की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के आधार पर किया जाता है। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक देश में महिलाओं की स्थिति विविध सामाजिक संरचनाओं और सांस्कृतिक मान्यताओं से प्रभावित होती रही है। मुस्लिम महिलाएँ भी इसी सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिनकी स्थिति लंबे समय तक पारंपरिक मान्यताओं और सामाजिक प्रतिबंधों से प्रभावित रही है।

इतिहास के प्रारंभिक चरणों में मुस्लिम महिलाओं को मुख्यतः घरेलू भूमिकाओं तक सीमित माना जाता था। परिवार और समाज में उनकी भूमिका गृह प्रबंधन, बच्चों के पालन-पोषण और पारिवारिक जिम्मेदारियों तक केंद्रित थी। यद्यपि इस्लाम धर्म महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति, विवाह और सामाजिक सहभागिता के स्पष्ट अधिकार प्रदान करता है, फिर भी समय के साथ धार्मिक शिक्षाओं की संकीर्ण व्याख्याओं और रुढ़िवादी सोच ने महिलाओं की वास्तविक स्थिति को सीमित कर दिया। परिणामस्वरूप, मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों से वंचित रहना पड़ा।

आधुनिक समय में यह स्थिति तेजी से बदल रही है। शिक्षा के प्रसार, सूचना क्रांति, शहरीकरण और वैश्वीकरण ने मुस्लिम महिलाओं के जीवन में नई चेतना का संचार किया है। अब वे केवल पारिवारिक दायित्वों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, राजनीति, न्यायपालिका, खेल, मीडिया और व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज करा रही हैं। यह परिवर्तन केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है।

भारत में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति पर अनेक आयोगों और शोधकर्ताओं ने अध्ययन किया है। सच्चर समिति रिपोर्ट (2006) ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अन्य समुदायों की तुलना में कमजोर है, और महिलाओं की स्थिति उससे भी अधिक चुनौतीपूर्ण है। शिक्षा की कमी, गरीबी, सामाजिक रुढ़िवादिता और लैंगिक असमानता उनके विकास में प्रमुख बाधाएँ रही हैं। हालांकि, पिछले कुछ दशकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता में वृद्धि और सरकारी योजनाओं के प्रभाव से मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार देखा गया है।

शिक्षा आधुनिक समाज में सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम मानी जाती है। शिक्षित महिला न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, बल्कि परिवार और समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुस्लिम महिलाओं में उच्च शिक्षा की ओर बढ़ता रुझान इस परिवर्तन का स्पष्ट संकेत है। विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उनकी भागीदारी लगातार बढ़ रही है। इसके परिणामस्वरूप वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं और सामाजिक निर्णयों में भी उनकी भागीदारी बढ़ रही है।

आर्थिक क्षेत्र में भी मुस्लिम महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रूप से उभरकर सामने आई है। आज वे शिक्षिका, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, वकील, उद्यमी और सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य कर रही हैं। रोजगार ने उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की है, जिससे परिवार और समाज में उनकी स्थिति मजबूत हुई है। आर्थिक

आत्मनिर्भरता महिलाओं के आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान में वृद्धि करती है।

इसके अतिरिक्त, राजनीति और सामाजिक नेतृत्व के क्षेत्र में भी मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। पंचायतों, नगर निकायों और विभिन्न राजनीतिक संगठनों में उनकी सक्रियता लोकतांत्रिक सशक्तिकरण का प्रतीक है। बेनजीर भुट्टो, नजमा हेपतुल्ला और मलाला यूसुफजई जैसी हस्तियों ने यह सिद्ध किया है कि मुस्लिम महिलाएँ नेतृत्व क्षमता और सामाजिक परिवर्तन की वाहक बन सकती हैं।

हालाँकि, इन सकारात्मक परिवर्तनों के बावजूद मुस्लिम महिलाओं को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक रूढ़िवादिता, धार्मिक कट्टरता, गरीबी और अशिक्षा आज भी उनके विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा और रोजगार के अवसर सीमित हैं। कई परिवार आज भी लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देते। इसके अतिरिक्त, सामाजिक असुरक्षा और सांप्रदायिक तनाव जैसी समस्याएँ भी महिलाओं की सार्वजनिक भागीदारी को प्रभावित करती हैं।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुस्लिम महिलाओं की स्थिति केवल धार्मिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों से जुड़ा हुआ विषय है। संरचनात्मक असमानताएँ और सामाजिक संस्थाएँ महिलाओं की भूमिका को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केवल कानूनी सुधार पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि सामाजिक चेतना, शिक्षा और आर्थिक अवसरों का विस्तार भी आवश्यक है।

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य : आधुनिक समाज में मुस्लिम महिलाओं की बदलती भूमिका का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सहभागिता और राजनीतिक भूमिका के संदर्भ में उनकी वर्तमान स्थिति को समझने का प्रयास करता है। साथ ही, यह उन प्रमुख चुनौतियों की पहचान करता है जो आज भी उनके विकास में बाधा बनी हुई हैं। अध्ययन का उद्देश्य यह भी है कि मुस्लिम महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए प्रभावी नीतिगत सुझाव प्रस्तुत किए जाएँ, ताकि वे समाज के विकास में पूर्ण और सक्रिय भागीदारी निभा सकें।

शोध पद्धति :

प्रस्तुत शोध पत्र में आधुनिक समाज में मुस्लिम महिलाओं की भूमिका का अध्ययन करने के लिए वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का उपयोग किया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक स्थिति का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। शोध की प्रकृति गुणात्मक (Qualitative) है, क्योंकि इसमें सामाजिक तथ्यों, अनुभवों और परिस्थितियों का व्याख्यात्मक अध्ययन किया गया है।

इस शोध में द्वितीयक आंकड़ों (Secondary Data) का उपयोग किया गया है। द्वितीयक स्रोतों में पुस्तकें, शोध पत्र, सरकारी रिपोर्टें, आयोगों की रिपोर्टें, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के दस्तावेज, जर्नल लेख तथा ऑनलाइन स्रोत शामिल हैं। सच्चर समिति रिपोर्ट (2006), राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्टें, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की रिपोर्ट तथा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक की महिला विकास संबंधी रिपोर्टों को अध्ययन का आधार बनाया गया है।

डेटा संग्रहण के लिए विभिन्न पुस्तकालयों, ई-जर्नल्स और सरकारी वेबसाइटों का उपयोग किया गया।

शोध से संबंधित सामग्री का चयन विषय की प्रासंगिकता और विश्वसनीयता के आधार पर किया गया। अध्ययन में विशेष रूप से उन स्रोतों को प्राथमिकता दी गई जिनमें मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, सामाजिक स्थिति और सशक्तिकरण से संबंधित तथ्य उपलब्ध थे।

अध्ययन में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए संरचनात्मक-कार्यात्मक (Structural Functionalism) तथा नारीवादी दृष्टिकोण (Feminist Perspective) का उपयोग किया गया है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से समाज में महिलाओं की भूमिका और सामाजिक संस्थाओं के प्रभाव का विश्लेषण किया गया, जबकि नारीवादी दृष्टिकोण के माध्यम से लैंगिक असमानता और पितृसत्तात्मक संरचना का अध्ययन किया गया।

डेटा के विश्लेषण में तुलनात्मक और व्याख्यात्मक पद्धति का उपयोग किया गया है। विभिन्न रिपोर्टों और अध्ययनों के निष्कर्षों की तुलना करके मुस्लिम महिलाओं की वर्तमान स्थिति को समझने का प्रयास किया गया। शोध के दौरान यह भी देखा गया कि शिक्षा, आर्थिक अवसर और सरकारी नीतियाँ महिलाओं के सशक्तिकरण में किस प्रकार योगदान दे रही हैं।

इस अध्ययन की सीमाएँ भी हैं। चूँकि यह शोध मुख्यतः द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है, इसलिए इसमें प्रत्यक्ष क्षेत्रीय अध्ययन (Field Study) शामिल नहीं किया गया है। इसके बावजूद उपलब्ध साहित्य और रिपोर्टों के आधार पर यह अध्ययन मुस्लिम महिलाओं की बदलती भूमिका और चुनौतियों का व्यापक समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

परिणाम एवं चर्चा :

प्रस्तुत अध्ययन के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक समाज में मुस्लिम महिलाओं की भूमिका में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। शिक्षा, रोजगार, राजनीति और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में उनकी भागीदारी लगातार बढ़ रही है। हालाँकि, सामाजिक और आर्थिक बाधाएँ आज भी उनके विकास को प्रभावित करती हैं।

1. शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती भागीदारी :

अध्ययन से ज्ञात होता है कि शिक्षा मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है। पहले जहाँ मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, वहीं वर्तमान समय में परिवारों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मुस्लिम छात्राओं का नामांकन बढ़ रहा है।

शिक्षा ने महिलाओं को आत्मविश्वास और सामाजिक पहचान प्रदान की है। शिक्षित महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं तथा सामाजिक निर्णयों में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। मलाला यूसुफजई जैसी हस्तियों ने वैश्विक स्तर पर मुस्लिम महिलाओं के शिक्षा अधिकार आंदोलन को नई दिशा दी है।

हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं है। गरीबी, संसाधनों की कमी और सामाजिक रूढ़िवादिता के कारण अनेक लड़कियाँ उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। कई क्षेत्रों में आज भी बाल विवाह और घरेलू जिम्मेदारियाँ लड़कियों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती हैं।

2. आर्थिक आत्मनिर्भरता और रोजगार :

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक भूमिका में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया

है। आज वे केवल घरेलू कार्यों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि विभिन्न पेशों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। शिक्षिका, डॉक्टर, नर्स, वकील, बैंक कर्मचारी, पत्रकार और उद्यमी के रूप में उनकी भागीदारी बढ़ी है।

आर्थिक आत्मनिर्भरता ने महिलाओं के आत्मविश्वास को मजबूत किया है। रोजगार के माध्यम से वे परिवार की आर्थिक स्थिति में योगदान दे रही हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ी है। शहरी क्षेत्रों में यह परिवर्तन अधिक स्पष्ट दिखाई देता है।

इसके बावजूद, रोजगार के अवसरों की कमी अभी भी एक बड़ी चुनौती है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार संसाधनों का अभाव महिलाओं की प्रगति को सीमित करता है। अनेक महिलाएँ असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर कार्य करने को मजबूर हैं।

3. सामाजिक और राजनीतिक सहभागिता :

अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि मुस्लिम महिलाएँ सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अपनी सक्रिय पहचान बना रही हैं। पंचायतों और स्थानीय निकायों में उनकी भागीदारी लोकतांत्रिक सशक्तिकरण का संकेत है। मुस्लिम महिलाएँ अब सामाजिक जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा सुधार और महिला अधिकार आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बेनजीर भुट्टो और नजमा हेपतुल्ला जैसी नेताओं ने यह सिद्ध किया कि मुस्लिम महिलाएँ नेतृत्व क्षमता में किसी से कम नहीं हैं।

राजनीतिक भागीदारी ने महिलाओं को अपनी समस्याओं और अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक बनाया है। हालांकि, राजनीति में उनकी भागीदारी अभी भी सीमित है और सामाजिक रूढ़िवादिता इसके प्रमुख कारणों में से एक है।

4. प्रमुख चुनौतियाँ :

अध्ययन से ज्ञात होता है कि मुस्लिम महिलाओं के विकास में पितृसत्तात्मक सोच सबसे बड़ी बाधा है। समाज में महिलाओं को पारंपरिक भूमिकाओं तक सीमित रखने की मानसिकता आज भी मौजूद है।

धार्मिक शिक्षाओं की गलत व्याख्या भी महिलाओं के अधिकारों को सीमित करती है। जबकि इस्लाम महिलाओं को शिक्षा और संपत्ति के अधिकार प्रदान करता है, व्यवहारिक स्तर पर कई महिलाएँ इन अधिकारों से वंचित रह जाती हैं।

गरीबी और अशिक्षा भी उनकी प्रगति में प्रमुख बाधाएँ हैं। सीमित संसाधनों के कारण परिवार अक्सर लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। इसके अतिरिक्त, सामाजिक असुरक्षा और सांप्रदायिक तनाव भी महिलाओं की सार्वजनिक भागीदारी को प्रभावित करते हैं।

5. समाजशास्त्रीय विश्लेषण :

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि मुस्लिम महिलाओं की स्थिति केवल धार्मिक कारकों से निर्धारित नहीं होती, बल्कि सामाजिक संरचना, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक परंपराएँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

नारीवादी दृष्टिकोण यह बताता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानता अनिवार्य हैं। वहीं संरचनात्मक दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि समाज की संस्थाएँ महिलाओं की भूमिका को प्रभावित करती हैं।

अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि मुस्लिम महिलाओं में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, लेकिन समावेशी विकास के लिए अभी भी व्यापक सामाजिक और नीतिगत प्रयासों की आवश्यकता है।

निष्कर्ष :

प्रस्तुत शोध पत्र के अध्ययन और विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक समाज में मुस्लिम महिलाओं की भूमिका तेजी से परिवर्तनशील हो रही है। ऐतिहासिक रूप से जिन महिलाओं को घरेलू दायित्वों और सामाजिक प्रतिबंधों तक सीमित रखा गया था, आज वे शिक्षा, रोजगार, राजनीति और सामाजिक नेतृत्व जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। यह परिवर्तन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों का परिणाम नहीं है, बल्कि व्यापक सामाजिक जागरूकता और बदलती मानसिकता का प्रतीक है।

अध्ययन से यह सिद्ध हुआ कि शिक्षा मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। शिक्षा ने महिलाओं में आत्मविश्वास, जागरूकता और निर्णय क्षमता का विकास किया है। उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण ने उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में सहायता प्रदान की है। रोजगार के अवसरों ने न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है, बल्कि परिवार और समाज में उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ाई है।

हालाँकि, इस सकारात्मक परिवर्तन के बावजूद अनेक चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। पितृसत्तात्मक सोच, गरीबी, सामाजिक रूढ़िवादिता और धार्मिक शिक्षाओं की गलत व्याख्या महिलाओं की प्रगति में प्रमुख बाधाएँ बनी हुई हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और रोजगार के अवसरों की कमी महिलाओं के विकास को सीमित करती है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुस्लिम महिलाओं की समस्याएँ केवल धार्मिक नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचनाओं से जुड़ी हुई हैं। इसलिए उनके सशक्तिकरण के लिए बहुआयामी प्रयास आवश्यक हैं। सरकार को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए। साथ ही समाज में महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी अत्यंत आवश्यक है।

यह शोध इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण केवल एक समुदाय की आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्र के समावेशी विकास की अनिवार्य शर्त है। जब महिलाएँ शिक्षित, जागरूक और आत्मनिर्भर होंगी, तभी समाज में वास्तविक सामाजिक न्याय और समानता स्थापित हो सकेगी। भविष्य में यदि शिक्षा, आर्थिक अवसर और सामाजिक समर्थन को और अधिक मजबूत किया जाए, तो मुस्लिम महिलाएँ समाज के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने में सक्षम होंगी।

संदर्भ सूची :

1. सच्चर समिति. (2006). भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर रिपोर्ट. नई दिल्ली : भारत सरकार।
2. संयुक्त राष्ट्र. (2019). विश्व महिला विकास रिपोर्ट. न्यूयॉर्क : संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन।
3. राष्ट्रीय महिला आयोग. (2020). भारत में महिलाओं की स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट. नई दिल्ली : भारत

सरकार।

4. एनसीईआरटी. (2022). समाजशास्त्र (कक्षा 11–12). नई दिल्ली : एनसीईआरटी।
5. भारत सरकार. (2018). अल्पसंख्यक मामलों की रिपोर्ट. नई दिल्ली : प्रकाशन विभाग।
6. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय. (2021). मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण पर रिपोर्ट. नई दिल्ली : भारत सरकार।
7. अहमद, स. (2017). मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक स्थिति. भारतीय समाजशास्त्र पत्रिका, 45(2), 120–135।
8. खान, र. (2015). मुस्लिम महिलाओं का सामाजिक परिवर्तन. नई दिल्ली : ओरिएंट ब्लैकस्वान।
9. यूएन वीमेन. (2021). महिला सशक्तिकरण और विकास. प्राप्त : <https://www.unwomen.org>
10. विश्व बैंक. (2020). महिला श्रम भागीदारी रिपोर्ट. वाशिंगटन डी.सी. : विश्व बैंक प्रकाशन।

‘कभी ना छोड़े खेत’ उपन्यास में व्यक्त यथार्थ जीवन

प्रा. डॉ. पवन नागनाथ एमेकर

कै. बापूसाहेब पाटील एकबेकर महाविद्यालय, हणेगाव ता.देगलूर जि.नांदेड.

हिंदी साहित्य के कथा साहित्य में अपनी कलम को आजमाने वाले अनेक लेखक हैं। जिन्होंने अपनी अनुभूतियों को अपने साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया हैं। किसी ने कहानियां लिखी तो किसी ने उपन्यास लिखे हैं। आधुनिक लेखकों में यथार्थवादी उपन्यास लिखने वाले जगदीशचंद्र भी एक ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने लेखन के क्षेत्र में अपनी एक प्रभावी लेखन शैली की प्रस्तुती की है। पंजाब के रहने वाले जगदीशचंद्र पर वहां के ही जीवन शैली का प्रभाव रहना स्वाभाविक है। इनके उपन्यासों की कथा पंजाब के ग्रामीण जीवन के दर्शन करवाती है। लेखक का ‘कभी न छोड़े खेत’ यह उपन्यास पंजाब के ग्रामीण जीवन के वास्तव दर्शन कराता है। यहां के माहौल, संस्कृति, परिवेश, जीवन शैली आदी का सच्चा यथार्थ जीवन लेखक के प्रस्तुत उपन्यास में चित्रित किया गया है। जगदीशचंद्र के लेखन के बारे में शिवकुमार मिश्र लिखते हैं, “जगदीशचंद्र मेरे विचार से हमारे अपने समय के रचनाकारों में पहली पांत के उन रचनाकारों में एक हैं जिनके लेखन में सामाजिक और मानवीय प्रतिश्रुति की सार्थक और सोद्येश्य लेखन को, लिखने और सोचने के कर्म को यातनाग्रस्त मनुष्य के हित में समर्पित कर देने की, प्रेमचंद की परंपरा सफल ही नहीं, चरितार्थ हुई है।”

अपने लेखन के द्वारा लेखक ने उपन्यास क्षेत्र में बड़े ही बेहतरीन साहित्य का निर्माण भी किया है। हिंदी साहित्य की पहली उपन्यास त्रयी को इन्होंने ही लिखा है। प्रस्तुत उपन्यास ‘कभी न छोड़े खेत’ में लेखक ने एक गांव के दो सामंत परिवारों की खानदानी दुश्मनी की कथा को प्रस्तुत किया है। नंबरदारों और नीलोवालियों के बीच के दुश्मनी का चित्रण आलोच्य उपन्यास के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है। उपन्यास की शुरुवात इस प्रकार से होती है, नंबरदारों का करतार अपनी घोड़ी पे बैठकर घर की ओर जा रहा था। रास्ते में नीलोवालियों के नत्थासिंह की बहू सीतलकौर गोबर थाप रही थी। वह करतार की घोड़ी को आता देख डर घर की ओर भागने लगती है तब घोड़े के पांव से उसके मुंह पर गोबर उड़ जाता है और वह गिर पड़ती है। तभी उसका देवर राजू चारे का गट्टा फेंक करतार के घोड़ी को रोकता है। राजू, ठाकूर, प्यारू तीनों मिलकर करतार को बेहद मारते हैं।

करतार को नीलोवालियों द्वारा मारने की खबर को सुन नंबरदार बंचितसिंह और करतार के पिता जगतसिंह अपने साथियों के साथ नीलोवालियों के साथ मारपिट करते हैं। दोनों परिवार के लोग घायल हो जाते हैं और शहर के अस्पताल की ओर निकल पड़ते हैं। करतार इस नंबरदारों का अकेला वारीस था। करतार की मां जसवंतकौर को जब इस बात का पता चलता है तब वह नीलोवालियों को गालियां देने लगती है। गांव का

मिलखासिंह इस झगड़े का मुख्य कारण बताते हुए कहता है की, जसवंतकौर का पहले नीलोवालियों के नत्थासिंह का भाई उधमसिंह के साथ उसका विवाह हो गया था। लेकिन शादी के एक साल में ही उधमसिंह की मृत्यु होने के बाद बंचितसिंह और जसवंतकौर के बीच प्रेमसंबंध निर्माण होते हैं। कुछ कारणों से बंचितसिंह, जसवंतकौर से विवाह नहीं कर पाता है तब वह अपने भाई जगतसिंह से उसका विवाह कर देता है। तभी से ही इन दोनों परिवारों में दुश्मनी का निर्माण होता है।

कई बार इन दो परिवारों में मारपीट भी होती है। लेकिन आज का यह झगड़ा अत्यंत भयावह था। जब जसवंतकौर अपने पति और बेटे से अस्पताल में मिलने जाती है और वापस घर आने पर बेबे के हाल-चाल पुछने पर उससे कहती है, “करतार के बापू को होश आया तो मुझे पास बुलाकर कहने लगा कि करतार को बचा लेना। मैं मर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह सलामत रहा तो खानदान का बूटा बढ़ता रहेगा।”² आलोच्य कथन के माध्यम से खानदान के वृद्धि की बात को कितना महत्व दिया है इस बात की प्रस्तुती होती है। मिलखासिंह गांव के लोगों के साथ चर्चा करते समय कहता है की, जन (स्त्री) और जमीन जाट कौम की सबसे बड़ी दौलत है। इसी बात का वर्णन लेखक ने समस्त उपन्यास के माध्यम से किया हुआ नजर आता है।

गांव के इस दो सांमत परिवारों के झगड़ों के कारण गांव में पुलिस आ जाती है और दोनों परिवारों से पैसे भी निकाल लेते हैं। कुछ पुछताच करने के बाद पुलिस गांव के पांच लड़को को गाड़ी में डाल उठा ले जाती है। इस बात पर पंडित गिरधारीलाल कहता है, “झगड़ा किसी का हुआ, पुलिसवाले सारे गाँव को खींच रहे हैं। कलियुग में हर बात न्यारी है।”³ इस बात को हम आज के वर्तमान जीवन से भी जोड़कर देख सकते हैं कि आज की इस भ्रष्ट व्यवस्था के कारण आम आदमी कितना परेशान है। पैसों के टुकड़ों पर नाचने वाली इस व्यवस्था ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। गांव के शंकर नामक एक गरीब लड़के को भी इस पुछताछ के लिये उठाया जाता है और उसे बहुत तकलिफ भी दी जाती है।

पुलिस के द्वारा गांव से उठाये गये पांच लड़को में से चार लड़को के घर वालों ने पुलिस को पैसे देकर छोड़वा लिया लेकिन शंकर एक गरीब घर का लड़का होने के कारण वह अटक गया। पुलिस उसको जबरदस्ती ही इस झगड़े का गवाह बनवाना चाहती थी, लेकिन शंकर इस बात के लिये तयार नहीं था। तब उसके साथ बहुत मारपीट की जाती है। शंकर को पेशाब करने की जगह भी बिठाया जाता है। एक बेकसुर पर होने वाले अन्याय की अत्यंत करुण कथा का वर्णन लेखक ने प्रस्तुत कथा के माध्यम से चित्रित हुआ है। गांव के इस झगड़े का फायदा गांव के साहूकार भी लेते हैं। मुंशी और फेरुमल जैसे साहूकार बंचितसिंह और नत्थासिंह का गेंहू कम दाम में खरीदते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इनकी जमीन को भी गिरवी रख लेते हैं। इनके साथ-साथ वकील भी इन दो परिवारों को अच्छा खासा लुटते हैं।

गांव के चालाक लोग भी इन दो परिवारों को लुटते हैं, जैसे मिलखासिंह झूठी गवाही देने के लिये मशहूर था। वह भी इन लोगों से पैसे ऐंठता है। पैसों से किस प्रकार से संपूर्ण व्यवस्था की धजिया उड़ाई जा सकती है इस का प्रत्यक्ष उदाहरण यह उपन्यास है। प्रस्तुत उपन्यास के माध्यम से लेखक ने खोकले रिश्ते-नातों का भी पर्दा फाश किया है। बंचितसिंह के बिरादारी वाला सरदारासिंह, जसवंतकौर के साथ गलत हरकत करने का प्रयास करता है। जसवंतकौर के साथ बुरा सलुक करने वाला सरदारासिंह उससे कहता है, “भाभी, छोड़ अब रोना-धोना...कोई और बात कर।”⁴ एक मां, एक पत्नी अपने बेटे एवं पति के लिये परेशान है तब उसके साथ

ऐसी हरकते करना यह कहा की इन्सानियत होगी? अपने बेटे के प्राणों के लिये दुआ मांगने जसवंतकौर गुरुद्वारे में जाती है तब गुरुद्वारे का महंत शामसिंह, जसवंतकौर से कहता है, “तूने किया भी तो अनर्थ। उधमसिंह के अकाल मृत्यू के बाद तूने अपनी जिन्द बाबे की सेवा के लिए अर्पण की थी। अमृत छककर गुरु की पक्की सिंघनी बन गयी थी। लेकिन तू एक साल भी गुरु—मर्यादा का पालन न कर सकी। काम और भोग—विलास के मोह ने तुम्हारा पतन कर दिया।...तूने ऐसे आदमी से भोग किया जो गुरु का पक्का सिख नहीं था, जिसने अमृत नहीं छका था।”⁵

प्रस्तुत उपन्यास के माध्यम से लेखक ने आरोग्य, पुलिस, न्याय, धार्मिक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हो रही अनैतिकता का यथार्थ चित्रण करते हुए तत्कालीन जीवन व्यवस्था के दृश्यों को पाठकों के सामने उजागर किया है। जब करतार की हालत नाजूक होती है उस समय भी डॉक्टर हो या कर्मचारी किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिपटे हुए हैं इस बात का भी हमें पता चलता है। इसी बीच करतार की मृत्यू हो जाती है। बंचितसिंह का बिरादारी वाला मेलासिंह, करतार के मरने के बाद अपने बेटे को नंबरदारों का वारीस बनवाना चाहता है। इस प्रकार के झूठे रिश्ते नातों पर भी लेखक ने करारा व्यंग्य किया है। उधर नत्थासिंह अपने बेटों को फांसी से बचाने के लिये अपनी जमीन को बेचने के लिय तैयार नहीं है। अपने जमीन के प्रति इन लोगों की अति चाह के दर्शन यहां होते हैं। सालों तक मुकदमा लड़ने के बाद जब उसका फैसला सुनाया जाता है उस फैसले से बंचितसिंह अत्यंत दुखी हो जाता है। अपने वकील लाला गोवर्धन से कहता है, “लालाजी मेरे दोनों आदमी दस—दस साल के लिए बंध जाते तो मुझे रत्तीभर अफसोस न होता, लेकिन नत्थासिंह का कम—से—कम एक लड़का फांसी जरूर लगता। मेरी तरह वह भी अपने लड़के की अर्थी अपने कन्धों पर उठता, अपने हाथ से उसकी चिता को आग लगाता तो मुझे तसल्ली होती, मन खुश होता।”⁶

नत्थासिंह की इन बातों के माध्यम से लेखक ने तत्कालीन दुश्मनी के अंतिम चरण की प्रस्तुती की है। अपना कुछ भी हो जाये लेकिन दुश्मन के घर मातम होना चाहिए यह जो भाव है वह इन्सानियत के भावों से परे है। जब जसवंतकौर को पता चलता है की उसके बेटे करतार की मृत्यू के बाद बिरादरी वालों की उसके जायदाद पर नजर है तब वह अपने पति के सामने कहती है की वह एक बच्चे को जनम देना चाहती है। किसी तरह अपने पति को राजी कर जसवंतकौर एक बेटे को जनम देती है। ठाकूर, प्यारु, राजू को जेल में मिलने के लिय जब दर्शन अपनी पत्नी तथा ठाकूर की पत्नी को लेकर जाता है तब दर्शन, ठाकूर से कहता है, “जब से जसवंतकौर के घर लड़का हुआ है, बापू ने जिंद—जान बिलकुल ही छोड़ दी है।”⁷

इन बातों के माध्यम से हमे इस दुश्मनी के बारे में यह समझ में आता है कि इन लोगों में एक—दुसरे के प्रति दुश्मनी के भाव इतने कुट—कुटकर भरे हैं कि यह स्वयं खत्म हो जायेंगे लेकिन अपने दुश्मन को भी नष्ट करना चाहेंगे यह भाव अत्यंत बुरे हैं। मानवतावादी विचारों को नष्ट करने की यह भावना है, जो मनुष्यता को नरक की ओर ले जानेवाली है। मानवता से भरा जीवन भी इन्हीं लोगों के कारण कुर होता नजर आ रहा है। जाट का हो या किसान का हो अपने जमीन के प्रति अधिक लगाव होना स्वाभाविक है। लेकिन एक इन्सान का दुसरे इन्सान के प्राणों का दुश्मन हो जाना यह कहा की मानवियता होगी। प्रस्तुत उपन्यास के माध्यम से लेखक पंजाब के ग्रामीण जीवन की सच्चाई को उजागर किया है। पंजाब के ग्रामीण जीवन पर पुलिस, न्याय,

आरोग्य, रिश्ते-नाते, धार्मिक इन सभी का प्रभाव इस व्यवस्थाओं में छीपी अनैतिकता, भ्रष्टाचार इन सभी के यथार्थ दर्शन लेखक ने इस उपन्यास के माध्यम से करवाये है।

संदर्भ :-

1. जगदीशचंद्र एक रचनात्मक यात्रा-सं तरसेम गुजराल, विनोद शाही, पृ. सं-84
2. कभी न छोड़े खेत- जगदीशचंद्र -पृ. सं-27
3. वही- पृ. सं-58
4. वही- पृ. सं-127
5. वही- पृ. सं-132
6. वही- पृ. सं-201
7. वही- पृ. सं-217



संगम

Impact Factor : 7.834

Website :
www.ginajournal.com

ISSN : 2321-8037

SANGAM

Vol. 14, Issue 5-6

पृष्ठ : 75-80

गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक-बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTILANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

छत्तीसगढ़ में आदिवासी राजनीति : सशक्तीकरण या उपकरणीकरण? Tribal Politics in Chhattisgarh : Empowerment or Instrumentalization?

डॉ. मन्ना राम पटेल

सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग

शासकीय एस.एन.जी. महाविद्यालय, मुंगेली, छत्तीसगढ़।

शोध सार (Abstract)

प्रस्तुत शोध पत्र छत्तीसगढ़ राज्य की जनजातीय राजनीति की गहन पड़ताल करता है। संवैधानिक दृष्टि से देखें तो पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA), वन अधिकार अधिनियम, 2006 तथा 73वें संवैधानिक संशोधन ने आदिवासी स्वशासन की नींव रखी है। दूसरी तरफ, खनन-जनित बेदखली, सुरक्षा अभियानों की आड़ में मानवीय गरिमा का हनन एवं चुनावी मंचों पर आदिवासी प्रतीकों का राजनीतिक दोहन यह संकेत देते हैं कि जनजातीय जन अभी भी सत्ता-संरचना के 'औजार' मात्र बने हुए हैं। दिसंबर 2023 से विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार चला रही भाजपा की नीतियों का समीक्षात्मक अध्ययन भी इस आलेख में प्रस्तुत किया गया है। शोध की प्रामाणिकता हेतु सरकारी सांख्यिकीय स्रोतों, स्वतंत्र शोध संस्थाओं के प्रतिवेदनो और निर्वाचन आयोग के आँकड़ों का उपयोग किया गया है।

मुख्य शब्द : जनजातीय राजनीति, PESA, अधिनियम, वन अधिकार, खनन विस्थापन, आदिवासी नेतृत्व, सशक्तीकरण, उपकरणीकरण।

1. प्रस्तावना :

मध्य भारत की हरी-भरी वादियों में बसा छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और सांस्कृतिक विविधता से संपन्न इस राज्य की लगभग एक-तिहाई आबादी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। गोंड, उरांव, हल्बा, बैगा, मुड़िया, कमार और अबूझमाड़िया जैसी दर्जनों जनजातियाँ सदियों से यहाँ की धरती को अपना घर मानती आई हैं। ये समुदाय न केवल अपनी परंपराओं, भाषाओं और प्रकृति-आधारित जीवनशैली के कारण विशिष्ट हैं, बल्कि राज्य के राजनीतिक समीकरणों को निर्धारित करने में भी इनकी केंद्रीय भूमिका है।

यहाँ का राजनीतिक इतिहास बस्तर में 1910 की भूमकाल क्रांति से लेकर आदिवासी महासभा और रामनामी आंदोलन तक, प्रतिरोध और पहचान की एक अटूट यात्रा का प्रमाण है। स्वतंत्रता के सात दशकों बाद भी यह प्रश्न अनुत्तरित है : क्या राजनीतिक सत्ता ने आदिवासी अस्मिता को पोषित किया है अथवा उसे अपने हित-साधन का माध्यम मात्र बनाया है? यही मूलभूत प्रश्न इस शोध पत्र का केंद्र बिंदु है।

इस अध्ययन में द्विआयामी विश्लेषण पद्धति अपनाई गई है – एक ओर संवैधानिक-कानूनी प्रावधानों की जमीनी प्रासंगिकता परखी गई है, तो दूसरी ओर विकास के वस्तुपरक संकेतकों, चुनावी परिणामों और क्षेत्रीय आंदोलनों के प्रमाणों के आधार पर उपकरणीकरण की परिघटना को समझने का प्रयास किया गया है।

2. जनजातीय जनसंख्या : संख्यात्मक वास्तविकता -

किसी भी नीतिगत विमर्श का आधार तथ्य होता है। छत्तीसगढ़ में जनजातीय जनसंख्या की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है :

जनगणना वर्ष	अनुसूचित जनजाति की संख्या	कुल जनसंख्या में भागीदारी
2001	66.16 लाख	31.76%
2011	78.22 लाख	30.62%
2021* (प्रक्षेपित)	लगभग 87 लाख	लगभग 31.5%

स्रोत : जनगणना 2001 एवं 2011, भारत सरकार, नीति आयोग प्रक्षेपण रिपोर्ट 2022

3. संवैधानिक एवं विधिक सशक्तीकरण : आधार और सीमाएँ -

3.1 PESA अधिनियम, 1996 - स्वशासन का वादा -

जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज की जड़ें जमाने के उद्देश्य से संसद ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 पारित किया। इसके द्वारा पाँचवीं अनुसूची में सम्मिलित क्षेत्रों की ग्रामसभाओं को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गईं – भूमि विवादों का निपटारा, लघु वनोपज पर स्वामित्व, जलस्रोतों का प्रबंधन और विकास योजनाओं की स्वीकृति। छत्तीसगढ़ के 85 विकासखंड इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, जो कुल भू-भाग का लगभग 44% है।

किंतु व्यवहार में ग्रामसभाएँ प्रायः उपेक्षित रहती हैं। खनन परियोजनाओं हेतु 'पूर्व सूचित सहमति' (Free Prior Informed Consent) लेने की बाध्यता को अनेक अवसरों पर बाधित किया गया है।

3.2 वन अधिकार अधिनियम, 2006 - हक की वापसी :

औपनिवेशिक काल से वन भूमि पर राज्य के एकाधिकार ने आदिवासियों को उनकी जीविका से काटा था। वन अधिकार अधिनियम, 2006 ने इस ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करते हुए वनवासियों को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन भूमि पर कानूनी हक दिए। छत्तीसगढ़ में इस अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति निम्नवत है :

दावे का प्रकार	प्रस्तुत दावे	मान्यता प्राप्त दावे
व्यक्तिगत वन भूमि अधिकार	5,10,827	4,12,565
सामुदायिक वन संसाधन अधिकार	47,312	38,214
सम्मिलित योग (वर्ष 2023 तक)	5,58,139	4,50,779

स्रोत : जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार – वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23

3.3 73वाँ संशोधन और विधायी आरक्षण -

छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 29 (32.2%) अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। लोकसभा की 11 सीटों में से 4 सीटें ST हेतु निर्धारित हैं। 'आदिवासी क्षेत्र विकास प्राधिकरण' (ITDA) और

‘जनजातीय उप-योजना’ (TSP) के जरिये अलग बजट का प्रावधान है, जो सिद्धांततः इन समुदायों के विकास के लिए सुरक्षित है।

4. उपकरणीकरण के आयाम : जमीनी हकीकत -

4.1 खनिज समृद्धि और आदिवासी बेदखली का विरोधाभास -

छत्तीसगढ़ की धरती कोयले, लौह अयस्क, बॉक्साइट और टिन जैसी अमूल्य खनिज संपदा से भरी पड़ी है। विडंबना यह है कि इन खनिजों के अधिकांश भंडार उन्हीं वन क्षेत्रों में हैं जहाँ आदिवासी परिवार पीढ़ियों से निवास करते आए हैं। खनन परियोजनाओं के नाम पर बड़े पैमाने पर विस्थापन ने न केवल इन परिवारों को उनकी जमीन और जंगल से अलग किया है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक जड़ों को भी उखाड़ा है।

परियोजना/भौगोलिक क्षेत्र	बेदखल परिवारों का अनुमान	आदिवासी परिवारों का हिस्सा
हसदेव अरण्य-कोयला उत्खनन क्षेत्र	10,000+	85% से अधिक
बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना	28,000+	90% से अधिक
रावघाट लौह अयस्क खनन क्षेत्र	5,000+	80% से अधिक
राज्य-स्तरीय सम्मिलित अनुमान (2000-2023)	2.5 से 3 लाख	75-80%

स्रोत : Displacement Studies Centre, भुवनेश्वरय AIUFWP प्रतिवेदन 2021; Manthan Adhyayan Kendra 2019

4.2 हसदेव अरण्य आंदोलन : प्रतिरोध का दस्तावेज -

कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर जिलों के संगम पर स्थित हसदेव अरण्य लगभग 1,70,000 हेक्टेयर में फैला एक घना वन है। यह वन भूमि हसदेव नदी का पोषण करती है और हाथियों के पारंपरिक प्रवास-मार्ग का हिस्सा है। परसा ईस्ट केते बासेन (PEKB) कोयला खदान के विस्तार के विरुद्ध यहाँ के आदिवासी ग्रामीणों ने सत्याग्रह, पद-यात्रा और अनशन के जरिये देशव्यापी ध्यान आकर्षित किया। आलोक शुक्ला और उमेश्वर सिंह आर्म्स इस आंदोलन के प्रमुख स्वर बने। इसके बावजूद राज्य सरकार ने ग्रामसभाओं की औपचारिक आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए खनन-स्वीकृति बनाए रखी - यह PESA की मूल भावना का खुला उल्लंघन है।

4.3 नक्सल संघर्ष और मानवीय गरिमा का प्रश्न -

बस्तर संभाग में दशकों से जारी वामपंथी उग्रवाद ने आदिवासी जन-जीवन को गहरी चोट पहुँचाई है। इस संघर्ष में आदिवासी युवा दो विपरीत शक्तियों के बीच पिसते रहे हैं - नक्सली संगठन उन्हें जबरन भर्ती करते हैं, तो दूसरी तरफ सुरक्षा अभियानों में भी निर्दोष ग्रामीण निशाने पर आते हैं।

वर्ष	बस्तर संभाग में वामपंथी हिंसा की घटनाएँ
2010	625
2015	390
2020	211
2023	135 (क्रमिक ह्रास)

स्रोत : गृह मंत्रालय, भारत सरकार - वार्षिक सुरक्षा समीक्षा; SATP डेटाबेस 2024

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ में कई कथित ‘फर्जी मुठभेड़’ की घटनाओं में संज्ञान लिया है। उच्चतम न्यायालय ने 2011 में ‘सलवा जुडुम’ की प्रायोजित मिलिशिया-व्यवस्था को असंवैधानिक ठहराया था,

जिसने लाखों आदिवासियों को उनके घरों से उजाड़ा था।

5. चुनावी अखाड़े में आदिवासी मतदाता -

छत्तीसगढ़ की विधानसभा में आरक्षित 29 जनजातीय सीटें यह तय करती हैं कि राज्य की बागडोर किसके हाथ जाएगी। पिछले चार विधानसभा चुनावों में इन सीटों पर दोनों प्रमुख दलों का बदलता प्रदर्शन नीचे तालिका में देखा जा सकता है :

चुनाव वर्ष	ST आरक्षित सीटें (कुल)	भाजपा को प्राप्त	कांग्रेस को प्राप्त
2008	29	17	9
2013	29	15	12
2018	29	2	26
2023	29	19	10

स्रोत : निर्वाचन आयोग, भारत सरकार; ECI Statistical Report 2023

इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि आदिवासी मत एकजुट नहीं हैं, बल्कि चुनाव-दर-चुनाव परिस्थितियों और नेतृत्व की छवि के अनुसार बदलते हैं। 2018 में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने 'न्याय योजना' और भूपेन्द्र बघेल के जन-संपर्क से आदिवासी जन-समर्थन हासिल किया था। 2023 में भाजपा ने जनजातीय मूल के नेता विष्णु देव साय को आगे रखकर इस समीकरण को बदल दिया।

6. विकास संकेतकों का दर्पण : क्या बदला है?

संख्याएँ कभी झूठ नहीं बोलतीं। नीचे दी गई तुलनात्मक तालिका बताती है कि तमाम योजनाओं और आश्वासनों के बावजूद जनजातीय समुदाय राज्य के औसत से कितनी दूरी पर खड़ा है :

मानव विकास संकेतक	ST समुदाय (छत्तीसगढ़)	राज्य का समग्र औसत
साक्षरता दर (2011)	59.1%	70.3%
शिशु मृत्यु दर — IMR (2020)	56 प्रति हजार	44 प्रति हजार
5 वर्ष से कम बच्चों में कुपोषण(2021)	42.8%	33.4%
ग्रामीण विद्युतीकरण (2022)	82%	96%
गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या (BPL, 2021)	लगभग 48%	लगभग 29%

स्रोत : NFHS-5 (2019-21), जनगणना 2011, IIPS प्रतिवेदन, SECC 2011; नीति आयोग SDG India Index 2023

साक्षरता में 11 प्रतिशत अंकों का, शिशु मृत्यु में 12 प्रति हजार का, कुपोषण में 9 प्रतिशत अंकों का और BPL में लगभग 19 प्रतिशत अंकों का यह अंतर मात्र सांख्यिकीय तथ्य नहीं है — यह उन लाखों परिवारों की अधूरी उम्मीदों का आँकड़ा है जिन्हें चुनाव-दर-चुनाव 'विकास' के वादे सुनाए जाते हैं।

7. विष्णु देव साय नेतृत्व (2023-2024) : एक समीक्षा

दिसंबर 2023 में भाजपा ने जनजातीय समुदाय के वरिष्ठ नेता विष्णु देव साय को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी — यह छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार था जब कोई आदिवासी नेता इस पद पर आसीन हुआ। इस निर्णय को एक ओर आदिवासी सशक्तीकरण का प्रतीक बताया गया, वहीं दूसरी ओर इसे 2024 के लोकसभा

चुनावों से पूर्व की चतुर राजनीतिक चाल भी माना गया।

सरकार की उल्लेखनीय पहलों में 'महतारी वंदन योजना' (महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता), 'प्रधानमंत्री जनमन योजना' (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों — PVTG — हेतु आधारभूत सुविधाएँ) तथा 'वनधन विकास केंद्र' (लघु वनोपज प्रसंस्करण) प्रमुख हैं। ये योजनाएँ निश्चित रूप से लाभकारी हैं।

परंतु आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो हसदेव अरण्य में खनन-अनुमति का बने रहना, ग्रामसभाओं को PESA के तहत वास्तविक निर्णय-अधिकार न मिलना और वन क्षेत्रों में कॉर्पोरेट निवेश का बढ़ता दायरा यह सिद्ध करता है कि 'आदिवासी चेहरे' का उपयोग राजनीतिक वैधता के लिए हो रहा है, न कि नीतिगत परिवर्तन के लिए। सशक्तीकरण और उपकरणीकरण के बीच की इस पतली रेखा को पहचानना ही इस शोध का मूल संदेश है।

8. निष्कर्ष :

छत्तीसगढ़ की आदिवासी राजनीति एकरैखिक नहीं है। यह एक जटिल, बहुस्तरीय और गतिशील प्रक्रिया है जिसमें संवैधानिक अधिकार और जमीनी वंचना दोनों एक साथ मौजूद हैं। PESA और वन अधिकार अधिनियम जैसे कानून आदिवासी स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण साधन हैं, परंतु उनका क्रियान्वयन राज्य की इच्छाशक्ति और कॉर्पोरेट हितों के बीच फँसा हुआ है।

चुनावी राजनीति में आदिवासी 'निर्णायक मतदाता' की भूमिका निभाते हैं, किंतु सत्ता में आने के बाद नीतियाँ प्रायः उनके मूल हितों की बजाय बाजार और राजनीतिक दलों की जरूरतों से निर्देशित होती हैं। विष्णु देव साय का मुख्यमंत्री बनना एक सकारात्मक संकेत है, किंतु यह परिवर्तन तब तक अर्थपूर्ण नहीं होगा जब तक ग्रामसभाओं को वास्तविक शक्ति नहीं मिलती, विस्थापितों का सम्मानजनक पुनर्वास नहीं होता और विकास की परिभाषा आदिवासी जीवन-मूल्यों के अनुरूप नहीं बनती।

संक्षेप में, छत्तीसगढ़ को 'जनजातीय न्याय' की एक ऐसी समेकित नीति की दरकार है जो आर्थिक विकास और सांस्कृतिक अस्मिता — दोनों को एक साथ सम्मान दे। आदिवासी राजनीति का भविष्य इस प्रश्न के उत्तर में निहित है कि क्या राज्य उन्हें 'नागरिक' मानता है या 'संसाधन'।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. दुबे, एस.सी. (1977). भारत के आदिवासी. नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली।
2. सिंह, के.एस. (1985). जनजातीय समाज एवं राज्य. मित्तल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
3. झा, एन. (2002). छत्तीसगढ़ का आदिवासी जीवन. विश्वविद्यालय प्रकाशन, रायपुर।
4. सोनवाणी, संजय (2011). छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ : संस्कृति और राजनीति. मेधा बुक्स, नई दिल्ली।
5. त्रिपाठी, ए.के. (2016). आदिवासी स्वशासन और PESA अधिनियम. रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।
6. शर्मा, बी.डी. (1991). पाँचवीं और छठी अनुसूची : क्रियान्वयन की चुनौतियाँ. भारत सरकार प्रकाशन, नई दिल्ली।
7. आचार्य, पूनम (2018). बस्तर में नक्सलवाद और आदिवासी अस्मिता. राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली।
8. Xaxa, V. (1999). Tribes as Indigenous People of India. Economic and Political Weekly, Vol.

34(51), pp. 3589–3595.

9. Sundar, N. (2007). *Subalterns and Sovereigns : An Anthropological History of Bastar*. Oxford University Press, New Delhi.
10. Padel, F. & Das, S. (2010). *Out of This Earth : East India Adivasis and the Aluminium Cartel*. Orient BlackSwan, New Delhi.
11. Ministry of Tribal Affairs (2023). *Annual Report 2022–23*. Government of India, New Delhi.
12. NFHS-5 (2021). *National Family Health Survey — Chhattisgarh State Factsheet*. IIPS, Mumbai.
13. निर्वाचन आयोग भारत (2024). *विधानसभा चुनाव परिणाम 2023 – छत्तीसगढ़- ECI, नई दिल्ली*।
14. Manthan Adhyayan Kendra (2019). *Hasdeo Arand : The Forests, Rivers and People at Risk*. Badwani, Madhya Pradesh.
15. SATP (2024). *South Asia Terrorism Portal — Chhattisgarh Violence Data*. www.satp.org
16. नीति आयोग (2023). *SDG India Index 2023 — State Report : Chhattisgarh*. NITI Aayog, New Delhi.
17. छत्तीसगढ़ शासन (2022). *जनजातीय विकास विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2021–22*. रायपुर।
18. Bijoy, C.R. (2008). *Forest Rights Struggle : The Adivasi Now and Future*. Yojana, August 2008, pp. 44–48.

डॉ. मन्ना राम पटेल

सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग

शासकीय एस.एन.जी. महाविद्यालय, मुंगेली, छत्तीसगढ़।

मो. 9109070927

mannapatel525@gmail.com



संगम

Impact Factor : 7.834

Website :
www.ginajournal.com

ISSN : 2321-8037

SANGAM

Vol. 14, Issue 5-6

पृष्ठ : 81-85

गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक-बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTILANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

EFFECTIVE COMMUNICATION A TOOL TO PERSONALITY DEVELOPMENT

Dr. J. SAJITHA, Assistant Professor & Head- Department of Other languages

Dr. R. REKHA, Assistant Professor, Department of BBA

Dr. P. VIDHYA, Assistant Professor, Head-BCOM CS

Abstract :

Effective communication plays a vital role in shaping an individual's personality and overall personal development. It enhances self-confidence, interpersonal relationships, leadership qualities, emotional intelligence, and professional success. Communication skills, including verbal, non-verbal, written, and listening skills, help individuals express their ideas clearly and build positive social interactions. This paper explores the significance of effective communication as a tool for personality development, highlighting its impact on confidence, behavior, career growth, and social adaptability. The study also reviews relevant literature that emphasizes the relationship between communication competence and personality enhancement. The paper concludes that effective communication is essential for holistic personality development in academic, professional, and social contexts.

Keywords :

Effective Communication, Personality Development, Communication Skills, Self-confidence, Interpersonal Skills, Leadership, Emotional Intelligence.

Introduction :

Personality development refers to the process of improving one's behavior, attitude, communication style, confidence, and interpersonal abilities. Among the various factors influencing personality development, communication plays a central role. Effective communication enables individuals to share ideas, express emotions, resolve conflicts, and create meaningful relationships. In the modern world, communication skills are considered essential for academic excellence, career success, and social acceptance. A person with strong communication abilities is often perceived as confident, intelligent, and approachable. Therefore, effective communication acts as a powerful tool

in enhancing personality and improving overall personal and professional growth.

Meaning of Effective Communication :

Effective communication is the process of exchanging information, ideas, thoughts, and feelings in a clear, understandable, and meaningful manner. It involves speaking, listening, reading, writing, body language, facial expressions, and emotional understanding.

The main components of effective communication include :

- Clarity
- Confidence
- Active listening
- Appropriate body language
- Empathy
- Feedback

Effective Communication and Personality Development

1. Builds Self-confidence :

Communication skills increase self-confidence by helping individuals express their ideas without fear. Public speaking, group discussions, and presentations improve confidence levels and reduce anxiety.

2. Enhances Interpersonal Relationships :

Effective communication strengthens relationships with family, friends, teachers, colleagues, and society. Good communication creates trust, understanding, and emotional connection.

3. Develops Leadership Qualities :

Leaders require strong communication skills to motivate, guide, and influence others. Effective communication helps individuals become better decision-makers and team leaders.

4. Improves Professional Success :

In professional environments, communication skills are highly valued. Job interviews, workplace interactions, presentations, and teamwork depend greatly on communication competence.

5. Promotes Emotional Intelligence :

Communication encourages empathy, patience, and emotional understanding. It helps individuals manage emotions and respond positively to others.

6. Encourages Positive Body Language :

Non-verbal communication such as eye contact, posture, gestures, and facial expressions contributes significantly to personality development.

7. Helps in Conflict Resolution :

Effective communication reduces misunderstandings and helps individuals solve problems peacefully through discussion and mutual understanding.



Parameters to be noticed in Communication for Personality Development :

- **Verbal Communication :**
The use of spoken words to share ideas and information effectively.
- **Non-verbal Communication :**
Communication through gestures, expressions, posture, and eye contact.
- **Written Communication :**
Sharing information through writing such as emails, letters, reports, and messages.
- **Listening Skills :**
Active listening improves understanding and strengthens relationships.

Barriers to Effective Communication :

Some common barriers affecting communication include :

- Lack of confidence
- Fear of speaking
- Poor listening habits
- Language barriers
- Emotional disturbances
- Lack of clarity

Strategies to Improve Communication Skills :

- Practice public speaking
- Participate in group discussions
- Improve vocabulary
- Maintain eye contact
- Become an active listener
- Read books and articles regularly

- Observe positive communicators
- Develop emotional control

Conclusion :

Effective communication is an essential tool for personality development. It shapes confidence, emotional intelligence, leadership qualities, and social relationships. Individuals with strong communication skills are more likely to succeed in academic, personal, and professional life. Communication not only improves self-expression but also enhances listening, empathy, and teamwork. Therefore, developing effective communication skills is necessary for achieving holistic personality growth and becoming a successful individual in society.

Review of Literature :

- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. New York, NY: Freeman. Bandura explains that communication confidence increases self-efficacy, which directly contributes to personality development and social interaction.
- Goleman, D. (1995). *Emotional intelligence*. New York, NY: Bantam Books. Goleman highlights that emotional intelligence and communication skills together improve interpersonal relationships and personality growth.
- Carnegie, D. (1936). *How to win friends and influence people*. New York, NY: Simon & Schuster. This work emphasizes the importance of communication in building relationships, confidence, and positive personality traits.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). *Organizational behavior* (15th ed.). Boston, MA: Pearson. The authors discuss how communication skills influence workplace behavior, leadership, and professional personality.
- Covey, S. R. (1989). *The seven habits of highly effective people*. New York, NY: Free Press. Covey stresses empathetic communication and listening as key elements for effective personality development. Covey stresses empathetic communication and listening as key elements for effective personality development.
- Hargie, O. (2011). *Skilled interpersonal communication: Research, theory and practice* (5th ed.). London, England: Routledge. The book explores communication as a learned skill that shapes behavior, confidence, and social competence.
- Adler, R. B., & Proctor, R. F. (2014). *Looking out, looking in* (14th ed.). Boston, MA: Wadsworth. The authors explain the relationship between self-awareness, communication, and personality improvement.
- Pease, A., & Pease, B. (2004). *The definitive book of body language*. New York, NY: Bantam

Books. This book explains how body language contributes to communication effectiveness and personality impression.

- McCroskey, J. C. (2009). Communication apprehension: What have we learned in the last four decades. *Human Communication, 12*(2), 179–187. The study discusses fear of communication and methods to improve speaking confidence and personality.
- DeVito, J. A. (2015). *The interpersonal communication book* (14th ed.). Boston, MA: Pearson. DeVito explains how interpersonal communication skills support personal growth, confidence, and relationship building.



संगम

Impact Factor : 7.834

Website :
www.ginajournal.com

ISSN : 2321-8037

SANGAM

Vol. 14, Issue 5-6

पृष्ठ : 86-88

गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक-बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTILANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

ओमप्रकाश वाल्मीकि और शरण कुमार लिम्बाले के कथा साहित्य में दलित चेतना

रीतू साकेत

शोधार्थी हिन्दी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

डॉ. प्रदीप विश्वकर्मा

सहायक प्राध्यापक हिन्दी, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह, महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांश -

दलित साहित्य भारतीय साहित्य की वह सशक्त धारा है, जिसने हाशिये पर धकेले गए समाज के यथार्थ, संघर्ष और चेतना को मुखर अभिव्यक्ति प्रदान की है। ओमप्रकाश वाल्मीकि और शरण कुमार लिम्बाले इस साहित्यिक आंदोलन के दो ऐसे महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, जिन्होंने अपने कथा साहित्य के माध्यम से दलित जीवन की पीड़ा, अपमान, शोषण और प्रतिरोध को अनुभवजन्य यथार्थ के आधार पर प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य इन दोनों लेखकों के कथा साहित्य में निहित दलित चेतना का तुलनात्मक अध्ययन करना है। वाल्मीकि का कथा साहित्य उत्तर भारतीय सामाजिक संरचना में व्याप्त जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता और संस्थागत अन्याय को उजागर करता है, जबकि लिम्बाले का कथा संसार महाराष्ट्र की दलित चेतना को आत्मकथात्मक तीव्रता और वैचारिक स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त करता है। दोनों रचनाकारों की कथाओं में दलित चेतना केवल पीड़ा का बयान नहीं है, बल्कि वह सामाजिक परिवर्तन, आत्मसम्मान और प्रतिरोध की चेतना के रूप में उभरती है। यह शोध पत्र इस तथ्य को रेखांकित करता है कि दलित चेतना किसी एक भू-भाग या अनुभव तक सीमित न होकर अखिल भारतीय सामाजिक यथार्थ से जुड़ी हुई है। वाल्मीकि और लिम्बाले की कथाएँ दलित समाज को आत्मबोध प्रदान करने के साथ-साथ मुख्यधारा समाज को आत्मालोचन के लिए विवश करती हैं। इस प्रकार, यह अध्ययन दलित साहित्य की वैचारिक प्रासंगिकता और सामाजिक भूमिका को समझने में सहायक सिद्ध होता है।

मुख्य शब्द - दलित चेतना, कथासाहित्य, जाति-व्यवस्था, सामाजिक यथार्थ, प्रतिरोध, आत्मसम्मान।

प्रस्तावना -

स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय समाज में सामाजिक समानता और न्याय की अवधारणा को संवैधानिक मान्यता मिली, किंतु व्यवहारिक स्तर पर जाति-आधारित भेदभाव और सामाजिक विषमता बनी रही। इसी सामाजिक पृष्ठभूमि में दलित साहित्य का उद्भव हुआ, जिसने साहित्य को अभिजन वर्ग की सीमाओं से बाहर

निकालकर शोषित और वंचित समाज की आवाज बनाया। दलित साहित्य केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति न होकर एक सामाजिक आंदोलन के रूप में विकसित हुआ, जिसका केंद्रीय तत्व 'दलित चेतना' है। दलित चेतना से आशय उस वैचारिक और सामाजिक जागरूकता से है, जो दलित समाज को अपने शोषण के कारणों को समझने, उनके विरुद्ध प्रतिरोध करने और आत्मसम्मान के साथ जीने की प्रेरणा देती है। इस चेतना की साहित्यिक अभिव्यक्ति कथा साहित्य में विशेष रूप से सशक्त दिखाई देती है, क्योंकि कथा समाज के यथार्थ को प्रत्यक्ष और संवेदनात्मक रूप में प्रस्तुत करती है।

ओमप्रकाश वाल्मीकि और शरण कुमार लिम्बाले दलित कथा साहित्य के ऐसे रचनाकार हैं, जिनकी रचनाएँ आत्मानुभव पर आधारित हैं। वाल्मीकि का कथा साहित्य उत्तर भारत के ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी समाज में व्याप्त जातिगत उत्पीड़न को उजागर करता है। उनकी कथाओं में दलित जीवन का यथार्थ किसी सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और प्रतिरोध की चेतना के साथ प्रस्तुत होता है।

दूसरी ओर शरण कुमार लिम्बाले का कथा साहित्य महाराष्ट्र की दलित चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। लिम्बाले की कथाओं में अंबेडकरवादी विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, जहाँ दलित चेतना आत्मकथात्मक अनुभवों के माध्यम से वैचारिक रूप ग्रहण करती है। उनके पात्र सामाजिक अन्याय को स्वीकार नहीं करते, बल्कि उसे चुनौती देते हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र में इन दोनों लेखकों के कथा साहित्य का अध्ययन इस दृष्टि से किया गया है कि किस प्रकार उनकी रचनाओं में दलित चेतना सामाजिक यथार्थ, संघर्ष और प्रतिरोध के रूप में अभिव्यक्त होती है। यह अध्ययन न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक चेतना के विकास की प्रक्रिया को समझने में भी सहायक है।

विश्लेषण -

ओमप्रकाश वाल्मीकि के कथा साहित्य में दलित चेतना सामाजिक यथार्थ की कठोर सच्चाइयों से उत्पन्न होती है। उनकी कहानियों में दलित जीवन की पीड़ा, अपमान और संघर्ष को बिना किसी अलंकरण के प्रस्तुत किया गया है। वाल्मीकि की कथाएँ जाति-व्यवस्था की अमानवीयता को उजागर करती हैं, जहाँ दलित व्यक्ति को केवल उसकी जाति के कारण सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।

वाल्मीकि की दलित चेतना अनुभवजन्य है। उनके पात्र अपने शोषण को पहचानते हैं और उसके विरुद्ध प्रतिरोध की भावना विकसित करते हैं। यह चेतना केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सामूहिक सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा को जन्म देती है। उनकी कथाओं में शिक्षा, चेतना और आत्मसम्मान को मुक्ति के साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

शरण कुमार लिम्बाले के कथा साहित्य में दलित चेतना अधिक वैचारिक और आत्मकथात्मक स्वरूप ग्रहण करती है। लिम्बाले की रचनाओं में दलित जीवन का यथार्थ केवल पीड़ा का दस्तावेज नहीं है, बल्कि वह सामाजिक संरचना पर तीखा प्रहार है। उनकी कथाओं में दलित पात्र अपनी पहचान को लेकर सजग हैं और सामाजिक अन्याय को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं।

लिम्बाले की दलित चेतना अंबेडकरवादी विचारधारा से गहराई से जुड़ी हुई है। उनकी कथाओं में शिक्षा, संगठन और संघर्ष के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा स्पष्ट रूप से उभरती है। दलित पात्र

आत्मग्लानि से मुक्त होकर आत्मसम्मान के साथ जीने की आकांक्षा रखते हैं।

यदि दोनों लेखकों की तुलना की जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि वाल्मीकि की दलित चेतना सामाजिक यथार्थ की पीड़ा से जन्म लेती है, जबकि लिम्बाले की चेतना वैचारिक स्पष्टता और आत्मबोध से सशक्त होती है। दोनों ही रचनाकारों की कथाएँ दलित समाज को जागरूक करने और मुख्यधारा समाज को आत्ममंथन के लिए विवश करती हैं। इस प्रकार, इनके कथा साहित्य में दलित चेतना सामाजिक परिवर्तन की सशक्त आवाज बनकर उभरती है।

निष्कर्ष :-

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ओमप्रकाश वाल्मीकि और शरण कुमार लिम्बाले के कथा साहित्य में दलित चेतना एक केंद्रीय तत्व के रूप में विद्यमान है। दोनों रचनाकारों ने अपने-अपने सामाजिक और भौगोलिक संदर्भों में दलित जीवन के यथार्थ को सशक्त साहित्यिक अभिव्यक्ति प्रदान की है। वाल्मीकि की कथाओं में दलित चेतना सामाजिक उत्पीड़न के विरुद्ध प्रतिरोध की भावना से विकसित होती है, जबकि लिम्बाले की कथाओं में यह चेतना वैचारिक स्पष्टता और आत्मसम्मान की आकांक्षा के रूप में प्रकट होती है। दोनों की कथाएँ यह सिद्ध करती हैं कि दलित चेतना केवल पीड़ा की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की प्रेरक शक्ति है। इस प्रकार यह अध्ययन दलित साहित्य की सामाजिक भूमिका और वैचारिक प्रासंगिकता को रेखांकित करता है तथा यह सिद्ध करता है कि दलित कथा साहित्य भारतीय समाज में समानता, न्याय और मानवीय गरिमा की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

संदर्भ :-

1. वाल्मीकि, ओमप्रकाश. दलित साहित्य का सौंदर्यशास्त्र. राधाकृष्ण प्रकाशन, 2001.
2. वाल्मीकि, ओमप्रकाश. सफाई देवता. वाणी प्रकाशन, 1997.
3. लिम्बाले, शरण कुमार. दलित साहित्य के सौंदर्यशास्त्र की ओर. ओरिएंट ब्लैकस्वान, 2004.
4. लिम्बाले, शरण कुमार. अक्करमाशी. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2003.
5. आंबेडकर, भीमराव रामजी. जाति का विनाश. वर्सो प्रकाशन, 2014.
6. डांगले, अर्जुन (सम्पादक). विषाक्त रोटी. ओरिएंट ब्लैकस्वान, 1992.
7. जेलियट, एलेनॉर. अछूत से दलित तक. मनोहर प्रकाशन, 1996.
8. कुमार, राज. दलित साहित्य और आलोचना. ओरिएंट ब्लैकस्वान, 2010.
9. गुरु, गोपाल. "दलित सांस्कृतिक आंदोलन." इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 30, अंक 14, 1995.
10. मुखर्जी, आलोक. दलित साहित्य : समाज और चेतना. वाणी प्रकाशन, 2008.



हिन्दी सिनेमा का कलात्मक स्वरूप

डॉ. प्रकाश नारायण सिंह चौहान

सहायक प्राध्यापक, हिन्दी

कमला स्मृति महाविद्यालय सीधी (म.प्र.)

शोधसार :

सिनेमा का कलात्मक स्वरूप कई आयामों में फैला हुआ है, जो इसे एक समग्र और समृद्ध कला रूप बनाता है। यह न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि समाज की धारणाओं, मूल्यों, और संघर्षों का एक सशक्त प्रतिनिधित्व भी है। सिनेमा का प्रभाव उसके कलात्मक तत्वों की गहराई और उनके समन्वय में निहित है, जो दर्शकों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। इस प्रकार, सिनेमा एक जीवन्त कला है जो समाज, संस्कृति, और मानव अनुभव को छूने की क्षमता रखती है।

भारतीय सिनेमा के इतिहास से यह मालूम होता है कि, यह किस तरह दिन-प्रतिदिन हिंदी सिनेमा के स्वरूप में बदलाव होता रहा है। जब हम किसी विषय का अध्ययन करने के बाद उसी को दूसरे विषय के माध्यम से देखते हैं, तो उसका अलग-अलग अर्थ निकल कर सामने आता है। उसका तार्किक रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि किसी भी विषय को एकांगी दृष्टिकोण बनाकर हम नहीं देख सकते हैं। इसलिए विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण भी हो सकते हैं। या यों कहें कि लोगों का अलग-अलग देखने का नजरिया हो सकता है। हिंदी सिनेमा में यही दृष्टिकोण देखने को मिलता है।

भारतीय सिनेमा पर पश्चिमी सिनेमा का प्रभाव हमें जबरदस्त रूप में देखने को मिलता है, अगर हिंदी सिनेमा के अतीत या इतिहास को देखना है तो हमें उसकी सहानुभूति एवं सम्मान के नजरिए से देखना होगा। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि उस समय भारत की समाज व्यवस्था कुछ ठीक नजर नहीं आती है। उस समय में भारतीय समाज में राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता, नारी शिक्षा, विधवा विवाह, मानवीय मूल्यों एवं सामाजिक-सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के आंदोलन का दौर चल रहा था। उस समय हमें देखने को मिलता है कि हिंदी सिनेमा की शुरुआत बीसवीं सदी से ही देखने को मिलती है क्योंकि इस समय देश की स्थिति आर्थिक रूप से ठीक नहीं थी। अंग्रेजों एवं भारतीयों में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिलती है। उस समय भारत में रानी विक्टोरिया के प्रतिनिधित्व में लॉर्ड एलिगन का शासन कार्य उसी के देख-रेख में चल रहा था।

भारत में अंग्रेज अपनी विरासत को संजोए रखने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते रहते थे। उसमें से सिनेमा भी एक माध्यम था। अंग्रेज अपनी हर ताकत का इस्तेमाल बखूबी तरीके से करते थे। चाहे वह हथकंडे कितने भी बुरे क्यों न हों। भारतीय समाज में भय, शोषण, अत्याचार दिन-प्रतिदिन अंग्रेजों के लिए आम बात हो

चुकी थी। उन्होंने शिक्षा, कला, धर्म आदि को अपना मूल हथियार के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया था। अब सिनेमा पर हिंदी, उर्दू, बंगला और मराठी संस्कृति का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। हिंदी सिनेमा ने भारतीय समाज की समस्याओं को लोगों के सामने लाना शुरू कर दिया था। जैसे— देवदास (1955) और अछूत कन्या (1936) भारतीय सिनेमा की उभरती हुई पहचान बन चुकी थी। देवदास फिल्म हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म पर प्रसिद्ध बंगला फिल्मकार ऋत्विक् घटक का मानना था कि— ‘देवदास एक तरह का धिनौना चरित्र है वह डरपोक है जबकि पारो की कथा एक नारी के साहस की कथा है।’ एक ऐसी नारी जो खुद अपनी जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाना जानती थी। दरअसल देवदास की कहानी पारो की ही कहानी है।

सिनेमा में किसी व्यक्ति विशेष को केंद्र में रखकर पुरानी व्यथा, भ्रष्टाचार, नारी शोषण, किसान, मजदूर तथा आदिवासी पर हो रहे जुल्मों को दिखाया जा रहा है, जो आज भी व्याप्त है। इसलिए भारतीय सिनेमा अभी तक वहीं तक सिमटी नजर आती है। जबकि आजादी के बाद उनके मूल्यों एवं आदर्शों तथा जीवन मूल्यों तथा आवाम को मुख्य केंद्र में रखा है।

आजादी के बाद 1960 से 1970 के दशक की फिल्मों को अगर हम देखें तो भारतीय समाज ने जो भविष्य के सपनों को सँजोया था। वह भारत के आजाद हो जाने के बाद भी भारतीय जनमानस का आजादी के नाम पर लोगों का मोह भंग हो चुका था। यह प्रभाव हमें सिनेमा पर भी देखने को मिलता है। अब जो फिल्में बनाई जा रही थीं, वह बिल्कुल अलग—थलग रूप में देखने को मिलती हैं जो नकारात्मक विचार लेकर आईं। फिल्म की जो कथावस्तु लिखी गई उसमें निराशा, असंतोष और आत्मपीड़ा अधिक दिखाई पड़ने लगती है। जैसे जंगली, बीस साल बाद, निशाना, राज, सपनों का सौदागर, मेरा नाम जोकर, जॉनी मेरा नाम, गाइड, शोले और दीवार आदि फिल्में इस दशक की बेहतरीन फिल्में थीं। अगर हम दर्शकों को तमाम प्रकार की फिल्में दीं, जो एक प्रकार से समाज की रूढ़ियों को तोड़ती हैं। समाज को नई विचारधारा एवं नई सोच प्रदान करती हैं।

1913 में जो फिल्में मूल रूप में ऐतिहासिक होती थीं उन्हीं को हम 1950 में रंगीन सिनेमा की शुरुआत के रूप में देख सकते हैं, जो प्रेम के ऊपर अधिक निर्मित की गई थीं। जैसे— लैला, मजनू, हीर—रांझा, सोनी—महिवाल, शीरीं—फरहाद आदि फिल्मों ने अपने दौर के दर्शकों में खूब लोकप्रियता बटोरी। वही 1960—1970 के दशक में आत्मपीड़ा को दर्शाने की पूरी कोशिश की गई। हिंसा, सामाजिक उत्पीड़न, राजनीति को केंद्र में रखते हुए फिल्म निर्देशकों का ध्यान जनता की तरफ आकर्षित हुआ। मानवता के उन रिश्तों को बहुत गहराई से फिल्म निर्देशकों ने दिखाने की कोशिश की।

प्रहलाद अग्रवाल ने अपने सिनेमा विवेचन प्रसंग में यह उल्लेख किया है कि, उन्नीसवीं सदी में भारतीय सिनेमा में सभ्यता और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ही फिल्म बनाई गयीं। लेकिन आज के सिनेमा में मर्यादा को ताक पर रखकर जमीनी हकीकत को न दिखाकर मिर्च मसाले से युक्त फिल्में बनाई जाने लगी थीं। समाज में उन तमाम प्रकार की चुप्पी, दबी कुरीतियों को फिल्मों के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। आज की फिल्मों में समाज की सारी स्त्रियाँ समाज के सारे बंधनों को तोड़ती नजर आ रही हैं और पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलना जानती हैं।²

बीसवीं सदी में फिल्माये जा रहे सिनेमा में जीवन संघर्ष करते हुए खुद समाज में अपनी जगह और लोगों

के दिलों में भी जगह बनाई है। लोगों ने इनके संघर्ष को अपने जीवन के संघर्ष के साथ जोड़कर अपने आपको खुद ही गौरवान्वित महसूस किया। स्त्रियों के मनोभावों पर बनी फिल्में क्वीन, पिक, और पार्चर्ड उनके जीवन के संघर्ष को दर्शाती हैं और समाज को एक अलग सोच रखने का नजरिया प्रदान करती हैं और इस पुरुष प्रधान समाज को आईना दिखाने का कार्य करती हैं।³

समुच्चे हिंदी सिनेमा पर एक बिल्कुल नई पीढ़ी कब्जा कर चुकी है। बेशक करण जौहर इसके अगुआ हैं। बॉलीवुड की सबसे हॉट प्रापर्टी शाहरुख से उनका चोली दामन का रिश्ता है। अमिताभ—जया बच्चन, काजोल, रानी, रितिक, करीना जैसे सबसे बड़े सितारे उनके मुरीद हैं। यश चोपड़ा कैप का वरदहस्त भी उन्हें प्राप्त है। यश चोपड़ा के सुपुत्र आदित्य चोपड़ा लगभग हम उम्र होते हुए भी करण के गुरु ही ठहरे। आदित्य की दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे जिसने 500 सप्ताह एक सिनेमा घर में लगातार चलकर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए में करण उनके सहायक थे। आदित्य ने खुद भले ही अब तक महज एक ही फिल्म का निर्देशन किया है। किंतु नेपथ्य में खड़े होकर यशराज फिल्मस के अंतर्गत अपने अनेक नौजवान सहयोगियों को निर्देशन के अवसर देकर धूम, हम—तुम, बंटी और बबली आदि फिल्मों के द्वारा फिल्म व्यवसाय पर अपनी गहरी पकड़ बना रखी है।⁴

सूरज ने ही हिंदी सिनेमा को वह नई रोशनी दी जिसने सिनेमा से मुंह मोड़ते पारिवारिक दर्शकों को फिर एक बार थियेटर्स की ओर लौटने के लिए मजबूर किया। लिबर्टी सिनेमा के रूपांतरण और सिनेमा टिकटों के दाम सौ रुपयों तक ले जाने का काम करके सूरज ने सिने व्यवसाय को एक नई दृष्टि दी। आज का नया मल्टीप्लैक्स सिनेमा उसी के दृष्टिकोण का विस्तार है।

इसी दौर में महेश भट्ट एक ऐसे फिल्मकार हैं जो नई पीढ़ी के साथ जुड़कर अपने निरीक्षण में अपने शिष्य मंडली से रोग, पाप, जिस्म, मर्डर का अंबार लगा रहे हैं और कम लागत, मधुर संगीत, इरॉटिक सेंसुअसनेस और नई ग्लैमर बालाओं के मिश्रण से सफलता की नई परिभाषा लिख रहे हैं। याद रखना चाहिए कि ये वही महेश भट्ट हैं जिन्होंने सारांश, अर्थ, नाम और सड़क जैसी फिल्में हिंदी सिनेमा को दी हैं। आज वे ही महेश भट्ट ज्ञान की बातें करते हुए अज्ञानियों के मौज—मजे का सामान अपनी शिष्यमंडली के जरिए मुहैया करा रहे हैं।⁵

आज एक पूरी जमात शहरी युवा और ओवरसीज के लिए नारी देह और हिंसक क्रूरता के सम्मिश्रण से फिल्में बना रही है जिनका किसी सामाजिक सरोकार से कतई कोई लेना देना नहीं है। 2004 में हिंदी में लगभग 170 फिल्में प्रदर्शित हुईं। इनके निर्माण में लगभग 700 करोड़ रुपयों की लागत आई। इन 700 करोड़ में से 450 करोड़ मात्र 25 फिल्मों और 100 करोड़ 10 फिल्मों के निर्माण में लगे। इनके अतिरिक्त 100 करोड़ रुपयों में 2 से 4 करोड़ लागत की 35 अन्य फिल्मों का निर्माण हुआ। यानी 170 फिल्मों में से कुल 70 फिल्मों के निर्माण में 700 करोड़ में 650 करोड़ रुपये व्यय हुए और शेष 50 करोड़ रुपयों में 100 से अधिक फिल्मों का निर्माण हुआ।⁷

प्रहलाद अग्रवाल के अनुसार, ऐसी चन्द फिल्मों के सिर्फ नाम भर मुलाहिजा फरमा लीजिए — प्यासी भूतनी, रातों, तड़पता हुस्न, काम किया, चढ़ती जवानी, जूली की जवानी, गोरी खोल दरवाजा, पतली कमर लंबे बाल, उफ् मिरगी आदि—आदि। ठीक हरि अनंत हरिकथा अनंता की तरह। ये ऐसी कोई सौ फिल्मों में से चंद नाम हैं जो 2004 में ही बनी हैं। 25 से 60 लाख की लागत में बनने वाली इन फिल्मों की बाजार आम फिल्म व्यवसाय से बिल्कुल अलग है।

सिनेमा का कलात्मक स्वरूप विवेच्य विषय के प्रसंग में लेखक प्रहलाद अग्रवाल का अभिमत है कि दरअसल वह समांतर सिनेमा या कला सिनेमा, जिसकी अनेक कृतियाँ आज हमारी विरासत हैं, वह बाजार को नहीं समझने की जिद या बेवकूफी का शिकार हो गया। सिर्फ इतनी-सी समझ के बूते आज हिंदी सिनेमा का कम-से-कम आधा बाजार ऐसी ही जेड ग्रेड फिल्मों के हवाले है जिनका जिक्र ऊपर किया गया है। आज तकनीकी विकास ने फिल्म निर्माण की प्रक्रिया को इतना आसान कर दिया है कि नई प्रयोगशीलता तरह-तरह के प्रयोग कर सकती है। एक करोड़ की लागत में एक खूबसूरत फिल्म बनाई जा सकती है और व्यावसायिक चातुर्य से दर्शकों तक पहुंचाई जा सकती है। 'पेज 3' और 'ब्लैक' ने यह एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब कोई निर्देशक दिल और दिमाग की सच्ची कोशिश से कोई फिल्म बनाता है तो वह दर्शकों तक जरूर पहुंचती है। कभी-कभी गहन अभिव्यक्तियों को आत्मसात करने में अवाम तात्कालिक रूप से चूक भी कर सकता है किंतु कालांतर में ऐसी फिल्में भी स्वीकृत हुई हैं। 'तीसरी कसम' और 'मेरा नाम जोकर' अपने प्रथम प्रदर्शन पर भले असफल हुईं लेकिन आज दो पीढ़ियां लांघ कर भी लोकप्रिय हैं।⁹

'ऐ मालिक तेरे बंदे हम' जैसी प्रार्थना हिंदी सिनेमा में अपनी मिसाल आप है, इसी तरह 'संध्या' पर चित्रांकित 'सैयां झूठों का बड़ा सरताज निकला' भी रागात्मकता को देवत्व की अनुगूंज बनाने वाला गीत है। फिल्म 'गंगा जमुना' और 'जिस देश में गंगा बहती है' की कथानक में विषय के आधार पर थोड़ा-सा साम्य था। 'गंगा-जमुना' में जहाँ यथार्थवादी पुट देने की कोशिश की गयी वहीं 'जिस देश में गंगा बहती है' एक आदर्शवादी फिल्म है। राजकपूर का दृष्टिकोण सदा ही आदर्शवादी रहा है, किंतु वह यथार्थ स्थितियों से टकराता चलता है। 'जिस देश में गंगा बहती है' में यथार्थ कई परदों के पीछे छिप गया है। 'गंगा जमुना' में भी दिलीपकुमार के चमत्कारी अभिनेता व्यक्तित्व की सारी खूबियाँ निचोड़ ली गईं। 'गंगा-जमुना' भी खूब लोकप्रिय हुई थी, पर 'जिस देश में गंगा बहती है' की संरचना अधिक कसी हुई और प्रभावोत्पादक थी।

प्रहलाद अग्रवाल ने सिनेमा के कलात्मक स्वरूप पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि सुभाष कहानियाँ नहीं बदलतीं, जो कुछ बदलता है वह सिर्फ रूपाकार होता है। कहानी वही होती है सिर्फ पात्र बदल जाते हैं। जिंदगी के शाश्वत मूल्य वही होते हैं। वही प्रेम में आत्म-समर्पण होता है। वही लालच का आत्मघाती स्वरूप होता है। वे ही विकृतियाँ होती हैं जो मनुष्यता के खूबसूरत संसार को बदसूरत बनाया करती हैं और इनमें वही आदिम संघर्ष होता है जिसकी गाथा रामायण है, महाभारत है।¹⁰

देवदास तक दिलीप कुमार की छवि प्रेम में सब कुछ लुटा देने वाले नायक की बन चुकी थी। अंदाज, मेला, जोगन, दीदार, बाबुल, अमर जैसे कितने ही प्रतिमान गढ़े जा चुके थे। इन सभी फिल्मों में दिलीप कुमार के चरित्र कमोबेश त्याग की महिमा से मण्डित हैं। देवदास का दिलीप के चरित्र के महिमामण्डन को पहली बार उधेड़ती है। देवदास के व्यक्तित्व का शर्मनाक पहलू वे बिमलराय की नजर में उतरकर ही सच्चा बना पाये हैं।¹¹ अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की छवियाँ एक-दूसरे की पूरक हैं। उनकी प्रतिद्वंद्विता उनके चाहने वालों को एक नया रोमांच देती है। शाहरुख के चाहने वाले इस प्रतिद्वंद्विता में शाहरुख को इक्कीस-बाईस और उसी तरह अमिताभ के चाहने वाले उसे आगे साबित करते रहते हैं। यह इनकी लोकप्रियता के स्वाद को बढ़ाने वाली घटनायें हैं। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के जीवन का एक-एक मिनिट-मिनिट क्या, एक-एक सेकंड हजारों-लाखों के मोल का है।¹²

हिंदी सिनेमा बीसवीं से इक्कीसवीं सदी तक प्रहलाद अग्रवाल द्वारा संपादित पुस्तक है जिसमें उनके अतिरिक्त लगभग सत्तर अन्य लेखकों के आलेख सम्मिलित हैं। रॉयल आकार के 592 पृष्ठों की यह विशाल किताब वस्तुतः उनके ही द्वारा संपादित 'प्रगतिशील वसुधा' के फिल्म विशेषांक का पुस्तकाकार स्वरूप है। वसुधा का यह विशेषांक अपने प्रकाशन के चंद दिनों के बाद ही अप्राप्य हो गया था। परंतु इसकी मांग निरंतर बनी हुई थी। इस विशेषांक में आलम आरा से लेकर देव डी और गुलाल तक अर्थात् 1931 से 2009 तक बनी फिल्मों में से चुनकर लगभग 700 फिल्मों पर संक्षिप्त टिप्पणियां थी और 80 से अधिक फिल्मों पर लंबे विवेचनात्मक लेख, जिसे हिंदी के अनेकानेक ख्यातिलब्ध लेखकों, कवियों, इतिहासकारों और प्रबुद्ध दर्शकों ने लिखा था।¹³

सिनेमा उदार कला रूप है, इसमें अन्य कई कलाओं को समाहित करने की क्षमता है। सिनेमा अपनी बुनावट, संगीत, चित्र, नृत्य, मूर्ति आदि को साथ लेकर चलता है। सच यह है कि सिनेमा में अन्य कई कलाओं की प्रकृति स्वतः अनायत रूपांतरित होती रही है। प्रत्येक कला अपने आप में जितनी स्वतंत्र और पूर्ण होती है उतनी ही दूसरी कलाओं को आश्रय भी देती है। प्रहलाद अग्रवाल के अनुसार फिल्म को एक सामूहिक कला माना जाता है। यह एक ऐसा कला-कोलाज जिसमें एक ही साथ कई कलाओं का समावेश है।

सिनेमा अद्वितीय कला रूप है जो विभिन्न कलात्मक तत्वों का समन्वय करता है, जिससे यह न केवल मनोरंजन का साधन बनता है, बल्कि समाज की संस्कृति, विचारधारा और भावनाओं का सजीव चित्रण भी करता है। सिनेमा का कलात्मक स्वरूप उसके विभिन्न आयामों में देखने को मिलता है, जो इस प्रकार है – सिनेमा में कहानी कहने की विधि उसकी कलात्मकता का मूल आधार है। एक अच्छे कथानक में चरित्र, संघर्ष, और घटनाओं का विकास होता है जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है।

पटकथा लेखन में संवादों, दृश्य विन्यास, और भावनाओं का संयोजन होता है, जो फिल्म की गति और विकास को निर्धारित करता है। यह सिनेमा के लिए एक आधार प्रदान करता है। अभिनेताओं का प्रदर्शन सिनेमा के भावनात्मक प्रभाव का एक प्रमुख तत्व होता है। विभिन्न अभिनेताओं के अद्वितीय स्टाइल और अभिव्यक्तियों के माध्यम से, वे पात्रों के मनोविज्ञान और संवेदनाओं को जीवंत करते हैं। अभिनय में केवल संवाद नहीं, बल्कि शारीरिक भाषा और चेहरे के हाव-भाव भी महत्वपूर्ण होते हैं, जो पात्रों की भावनाओं को दर्शकों तक पहुँचाते हैं। सिनेमैटोग्राफी फिल्म की दृश्यता को निर्धारित करती है। इसका मतलब है कैमरे की रुख, लाइटिंग, और फ्रेमिंग, जो दृश्य के भाव और वातावरण को प्रभावित करते हैं। अच्छे सिनेमैटोग्राफर दृश्य को कला के रूप में प्रस्तुत करते हैं। रंगों का चयन और टेक्सचर का उपयोग दृश्य में गहराई और भावनात्मक प्रभाव डालने में मदद करता है।

फिल्म का संगीत, उसकी कहानी और भावनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर सीन के मूड को बढ़ाने और दर्शकों की संवेदनाओं को जागृत करने में मदद करते हैं। ध्वनि प्रभाव, संवाद, और बैकग्राउंड म्यूजिक मिलकर सिनेमा के अनुभव को समृद्ध करते हैं। सही ध्वनि संयोजन दर्शकों को फिल्म के साथ और अधिक जोड़ता है।

संवाद केवल कहानी को आगे बढ़ाने का साधन नहीं है, बल्कि यह पात्रों की पहचान और उनके मनोविज्ञान को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। अच्छे संवाद गहरे अर्थ और भावनाओं को संप्रेषित कर सकते हैं।

कला निर्देशन फिल्म के दृश्य में आवश्यक सेट और प्रॉप्स का निर्माण करता है, जो कहानी के संदर्भ में महत्वपूर्ण होते हैं। सही कला निर्देशन दृश्य को अधिक विश्वसनीय और प्रभावशाली बनाता है। सेट डिजाइन और प्रॉप्स का चयन दृश्य की समग्र कलात्मकता में योगदान देता है और दर्शकों के अनुभव को समृद्ध करता है।

निर्देशक सिनेमा का मार्गदर्शन करता है और कहानी को एक निश्चित दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। उनका दृष्टिकोण फिल्म की समग्र शैली, स्वरूप और प्रभाव को निर्धारित करता है। निर्देशक संवादों और दृश्यों के संयोजन के माध्यम से फिल्म की भावनात्मक गहराई और प्रभाव को बढ़ाता है।

संपादन फिल्म के विभिन्न दृश्यों को एक साथ जोड़ता है। यह गति, समय, और घटनाक्रम को नियंत्रित करता है। सही संपादन फिल्म की रिदम और प्रवाह को बनाए रखता है, जो दर्शकों के अनुभव को प्रभावित करता है। दृश्य परिवर्तनों का सही उपयोग फिल्म की कहानी को अधिक प्रभावशाली बनाने में मदद करता है।

सिनेमा दर्शकों को पात्रों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने का अवसर देता है। यह संवेदनाएँ, विचार, और अनुभवों को साझा करने का एक प्रभावी माध्यम है।

सिनेमा समाज की सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक धारणाओं को प्रतिबिंबित करता है। यह समाज के यथार्थ को व्यक्त करता है और संवेदनशील मुद्दों पर प्रकाश डालता है, जिससे दर्शकों में जागरूकता और संवेदनशीलता का संचार होता है।

संदर्भ :

1. विवेकानन्द— साहित्य और सिनेमा रूपान्तरण, पृ. 11
2. विवेकानन्द— साहित्य और सिनेमा रूपान्तरण, पृ. 16
3. विवेकानन्द— साहित्य और सिनेमा रूपान्तरण, पृ. 17
4. प्रहलाद अग्रवाल — सिनेमा, साहित्य और समाज, पृष्ठ 53
5. प्रहलाद अग्रवाल — सिनेमा, साहित्य और समाज, पृष्ठ 55
6. प्रहलाद अग्रवाल — सिनेमा, साहित्य और समाज, पृष्ठ 55—56
7. प्रहलाद अग्रवाल — सिनेमा, साहित्य और समाज, पृष्ठ 156
8. प्रहलाद अग्रवाल — सिनेमा, साहित्य और समाज, पृष्ठ 101
9. प्रहलाद अग्रवाल — सिनेमा, साहित्य और समाज, पृष्ठ 103—104
10. प्रहलाद अग्रवाल — सिनेमा, साहित्य और समाज, पृष्ठ 114
11. सम्पादक प्रदीप चौबे— हिन्दी सिनेमा बीसवीं से इक्कीसवीं शताब्दी तक, पृ. 117

ईमेल— chauhan7106@gmail.com



संगम

Impact Factor : 7.834

Website :
www.ginajournal.com

ISSN : 2321-8037

SANGAM

Vol. 14, Issue 5-6

पृष्ठ : 95-100

गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक-बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTILANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREEED RESEARCH JOURNAL

Ecological Diversity Indices and Limnological Relationship of Zooplankton in Rajsamand Lake

Dr. Prem Singh

S.P.C. GOVT COLLEGE BHIM, RAJSATHAN

Prof. Deepali Lal

S.D. GOVERNMENT COLLEGE BEAWAR, RAJSATHAN

Abstract :

The present investigation was carried out to evaluate ecological diversity indices and their relationship with limnological parameters in Rajsamand Lake during October 2019 to September 2021. Various ecological indices including Shannon-Weaver Diversity Index, Simpson Diversity Index, Margalef Richness Index, Menhinick Richness Index, Fisher Alpha Index, Berger-Parker Dominance Index and Evenness Index were analyzed for different zooplankton groups. Rotifers exhibited maximum diversity among all zooplankton groups. Seasonal analysis revealed higher diversity during summer and lower diversity during monsoon season. Significant positive correlations were observed between zooplankton diversity and conductivity, alkalinity, chloride, phosphate and nitrate concentrations. The study indicates that ecological indices are effective tools for assessing trophic status and ecological health of freshwater lakes.

Keywords :

Ecological Indices, Zooplankton Diversity, Shannon Index, Simpson Index, Limnology, Rajsamand Lake

1. Introduction :

Zooplankton diversity is considered one of the important biological indicators of aquatic ecosystem health. Ecological diversity indices provide valuable information regarding species richness, dominance, evenness and trophic condition of freshwater ecosystems.

Freshwater lakes are influenced by seasonal and anthropogenic disturbances that directly affect biological communities. Therefore, ecological assessment using diversity indices has become an essential approach in limnological investigations.

Rajsamand Lake is an important freshwater lake of Rajasthan used for irrigation, fisheries and domestic purposes. Increasing nutrient enrichment and environmental stress may alter the ecological balance of the lake ecosystem.

The present study aims to evaluate ecological diversity indices of zooplankton and determine their relationship with physico-chemical parameters of Rajsamand Lake.

2. Materials and Methods

2.1 Study Area :

Rajsamand Lake is located in Rajsamand district of Rajasthan. The lake receives water from Gomti, Kelwa and Tali rivers and supports rich aquatic biodiversity.

2.2 Collection and Identification of Zooplankton :

Zooplankton samples were collected monthly from five sampling sites between October 2019 and September 2021 using plankton net made of bolting silk cloth No. 25.

Samples were preserved in 4% formalin solution and identified under microscope using standard taxonomic literature.

2.3 Ecological Indices Used :

The following ecological indices were calculated to assess zooplankton diversity :

Shannon-Weaver Diversity Index

$$H' = -\sum p_i \ln p_i$$

Simpson Diversity Index

$$D = 1 - \sum p_i^2$$

Margalef Richness Index

$$d = \frac{S-1}{\ln N}$$

Menhinick Richness Index

$$D_m = \frac{S}{\sqrt{N}}$$

Berger-Parker Dominance Index

$$d = \frac{N_{\max}}{N}$$

Where :

- S = Number of species
- N = Total number of individuals
- p_i = Proportion of individuals of i th species

3. Results

3.1 Shannon-Weaver Diversity Index :

The Shannon diversity index indicated moderate to high zooplankton diversity in the lake ecosystem.

Sampling Site	Shannon Index Range
Site I	2.06 – 2.21
Site II	2.12 – 2.29
Site III	2.18 – 2.35
Site IV	2.11 – 2.31
Site V	2.22 – 2.40

Higher Shannon index values were recorded during summer season indicating favorable environmental conditions.

3.2 Simpson Diversity Index :

The Simpson diversity index ranged between 0.78 and 0.88 indicating considerable species diversity and ecological stability.

Season	Simpson Index
Winter	0.81
Summer	0.88
Rainy	0.78

Maximum diversity was recorded during summer season.

3.3 Margalef Richness Index

Margalef richness index revealed higher species richness at Site III and Site V.

Site	Margalef Index
Site I	2.10
Site II	2.21
Site III	2.46
Site IV	2.33
Site V	2.58

3.4 Menhinick Richness Index :

Menhinick index values indicated moderate richness of zooplankton species throughout the study period.

Season	Menhinick Index
Winter	1.24
Summer	1.41
Rainy	1.11

3.5 Berger-Parker Dominance Index :

The Berger-Parker index showed dominance of Rotifers, particularly *Brachionus* species.

Site	Dominance Index
Site I	0.38
Site II	0.41
Site III	0.36
Site IV	0.39
Site V	0.44

3.6 Correlation with Physico-Chemical Parameters :

Significant positive correlations were observed between zooplankton diversity and several limnological parameters.

Positive Correlations :

- Conductivity
- Alkalinity
- Chloride
- Phosphate
- Nitrate

Negative Correlations :

- Turbidity
- Excessive dilution during monsoon season

Rotifers showed strong positive relationship with conductivity and phosphate concentration.

Cladocerans showed moderate correlation with dissolved oxygen and nitrate concentration.

Cyclopoids showed weak correlation with most parameters.

Ostracods exhibited positive relationship with chloride and hardness.

4. Discussion :

The ecological indices observed in the present investigation indicate moderate to high biodiversity in Rajsamand Lake. Higher Shannon and Simpson diversity

values during summer season suggest favorable environmental conditions for zooplankton growth and reproduction.

The decline in diversity during rainy season may be attributed to increased turbidity, dilution effect and reduced transparency caused by monsoon inflow.

Rotifer dominance, particularly of *Brachionus* species, reflects nutrient enrichment and eutrophic tendencies of the lake ecosystem. Positive correlation between zooplankton abundance and nutrients such as phosphate and nitrate indicates enhanced biological productivity under moderate nutrient enrichment.

The ecological indices collectively suggest that Rajsamand Lake presently falls under mesotrophic to eutrophic category.

5. Conclusion :

1. Ecological indices revealed moderate to high zooplankton diversity.
2. Rotifers were the dominant zooplankton group.
3. Shannon and Simpson diversity indices were highest during summer season.
4. Monsoon season negatively affected zooplankton diversity.
5. Conductivity, alkalinity and nutrients positively influenced zooplankton abundance.
6. Turbidity negatively affected species diversity.
7. *Brachionus* dominance indicates eutrophic tendencies in the lake.
8. Ecological indices are effective tools for assessing lake health.
9. Continuous limnological monitoring is essential for conservation and sustainable management of the lake ecosystem.

References :

- APHA (1989). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
- Wetzel, R.G. (2003). Limnology: Lake and River Ecosystems.
- Edmondson, W.T. (1959). Freshwater Biology.
- Sharma, M.S. et al. Studies on zooplankton diversity in Rajasthan lakes.
- Patil et al. (2008). Zooplankton diversity and freshwater ecology.
- Odum, E.P. (1971). Fundamentals of Ecology.

Author for Correspondence : Premsingh1810@gmail.com



संगम

Impact Factor : 7.834

Website :
www.ginajournal.com

ISSN : 2321-8037

SANGAM

Vol. 14, Issue 5-6

पृष्ठ : 101-112

गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक-बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTILANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREEED RESEARCH JOURNAL

कृष्णा सोबती के संस्मरणों में सांस्कृतिक परिवेश एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन

रामानंदी अंजना आशारामभाई

मुलाकाती प्राध्यापिका एवं शोध छात्रा, हिन्दी विभाग,
क्रांतिगुरु श्यामजी कृष्णवर्मा कच्छ युनिवर्सिटी, भुज, गुजरात।

सारांश:

कृष्णा सोबती हिंदी साहित्य की प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं, जिनके संस्मरणात्मक लेखन में भारतीय समाज, संस्कृति, इतिहास तथा मानवीय संबंधों का अत्यंत जीवंत चित्रण मिलता है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य कृष्णा सोबती के संस्मरणों में निहित सांस्कृतिक परिवेश तथा मानवीय संबंधों के विविध आयामों का विश्लेषण करना है। विशेष रूप से 'हम हशमत' तथा अन्य संस्मरणात्मक कृतियों के आधार पर यह समझने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार लेखिका ने अपने समय की सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों, साहित्यिक परिवेश, पारिवारिक मूल्यों तथा मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त किया है। इस शोध में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग किया गया है। अध्ययन के लिए कृष्णा सोबती की मूल कृतियों के साथ-साथ उन पर उपलब्ध आलोचनात्मक एवं शोधपरक साहित्य का भी अवलोकन किया गया। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सोबती के संस्मरण केवल व्यक्तिगत अनुभवों का लेखा-जोखा नहीं हैं, बल्कि वे भारतीय सांस्कृतिक जीवन, विभाजन की स्मृतियों, साहित्यिक समाज तथा व्यक्ति-व्यक्ति के संबंधों के महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। उनके लेखन में आत्मीयता, संवेदनशीलता, सामाजिक चेतना और मानवीय मूल्यों की गहरी अभिव्यक्ति दिखाई देती है। अध्ययन के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि कृष्णा सोबती ने अपने संस्मरणों के माध्यम से सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक परिवर्तन तथा मानवीय संबंधों की जटिलताओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है, जिससे उनके संस्मरण हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं मानवीय दस्तावेज के रूप में स्थापित होते हैं।

मुख्य शब्द : कृष्णा सोबती, संस्मरण साहित्य, सांस्कृतिक परिवेश, मानवीय संबंध, हिंदी साहित्य, सामाजिक चेतना, विभाजन स्मृति, साहित्यिक संस्कृति, आत्मकथात्मक लेखन, भारतीय समाज, संवेदनशीलता, सांस्कृतिक विविधता।

प्रस्तावना :

कृष्णा सोबती हिंदी साहित्य की उन विशिष्ट रचनाकारों में सम्मिलित हैं जिन्होंने अपने सशक्त लेखन, स्वतंत्र चिंतन और विशिष्ट भाषिक शैली के माध्यम से हिंदी साहित्य को नई दिशा प्रदान की। उनका जन्म 18

फरवरी 1925 को तत्कालीन अविभाजित भारत के गुजरात (पंजाब) में हुआ था। विभाजन की त्रासदी, भारतीय समाज की बहुलतावादी संस्कृति, स्त्री-अस्मिता और मानवीय संवेदनाएँ उनके साहित्य के प्रमुख आधार रहे हैं। उन्होंने उपन्यास, कहानी, संस्मरण, आत्मकथात्मक लेखन तथा साहित्यिक निबंधों के माध्यम से समाज के विविध पक्षों को अभिव्यक्ति दी। 'जिंदगीनामा', 'मित्रो मरजानी', 'दिल-ओ-दानिश', 'ऐ लड़की', 'समय सरगम' तथा 'हम हशमत' जैसी कृतियाँ उनकी साहित्यिक प्रतिभा का प्रमाण हैं। उनके लेखन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें जीवन की वास्तविकता, लोक-संस्कृति और मानवीय अनुभवों का अत्यंत प्रामाणिक चित्रण मिलता है।

संस्मरण साहित्य हिंदी गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, जिसके माध्यम से लेखक अपने अनुभवों, स्मृतियों और समकालीन व्यक्तियों एवं घटनाओं का पुनर्सृजन करता है। संस्मरण केवल व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं का विवरण नहीं होता, बल्कि वह अपने समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिवेश का भी दस्तावेज होता है। इस विधा के माध्यम से व्यक्ति और समाज के अंतर्संबंधों को समझने का अवसर प्राप्त होता है। संस्मरण साहित्य पाठकों को किसी विशेष कालखंड की जीवन-शैली, सांस्कृतिक मान्यताओं, सामाजिक व्यवहारों और मानवीय संबंधों की गहन जानकारी प्रदान करता है। इसी कारण यह साहित्यिक एवं सामाजिक अध्ययन दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

कृष्णा सोबती के संस्मरण विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनमें लेखक के निजी अनुभवों के साथ-साथ साहित्यिक संसार, सांस्कृतिक परिवेश, विभाजन की स्मृतियाँ और मानवीय संबंधों की जटिलताएँ सजीव रूप में प्रस्तुत हुई हैं। 'हम हशमत' जैसी कृतियों में उन्होंने अपने समकालीन साहित्यकारों, मित्रों और सामाजिक परिवेश का अत्यंत आत्मीय एवं वस्तुनिष्ठ चित्रण किया है। उनके संस्मरण भारतीय समाज की सांस्कृतिक विविधता, सह-अस्तित्व, पारिवारिक मूल्यों तथा बदलते सामाजिक संबंधों को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत हैं।



चित्र 1 : कृष्णा सोबती के संस्मरणों का वैचारिक ढाँचा

प्रस्तुत अध्ययन की प्रासंगिकता इस तथ्य में निहित है कि वर्तमान समय में सांस्कृतिक मूल्यों और मानवीय संबंधों में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में कृष्णा सोबती के संस्मरणों का अध्ययन न केवल उनके साहित्यिक योगदान को समझने में सहायक है, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना और मानवीय संवेदनाओं के

संरक्षण एवं पुनर्पाठ के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। यह अध्ययन उनके संस्मरणों में निहित सांस्कृतिक परिवेश एवं मानवीय संबंधों के विविध आयामों को स्पष्ट करने का प्रयास करता है।

साहित्य समीक्षा :

कृष्णा सोबती के संस्मरणात्मक लेखन, विशेषकर 'हम हशमत' और आत्मकथात्मक कृति 'गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिन्दुस्तान', में सांस्कृतिक परिवेश केवल पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि चरित्रों, भाषा, स्मृति और मानवीय संबंधों को आकार देने वाली सक्रिय शक्ति है। 'हम हशमत' में सोबती ने "हशमत" नामक पुरुष-वाचक व्यक्तित्व के माध्यम से समकालीन साहित्यिक समाज, लेखकों, मित्रों और सांस्कृतिक व्यवहारों को देखा है। उपलब्ध विवरणों के अनुसार 'हम हशमत' में निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, कृष्ण बलदेव वैद, नागार्जुन, नामवर सिंह, अज्ञेय, मंटो, कमलेश्वर आदि साहित्यिक व्यक्तित्वों के संस्मरणात्मक चित्र उपस्थित हैं, जिससे यह कृति हिंदी साहित्यिक समाज का सांस्कृतिक दस्तावेज बन जाती है।

पूर्ववर्ती शोधों में सोबती को आधुनिक हिंदी साहित्य की ऐसी लेखिका माना गया है जिनके लेखन में भाषा, स्त्री-अस्मिता, लोक-संस्कृति, विभाजन-स्मृति और संबंधों की जटिलता एक साथ उपस्थित रहती है। बुइये का अध्ययन सोबती के गैर-काल्पनिक लेखन और उनकी साहित्य-दृष्टि को उनके कथा-लेखन से जोड़ता है, इससे स्पष्ट होता है कि सोबती के यहाँ लेखन केवल कथा-विन्यास नहीं, बल्कि समाज, भाषा और अनुभव की नैतिक व्याख्या है।

सांस्कृतिक परिवेश की दृष्टि से सोबती का लेखन पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विभाजन और उत्तर-औपनिवेशिक भारत के सामाजिक अनुभवों को समेटता है। 'गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिन्दुस्तान' को विभाजन-कालीन आत्मकथात्मक आख्यान माना गया है, जिसमें 1947 की हिंसा, विस्थापन, स्मृति और आत्मसम्मान के प्रश्न प्रमुख हैं। स्काकुज-पुरी का शोध इस कृति को विभाजन, ट्रॉमा और स्मृति के संदर्भ में पढ़ता है।

मानवीय संबंधों के स्तर पर सोबती का संस्मरणात्मक लेखन आत्मीयता और आलोचनात्मक दूरी दोनों को साथ लेकर चलता है। 'हम हशमत' में संबंध केवल प्रशंसात्मक स्मृति नहीं हैं वे साहित्यिक मित्रता, वैचारिक मतभेद, व्यक्तित्व की जटिलता और समय की सांस्कृतिक राजनीति को सामने लाते हैं। राजकमल प्रकाशन के विवरण में भी 'हम हशमत' की तटस्थता, आदर, जिज्ञासा और "जासूसी नहीं" वाली दृष्टि को इसकी विशेषता बताया गया है।

रीखा के अध्ययन में सोबती के कथा-साहित्य को जेंडर, स्पेस और सामाजिक संरचना के संदर्भ में पढ़ा गया है। यह दृष्टि संस्मरणों पर भी लागू होती है, क्योंकि सोबती निजी अनुभवों के माध्यम से सार्वजनिक सांस्कृतिक संसार को समझती हैं। निल्सन ने हिंदी उपन्यासों में स्त्री-अनुभव के बदलते रूपों पर चर्चा की है, जिससे सोबती के स्त्री-केंद्रित और अनुभव-केंद्रित लेखन को व्यापक संदर्भ मिलता है।

सुकृता पॉल कुमार और सविता सिंह जैसे आलोचकों ने सोबती की रचनात्मक निर्भीकता, भाषिक ऊर्जा और स्त्री-विषयक दृष्टि को रेखांकित किया है। कुमार के अनुसार सोबती अपने समकालीनों और परिवेश को जीवंत विस्तार से दर्ज करती हैं, जबकि सविता सिंह सोबती को हिंदी साहित्य में स्त्री-विषय की केंद्रीय आवाज के रूप में देखती हैं।

कुल मिलाकर, उपलब्ध शोध-साहित्य यह संकेत देता है कि कृष्णा सोबती के संस्मरणों में सांस्कृतिक

इस शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोतों में कृष्णा सोबती की संस्मरणात्मक कृतियाँ, विशेष रूप से 'हम हशमत', 'गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिन्दुस्तान' तथा अन्य आत्मकथात्मक लेखन शामिल हैं। द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत शोध-पत्र, आलोचनात्मक ग्रंथ, साहित्यिक समीक्षाएँ, संदर्भ पुस्तकें तथा प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों का अध्ययन किया गया है। इन स्रोतों के आधार पर अध्ययन को अधिक प्रामाणिक, वस्तुनिष्ठ और शोधपरक बनाने का प्रयास किया गया है।

तालिका 1 : अध्ययन के उद्देश्य

उद्देश्य	विवरण
सांस्कृतिक परिवेश का अध्ययन	संस्मरणों में सांस्कृतिक चित्रण, परंपराओं, लोकजीवन एवं सामाजिक मूल्यों का विश्लेषण
मानवीय संबंधों का विश्लेषण	पारिवारिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं व्यक्तिगत संबंधों का अध्ययन
साहित्यिक परिवेश का मूल्यांकन	समकालीन साहित्यिक जगत एवं साहित्यकारों के चित्रण का अध्ययन
विभाजन एवं स्मृति का अध्ययन	विभाजन-कालीन अनुभवों और सांस्कृतिक स्मृतियों का विश्लेषण
सामाजिक चेतना का परीक्षण	संस्मरणों में निहित सामाजिक सरोकारों एवं मानवीय मूल्यों का मूल्यांकन

कृष्णा सोबती के संस्मरणों का परिचय एवं साहित्यिक स्वरूप :

कृष्णा सोबती हिंदी साहित्य की एक सशक्त और विशिष्ट रचनाकार हैं, जिनके संस्मरणात्मक लेखन में जीवन, समाज, संस्कृति और साहित्य का बहुआयामी चित्रण देखने को मिलता है। उनके संस्मरण केवल व्यक्तिगत स्मृतियों का संकलन नहीं हैं, बल्कि वे अपने समय के साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का प्रामाणिक दस्तावेज भी प्रस्तुत करते हैं। सोबती ने अपने अनुभवों, संबंधों और समकालीन साहित्यकारों के व्यक्तित्वों को अत्यंत संवेदनशीलता और वस्तुनिष्ठता के साथ अभिव्यक्त किया है। उनके संस्मरणों में आत्मीयता, संवादधर्मिता और गहन मानवीय दृष्टि का सुंदर समन्वय दिखाई देता है।

कृष्णा सोबती के प्रमुख संस्मरणात्मक लेखन में 'हम हशमत' विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस कृति में उन्होंने "हशमत" नामक आत्मीय पात्र के माध्यम से अनेक साहित्यकारों, कलाकारों और सामाजिक व्यक्तित्वों का जीवंत चित्र प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त 'सोबती-वैद संवाद' में कृष्णा सोबती और कृष्ण बलदेव वैद के बीच साहित्य, संस्कृति, भाषा, समाज और रचना-प्रक्रिया से जुड़े विचारों का विस्तृत आदान-प्रदान मिलता है। यह कृति संस्मरण, संवाद और वैचारिक विमर्श का अनूठा उदाहरण है। इनके अतिरिक्त 'गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिन्दुस्तान' जैसी आत्मकथात्मक कृति विभाजन की स्मृतियों, सांस्कृतिक विस्थापन और मानवीय अनुभवों को अभिव्यक्त करती है।

भाषा-शैली की दृष्टि से कृष्णा सोबती का संस्मरण साहित्य अत्यंत विशिष्ट है। उनकी भाषा सहज, जीवंत, संवादात्मक और बहुरंगी है। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, उर्दू और लोकभाषा के शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग करते हुए अपने लेखन को सांस्कृतिक विविधता प्रदान की है। उनकी भाषा में आत्मीयता, व्यंग्य, संवेदनशीलता और कथात्मक प्रवाह का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। इसी कारण उनके संस्मरण पाठकों को प्रत्यक्ष अनुभव

का एहसास कराते हैं।

कथ्य एवं शिल्प की दृष्टि से उनके संस्मरणों में यथार्थ और स्मृति का प्रभावी समन्वय मिलता है। वे घटनाओं का केवल विवरण नहीं देतीं, बल्कि उनके सामाजिक और सांस्कृतिक अर्थों को भी उद्घाटित करती हैं। व्यक्ति-चित्रण, संवाद, आत्मकथात्मक तत्व, संस्मरणात्मक शैली तथा सांस्कृतिक संदर्भ उनके शिल्प की प्रमुख विशेषताएँ हैं। उनके संस्मरणों में साहित्यिक संसार, पारिवारिक संबंध, सामाजिक व्यवहार और सांस्कृतिक चेतना एक साथ उपस्थित होकर जीवन की व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

तालिका 2 : प्रमुख संस्मरण एवं उनकी विशेषताएँ

संस्मरण	प्रमुख विषय
हम हशमत एवं संस्मरण	साहित्यिक एवं सामाजिक जीवन, समकालीन साहित्यकारों के व्यक्तित्व
सोबती-वैद संवाद	वैचारिक एवं सांस्कृतिक विमर्श, साहित्य और रचना-प्रक्रिया पर संवाद
गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिन्दुस्तान	विभाजन की स्मृतियाँ, सांस्कृतिक विस्थापन और मानवीय अनुभव
शब्दों के आलोक में	साहित्यिक चिंतन, लेखकीय अनुभव और सांस्कृतिक दृष्टि
विभिन्न संस्मरणात्मक लेख एवं साक्षात्कार	सामाजिक चेतना, साहित्यिक परिवेश और मानवीय संबंधों का चित्रण

संस्मरणों में सांस्कृतिक परिवेश का चित्रण :

कृष्णा सोबती के संस्मरण भारतीय सांस्कृतिक जीवन के बहुआयामी स्वरूप का अत्यंत जीवंत और प्रामाणिक चित्र प्रस्तुत करते हैं। उनके संस्मरणों में संस्कृति केवल पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति, समाज और संबंधों को प्रभावित करने वाली एक सक्रिय शक्ति के रूप में उपस्थित है। उन्होंने अपने अनुभवों और स्मृतियों के माध्यम से भारतीय समाज की विविध सांस्कृतिक परंपराओं, लोक जीवन, भाषाई विशेषताओं तथा सामाजिक मूल्यों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। उनके लेखन में संस्कृति का चित्रण किसी आदर्शवादी दृष्टि से नहीं, बल्कि यथार्थवादी और अनुभवजन्य दृष्टिकोण से किया गया है।

भारतीय संस्कृति के संदर्भ में कृष्णा सोबती के संस्मरणों में विविधता, सहिष्णुता और सामुदायिक जीवन की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वे ऐसे सांस्कृतिक परिवेश को चित्रित करती हैं जहाँ विभिन्न धर्म, भाषाएँ और समुदाय परस्पर संपर्क में रहते हैं। उनके लेखन में भारतीय जीवन के पारंपरिक मूल्य, पारिवारिक संरचना, सामाजिक व्यवहार तथा नैतिक आदर्शों की झलक मिलती है। वे संस्कृति को स्थिर न मानकर परिवर्तनशील और गतिशील प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जो समय और परिस्थितियों के अनुसार विकसित होती रहती है। लोक जीवन का चित्रण कृष्णा सोबती के संस्मरणों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उन्होंने ग्रामीण और कस्बाई जीवन की अनेक झलकियों को अपने लेखन में स्थान दिया है। लोकाचार, त्योहार, मेलों, पारंपरिक खान-पान, लोकगीतों तथा सामुदायिक गतिविधियों का वर्णन उनके संस्मरणों को जीवंत बनाता है। उनके लेखन में पंजाब और उत्तर भारतीय समाज के लोकजीवन की सहजता, आत्मीयता और सांस्कृतिक समृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई

देती है। लोक संस्कृति के ये चित्र केवल वर्णनात्मक नहीं हैं, बल्कि वे उस सामाजिक संरचना और जीवन-दृष्टि को भी उजागर करते हैं जो भारतीय समाज की पहचान रही है।

सामाजिक परंपराओं का चित्रण भी उनके संस्मरणों में व्यापक रूप से मिलता है। पारिवारिक संबंध, बड़ों का सम्मान, सामूहिकता की भावना, सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिक मूल्यों का उल्लेख उनके संस्मरणों को सांस्कृतिक गहराई प्रदान करता है। वे विवाह, उत्सव, धार्मिक आयोजनों और पारिवारिक परंपराओं से जुड़े अनुभवों के माध्यम से भारतीय समाज की सांस्कृतिक संरचना को सामने लाती हैं। साथ ही, वे उन सामाजिक परिवर्तनों की ओर भी संकेत करती हैं जिन्होंने आधुनिक समय में पारंपरिक जीवन-मूल्यों को प्रभावित किया है। भाषा और बोली का प्रयोग कृष्णा सोबती की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। उनकी भाषा में हिंदी, पंजाबी, उर्दू तथा स्थानीय बोलियों का स्वाभाविक मिश्रण मिलता है। यह भाषिक विविधता उनके संस्मरणों को प्रामाणिकता प्रदान करती है और सांस्कृतिक परिवेश को अधिक सजीव बनाती है। वे पात्रों और परिस्थितियों के अनुसार भाषा का प्रयोग करती हैं, जिससे पाठक उस सांस्कृतिक वातावरण को प्रत्यक्ष अनुभव कर पाता है। उनकी भाषा केवल संप्रेषण का साधन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है।

विभाजनकालीन सांस्कृतिक संदर्भ कृष्णा सोबती के संस्मरणों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। भारत-विभाजन ने लाखों लोगों की तरह उनके जीवन को भी प्रभावित किया। उनके संस्मरणों में विभाजन के कारण उत्पन्न विस्थापन, सांस्कृतिक विखंडन, सामुदायिक तनाव और स्मृतियों की पीड़ा का मार्मिक चित्रण मिलता है। वे विभाजन को केवल राजनीतिक घटना के रूप में नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और मानवीय त्रासदी के रूप में देखती हैं। उनके लेखन में उस सांस्कृतिक संसार की स्मृतियाँ संरक्षित हैं जो विभाजन के बाद बिखर गया, किंतु लोगों की चेतना में जीवित रहा। इस प्रकार उनके संस्मरण भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में भी मूल्यवान सिद्ध होते हैं।

तालिका 3 : सांस्कृतिक तत्वों का विश्लेषण

सांस्कृतिक तत्व	उदाहरण
लोक संस्कृति	रीति-रिवाज, लोकगीत, त्योहार, सामुदायिक जीवन
भाषिक संस्कृति	हिंदी, पंजाबी, उर्दू एवं स्थानीय बोलियों का मिश्रण
सामाजिक मूल्य	पारिवारिक परंपराएँ, बड़ों का सम्मान, सामूहिकता
धार्मिक-सांस्कृतिक परंपराएँ	उत्सव, धार्मिक आयोजन एवं सांस्कृतिक अनुष्ठान
विभाजनकालीन संस्कृति	विस्थापन, सांस्कृतिक स्मृतियाँ और सामुदायिक अनुभव
साहित्यिक संस्कृति	साहित्यकारों, लेखकों और बौद्धिक वातावरण का चित्रण

संस्मरणों में मानवीय संबंधों की अभिव्यक्ति :

कृष्णा सोबती के संस्मरणों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष मानवीय संबंधों का सजीव और संवेदनात्मक चित्रण है। उनके संस्मरण केवल घटनाओं और स्मृतियों का संकलन नहीं हैं, बल्कि वे व्यक्ति और समाज के बीच स्थापित विविध संबंधों की गहन व्याख्या भी प्रस्तुत करते हैं। सोबती ने अपने अनुभवों, अवलोकनों और आत्मीय संवादों के माध्यम से पारिवारिक, सामाजिक, स्त्री-पुरुष तथा साहित्यिक संबंधों के अनेक आयामों को अभिव्यक्ति

दी है। उनके लेखन में संबंधों का चित्रण आदर्शवादी नहीं, बल्कि यथार्थवादी और मानवीय दृष्टिकोण से किया गया है, जिससे पाठक जीवन की वास्तविक जटिलताओं और संवेदनाओं को समझ पाता है।

पारिवारिक संबंधों का चित्रण कृष्णा सोबती के संस्मरणों में अत्यंत आत्मीयता और भावनात्मक गहराई के साथ मिलता है। परिवार उनके लिए केवल सामाजिक संस्था नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण का महत्वपूर्ण केंद्र है। माता-पिता, भाई-बहन तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ जुड़े अनुभवों के माध्यम से वे भारतीय पारिवारिक संरचना की विशेषताओं को रेखांकित करती हैं। उनके संस्मरणों में परिवार के भीतर प्रेम, सम्मान, सहयोग, त्याग और भावनात्मक जुड़ाव की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। साथ ही, वे समय के साथ बदलते पारिवारिक संबंधों और सामाजिक परिवर्तनों के प्रभाव को भी संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करती हैं।

स्त्री-पुरुष संबंधों की अभिव्यक्ति भी उनके संस्मरणों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कृष्णा सोबती ने स्त्री-अनुभवों और स्त्री-अस्मिता को अपने साहित्य का केंद्रीय विषय बनाया। उनके संस्मरणों में स्त्री और पुरुष के संबंध केवल पारंपरिक भूमिकाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनमें समानता, स्वतंत्रता, सम्मान और संवाद की भावना भी दिखाई देती है। वे स्त्री की भावनाओं, संघर्षों और सामाजिक स्थितियों को गहराई से समझती हैं तथा संबंधों में उसकी स्वतंत्र पहचान को महत्व देती हैं। उनके लेखन में स्त्री-पुरुष संबंधों की जटिलता, संवेदनशीलता और बदलती सामाजिक परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण मिलता है।

मित्रता और साहित्यिक संबंधों का चित्रण विशेष रूप से 'हम हशमत' जैसे संस्मरणों में देखने को मिलता है। कृष्णा सोबती ने अपने समकालीन साहित्यकारों, लेखकों और बुद्धिजीवियों के साथ जुड़े अनुभवों को अत्यंत आत्मीयता और निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत किया है। निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, अज्ञेय, नागार्जुन, कृष्ण बलदेव वैद तथा अन्य साहित्यकारों के व्यक्तित्व और उनके साथ हुए संवादों के माध्यम से साहित्यिक संसार की जीवंत तस्वीर उभरती है। इन संबंधों में केवल व्यक्तिगत निकटता ही नहीं, बल्कि वैचारिक आदान-प्रदान, साहित्यिक बहस, बौद्धिक सम्मान और रचनात्मक सहयोग की भावना भी दिखाई देती है। इससे उनके संस्मरण हिंदी साहित्य के सांस्कृतिक इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाते हैं।

संवेदनात्मक पक्ष कृष्णा सोबती के संस्मरणों की आत्मा है। उनके लेखन में मनुष्य के सुख-दुख, प्रेम, करुणा, स्मृति, संघर्ष और आत्मीयता की गहरी अभिव्यक्ति मिलती है। वे संबंधों को केवल सामाजिक संरचना के रूप में नहीं देखती, बल्कि उन्हें भावनात्मक अनुभव और मानवीय मूल्यों की दृष्टि से समझती हैं। विभाजन की स्मृतियाँ, बिछड़ने की पीड़ा, मित्रों के प्रति सम्मान, परिवार के प्रति लगाव और समाज के प्रति संवेदनशीलता उनके संस्मरणों को भावनात्मक गहराई प्रदान करती है। यही कारण है कि उनके संस्मरण पाठकों को केवल जानकारी नहीं देते, बल्कि उन्हें मानवीय अनुभवों से जोड़ते हैं।

इस प्रकार कृष्णा सोबती के संस्मरण मानवीय संबंधों की विविधता, जटिलता और संवेदनशीलता का व्यापक चित्र प्रस्तुत करते हैं। इनमें पारिवारिक आत्मीयता, स्त्री-पुरुष संबंधों की मानवीय समझ, साहित्यिक मित्रता और गहन संवेदनात्मक अनुभवों का ऐसा समन्वय मिलता है जो उनके संस्मरणों को हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान प्रदान करता है।

तालिका 4 : मानवीय संबंधों के प्रमुख रूप

संबंध	विशेषता
पारिवारिक	आत्मीयता, प्रेम, सहयोग एवं सांस्कृतिक मूल्य
सामाजिक	सहयोग, संवाद, सामुदायिक भावना एवं सहभागिता
स्त्री-पुरुष	सम्मान, संवेदनशीलता, समानता एवं आत्मनिर्भरता
साहित्यिक	वैचारिक आदान-प्रदान, रचनात्मक सहयोग एवं बौद्धिक संबंध
मित्रता	विश्वास, आत्मीयता, पारस्परिक सम्मान एवं भावनात्मक जुड़ाव
मानवीय संवेदना	करुणा, सहानुभूति, स्मृति और भावनात्मक गहराई

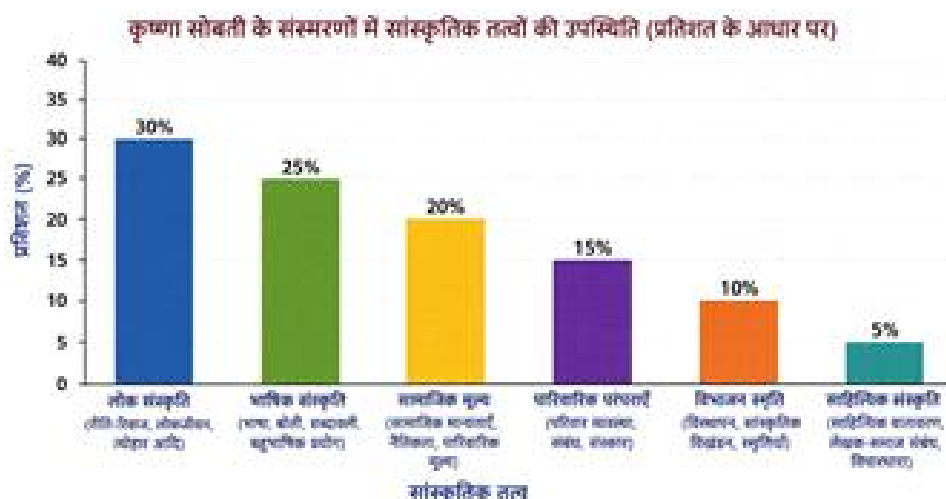
प्रमुख निष्कर्ष एवं विश्लेषण :

कृष्णा सोबती के संस्मरणों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उनका संस्मरणात्मक लेखन केवल व्यक्तिगत स्मृतियों का संकलन नहीं है, बल्कि भारतीय समाज, संस्कृति और मानवीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक दस्तावेज भी है। उनके संस्मरणों में सांस्कृतिक परिवेश का चित्रण अत्यंत यथार्थवादी, जीवंत और बहुआयामी रूप में सामने आता है। उन्होंने भारतीय समाज की सांस्कृतिक विविधता, लोकजीवन, पारिवारिक मूल्यों, भाषाई विशेषताओं तथा सामाजिक परंपराओं को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ अभिव्यक्त किया है। विशेष रूप से विभाजनकालीन अनुभवों और सांस्कृतिक स्मृतियों का चित्रण उनके लेखन को ऐतिहासिक एवं सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है।

मानवीय संबंधों के संदर्भ में भी कृष्णा सोबती का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक और मानवीय है। उनके संस्मरणों में परिवार, मित्रता, साहित्यिक संबंध तथा स्त्री-पुरुष संबंधों का चित्रण किसी आदर्शवादी दृष्टि से नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप किया गया है। उन्होंने संबंधों की आत्मीयता, संघर्ष, संवेदनशीलता और भावनात्मक गहराई को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। यही कारण है कि उनके संस्मरण पाठकों को मानवीय अनुभवों के निकट ले जाते हैं और सामाजिक संबंधों की जटिलताओं को समझने का अवसर प्रदान करते हैं।

तालिका 5 : सांस्कृतिक तत्वों का विश्लेषण

सांस्कृतिक तत्व	प्रतिशत (%)
लोक संस्कृति	30
भाषिक संस्कृति	25
सामाजिक मूल्य	20
पारिवारिक परंपराएँ	15
विभाजन स्मृति	10



चित्र 3 : सांस्कृतिक तत्वों का विश्लेषण

सांस्कृतिक एवं सामाजिक दृष्टि से मूल्यांकन करने पर यह ज्ञात होता है कि कृष्णा सोबती ने अपने संस्मरणों के माध्यम से भारतीय समाज के बदलते स्वरूप, सांस्कृतिक संक्रमण और सामाजिक चेतना को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त किया है। उनके लेखन में परंपरा और आधुनिकता के बीच संवाद दिखाई देता है। वे संस्कृति को केवल अतीत की विरासत के रूप में नहीं देखतीं, बल्कि उसे वर्तमान जीवन से जुड़ी हुई जीवंत प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करती हैं। उनके संस्मरण समाज में विद्यमान मानवीय मूल्यों, सह-अस्तित्व, सहिष्णुता और संवाद की भावना को भी सुदृढ़ करते हैं।

साहित्यिक योगदान की दृष्टि से कृष्णा सोबती ने हिंदी संस्मरण साहित्य को नई ऊँचाइयाँ प्रदान की हैं। उनकी भाषा, शैली, व्यक्तिचित्रण, संवादधर्मिता और सांस्कृतिक दृष्टि ने संस्मरण विधा को समृद्ध किया है। उन्होंने संस्मरण को केवल स्मृति-वर्णन तक सीमित न रखकर उसे सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक विमर्श का माध्यम बनाया। इस प्रकार उनके संस्मरण हिंदी साहित्य में सांस्कृतिक चेतना और मानवीय संबंधों के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक स्रोत सिद्ध होते हैं।

तालिका 5 : अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

आयाम	निष्कर्ष
सांस्कृतिक परिवेश	भारतीय समाज, लोकजीवन एवं सांस्कृतिक विविधता का यथार्थ चित्रण
मानवीय संबंध	संवेदनशील, आत्मीय एवं जीवंत प्रस्तुति
भाषिक अभिव्यक्ति	हिंदी, पंजाबी एवं लोकभाषाओं के माध्यम से सांस्कृतिक प्रामाणिकता
सामाजिक चेतना	सामाजिक मूल्यों, परंपराओं एवं परिवर्तनशीलता का प्रभावी चित्रण
विभाजन स्मृति	सांस्कृतिक विस्थापन और मानवीय पीड़ा का मार्मिक प्रस्तुतीकरण
साहित्यिक योगदान	संस्मरण विधा को नई दृष्टि, शिल्प और वैचारिक गहराई प्रदान करना

निष्कर्ष :

कृष्णा सोबती के संस्मरण हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं, जिनमें भारतीय समाज, संस्कृति और

मानवीय संबंधों का बहुआयामी एवं यथार्थपरक चित्रण प्राप्त होता है। प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि उनके संस्मरण केवल व्यक्तिगत स्मृतियों और अनुभवों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे अपने समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिवेश का महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हैं। उन्होंने भारतीय लोकजीवन, पारिवारिक परंपराओं, भाषाई विविधता, सामाजिक मूल्यों तथा विभाजनकालीन अनुभवों को अत्यंत संवेदनशीलता और प्रामाणिकता के साथ अभिव्यक्त किया है।

अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि कृष्णा सोबती ने मानवीय संबंधों को गहरी आत्मीयता और मानवीय दृष्टि से प्रस्तुत किया है। उनके संस्मरणों में पारिवारिक संबंधों की ऊष्मा, मित्रता की आत्मीयता, साहित्यिक संबंधों की बौद्धिकता तथा स्त्री-पुरुष संबंधों की संवेदनशीलता का प्रभावशाली चित्रण मिलता है। उनकी रचनाएँ यह सिद्ध करती हैं कि व्यक्ति और समाज के बीच स्थापित संबंध संस्कृति और जीवन-मूल्यों के महत्वपूर्ण वाहक होते हैं।

साहित्यिक दृष्टि से कृष्णा सोबती का संस्मरण लेखन हिंदी गद्य साहित्य को नई दिशा प्रदान करता है। उनकी भाषा की जीवंतता, शैली की मौलिकता, व्यक्तिचित्रण की सशक्तता तथा सांस्कृतिक दृष्टि की व्यापकता उन्हें अन्य संस्मरणकारों से विशिष्ट बनाती है। उन्होंने संस्मरण विधा को केवल स्मृति-वर्णन तक सीमित न रखकर उसे सामाजिक और सांस्कृतिक विमर्श का प्रभावी माध्यम बनाया। इस प्रकार उनके संस्मरण न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना, मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक इतिहास को समझने के लिए भी अत्यंत मूल्यवान स्रोत सिद्ध होते हैं।

संदर्भ सूची :

- वुइये, रोसीन-ऐलिस. कृष्णा सोबती के साहित्य-दृष्टिकोण एवं लेखन की काव्यात्मकता (Krishna Sobti's Views on Literature and the Poetics of Writing). बर्लिन/बोस्टन : डी गूटर, 2022।
- स्काकुज-पुरी, मारिया. "समय के परिप्रेक्ष्य में विभाजन : कृष्णा सोबती की आत्मकथात्मक कृति 'गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिन्दुस्तान' का अध्ययन।" क्राकोव इंडोलॉजिकल स्टडीज (Cracow Indological Studies), 2018? DOI: 10.12797/CIS.20.2018.02.09.
- रेखा. "कृष्णा सोबती के कथा-साहित्य का अध्ययन।" इंडियन लिटरेचर (Indian Literature), 2009।
- निल्सन, उषा एस. "स्त्री-अनुभव : हिंदी के तीन उपन्यासों का अध्ययन।" इंडियन लिटरेचर (Indian Literature), 1977।
- कुमार, सुकृता पॉल. "कृष्णा सोबती (1925-2019) की अविराम प्रतिभा।" इंडियन लिटरेचर (Indian Literature), 2019।
- सिंह, सविता. "हिंदी साहित्य में स्त्री-विषय की उभरती चेतना : कृष्णा सोबती के संदर्भ में।" इंडियन लिटरेचर (Indian Literature), 2019।
- त्रिपाठी, विभा. "प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण महिला लेखिका : कृष्णा सोबती।" इंडियन लिटरेचर (Indian Literature), 2020।
- झा, रमा. "कृष्णा सोबती से एक संवाद।" इंडियन लिटरेचर (Indian Literature), 1981।

- नरसिम्हन, राजी. "जिंदगीनामा : एक समीक्षात्मक अध्ययन।" इंडियन लिटरेचर (Indian Literature), 2020।
- कालिया, ममता. "कभी हार न मानने वाली लेखिका : कृष्णा सोबती।" इंडियन लिटरेचर (Indian Literature), 2019।
- काजमी, सारा. "हीर की पुर्नव्याख्या : पंजाब में लैंगिकता और अभिव्यक्ति की राजनीति।" साउथ एशिया मल्टीडिसिप्लिनरी एकेडमिक जर्नल (South Asia Multidisciplinary Academic Journal), 2019।
- तिवारी, सपना. "कृष्णा सोबती की रचनाओं में सृजन परिवेश।" अपनी माटी, 2022।

दलित महिलाओं की पंचायती राज्य व्यवस्था में भूमिका (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)

अंजुलि शुक्ला, शोधार्थी

डॉ. एस.पी. शुक्ला, प्राध्यापक

राजनीति शास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह (स्वशासी) महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांश :

विशेषकर 1990 के दशक की राजनीतिक उथल-पुथल के बाद से, विद्वानों ने भारत में दलित ("अछूत") समुदायों के हाशिए पर पड़े इतिहासों पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि, ये शोध भी केवल पुरुष दलित समुदाय पर ही केंद्रित रहे हैं। लेकिन हाल ही में विद्वानों ने दलित महिलाओं को अध्ययन के "विषय" के रूप में देखना शुरू किया है। दलित एक ही समय में दबने वाले और प्रभुत्वशाली दोनों हैं। मेरा लेख औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक भारत में दोहरे पितृसत्तात्मक समाज के अंतर्गत रीवा जिले की दलित महिलाओं के जीवन का विश्लेषण करता है ताकि यह समझने में विद्वानों के योगदान को उजागर किया जा सके कि कैसे विभिन्न दलित महिलाएं अपने भेदभाव पूर्ण दलित दर्जे से जूझ रही हैं, उसे चुनौती दे रही हैं, उसका राजनीतिकरण कर रही हैं और उसे रूपांतरित कर रही हैं। मैं इस बात पर सैद्धांतिक रूप से विचार करती हूँ और ध्यान केंद्रित करती हूँ कि आधुनिक भारत में "नई" दलित महिलाएं जाति, वर्ग, लिंग और समुदाय की परस्पर जुड़ी तकनीकों के साथ किस प्रकार जुड़कर अपनी आत्मनिष्ठा, स्वायत्तता, सम्मान और प्रतिष्ठा का निर्माण कर रही हैं। इस उद्देश्य से, मैं दलित महिलाओं की बदलती सामाजिकता और जटिलताओं को उजागर करने के लिए कई विषयों पर विचार करती हूँ – सृजनात्मक लिंग और "नई" दलित महिलाएं, उच्च जाति का पूर्वाग्रह, समुदाय, पितृसत्ता, सम्मान और औपचारिक शिक्षा। मेरा समीक्षा लेख दर्शाता है कि दलित महिलाओं के सार्वभौमिक दृष्टिकोण और ऐतिहासिक एवं राजनीतिक व्यवहार गहरे लोकतांत्रिक हैं और पंचायती राज व्यवस्था में अभिन्न हिस्सेदारी है।

मुख्य शब्द : दलित, सामाजिक स्थिति और स्वतंत्रता की असमानता, अनुसूचित जाति पंचायती राज व्यवस्था

प्रस्तावना :

समकालीन राजनीतिक व्यवस्थाएँ समय-समय पर घटित महत्वपूर्ण उथल-पुथलों का परिणाम हैं। विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन को गति देने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से, बुनियादी चरणों से लेकर परिष्कृत प्रणालियों तक, सभी मानव की राजनीति में भागीदारी का परिणाम हैं। ये परिवर्तन अभिजात वर्ग के विरुद्ध शोषितों के दीर्घ संघर्ष का परिणाम हैं। मूल बात

यह है कि किसी राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक संरचना को बदलने का प्रयास केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही किया जा सकता है। इसलिए, आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए राष्ट्र की दैनिक राजनीतिक गतिविधियों में जनता की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, चुनावी राजनीति में नागरिकों की भागीदारी एक मूलभूत आवश्यकता है। यह बात महिलाओं पर भी लागू होती है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कोई नई बात नहीं है। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि वैदिक काल में महिलाओं को काफी स्वतंत्रता प्राप्त थी और जीवन के कई क्षेत्रों में उन्हें पुरुषों के बराबर दर्जा प्राप्त था।¹

राष्ट्रवादी आंदोलन ने महिलाओं को कांग्रेस के सदस्यों और नेताओं के रूप में शामिल किया था। राष्ट्रवादी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को तीन अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया, और एक छोटा समूह गांधीजी द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुधार पहलों में शामिल हुआ। तीसरी श्रेणी में वे महिलाएं शामिल हैं जिन्होंने राष्ट्रवादी गतिविधियों के सभी पहलुओं में भाग लिया, विशेष रूप से महिलाओं का एक विशिष्ट समूह।²

भारतीय संविधान वयस्कों को सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान करके राजनीतिक समानता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। परिणामस्वरूप, भारतीय महिलाओं ने अंततः राजनीतिक अधिकार और पुरुषों के साथ समानता प्राप्त कर ली। राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की स्थिति का गहन विश्लेषण दर्शाता है कि वे मुख्य रूप से मध्यम और पेशेवर वर्गों से आती हैं। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में ग्रामीण महिलाओं के बारे में कहा गया है कि "राज्य जनता के कमजोर वर्गों, और विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से बढ़ावा देगा, और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण के सभी रूपों से बचाएगा।"

अनुसूचित जातियों की स्थिति आम तौर पर दयनीय है, और इन समुदायों की महिलाओं की स्थिति तो जाति और लिंग के कारण और भी बदतर है। अनुसूचित जाति (हरिजन) महिलाओं की स्थिति के संबंध में, भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग की महिला स्थिति समिति के सचिव ने 3 नवंबर, 1971 को समिति का ध्यान देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में हरिजन महिलाओं के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन की ओर आकर्षित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यद्यपि भारत में अधिकांश महिलाएं पिछड़ीं में भी सबसे पिछड़ी हैं, इसलिए न केवल अपने समुदायों में उनकी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्हें अन्य महिलाओं के बराबर लाने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

भारत में जाति :

जाति व्यवस्था को एक ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अंतर्विवाह, पदानुक्रम और आर्थिक सीमाओं पर आधारित एक संरचित संगठन को समाहित करती है। यह उन पारस्परिक संबंधों की रूपरेखा को परिभाषित करती है जो व्यक्तियों को दैनिक अंतःक्रियाओं में आपस में जोड़ते हैं। जाति व्यवस्था के भीतर समूह व्यापक, अनन्य और विशिष्ट होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही समूह से संबंधित होता है। समूह की सदस्यता सदस्यों के उत्तरदायित्वों और कार्यों को प्रभावित करती है, जिसके परिणामस्वरूप एक निश्चित स्तर का 'भूमिका निर्धारण' होता है। ये समूह स्वायत्त होते हैं, प्रत्येक को दूसरे समूहों द्वारा प्रदत्त सेवाओं या वस्तुओं की आवश्यकता होती है।³

परंपरागत भारतीय सभ्यता की नींव मुख्य रूप से जाति की अवधारणा पर आधारित थी। जाति व्यवस्था एक जटिल सामाजिक संगठन है जो प्राचीन काल से ही भारतीय सभ्यता में गहराई से समाई हुई है। यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसकी उत्पत्ति पारंपरिक भारत में हुई और जो काफी हद तक आज भी कायम है। प्राचीन वेदों में जाति के अस्तित्व का कोई संकेत नहीं मिलता। भारत के पवित्र ग्रंथों के गहन अध्ययन से पता चलता है कि जाति व्यवस्था वैदिक समाज के पतन के उत्तरार्ध में, आर्य आक्रमण और स्थानीय आबादी के दमन के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आई। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अपने लेखन में इन पवित्र ग्रंथों पर डॉ. जॉनसन के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है। डॉ. जॉनसन का कहना है कि इन पवित्र ग्रंथों में निहित सिद्धांत जाति व्यवस्था के संबंध में राष्ट्र और समाज के पतन और विघटन के लिए जिम्मेदार हैं।¹⁴

डॉ. अंबेडकर के अनुसार, "भारत में जाति व्यवस्था जनसंख्या को कृत्रिम रूप से निश्चित और परिभाषित इकाइयों में विभाजित करती है, और अंतर्विवाह की प्रथा के कारण प्रत्येक इकाई को दूसरी इकाई में विलीन होने से रोका जाता है।" उनके अनुसार, चतुर्वर्ण सभी असमानता का मूल स्रोत है और जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता का जनक है, जो मूलतः असमानता के ही वैकल्पिक रूप हैं।¹⁵

भारत की जनसंख्या को सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है : अनुसूचित जाति (SC) या दलित, अनुसूचित जनजाति (ST) या आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अन्य। जाति व्यवस्था एक पदानुक्रमित संरचना है, जिसमें ब्राह्मण शीर्ष पर और अनुसूचित जाति या अछूत सबसे निचले पायदान पर हैं। अनुसूचित जातियाँ विशिष्ट निम्न जाति समूहों के वे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत की जटिल पदानुक्रमित जाति व्यवस्था से जुड़ी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य परंपराओं में भाग लेने से वंचित रखा जाता है। निम्न सामाजिक स्थिति में जन्म लेने के कारण वे हाशिए पर हैं और अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हैं। अनुसूचित जातियों की विशेषता निम्न सामाजिक स्थिति है, जो जाति पदानुक्रम में सबसे निचले स्थान का प्रतिनिधित्व करती है, साथ ही उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति भी दयनीय है। इन वर्गों की सामाजिक और धार्मिक स्थिति में गिरावट के कारण, उन्हें अब तक कई कष्ट सहने पड़े हैं। इसके परिणामस्वरूप कुछ जातियाँ सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक प्रणालियों में वंचित बनी हुई हैं।¹⁶

साहित्य की समीक्षा :

अनुसूचित जातियों की स्थिति और उनकी स्थिति में सुधार लाने वाले अनेक कारकों पर पूर्व में हुए शोधों की जांच करना, एक उपयुक्त ढांचा विकसित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।¹⁷

किसी भी अध्ययन में किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्रचलित सिद्धांतों और प्रथाओं के बारे में वर्तमान ज्ञान का संग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आरक्षण के कार्यान्वयन और अनुसूचित जातियों पर इसके प्रभावों, साथ ही इन समूहों के विकास के उद्देश्य से अन्य सरकारी पहलों से संबंधित कई अध्ययन एक या दो आयामों तक ही सीमित हैं और किसी राज्य या देश के विशिष्ट क्षेत्रों से ही संबंधित हैं। यह अध्याय सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के मूल्यांकन, आरक्षण के प्रभाव और अनुसूचित जातियों की स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बारे में पिछले शोध के निष्कर्षों को संश्लेषित करने का प्रयास करता है।

जॉर्ज रोसेन (1966)¹⁷ ने अपने अध्ययन में दावा किया कि अनुसूचित जातियों को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षित सीटों और रोजगार के अवसरों से लाभ हुआ है। सरकारी रोजगार में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की

संख्या बढ़ी है, हालांकि यह आरक्षित सीटों के अनुपात से काफी कम है। अन्य जाति समूहों की तुलना में अनुसूचित जातियां कुल मिलाकर सबसे निचले आर्थिक स्तर पर हैं।

भगवान दास (1969)⁸ ने अपने प्रकाशन में उल्लेख किया कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों की आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण अपने उत्पीड़कों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने में असमर्थता को उजागर किया था। परिणामस्वरूप, वे हिंदू अपराधियों के साथ समझौता करने के लिए विवश हो गए। कानून अप्रभावी हो गया क्योंकि इसके इच्छित लाभार्थी इसे लागू नहीं कर सके, जिससे अपराधियों को पीड़ित को दबाने का अवसर मिला। दोषी व्यक्तियों ने मामूली कीमत चुकाकर अपराध को कम करके परिणामों से बच निकले और हाशिए पर पड़े लोगों के उत्पीड़न को जारी रखा, जिससे अस्पृश्यता का अस्तित्व बना रहा।

लिंग (1969)⁹ ने भारत के आगरा में जाटव अनुसूचित जाति समुदाय के भीतर सामाजिक गतिशीलता और परिवर्तन की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए एक शोध किया। उनके शोध से पता चला कि आर्य समाज आंदोलन ने जाटवों को शिक्षा प्राप्त करने और अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए संस्कृत प्रतीकों, रीति-रिवाजों और मान्यताओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ धनी जाटवों ने सूती मिलें और जूते का व्यवसाय शुरू किया। इसके बाद, उन्होंने समाज में अपनी धार्मिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उच्च जातियों के साथ संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया।

सुमा चिटनिस (1972)¹⁰ ने अपने अध्ययन में कहा कि अनुसूचित जातियों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई पहल मुख्य रूप से उनकी शिक्षा पर केंद्रित रही है। अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाले कानून, साथ ही शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में प्रवेश के लिए आरक्षण, अनुसूचित जातियों की समानता की नींव स्थापित करने की उम्मीद है। शिक्षा को अनुसूचित जाति के लोगों के लिए एक साधन के रूप में देखा जाता है। जाति व्यवस्था को एक ऐसे सामाजिक ढांचे के लिए तैयार किया जा सकता है जहां पद का निर्धारण वंशानुगत होने के बजाय व्यक्तिगत प्रदर्शन और योग्यता के आधार पर किया जाता है।

अनुसूचित जातियों के लिए व्यापक शैक्षिक सुविधाओं के प्रावधान का औचित्य स्पष्ट और तर्कसंगत होते हुए भी, यह दृष्टिकोण अपनी मान्यताओं में सरलीकृत है : (क) कि सुविधाओं का सर्वोत्तम और समान रूप से उपयोग किया जाएगा, (ख) कि विद्यालय और महाविद्यालय शिक्षा तक पहुंच अनुसूचित जातियों के सदस्यों को औपचारिक शिक्षा प्राप्त पृष्ठभूमि वाले लोगों के साथ समान रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगी और (ग) कि आरक्षण की नीति अनुसूचित जातियों के लिए समानता को सबसे प्रभावी ढंग से बढ़ावा देगी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये मान्यताएं अवास्तविक हैं, और इन पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप मौजूदा असमानताएं जारी रहें और नई असमानताएं उत्पन्न हुईं।

कुसुम के. प्रेमी (1974)¹¹ ने शैक्षिक संभावनाओं की समानता में संरक्षित भेदभाव के प्रभाव पर एक अध्ययन किया। शोध में अनुसूचित जातियों द्वारा शिक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत मिला, जो उनकी साक्षरता दर, नामांकन गुणांक और केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों में उनके प्रतिनिधित्व में वृद्धि से स्पष्ट है।

उमा रामास्वामी (1974)¹² ने आंध्र प्रदेश, विशेषकर तटीय क्षेत्रों में, अनुसूचित जातियों द्वारा विकसित सामूहिक पहचान की ऐतिहासिक प्रक्रिया के कुछ पहलुओं का अध्ययन किया। उनके शोध से पता चला कि

ईसाई धर्म में धर्मांतरण ने अछूतों को शिक्षा और रोजगार में महत्वपूर्ण प्रगति करने में सहायक सिद्ध हुआ। अनुसूचित जातियों में सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भारी असमानताएँ हैं। उनके बीच एक सुस्थापित पदानुक्रम मौजूद है। कोई भी जाति अछूत नहीं है यहाँ तक कि जिन्हें ऐसा माना जाता है, उनमें भी विभिन्न स्तरों पर अशुद्धता पाई जाती है। अनुसूचित जातियों में धार्मिक विभाजन भी मौजूद हैं। इन असमानताओं के बावजूद, समाज ने अनुसूचित जातियों को एक विशिष्ट पहचान दी है, और वे अपने सामूहिक अस्तित्व को तेजी से स्वीकार कर रहे हैं।

कुलकर्णी (1974)¹³ ने भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में प्रकाशित वर्ष 1971-72 और 1972-73 के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त की रिपोर्ट का विश्लेषण किया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर विभिन्न समुदायों के बीच साक्षरता स्तर में महत्वपूर्ण असमानताएँ मौजूद हैं।

शर्मा (1974)¹⁴ ने दावा किया कि अनुसूचित जातियाँ केवल थोपी गई सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं के कारण ही कठिनाइयों का सामना नहीं करतीं, बल्कि इससे कहीं अधिक उन संरचनात्मक भेदभावों के कारण होती हैं जो उनके उत्थान और कल्याण के लिए बनाई गई नीतियों और योजनाओं के परिणामस्वरूप उनके भीतर उत्पन्न हुए हैं। अनुसूचित जातियों के भीतर राजनीतिक रूप से कमजोर और कभी-कभी गैर-प्रमुख गुटों के साथ किया जाने वाला असमान व्यवहार इन लगातार असमानताओं में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने अनुसूचित जातियों की शिक्षा से संबंधित नामांकन, आवास और छात्रवृत्ति जैसे पहलुओं का अध्ययन किया।

अध्ययन के उद्देश्य :

रीवा जिले में अनुसूचित जाति (एससी) की महिलाओं पर यह अध्ययन केंद्रित होगा, जिसका उद्देश्य उनके राजनीतिक ज्ञान और भागीदारी के स्तर का आकलन करना है। इसके विशिष्ट उद्देश्यों में शामिल हैं :

1. रीवा जिला में अनुसूचित जाति की महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता के स्तर का आकलन करना।
2. स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय चुनावों में अनुसूचित जाति की महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का मूल्यांकन करना।
3. अनुसूचित जाति की महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में बाधा डालने वाली सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक बाधाओं की पहचान करना।
4. अनुसूचित जाति की महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने या सीमित करने में सरकारी नीतियों (जैसे आरक्षण और सशक्तिकरण कार्यक्रम) की भूमिका का विश्लेषण करना।
5. अनुसूचित जाति की महिलाओं की राजनीतिक आकांक्षाओं की जांच करना, विशेष रूप से राजनीतिक नेतृत्व और प्रतिनिधित्व के संदर्भ में।

शोध प्रविधि :

प्रस्तुत शोध का विषय अनुभाविक एवं सैद्धांतिक प्रकृति का है। अतः शोध की आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से तथ्यों का संकलन किया गया है।

पंचायती राज व्यवस्था का विकास

1. **ग्राम पंचायतें :**

आदिकाल से ही गाँव क्षेत्र का प्रशासनिक केंद्र रहा है। उस समय गाँव का महत्व सर्वविदित था, जब आपस में संवाद करने के बहुत कम साधन थे। गाँव ही सामाजिक जीवन का वास्तविक केंद्र था, जबकि कस्बे गाँव की तुलना में अपेक्षाकृत छोटे थे। इसी प्रकार, गाँव की संस्थाएँ प्राकृतिक परिस्थितियों द्वारा स्थापित स्थितियों से निर्मित और विकसित हुईं। समुदाय भी प्राकृतिक परिस्थितियों द्वारा स्थापित स्थितियों से उत्पन्न हुए। राधा कुमुद मुखर्जी ने यह अवलोकन किया कि अधिकांश आधुनिक सभ्य राष्ट्रों में, राज्य, एक पूर्ण विकसित निकाय के रूप में, अपने कार्यों के विकेंद्रीकरण और परिभाषा के माध्यम से सचेत रूप से स्वायत्त केंद्रों का निर्माण करता है। इसके विपरीत, प्राचीन भारत के इतिहास में जनजातीय जीवन और संगठन की अस्थिर और नवोदित स्थितियों से सामुदायिक संगठन, संघ और स्थानीय निकाय स्वतंत्र रूप से उभरे।

प्रारंभिक वैदिक काल में, ग्राम प्रधान, जिसे 'ग्रामणी' कहा जाता था, ग्राम प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। स्थानीय शासन से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार सभा या परिषद प्रत्येक गाँव में मौजूद थी। जातक कथाओं में गाँव के राजनीतिक संगठन का भी उल्लेख मिलता है, जो समुदाय के लिए महत्वपूर्ण प्रथागत था। इन कथाओं से पता चलता है कि गाँव का मुखिया कार्यकारी के रूप में कार्य करता था और कुछ विशेष दायित्वों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान, जातक कथाओं में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें गाँव के मुखिया का विस्तृत वर्णन है। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि आर्य संस्कृति में वह गाँव के प्रशासन का अभिन्न अंग था। चर्चा के उद्देश्य से आवंटित किए गए परिषद आवासों पर ग्रामीण एकत्रित हुए। जब आर्यों ने ईसा पूर्व सातवीं शताब्दी में दक्कन पर आक्रमण किया, तो संभावना है कि उसी समय पश्चिमी भारतीय गांवों में भी ग्राम परिषद की यह विशेषता प्रचलित थी।

2. ग्राम परिषद :

इस ऐतिहासिक काल के संदर्भ में ग्राम प्रधान के कार्य या ग्राम परिषद के अस्तित्व के बारे में कोई निर्णायक शिलालेखीय प्रमाण नहीं मिले हैं। अशोक के समय तक दक्कन पर आर्यों का पूर्ण आधिपत्य हो चुका था और 'अर्थशास्त्र' में वर्णित मौर्य शासन की विशेषताएं पश्चिमी भारत में व्यापक रूप से प्रचलित थीं। विशेष रूप से, अशोक के विशाल साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ग्राम परिषदें मौजूद थीं। उन्होंने ग्राम बुजुर्गों की एक अनौपचारिक, गैर-चुनावी परिषद के माध्यम से अपने अधिकारों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। 'अर्थशास्त्र' में इन लोगों का उल्लेख मिलता है, जहां उन्हें "ग्राम वृद्ध" कहा गया है, जिसका अर्थ है "ग्राम बुजुर्ग"। छठी शताब्दी के दौरान पश्चिमी भारत में नियमित अंतराल पर ग्राम परिषदों की स्थापना की गई थी। उत्तरोत्तर हिंदू काल के शिलालेखों से संदर्भ तैयार करने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई।

परिवार के बड़े-बुजुर्ग या रिश्तेदार आपस में समझौता करके छोटे-मोटे विवादों को सुलझाने के लिए एक "कुल" बनाते थे। "पुग" पुराने जमाने की ग्राम अदालतें थीं। हिंदू युग के शिलालेखों में "ग्राम मातृतारा" या "महाताराधिकारिका" शब्द अंकित है, जो मिताक्षरा समुदाय को विभिन्न जातियों और व्यवसायों के लोगों का समूह बताता है जो सभी एक ही गांव में रहते थे। गांव के बुजुर्गों में व्यवसायों और सामाजिक वर्गों की बहुत विविधता थी। वे एक ही स्थान पर रहकर गांव की चिंताओं और परेशानियों को दूर करने में सक्षम थे। निःसंदेह, मातृतारा का तात्पर्य गांव के बुजुर्गों से है। हमने अभी पुगा के बारे में जो सुना वह ग्राम अदालत के कामकाज के तरीके

से बहुत मिलता-जुलता है। यह हिंदू काल के उत्तरार्ध में किया गया था। ग्राम पंचायत के नाम से जाने जाने वाले गांव के बुजुर्गों द्वारा दिए गए फैसले को बाबाजीलावोजी बनाम बाबाजीबाजी का मामला सन् 1673 से पटेल, सुनार, बढई, कुम्हार, मोची, महार और मांग समुदायों द्वारा समर्थित रहा है। प्रोफेसर अल्टेकर के शोध से पता चलता है कि ब्राह्मणों के अलावा, ग्राम परिषद में अन्य जातियों के बुजुर्ग भी शामिल थे। प्रोफेसर अल्टेकर का तर्क है कि महाराष्ट्र के अछूत भी स्थानीय "गोटा" या परिषद के सदस्य थे, फिर भी ये परिषदें छोटे-छोटे बहुसांस्कृतिक समूहों के रूप में कार्य करती थीं। उनका यह दावा इसलिए है क्योंकि स्थानीय परिषदों में सभी का स्वागत था। पेशवा, मुस्लिम और मराठा राजवंश सभी बुजुर्गों की परिषद का हिस्सा थे। समुदाय में विवादों को सुलझाने का दायित्व उन्हीं पर था।

मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था :

मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन (1992) के अनुरूप संचालित किया जाता है। राज्य में इसके लिए मुख्य रूप से 'मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993' लागू है, जो 25 जनवरी 1994 से प्रभावी हुआ।

त्रि-स्तरीय संरचना :

मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था तीन स्तरों पर कार्य करती है :

- **ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर) :** यह सबसे निचला और आधारभूत स्तर है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्वाचित पंच और एक सरपंच होते हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्र को 10 से 20 वार्डों में विभाजित किया जाता है।
- **जनपद पंचायत (ब्लॉक/खंड स्तर) :** यह मध्यवर्ती स्तर है। इसमें निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो अपने बीच से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं।
- **जिला पंचायत (जिला स्तर) :** यह शीर्ष स्तर है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है।

ग्राम सभा : आधारभूत इकाई :

- मध्य प्रदेश की व्यवस्था में 'ग्राम सभा' को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।
- यह गाँव के सभी पंजीकृत मतदाताओं का समूह है।
- ग्राम सभा गाँव के विकास कार्यों की योजना बनाने, लाभार्थियों का चयन करने और सामाजिक अंकड़क्षण (Social Audit) करने का कार्य करती है।
- इसे पंचायतों के कामकाज की समीक्षा और निगरानी करने का संवैधानिक अधिकार है।

मुख्य विशेषताएं :

- **संवैधानिक दर्जा :** 73वें संशोधन के बाद इसे संवैधानिक रूप से अनिवार्य और सशक्त बनाया गया है।
- आरक्षण :** अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिलाओं के लिए सीटों तथा अध्यक्ष पदों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 (वर्तमान में कई राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी इसे 50% किया गया है) आरक्षण सुनिश्चित है।
- **कार्यकाल :** पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष निर्धारित है। समय पूर्व विघटन होने पर 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है।

- **वित्तीय शक्तियाँ :** पंचायतों को अपनी आय बढ़ाने और कर (Tax) वसूलने का अधिकार है। साथ ही, राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है।
- **उत्तरदायित्व :** 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों (जैसे कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) पर पंचायतों को अधिकार और जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रशासन :

पंचायती राज संस्थाएं 'पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग' के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) जिला और जनपद स्तर पर इन योजनाओं के क्रियान्वयन, बजट तैयार करने और समन्वय के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह व्यवस्था स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ग्रामीण विकास, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।

रीवा में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका :

मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं की भूमिका न केवल प्रतिनिधित्व के स्तर पर, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता (Agent of Change) के रूप में भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। राज्य ने इस दिशा में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी जगह बनाई है।

मध्य प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी और उनके सशक्तिकरण से जुड़े मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं :

1. संवैधानिक और विधायी प्रावधान (50% आरक्षण)

आरक्षण की स्थिति : भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% आरक्षण अनिवार्य था। हालांकि, मध्य प्रदेश सरकार ने इसे और अधिक प्रगतिशील बनाते हुए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है।

यह प्रावधान ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत— तीनों ही स्तरों पर समान रूप से लागू है, जो महिलाओं को नीति-निर्माण की मुख्यधारा में लाता है।

2. भूमिका और प्रभाव :

विकास कार्यों में प्राथमिकता : शोध और फील्ड अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि महिला प्रतिनिधि सामान्यतः उन मुद्दों पर अधिक ध्यान देती हैं जो सीधे तौर पर परिवार और समुदाय से जुड़े होते हैं, जैसे :

- **पेयजल :** जल संकट का समाधान और जल प्रबंधन।
- **स्वच्छता और स्वास्थ्य :** शौचालय निर्माण, स्वच्छता अभियान, मातृ-शिशु स्वास्थ्य और पोषण।
- **शिक्षा :** प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता और साक्षरता पर जोर।
- **सामाजिक सुरक्षा :** राशन वितरण और वृद्ध पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचाना।
- **नेतृत्व का उभरना :** कई महिला प्रतिनिधियों ने सामाजिक बाधाओं को तोड़कर स्वयं को एक कुशल प्रशासक के रूप में स्थापित किया है। वे अब केवल 'नाममात्र' के पदों पर नहीं, बल्कि स्वतंत्र निर्णय लेने में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

3. चुनौतियां (व्यवहारिक धरातल)

भले ही कानूनी रूप से सशक्तिकरण हुआ है, लेकिन धरातल पर अभी भी कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं :

- **सरपंच-पति (Sarpanch-Pati) संस्कृति** : यह एक बड़ी चुनौती है जहाँ निर्वाचित महिला प्रतिनिधि की जगह उनके पति या परिवार के अन्य पुरुष सदस्य निर्णय लेते हैं और प्रशासनिक कार्य करते हैं।
- **पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना** : ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता को परिवार या समाज की ओर से सीमित रखने की कोशिश की जाती है।
- **अनुभव और साक्षरता का अभाव** : राजनीतिक अनुभव और औपचारिक शिक्षा के सीमित अवसर भी कई बार महिलाओं की स्वतंत्र कार्यक्षमता में बाधक बनते हैं।

4. सकारात्मक बदलाव के संकेत :

- **स्वतंत्र चुनाव जीतना** : ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहाँ महिलाओं ने आरक्षित सीटों के बजाय 'सामान्य सीटों' पर भी पुरुषों को हराकर जीत दर्ज की है। यह उनके बढ़ते राजनीतिक आत्मविश्वास का परिचायक है।

- **क्षमता निर्माण (Capacity Building)** : समय-समय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने महिला प्रतिनिधियों में अपने अधिकारों, बजट प्रबंधन और सरकारी योजनाओं के संचालन के प्रति जागरूकता बढ़ाई है।

मध्य प्रदेश में पंचायती राज के माध्यम से महिलाओं ने घर की चौखट से निकलकर शासन-प्रशासन की सत्ता तक अपनी पहुँच बनाई है। यद्यपि अभी पूर्ण सशक्तिकरण की यात्रा जारी है, लेकिन यह व्यवस्था ग्रामीण समाज में महिलाओं के दृष्टिकोण को बदलने और उनके नेतृत्व को स्वीकार करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हुई है।

रीवा जिले में साक्षरता दर बढ़ने से महिलाओं की राजनीतिक रुचि में बदलाव आया है। महिलाएं अब राजनीतिक रूप से सक्रिय हो रही हैं।

निष्कर्ष :

इस खंड को दो मुख्य अध्ययनों में विभाजित किया गया है : एक भारत में ग्राम प्रशासन की उत्पत्ति और विकास का विश्लेषण करता है, जबकि दूसरा रीवा की पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालता है। यह खंड इन दोनों मूल्यांकनों का गहन अध्ययन प्रस्तुत करता है। हाल के शोध से पता चला है कि ग्राम स्थानीय प्रशासन की प्रथा भारतीय संस्कृति के आरंभिक काल से ही चली आ रही है। उस समय प्रत्येक नगर प्रभावी रूप से एक स्वतंत्र राष्ट्र के समान था। आर.के. मुखर्जी उन अनेक विद्वानों में से एक हैं जिन्होंने ग्राम प्रशासन की वर्तमान स्थिति का विस्तृत वर्णन किया है।

उस समय ग्राम परिषद में पाँच प्रतिष्ठित निवासी शामिल होते थे और अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत से होता था। कुछ लोगों ने इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा भी है। पूर्ववर्ती स्थानीय प्रशासन वर्तमान पंचायत प्रणाली की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी और सशक्त था। मुगलों के शासनकाल में ग्राम प्रशासन की पारंपरिक प्रणाली को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। मुगलों ने भू-राजस्व एकत्र करने और लोगों के बीच विवादों को निपटाने के लिए कोतवाल संस्था की स्थापना की और शहरी निर्माण पर भी अधिक ध्यान केंद्रित किया। इसी कारण स्वदेशी ग्रामीण शासन प्रणाली को कमजोर होने दिया गया। ब्रिटिशों को अपनी स्थानीय प्रशासन प्रणाली के लिए कोई स्वदेशी मॉडल नहीं मिला, इसलिए उन्होंने भारत में इसकी संभावनाओं का पता लगाया। रीवा जिले की ग्राम पंचायतों में महिलाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। आज के समय आरक्षण के परिणाम स्वरूप पंचायतों

में महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ी है। ग्रामपंचायतों में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. रोमिला थापर। भारतीय महिलाओं के इतिहास में एक झलक, संपादक (देवकी जैन), निदेशक, प्रकाशन प्रभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1975।
2. कोचर, अंजिनी (2007), "क्या स्कूली शिक्षा नीतियां स्कूली शिक्षा असमानता में योगदान करती हैं? ग्रामीण भारत में स्कूल स्थान नीतियां", स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च, <http://siepr.stanford.edu>, नवंबर, पृष्ठ 6
3. नायडू, आर.वी.के., (2004), 'अनुसूचित जातियों का सशक्तिकरण', कपलाज पब्लिशर्स, दिल्ली, पृष्ठ 4।
4. डॉ. बी.आर. अंबेडकर लेखन और भाषण (1990), 'शूद्र कौन थे? वे भारत-आर्यन समाज में चौथा वर्ण कैसे बने? अछूत : वे कौन थे और वे अछूत क्यों बने, खंड 7। शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई।
5. डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर लेखन और भाषण (1989), 'भारत में जातियाँ और अन्य निबंध', खंड 1, शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, बॉम्बे, पृष्ठ 9।
6. फुच्स, एम., और लिंकेनबैक, ए. (2003)। सामाजिक आंदोलन। वी. दास (संपादक) में, द ऑक्सफोर्ड इंडिया कम्पेनियन टू सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, खंड II, नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृष्ठ 1541।
7. जॉर्ज रोसेन (1966), 'भारत में लोकतंत्र और आर्थिक परिवर्तन, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय प्रेस, कैलिफोर्निया।
8. भगवान दास (1969), "इस प्रकार बोले अम्बेडकर", खंड। द्वितीय, जुलुंदुर, भीम पत्रिका प्रकाशन, पृष्ठ 110।
9. लिंच, ओ.एम. (1969), "अस्पृश्यता की राजनीति : भारत के एक शहर में सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन", कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क, यू.एस.ए.।
10. सुमा चिटनिस (1972), "समानता के लिए शिक्षा : उच्च शिक्षा में अनुसूचित जातियों का मामला", आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, खंड 7, संख्या 31/33, अगस्त, पृ. 1675-1681।
11. कुसुम के. प्रेमी (1974), 'अनुसूचित जातियों के लिए शैक्षिक अवसर : समता में सुरक्षात्मक भेदभाव की भूमिका', आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, खंड 9, अंक 45/46, नवंबर, पृष्ठ 1902-1905, 1907, 1909-1910
12. उमा रामास्वामी (1974), 'अनुसूचित जातियों में आत्म-पहचान : आंध्र का एक अध्ययन', आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, खंड 9, संख्या 47, नवंबर, पृष्ठ 1959, 1961, 1963-1964।
13. कुलकर्णी, एस.डी., (1974), 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की समस्याएं और नीतियां', आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, खंड 9, अंक 42, अक्टूबर, पृष्ठ 1775-1777
14. शर्मा, के.एल., (1974), 'राजस्थान की अनुसूचित जातियों में शैक्षिक असमानताएं', आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, खंड 9, अंक 37, सितंबर, पृष्ठ 1589-1592
15. ग्रामीण स्थानीय स्वशासन समिति, भोपाल, सरकारी केंद्रीय भवन, 1959, पृष्ठ 18 की रिपोर्ट।
16. चीत्कार झा (1965), इंडियन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, नावेल्ली, पटना।
17. एम.पी. शर्मा, भारत में स्थानीय स्वशासन सुधार, हिंद किताबें, मुंबई, 1944, पृष्ठ 26
18. सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अध्ययन हेतु गठित दल की रिपोर्ट, खंड-1, नई दिल्ली, योजना परियोजना समिति, 1957, पृष्ठ 7।



संगम

Impact Factor : 7.834

Website :
www.ginajournal.com

ISSN : 2321-8037

SANGAM

Vol. 14, Issue 5-6

पृष्ठ : 123-127

गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक-बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTILANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREEED RESEARCH JOURNAL

नागपुरी नाटक साहित्य में महिला साहित्यकारों का योगदान

डॉ० प्रवीण सिंह

शोधार्थी, नागपुरी विभाग

जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, रांची विश्वविद्यालय रांची।

किसी भी साहित्यिक विधा को परिपूर्ण करने हेतु नाट्य साहित्य का योगदान एक बहुआयामी विधा के रूप में कार्य करती है जिसके फलस्वरूप ही गद्य विद्या पूर्णरूपेण परिपूर्ण हो जाती है। किसी भी राष्ट्र का साहित्य वहा जन-मानस जन-अभिव्यक्तियों के मानस पटल के उद्वेगों से उद्धिलित सोच विचार को पार उनमें रचनाशिलता का गुण को उजागर कर एक अच्छे साहित्यिक रचना की ओर अग्रसर करना ही एक अच्छे रचनाकार का परिचय कराती है जिसमें समाज को नयी सोच, नयी लेखनी एवं अन्य परिस्थितियों के अनुरूप रचनाएँ हमारी समक्ष प्राप्त होती है जो समाज को पूर्ण रूप से संगठित और ज्ञान का संचार कराती है जिसमें सक्रिय भावनाओं को सम्राज में मनोबल प्रदान होता है जो सभ्य समाज का निर्माण भी करता है, साहित्य का अर्थ ही एक सभ्य समाज को बनाना होता है।

सक्रिय मन के भावों से उद्धिलित समायानुकूल परिस्थितियों में नाटक अभिव्यक्त करता है। ये परिस्थितियों कुछ भी हो सकता है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं समसायिक इनका स्वरूप उस समय की रचनाओं में स्वत ही परिलक्षित होता है। इसी को आचार्य राम चन्द्र शुक्ल जी कहते हैं “प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक, परिस्थितियों के अनुसार होती है।”

गद्य साहित्य की प्रभावशाली विधा के रूप में प्रचलित नाटक साहित्य जो जीवन के प्रारंभ से जीवन के अस्त तक हमारे साथ सामजस्य स्थापित कर हर पल साथ जुड़ा रहता है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नाटककार के जन्मदाता शेक्सपीयर ने भी इसकी विशेषता पर पुर्ण प्रकाश डाला है यह विश्व रंगमंच है तथा यहाँ निवास करने वाले प्राणी को कलाकार की संज्ञाओं से अभिनिहित किया है। नाटक यह जीवन की चित्रछाया या चरित्रछाया का जीता जागता उदारहरण है। नाटक हमारे जीवन की निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हमें पूर्ण रूप से सुदृढ़ बनाती है। जनसमुहों को शिक्षाप्रद एवं सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सभी पहलुओं को रंगमंच के द्वारा समाज में विस्तृत रूपों का प्रदर्शन कर उसके उद्देश्यों का हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है जिसके फलस्वरूप लाभ-हानियों के प्रति जागरूकता एवं रोजगार के लिए भी हमें मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं।

हिन्दी साहित्य में नाटक शब्द संस्कृत के रूपक और अंग्रेजी के ‘डामा’ शब्द का संज्ञा दिया जाता है।

यह संस्कृत रूपक का ही पूर्ण रूपेण भेद कहा जा सकता है अपने व्यापक अर्थ में आज अनेक प्रकार के रूपक व दृश्य काव्य के लिए प्रयुक्त होता है। भारतमुनि के नाट्यशास्त्र में नाटक को ही पंचमवेद की संज्ञा दी गई है।

नाटक की व्युत्पत्ति और उत्पत्ति देखा जाये तो नट् धातु से मानी गई है। 'नट' का अर्थ अंग संचालन एवं अभिनय दोनों ही माना गया है। नाटक का प्रारंभ निर्माण इन्हीं तत्वों और क्रियाओं के मिश्रण से होता है। अभिनव गुप्त के अनुसार "नाटक वह दृश्य काव्य है जो प्रत्यक्ष कल्पना और अध्यवसाय का विषय बन, सत्य और असत्य के समन्वित विलक्षण रूप धारण करके सब को आनंद देता है।"²

'काव्येषु नाटकं रम्यं' अर्थात् वाणी का श्रृंगार है काव्य और काव्य का श्रृंगार है नाटक कालिदास के अभिज्ञान शकुन्तलम् नाटक पर कही गई यह उक्ति नाट्य कला पर ही सिद्ध होती है।

"पाणिनी नाट्य की उत्पत्ति नट् धातु से बतलाते हैं। नट् में नृत प्राकृत रूप से अवस्थित है। नट्-नृत समानार्थी है। दोनों में अभिनय व्याप्त है। नट् में संवाद की प्रधानता एवं नृत में भाव प्रधानता होती है।"³

भरतमुनि : ने नाट्यशास्त्र में जो नाटक की परिभाषा दी है उनके उक्तियों को समावेशित कर दे तो भरतमुनि के अनुसार नाटक की परिभाषा इन शब्दों में प्रस्तुत की जा सकती है।

"नाटक आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य चारो प्रकार के अभिनय से युक्त वह दृश्य रचना है जिसमें देवता, मनुष्य राजा या किसी महात्मा के अनुकरण द्वारा सुख-दुख समन्वित लोक के स्वभाव का प्रस्तुतीकरण होता है।"⁴

नाटक के अभिनय करने के दौरान आंगिक अंगों के प्रदर्शन वेश-भूषा वाचिक जिसमें अपनो मुखों से उच्चारित ध्वनियों से दर्शकों के मुकदर्शनों की अपनी वाचिक क्रियाओं से पूर्णरूपेण मनोरंजन करना एवं सात्विक आहार्य को समीक्षण कर नाटक को दर्शकों के समक्ष बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं।

"नाटक दृश्य काव्य के अन्तर्गत आता है एवं नाटक की सबसे बड़ी विशेषता उसकी अभिनेता-अभिनेयता होता है और उसे रंगमंच पर दिखाया जा सके जो नाटक केवल पाठ्य होते हैं और जिनका अभिनय करना कठिन होता है नाटक के मूल तत्व उद्देश्य अभिनेयता की हत्या करते हैं।

रंगमंच की परंपरा अति प्राचीनकाल से चली आ रही है भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में नाटकों के अभिनीति करने के लिए रंगमंच को विशुद्ध विवेचन किया है। अतः निःसंकोच से नाटक और रंगमंच को एक-दूसरे का पुरक स्वीकार किया जा सकता है। या यो भी कह सकते हैं कि नाटक रचना के साथ ही रंगमंच का भी आविर्भाव हुआ। श्रीकृष्ण दास ने अपनी प्रसिद्ध कृति हमारी नाट्य परंपरा में लिखा है कि संस्कृत नाटकों के लिखने की परंपरा के साथ ही खेलने की परंपरा भी मिलती है। सच यह है कि यदि उन नाटकों के खेलने की परंपरा न रही होती तो लिखने की भी इतनी पुष्ट और उच्च स्तरीय परंपरा न रही होती। स्वयं भरतमुनि के नाट्यशास्त्र की इतना पूर्ण और निर्दोष रूप नहीं बन सकता था यदि इसके निर्माण के पहले नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत करने की परंपरा न रही होती।"⁵

"आचार्य महिम भट्ट" का मानना है कि अनुभाव विभावादि के वर्णन से रसानुभूति होती है तो वह काव्य कहलाता है और जब काव्य को गीतादि से रंजित करके नटो द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है तो वह नाटक बन जाता है।"⁶

गद्य साहित्य की मुल्य विद्या के रूप में प्राचीनकाल से वर्तमान काल तक अपनी अमिट छवि को पूर्ण रूप बरकरार रखे हुए है एवं नाटक पूर्व काल से दर्शको की मुल तत्व के रूप में बनी रही है क्योंकि उस वक्त नाटकों के द्वारा किसी भी संदेश को समाज में दिया जाता है जैसे रामायण, महाभारत एवं सामाजिक अवधारणा के तहत छुआ-छुत, बेरोजगारी एवं गंभीर रोगों का समाधान एवं उपचार के नियमों को जानना एवं सड़क दुर्घटनाओं के प्रति उन्हें समाज में नाटकों के माध्यम से समझाया जाता है। ना तो उस समय तकनीकी व्यवस्थाओं का संसाधन अप्रयाप्त था जो अभी वर्तमान समय में हमें फिल्मों एवं वेब सिरिजों, चलचित्रों के माध्यम से जागरूक बनाने का अहम् उद्देश्य उसका मुल्य उद्देश्य बन चुका है इसका जन्मदाता नाटक ही रहा है। जो आज भी अपनी पैठ जमाये हुवे है। आज भी ग्रामीणों, शहरीयों के बीच जैसे एड्स के बिमारियों को प्रति हमें नाटकों से उसके सामाधान एवं उसके किस प्रकार निदान पाया जा सके उस प्रकार कि जानकारीयाँ नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से हम दर्शको के बीच उसे प्रस्तुत कर उसकी जानकारीयों का आदान-प्रदान किया जाता है।

जैसे आज समाज में अंधविश्वास की जहर पुरा समाज को एक खोखला करने का माध्यम है जिनसे हमारे समाज में अनेक दुर्ष परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे डायन-बिसाहा प्रथा जिसमें अनेक महिला एवं पुरुष दोनों वर्ग को इसका सामना करना पड़ता है एवं अनेक हत्या जैसे वारदातों के हमारी पुरी समाजों द्वारा उसका हत्या कर दिया जाता है। ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है जिसमें स्त्री को ही जननी का रूप माना गया है एवं दुसरी तरफ उसे ही डायन कह रहा है समाज इसके सामाधान निपटारा हेतु आज भी दर्शकों को इसके परिणाम एवं इसके दुष्परिणामों से अवगत कराया जाता है। इसमें नाटकों का विशेष योगदान रहता है जिसमें परिणाम एवं दुष्परिणामों को दर्शकों के समक्ष अभिनय कर प्रदर्शित कर उन्हें वर्तमान एवं भविष्य की परिपाटी की झलक दिखलाई पड़ता है। इससे दर्शको पूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं एवं इस वर्तमान समय में अंधविश्वास जैसे अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होते हैं।

साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने भी नाट्य लक्षणों पर अत्यन्त विस्तार से विचार किया है।

हिन्दी के अनेक आलोचकों श्यामसुंदर दास के अनुसार – ‘रूपक काव्य की वह विद्या है जिसमें लोक-परलोक की घटित-अपघटित घटनाओं का दृश्य दिखाने का आयोजन किया जाता है और इस कार्य के लिए अभिनय की सहायता ली जाती है। यद्यपि काव्य में कवि मात्र जीवन-जगत के भिन्न-भिन्न व्यापारों की अनुकृति करता है पर दृश्य काव्य में यह अनुकृति यह नकल प्रत्यक्ष रूप में होती है और अनुकृति की उसमें प्रधानता रहती है। कवि या लेखक अपने स्वतंत्र विचारों को प्रकट करना चाहे तो वह भी किसी रूपक पात्र के मुख से ही कर सकता है।’⁷

हिन्दी के प्रसिद्ध आलोचक साहित्यकार गुलाब राय ने नाटक की परिभाषा को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया है निम्न है—

“नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में सयुक्त करके उसको सजीव पात्रों द्वारा एक चलते-फिरते सप्राण रूप में अंकित किया जाता है। नाटक में फैले हुए जीवन-व्यापार को ऐसी व्यवस्था के साथ रखते है कि अधिक प्रभाव उत्पन्न हो सके।”⁸

पाश्चात्य आलोचकों साहित्यकारों के द्वारा दी गई परिभाषाएँ इस प्रकार है—

सिसरो के अनुसार – “नाटक जीवन की अनुकृति परम्पराओं का दर्पण तथा सत्य का प्रतिबिम्ब होता है।”

Drama is a copy of like mirrorol custom a relication of truth”⁹

कालरिज के अनुसार – “नाटक को इस प्रकार परिभाषित किया ‘Drama is not a copy but an imitation of nature’ नाटक प्रकृति की नकल नहीं बल्कि उसका अनुकरण है।”¹⁰

ए० निकल ने नाटक की परिभाषा इस प्रकार परिभाषित किया है निम्न रूप प्रस्तुत है—

"Drama is the art of expressing ideas about like in such a manner as to render that expressing Capable of interpretation by actors and likely to interest and audience assembled to hear the words and Witness action"

नाटक कला है जिसमें जीवन के संबंध में कलाकार के विचार इस रूप में अभिव्यक्त होते हैं और उन्हें पात्रों के माध्यम से इस प्रकार मंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है कि मंच के सामने एकत्रित दर्शक रुचिपूर्वक पात्रों के शब्दों को सुने और उनकी क्रियाओं को देखे।”¹¹

नाटक के तत्व :

नाटक के सामान्य तौर पर “भारत ने नाट्य के चार तत्वों को स्वीकार किया है— पाठ्य गीत, अभिनय और रस। पाठ्य में कथावस्तु और संवाद का अन्तर्भाव हो जाता है, अभिनय में पात्र (अभिनेता) और रंग—निर्देश गतार्थ हो जाते हैं, रस तो स्वतंत्र तत्व है ही।”¹²

साहित्य के प्रत्येक विद्या में देखा जाये तो सभी में तत्वों का समावेश कुल मिलकर एक ही होता है एवं कहानी, उपन्यास, नाटक इन तीनों के तत्वों में सभी तत्वों को एक बराबर ही दिखलाई पड़ता है। जैसे— कथानक, (कथावस्तु), भाषा शैली, शिल्प, परिवेश, संवाद, उद्देश्य, पात्र इत्यादि इनमें सभी तत्वों का समिक्षण दिखलाई पड़ता है। लेकिन नाटक के तत्वों में भिन्नता दिखलाई पड़ता है।

नाटक पढ़ने की वस्तु कम, देखने की वस्तु है नाटक के माध्यम से जीवन का समुचा अनुभव कराया जाता है प्रत्यक्ष रूप से अभिनेयता नाटकों का रीझ की हड्डी है जिसके संतुलन से पुरा नाटक टिका हुआ है। जीवन अवस्था की अनुकृति से तात्पर्य अभिनय से है। नाटकेतर विद्याओं में शब्द—ध्वनि और भाषा—व्यापार के माध्यम से कल्पना के द्वारा हम अपने अंदर के विचारों का पूर्ण रूप से अनुभव करते हैं। किन्तु नाटकों में अभिनेयताओं के द्वारा रंगमंच पर उन विचारों का कार्यानुवाद किया जाता जिससे दर्शकों को शिक्षाप्रद एवं अनेक प्रकार की जानकारीयें प्राप्त होती है।

नाटक के तत्वों को देखा जाय तो अन्य विद्या के अनुकूल ही है वस्तु नेता तथा रस को नाटक का सर्वेक्षेष्ट तत्व माना जाता है जिनके समक्ष पुरा नाटक इन्हीं पर विशेष रूप जोड़ते हैं, लेकिन पाश्चात्य विद्वानों एवं आधुनिक विद्वानों के मतभेदों मुलतः एक ही तरह निकल कर हमारे समक्ष दिखलाई देते हैं।

नाटक में निम्नरूप में छः तत्वों को माना जा सकता है—

कथावस्तु, पात्र, संवाद, भाषा शैली, वातावरण, उद्देश्य एवं इसके अलावे सातवे तत्व के रूप में रंगमंच एवं अभिनय के साथ नाटक के तत्व संपूर्ण होते हैं।

संदर्भ :

1. रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन, संरक्षण दिल्ली, 2010, पृ.सं. 22
2. डॉ० उषा यादव, हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, पृ.सं. 246–247
3. डॉ० गिरिधारी राम गौड़, हीरा नागपुर कर हीरा, पृ.सं. 13
4. डा० सभापति मिश्र, भारतीय काव्यशास्त्र एवं पाश्चात्य साहित्य चिंतन, पृ.सं. 436
5. एच०एल० पाण्डेय, यूनीक आधुनिक हिन्दी निबंधन, पृ.सं. 83
6. डॉ० उषा यादव, हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, पृ.सं. 247
7. डॉ० सभापति मिश्र, भारतीय काव्यशास्त्र एवं पाश्चात्य साहित्य चिंतन, पृ.सं. 437
8. वही, पृ.सं. 437
9. वही, पृ.सं. 437
10. वही, पृ.सं. 438
11. वही, पृ.सं. 439
12. राम जी पाण्डेय, हिन्दी नाट्य सिद्धांत : उद्भव और विकास, पृ.सं. 29–30

संपर्क सूत्र : 8210671556

ईमेल : praveensingh2223@gmail.com



संगम

Impact Factor : 7.834

Website :
www.ginajournal.com

ISSN : 2321-8037

SANGAM

Vol. 14, Issue 5-6

पृष्ठ : 128-131

गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक-बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTILANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREEED RESEARCH JOURNAL

डॉ० गजाधर महतो प्रभाकर का खोरठा साहित्य में योगदान : एक समीक्षा

अमित कुमार करमाली

शोधार्थी, स्नातकोत्तर खोरठा विभाग,
राँची विश्वविद्यालय, राँची।

सारांश :

खोरठा लोककथा की परम्परा इतनी गहरी और विभिन्न रंगों से भरपूर है कि इस छोटे से लेख में इस विषय को न्याय देना असंभव ही है। गजाधर महतो प्रभाकर आज जितने प्रासंगिक हैं, उतने ही आने वाले दौर में भी रहेंगे। इनके किसान जीवन की पकड़ और समझ को देखते हुए इनकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। किसान जीवन के यथार्थवादी चित्रण में प्रभाकर खोरठा साहित्य में अनूठे और लाजवाब रचनाकार हैं। प्रभाकर के कथा साहित्य जितना समकालीन परिस्थितियों पर खरा उतरता है, उतना ही बहुत हद तक आज भी दिखाई देता है। इनकी रचनाओं में गरीब, श्रमिक, किसान और स्त्री जीवन का सशक्त चित्रण इनकी दर्जनों कहानी कविताओं एवं लोककथाओं में हुआ है। 'हरियरे हरियर', 'आब ना रहा पटाइल', 'तिलक दहेज', 'छुआछूत बीमारी' इन रचनाओं की यथार्थ चित्रण आज भी गाँवों में देखे जा सकते हैं। खोरठा साहित्य के क्षेत्र में गजाधर महतो प्रभाकर का योगदान अतुलनीय है। इन्होंने कहानी, कविता एवं लोककथाओं के माध्यम से लोगों को साहित्य से जोड़ने का काम किया है। इनके द्वारा लिखे गए कहानी, कविता, लोककथाएँ 9वीं, 10वीं, स्नातक तथा स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। खोरठा भाषा साहित्य के विकास में निरंतर कार्य कर रहे हैं। इनकी कई विद्याओं में रचनाएँ उपलब्ध हैं, जो खोरठा भाषा साहित्य में अहम् स्थान रखती हैं।

प्रस्तावना :

डॉ० गजाधर महतो प्रभाकर का जन्म 11 फरवरी, 1952 में ग्राम-साहेदा, पोस्ट-हलमाद, थाना-सिल्ली, जिला-राँची के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। इनके पिताजी सब चार भाई थे, उनमें एक भाई अलग और तीन भाई एक साथ थे। प्रभाकर के पिताजी का नाम जगन्नाथ महतो और माता का नाम लाखो देवी है। इनकी एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई है। इस तरह कुल तीन भाई-बहन, माता-पिता की संतान हैं। इनके छोटे भाई का जन्म हुआ, वह करीब चार-छह माह का होगा कि इनकी माँ ने अपने छोटे भाई को बुलाकर गजाधर जी को साथ ले जाने को कहा, इसके पीछे अवश्य ही संयुक्त परिवार का झमेला रहा होगा। फलतः इनके छोटे मामा ने अपने कंधे पर बिठाकर अपना घर लेते गये। नानी और मामा की छत्र-छाया में गजाधर महतो

प्रभाकर पलने लगे।

गजाधर महतो प्रभाकर का बचपन की शिक्षा प्राथमिक विद्यालय, उसरा में 1958 ई० में हुई। माध्यमिक शिक्षा कृष्ण वल्लभ उच्च विद्यालय, लारी तथा उच्च शिक्षा रामगढ़ कॉलेज, रामगढ़ से प्रतिष्ठा हिन्दी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। उसी दौरान इनका विवाह सन् 1973 ई० में लारी गाँव की पानो देवी से सम्पन्न हुआ।

गजाधर महतो प्रभाकर बचपन से ही लोककथा सुनने का बड़ा शौक था। इसी शौक ने इन्हें कथाकार, कवि और एक आदर्श शिक्षक बना दिया।

इन्होंने खोरठा लोककथा, कविता और कहानी की एक ऐसी परम्परा का विकास किया। इनका लेखन खोरठा साहित्य की एक ऐसी विरासत है, जिसके बिना खोरठा के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। वे साथ कवि, शिक्षक, प्रभावशाली वक्ता तथा कुशल संगठनकर्ता के साथ-साथ खोरठा भाषा में सबसे पहले पीएच०डी० उपाधि प्राप्तकर्ता हैं, जो खोरठा जगत में प्रथम पंक्ति में स्थापित है। जब खोरठा भाषा साहित्य में तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, उस समय इनका योगदान अतुलनीय है।

साहित्यिक जीवन एवं साहित्य में योगदान :

गजाधर महतो प्रभाकर इनका साहित्यिक नाम है, किन्तु खोरठा जगत में ये 'प्रभाकर' नाम से विख्यात हैं। वैसे तो प्रभाकर जी का 1970 ई० से ही हिन्दी में लेखन कार्य शुरू हो गया था। पहले कविताएँ ही लिखा करते थे। वर्ष 1970 ई० में ही इन्होंने दो नाटक लिखे और उसका मंचन भी किया था। वर्ष 1975 ई० में आपातकाल के समय कई कविताएँ शीर्षक के प्रथमाक्षरी अनुच्छेद में लिखा, इसके संकलन का नाम 'गाँधी मानस' रखा है, जो अब तक अप्रकाशित है। अन्य शैली की कविताओं के संग्रह का नाम "समय की पुकार" रखा है। यह भी अप्रकाशित है।

पत्र-पत्रिका जगत् में 1980 में प्रवेश हुए। जिसमें कई लघुकथा, कहानी, लेख एवं कविताएँ छपी। जुलाई, 1983 से सितम्बर, 1984 तक भुरकुण्डा से प्रकाशित जनवादी विचारधारा की राष्ट्र स्तरीय त्रैमासिक पत्रिका "शांख" का पांच अंक तक संपादन भी किए।

गजाधर महतो प्रभाकर का खोरठा साहित्य में लेखन कार्य लगभग 1982-83 ई० से आकाशवाणी, राँची से कहानी, कविताओं का प्रसारण होने लगी। उसके बाद वे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे, एक से बढ़कर एक कहानी, कविता, लोककथाओं की रचनाएँ करने लगे। जिसमें सन् 1988 ई० में पहली पुस्तक "पुटुस फूल" खोरठा कहानी संग्रह प्रकाशित हुई। इस पुस्तक की मुख्य कहानी "हरियरे हरियर" है, जो पूर्णतः ग्रामीण विकास पर आधारित है। इस कहानी में ग्रामीणों की खेती-बारी की समस्या तथा उसका समाधान को इतनी बारीकी से दिखाया गया है, जो पूर्णतः ग्रामीण परिवेश से परिपूर्ण है।

खोरठा कविता संग्रह "आब ना रहा पटाइल" इस पुस्तक की सारी कविताएँ झारखण्डी के ऊपर शोषण, अत्याचार, विस्थापिकरण तथा यहाँ के धन-संपदा को लूट कर ले जाना और यहाँ के निवासी अत्यंत गरीबी माली में अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। इन सभी बातों को अपनी कविताओं में दिखाने का

प्रयत्न किए हैं, जो यहाँ के भोले-भाले जनमानस को आईना/दर्पण दिखाने की चेष्टा की है।

"खोरठा लोककथा नेवरा" इस पुस्तक की सभी कथाएँ पूर्ण रूप से ग्रामीण परिवेश से है, जो यहाँ की जनमानस इन कथाओं को सुनकर सहज ही रसपान करते हैं। जैसे – "राजाक पुतउ आर पांच राही", "बितना",

“सियार आर मंगर” और “ओते आर तापे” इत्यादि। ये लोककथाएँ खोरठा लोक साहित्य में इतना प्रासंगिक है कि अनायास गांव के चरवाहा हो या दादी-नानी या अन्य उनके मुख पर जाड़े के मौसम हो, तपती गरमी हो, सभी दिनों इन लोककथाओं का रसपान किया जाता है।

इसी प्रकार ‘मरीचिका’ लघुकथा संग्रह में मुख्य है “रोटी के टुकड़ा”, “शराबी”, “आधुनिक द्रौपदी”, “मानुस सेवा”, “पेट” इत्यादि। ‘रोटी के टुकड़ा’ में झारखण्डी जनमानस की चेतना को दिखाने का प्रयास किये हैं। झारखण्ड सभी खनिज-सम्पदा से परिपूर्ण है, फिर भी यहाँ की जनता एक रोटी के टुकड़ा के लिए तरस रहे हैं। दूसरी तरफ ‘शराबी’ में यहाँ के मूल निवासी हाड़ी-दारू पीकर शराबी बन गये हैं और अपनी भाषा, संस्कृति, सभ्यता को विलुप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने आने वाले पीढ़ी, घर, समाज को किस तरह दूषित कर रहे हैं।

इसी प्रकार गजाधर महतो प्रभाकर की अनगिनत कविता, लोककथा, व्याकरण, रेडियो वार्ता, लघुकथा, कहानी, प्रतिनिधि कहानियाँ, पत्र-पिकत्रा और शोध ग्रंथ खोरठा साहित्य में विद्यमान हैं जो चिरकाल तक हमेशा खोरठांचल प्रदेश में एक पुष्प के सुगंध की भांति महकते रहेंगे।

प्रभाकर जी साथ ही साथ खोरठा विद्यार्थियों को कोई कठिनाई न हो, उसके लिए नव क्लास से बी०ए० तथा एम०ए० तक के पाठ्य सामग्री (नोट) तैयार करके बाजार में उपलब्ध कराते हैं तथा यू-ट्यूब में “खोरठा प्रतियोगिता दर्पण” चैनल के माध्यम से कमजोर, गरीब छात्र-छात्राओं के लिए खोरठा की निःशुल्क क्लास करवाते हैं।

गजाधर महतो प्रभाकर के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है सत्य और सुंदर शिव के अनुचर होकर आते हैं। इनकी कला स्वीकृत रूप में जीवन के लिए है। और जीवन का अर्थ भी इनके लिए वर्तमान सामाजिक जीवन है। ये कभी वर्तमान से दूर नहीं गए। प्रभाकर ने जीवन का गौरव राग नहीं गाया, न ही भविष्य की हैरतअंग्रेज कल्पना की। इन्होंने न तो अतीत के गुण गाए और न भविष्य के मोहक सपनों का भ्रमजाल अपने पाठकों के सामने फैलाया। ये ईमानदारी के साथ वर्तमान काल की अपनी वर्तमान अवस्था का विश्लेषण करते रहते हैं। उन्होंने देखा कि बंधन भीतर का है, बाहर का नहीं। एक बार अगर पूरे झारखण्ड प्रदेश में खोरठा साहित्य के विविध विद्याओं की रचना जन-जन तक पहुँचे तो हमारी भाषा और साहित्य अनंतकाल तक अजर और अमर रहेगी।

अंततः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि डॉ० गजाधर महतो प्रभाकर का खोरठा साहित्य को जीवित तथा साधारण जनमानस के साथ-साथ सम्पूर्ण खोरठांचल में इनकी रचनायें मील का पत्थर मानी जाती है। चाहे वह “सात भाई-बहिन” की लोककथा हो या “हरियरे हरियर” कहानी हो, चाहे “समरूपभाव” कविता हो। सभी रचनाएँ खोरठा साहित्य में चिरकाल तक अजर-अमर रहेंगे। इसलिए ‘खोरठा रत्न’ जैसे सम्मान उपाधि भी इन्हें वर्ष 2019 ई० में प्रदान किया गया।

संदर्भ सूची :

1. प्रभाकर, डॉ० गजाधर महतो – खोरठा लोककथा विषय और विश्लेषण, पृथ्वी प्रकाशन, नई दिल्ली-2018, पृष्ठ-04

2. प्रभाकर, डॉ० गजाधर महतो – खोरठा भाषा और साहित्य, सफल प्रकाशन, राँची-2018, पृष्ठ-09
3. प्रभाकर, डॉ० गजाधर महतो – खोरठा की प्रतिनिधि कहानियाँ, सफल प्रकाशन, राँची-2022, पृष्ठ-28
4. प्रभाकर, डॉ० गजाधर महतो – खोरठा लोककथा विषय और विश्लेषण, पृथ्वी प्रकाशन, नई दिल्ली-2018, पृष्ठ-17
5. प्रभाकर, डॉ० गजाधर महतो – खोरठा आलेख, सफल प्रकाशन, राँची-2011, पृष्ठ-09
6. प्रभाकर, डॉ० गजाधर महतो – खोरठा लोककथाक नेवरा, खोरठा भाषा, साहित्य, संस्कृति अकादमी, रामगढ़, पृष्ठ-19
7. प्रभाकर, डॉ० गजाधर महतो – खोरठा वार्ता, क्षेत्रीय भाषा विकास मंच, भुरकुण्डा, रामगढ़, पृष्ठ-27
8. प्रभाकर, डॉ० गजाधर महतो – खोरठा लोककथा विषय और विश्लेषण, पृथ्वी प्रकाशन, नई दिल्ली-2018, पृष्ठ-29
9. प्रभाकर, डॉ० गजाधर महतो – खोरठा लोककथा विषय और विश्लेषण, पृथ्वी प्रकाशन, नई दिल्ली-2018, पृष्ठ-33
10. प्रभाकर, डॉ० गजाधर महतो – खोरठा लोककथा विषय और विश्लेषण, पृथ्वी प्रकाशन, नई दिल्ली-2018, पृष्ठ-39



Plagiarism Detection in Academic English Writing Using Machine Learning

Dr. S. Sudha, Assistant Professor , Department of English,

Dr. M.Mary Velanganni, Assistant Professor, Department of English,

Dr. Vijayalakshmi. S, Assistant Professor, Department of English,

Dr. B. Abirami, Assistant Professor, Department of English,

Mr. B. Manojkumar, Assistant Professor, Department of English,

Dr. K. Angel Vinoliya, Assistant Professor, Department of English,

Dr. Prema. K, Associate Professor, Department of Computer Science,

Sri Ramakrishna College of Arts & Science, Nava India, CBE-641 006, Tamilnadu.

Abstract :

Plagiarism in academic English writing has become an increasingly critical issue with the rapid expansion of digital content and ease of information access. Traditional plagiarism detection methods, primarily based on string matching and manual verification, are often insufficient in identifying sophisticated forms such as paraphrasing, idea plagiarism, and cross-language copying. This paper explores the application of machine learning techniques in enhancing plagiarism detection systems, focusing on their ability to analyze linguistic patterns, semantic similarity, and contextual meaning.

Machine learning-based plagiarism detection systems leverage natural language processing (NLP) and advanced algorithms to identify similarities beyond surface-level text matching. Techniques such as supervised learning, unsupervised learning, and deep learning are employed to train models on large corpora of academic texts. These models can detect subtle forms of plagiarism by analyzing syntax, semantics, and stylistic features of writing. Methods like cosine similarity, latent semantic analysis (LSA), and word embeddings (e.g., Word2Vec, GloVe) are widely used to improve detection accuracy. Furthermore, the integration of neural networks, particularly recurrent neural networks (RNNs) and transformers, has significantly improved the ability to detect paraphrased and translated

plagiarism. Machine learning models also enable scalability and automation, making them suitable for large academic databases and institutional use.

However, challenges remain, including dataset limitations, computational complexity, and ethical concerns such as false positives and privacy issues. This paper discusses these challenges and proposes future directions, including hybrid models and multilingual detection systems. In conclusion, machine learning offers a powerful and evolving solution to plagiarism detection in academic English writing, providing more accurate, efficient, and intelligent systems compared to traditional approaches.

1. Introduction :

- Plagiarism is the act of using someone else's work, ideas, or expressions without proper acknowledgment. In academic English writing, it undermines the integrity of scholarship and affects the credibility of educational institutions. With the increasing availability of online resources, detecting plagiarism has become more complex and essential.

Traditional plagiarism detection tools rely heavily on exact text matching, which fails to identify paraphrased or concept-based plagiarism. Machine learning introduces a more intelligent approach by analyzing patterns, context, and meaning within the text.

2. Types of Plagiarism in Academic Writing :

Understanding the different types of plagiarism is essential for designing effective detection systems :

- **Direct Plagiarism :** Copying text word-for-word without citation.
- **Paraphrased Plagiarism :** Rewriting content with slight modifications.
- **Self-Plagiarism :** Reusing one's own previously published work.
- **Mosaic Plagiarism :** Mixing copied phrases with original content.
- **Accidental Plagiarism :** Unintentional failure to cite sources correctly.

Machine learning models aim to detect all these forms, especially those that evade traditional tools.

3. Traditional vs Machine Learning Approaches

3.1 Traditional Methods :

- String matching algorithms
- Keyword comparison
- Database lookup systems

These methods are fast but limited in detecting semantic similarities.

3.2 Machine Learning Methods :

Machine learning enhances detection through:

- Pattern recognition
- Semantic analysis
- Contextual understanding

Unlike traditional systems, ML models learn from data and improve over time.

4. Machine Learning Techniques for Plagiarism Detection

4.1 Supervised Learning :

Supervised models are trained on labeled datasets containing plagiarized and non-plagiarized texts. Common algorithms include :

- Support Vector Machines (SVM)
- Naïve Bayes
- Decision Trees

These models classify text pairs based on similarity features.

4.2 Unsupervised Learning :

Unsupervised methods identify hidden patterns without labeled data. Techniques include :

- Clustering
- Topic modeling

These approaches help in detecting unusual similarities across documents.

4.3 Deep Learning Approaches :

Deep learning models provide advanced capabilities :

- Recurrent Neural Networks (RNNs)
- Long Short-Term Memory (LSTM)
- Transformer models (e.g., BERT)

These models capture context and sequence, making them highly effective for detecting paraphrased plagiarism.

5. Natural Language Processing in Plagiarism Detection :

NLP plays a crucial role in understanding language structure and meaning. Key techniques include :

- **Tokenization** : Breaking text into words or phrases
- **Part-of-Speech Tagging** : Identifying grammatical roles
- **Named Entity Recognition** : Detecting proper nouns and references
- **Semantic Analysis** : Understanding meaning and relationships

NLP enables machine learning models to move beyond surface-level comparisons.

6. Feature Extraction Techniques :

Effective plagiarism detection depends on extracting meaningful features :

- **Lexical Features** : Word frequency, vocabulary usage
- **Syntactic Features** : Sentence structure
- **Semantic Features** : Meaning and context
- **Stylometric Features** : Writing style and author patterns

These features are used to train models for accurate classification.

7. Similarity Measures :

Machine learning models rely on similarity metrics such as :

- **Cosine Similarity** : Measures angle between text vectors
- **Jaccard Similarity** : Compares shared words
- **Euclidean Distance** : Measures distance between vectors
- **Latent Semantic Analysis (LSA)** : Captures conceptual similarity

These methods help quantify the degree of similarity between texts.

8. Challenges in Machine Learning-Based Detection :

Despite advancements, several challenges remain :

- **Data Scarcity** : Lack of high-quality labeled datasets
- **Computational Cost** : High processing requirements
- **Language Diversity** : Difficulty in multilingual detection
- **False Positives** : Risk of incorrectly flagging original work
- **Ethical Issues** : Privacy and fairness concerns

Addressing these challenges is crucial for developing reliable systems.

9. Applications and Tools :

Machine learning-based plagiarism detection is widely used in :

- Academic institutions
- Research publishing platforms
- Online content moderation

Popular tools incorporate ML techniques to improve accuracy and scalability.

10. Future Directions :

Future research may focus on :

- Hybrid models combining rule-based and ML approaches
- Cross-language plagiarism detection
- Real-time detection systems

- Integration with educational platforms
 - Explainable AI for transparency in detection results
- Advancements in AI will continue to enhance the effectiveness of plagiarism detection systems.

11. Conclusion :

Machine learning has revolutionized plagiarism detection in academic English writing by enabling deeper analysis of text through semantic and contextual understanding. While traditional methods remain useful for basic detection, ML-based systems offer a more comprehensive and intelligent approach. Despite challenges, continued research and technological advancements promise more robust and ethical solutions for maintaining academic integrity.

References (Books)

- Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023). *Speech and Language Processing* (3rd ed.). Pearson.
- Aggarwal, C. C. (2018). *Machine Learning for Text*. Springer.

9844724542, 7373949192, 9677883210, 7373066266,
8883809258, 9942724542, 9894263061



संगम

Impact Factor : 7.834

Website :
www.ginajournal.com

ISSN : 2321-8037

SANGAM

Vol. 14, Issue 5-6

पृष्ठ : 137-145

गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक-बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTILANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREEED RESEARCH JOURNAL

पंजाब के गौरवमयी साहित्यकार डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी

डॉ. अजयपाल सिंह

अध्यक्ष, हिन्दी विभाग,

देश भगत विश्वविद्यालय मंडी गोबिन्दगढ़, पंजाब।

पंजाब भारत का गौरवमय प्रांत है। पंजाब ने प्रत्येक क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिलवाई है। कृषि एवं देश रक्षक के क्षेत्र के साथ-साथ प्रौढ़ साहित्य का रचना स्थल भी पंजाब है। हिंदी साहित्य के विकास में पंजाब प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पंजाब में राष्ट्रभाषा हिंदी की रचना लगभग प्राचीन काल से होती आ रही है हिंदु धर्म का महान ग्रंथ ऋग्वेद भी पंजाब की धरती पर रचा गया। पंजाब के हिंदी साहित्यकारों में श्रद्धा राम फिल्लौरी, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, उपेन्द्रनाथ अशक, भीष्म साहनी आदि आधुनिक रचनाकारों का हिंदी साहित्य में विशेष योगदान रहा है। पंजाब का लेखक अपनी माँ बोली के साथ राष्ट्रभाषा के आगे भी नतमस्तक होता रहा है। पंजाब ने ऐसे बहुत से लेखक एवं विद्वान दिए हैं। जिन्होंने राष्ट्र भाषा को चरम सीमा तक पहुँचाया एवं जो अब भी इस प्रयास में निरंतर क्रियाशील हैं। इसी कड़ी में डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

इनका व्यक्ति किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप पंजाब के एक ऐसे साहित्यकार हैं, जिन्होंने पंजाब की सांस्कृतिक तथा साहित्यिक विरासत को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। इन्होंने लोगों में एक ऊर्जा का संचार किया है। इनकी कविताएँ एक नई सोच एवं चेतना को जागृत करती हैं। आपकी कविताओं में देश प्रेम के साथ-साथ प्रकृति और प्रेम का भी अनूठा चित्रण मिलता है। उन्होंने हिंदी साहित्य को अनेक उत्कृष्ट रचनाएँ प्रदान की हैं।

जन्म :-

डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी का जन्म 12 मार्च, 1950 होशियारपुर जिले के मुकेरियाँ करबे में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ इनके परिवार के पास विशाल सांस्कृतिक विरासत थी। इनके पिता का नाम सरदार प्रीतम सिंह बेदी और माता का नाम श्रीमती जसवंत कौर बेदी है। इनके पिता सरदार प्रीतम सिंह बेदी रेलवे में कार्यरत थे।

परिवार :-

डॉ. बेदी के परिवार में उनकी पत्नी डॉ. गुरनाम कौर बेदी है। इनके दो बच्चे हैं। पुत्र का नाम उल्लास एवं पुत्री का नाम शेफाली है। श्रीमती बेदी संगीत, पंजाबी और हिंदी में स्नातकोत्तर (एम.ए.) हैं तथा पंजाबी में पी.एच.डी और डी.लिट् हैं। सचमुच श्रीमती बेदी विदुषी, सद्भावी, अतिथि सेवी तथा आस्तिक महिला हैं। वे

आदर्श पत्नी है, आदर्श नारी है।'

डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी अपने परिवार के बारे में लिखते हैं। 'मेरे माता-पिता से मुझे वे संस्कार मिले हैं जिनसे मैं एक प्रतिष्ठित पद पर रहा। मेरी पत्नी विदुषी है। वे स्वयं पंजाबी लेखिका हैं, प्राचार्य रह चुकी हैं। 'गुरु ग्रन्थ साहिब' पर पी.एच.डी. और डी.लिट की हैं उन्होंने मेरे साहित्यिक और अकादमिक कार्यों में उनका योगदान अपूर्व है। उन्होंने मुझे अपने कार्यों में संलग्न रहने के लिए असीम समय दिया। मेरे बेटा, बेटी और बहु अच्छे पदों पर हैं। घर में आनी वाली साहित्यिक पत्रिकाओं को केवल मैं नहीं बल्कि पूरा परिवार पढ़ता है और अपने विचार सांझे करते हैं।'²

शिक्षा, व्यवसाय, पद एवं पुरस्कार :

शिक्षा :-

डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी की प्रारंभिक शिक्षा मुकरिया में हुई। वहीं से उन्होंने दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की उच्च शिक्षा का प्रारम्भ लायलपुर खालसा कॉलेज जालन्धर में हुआ और गवर्नमेंट कॉलेज, होशियारपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की तत्पश्चात् सन 1974 में गुरुनानक देव विश्वविद्यालय से एम.ए. हिंदी और सन् 1982 में पी.एच.डी की और सन् 1988 में भागलपुर विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि अर्जित की। डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी ने पंजाबी और हिंदी के बीच पुल बनाने का काम किया। इसके लिए एम.ए. हिंदी करने के साथ-साथ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से एम.ए.पंजाबी भी की। एम.ए. पंजाबी करने का उनका मकसद हिंदी और पंजाबी के बीच के सेतु को समझना था।

व्यवसाय :-

व्यवसाय की दृष्टि से डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी ने एक समर्पित अध्यापक रहे हैं। 1978 ई. में वे गुरु नानक देव युनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में अध्यापक बने वही पर वे 1986 ई. में रीडर और फिर 1995 ई. में प्रोफेसर बने। वर्तमान समय में वे 'केन्द्रीय विश्वविद्यालय' हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में कुलपति का दायित्व निभा रहे हैं। 1978 ई. से उन्होंने 30 विद्यार्थियों को पी. एच. डी. एवं 60 विद्यार्थियों को एम फिल, करवाने में निरंतर योगदान दिया है।

पद :-

डॉ. बेदी अपने विश्वविद्यालय के अनेक महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान रहे हैं इनका उल्लेख निम्नलिखित है।

- 1994 से 1997 तक हिंदी विभाग के अध्यक्ष।
- 1997 से 1998 तक प्रेस तथा प्रकाशन विभाग के चेयरमैन।
- भारत सरकार के श्रम मंत्रालय में हिंदी सलाहकार।
- 2001-2003 स्वामी विवेकानंद अध्ययन केन्द्र के संयोजक।
- 2003-2004 प्रो. एवं अध्यक्ष, सतगुरु राम सिंह अध्ययन पीठ गुरु नानक देव युनिवर्सिटी, अमृतसर।
- साहित्य अभियान, नई दिल्ली (छमाही पत्रिका) के सम्पादक।
- हिंदी सलाहकार उपभोक्ता मंत्रालय भारत सरकार।
- सदस्य सैनेट, गुरु नानक देव युनिवर्सिटी, अमृतसर।

- डीन भाषा संकाय, गुरु नानक देव युनिवर्सिटी, अमृतसर।
- प्रो. एवं अध्यक्ष कबीर विद्यापीठ, गुरु नानक देव युनिवर्सिटी, अमृतसर।
- सदस्य, सैनेट एवं सिंडीकेट, गुरु नानक देव युनिवर्सिटी, अमृतसर (2007–2008)³

पुरस्कार :-

डॉ. बेदी अपने कृतित्व के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। जिनका उल्लेख इस प्रकार हैं।

- शिरोमणि हिंदी साहित्यकार पंजाब सरकार, 2004
- भारत के राष्ट्रपति द्वारा हिंदी साहित्य में योगदान के लिए सम्मानित।
- “गर्म लोहा” काव्य संग्रह परिषद् द्वारा कवि रत्न की उपाधि।
- हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग इलाहाबाद द्वारा साहित्य महोपाध्याय की मानद उपाधि द्वारा सम्मानित (2003)
- पंजाब हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार (2003)
- अ. भ. साहित्य कला मंच, मुरादाबाद द्वारा साहित्य श्री सम्मान।
- विवेक गोयल पुरस्कार समिति, बरेली द्वारा साहित्य सम्मान।
- कबीर शान्ति मिशन, उ. प्र. मुरादाबाद द्वारा कबीर ज्योति सम्मान।
- प्रवासी महाकवि प्रो. हरिशंकर आदेश साहित्य सिन्धु सम्मान।
- राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से “हिन्दी सेवी” पुरस्कार 2017।⁴

कृतित्व :-

डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी का कृतित्व अमूल्य है। उन्होंने हिन्दी साहित्य जगत को विभिन्न कृतित्व से प्रकाशमान किया है। उन्होंने कविता, शोध, समालोचना, अनुवाद, सम्पादन आदि अनेक क्षेत्रों और विधाओं में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। उस प्रतिभा की व्याख्या हम निम्नलिखित खंडों में करेंगे।

काव्य-संग्रह :-

डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी अब तक कविता-जगत को ग्यारह काव्य संग्रह प्रदान कर चुके हैं। जो अग्रलिखित हैं :-

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. गर्म लोहा | 2. पहचान की यात्रा |
| 3. किसी और दिन | 4. फिर से फिर |
| 5. धुंध में डूबा शहर | 6. और कहाँ |
| 7. एकांत में शब्द | 8. लहर-लहर कविता |
| 9. उपसंहार में उपस्थित | 10. अनुबंध के भोज पत्र |
| 11. अभी अशेष अनकहा | |

डॉ. हरमहेन्द्र सिंह ने हिंदी साहित्य में कवि के रूप में प्रतीकात्मक शैली के माध्यम से अपने भावों, अनुभवों की अभिव्यक्ति की है। आपकी काव्यकृतियों में सहजता, युगबोध तर्क, लोक मंगल तथा मानवीय मूल्यों की प्रमुख विशेषता है। डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी की रचनाओं में हिंदी साहित्य अमूल्य निधि सम्भावनाओं को सुविकसित करने की प्रेरणा सन्निहित है।

उनकी ग्यारह काव्य कृतियों में से सर्वश्रेष्ठ “गर्म लोहा” कविता संग्रह को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ‘गर्म लोहा’ का प्रकाशन 1982 ई. में अमृतसर से हुआ था। इसमें 46 कविताएँ संकलित हैं। मध्यवर्ग के जीवन से सम्बन्धित ये कविताएँ आज के विद्रव्य वातावरण की कथा कहती हैं। अपनी छोटी-छोटी कविताओं, छोटे-छोटे चरण वाले छन्दों के मध्यम से कवि ने मध्यमवर्गीय जीवन की व्याकुलता को पकड़ने का प्रयास किया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी की कविताएँ कल्पना जन-जीवन के हालातों की साक्षी हैं। इन कविताओं में ओढ़ा हुआ कुछ भी नहीं है बल्कि सब कुछ साफ-साफ एवं पारदर्शी है। जो मानव जीवन की विडम्बनाओं को सरल रूप में प्रदर्शित करता है।

शोध एवं समालोचना :-

डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी अभिसम्मत शोधक-समीक्षक हैं। उन्होंने शोध-समीक्षा की बहुत सारी पुस्तकें हिंदी साहित्य की नीधि को प्रदान की हैं। उनके द्वारा 150 से अधिक शोध-समीक्षात्मक आलेख भी रचित हैं। इन शोध-समीक्षात्मक लेखों के विषय विभिन्न प्रकार के हैं। उनके द्वारा रचित शोधलोचना की पुस्तकों का विवरण निम्नलिखित है।

प्रथम स्वच्छन्दतावादी उपन्यासकार : बाबू ब्रजनन्दन सहाय :

डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी का ‘प्रथम स्वच्छन्दतावादी उपन्यासकार : बाबू ब्रजनन्दन सहाय’ संज्ञक ग्रन्थ 1978 ई. में अमृतसर में छपा था। यह ग्रंथ डॉ. बेदी का एम. ए. भाग-दो का मोनोग्राफ है। इस ग्रन्थ के कुल पृष्ठ 104 हैं। इस ग्रंथ में डॉ. बेदी ने बाबू ब्रजनन्दन सहाय की रचना के चरित्र को चित्रित करने का प्रयास किया है।

गुरुमुखी लिपि में उपलब्ध हिंदी भक्ति साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन -

इस ग्रन्थ में गुरुमुखी लिपि में उपलब्ध भक्ति साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। यह डॉ. बेदी का डी. लिट् का शोध प्रबन्ध है। जिसे 1993 ई. में अमृतसर से प्रकाशित किया गया था। डॉ. बेदी के इस कार्य से भक्ति साहित्य संसार और भी प्रशस्त हुआ है क्योंकि इस ग्रंथ से हिंदी भक्ति साहित्य को नए संदर्भ, नई व्याख्या के साथ-साथ एक व्यापक क्षेत्र भी प्राप्त हुआ है।

गांधी : दर्शन और विचार -

सत्य, अहिंसा, सहयोग, भ्रातृत्व आदि उदात्त जीवन मूल्यों के पोषक महात्मा गांधी आधुनिक काल के महत्वपूर्ण विचारक और दार्शनिक रहें हैं। ‘गांधी : दर्शन और विचार’ नामक यह पुस्तक अमृतसर से 1995 ई. में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में गांधी जी के आलेखों को आधार बनाकर कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं। डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी की यह पुस्तक गांधी दर्शन के गम्भीर चिन्तकों को इक्कीसवीं शताब्दी में गांधी दर्शन की प्रासंगिकता को समझाने एवं उनका मार्ग दर्शन करने में सहायक होगी।

गुरु गोविन्द सिंह और पंजाब का हिंदी वीर साहित्य -

डॉ. बेदी ने गुरु गोविन्द सिंह के जी के व्यक्तित्व पर मोहित होकर इस कृति की रचना की है। इस ग्रन्थ का प्रकाश 1999 ई. में दिल्ली से हुआ है। इस रचना के मूल विषय पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने लिखा है कि “जुलूम और अत्याचार के खिलाफ गुरु जी ने तलवार उठाई और खालसा को भी इसकी प्रेरणा दी। हिन्दु धर्म की रक्षा भी इन युद्धों के पीछे गुरु जी का लक्ष्य था। ‘दसम ग्रन्थ’ के इसी मूल स्वर का साहित्यिक एवं

सांस्कृतिक अध्ययन इस पुस्तक का मूल विषय है।⁵

हिंदी के अतिरिक्त डॉ. बेदी ने पंजाबी भाषा में भी दो पुस्तकें लिखी हैं —

1. साहित्य संदर्भ
2. गुरु नानक वाणी अते भारतीय संस्कृति।

पहली पुस्तक में 11 आलेख हैं। इसमें गुरु नानक वाणी, गुरु तेग बहादुर, संस्कृति, बुल्लेशाह, टीकाकारी आदि को विषय बनाया गया है। दूसरी पुस्तक में 13 आलेख हैं। जिनके विषय बाबा शेख फरीद, भाई वीर सिंह, पंजाबी साहित्य का इतिहास, धार्मिक शिक्षा, पंजाब की भारतीय संस्कृति को देन सूफी दर्शन, भाई सन्तोख सिंह, साहित्य का इतिहास क्या है, आदि हैं।

सम्पादन :

डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी ने आलोचनात्मक पुस्तकों के साथ अनेक पाठ्य-पुस्तकों तथा पत्रिकाओं का भी सम्पादन किया है। उनका उल्लेख इस प्रकार है —

सामान्य पुस्तकें :

1. भाई गुरुदास के कवित्त सवैये।
2. सौन्दर्योपासक (बाबू ब्रजनन्दन सहाय)
3. रीति साहित्य : विविध सन्दर्भ।
4. कालजयी कबीर।
5. पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी ग्रन्थावली (तीन भाग)
6. ग्वाल कृत विजय विनोद।

इनके अतिरिक्त कुछ रचनाएँ और भी हैं जो प्रकाशनाधीन हैं।

पाठ्य-पुस्तकें -

अहिन्दी भाषा भाषी प्रान्त को ध्यान में रखकर ये पुस्तकें तैयार की गई हैं :-

1. हिंदी पुस्तक (आठवीं कक्षा के लिए)
2. गद्य त्रिविधा (बी. ए. I के लिए) : गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर।
3. काव्य-गरिमा (बी. ए. II के लिए) : गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर।
4. गुरु वाणी प्रकाश (बी. ए. II के लिए) : पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला।

इनके अतिरिक्त और भी कई पाठ्य-पुस्तकें हैं जो भिन्न-भिन्न कक्षाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं।

पत्रिकाएँ :-

डॉ. बेदी ने पुस्तकों के अतिरिक्त कई पत्रिकाओं का भी सम्पादन किया है। ये पत्रिकाएँ हैं।

• प्राधिकृत -

यह गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग की अर्द्धवार्षिक पत्रिका है। इसके 11 अंक प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें पाँच अंकों के सम्पादक डॉ. बेदी रहे हैं।

असीम -

यह अनियमित कालीन पत्रिका थी जिसके केवल दो अंक प्रकाशित हुए थे। अमरीक गिल इसके सह

सम्पादक थे।

अनुवाद :-

डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी ने कई कृतियों का अंगरेजी से पंजाबी में, पंजाबी से हिंदी में तथा हिंदी से पंजाबी में अनुवाद भी किया है। वे निम्नलिखित हैं :-

1. अंगरेजी से पंजाबी में :

- प्रेमानन्द कुमार कृत का 'THE MOTHER' 'श्री माँ' के नाम से
- कृष्णा कृपालानी कृत TAGORE ALIFE 'रवीन्द्रनाथ टैगोर' नाम से

2. पंजाबी से हिंदी में :

- श्री हेमकुण्ट साहिब (यात्रावृत्त) — मूल लेखक — सूबेदार बघेल सिंह।

3. हिंदी से पंजाबी में :

- 'वे दिन' (उपन्यासकार निर्मल वर्मा)

इसके अतिरिक्त डॉ. बेदी ने 'महा दार्शनिक अरविन्द' नामक एक पुस्तक की रचना की है, जो पंजाबी भाषा में है तथा अरविन्द पर पंजाबी भाषा में यह पहली कृति है। इसमें अनेक लेख संकलित हैं।

इस प्रकार, डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी ने अपनी कृतियों से हिंदी भाषा तथा पंजाबी भाषा और साहित्य जगत के खजाने को ओत-प्रोत किया है। आशा करते हैं कि डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी इसी प्रकार साहित्य जगत को अपने रचना-पुष्प अर्पित करते रहेंगे।

शोध निर्देशन :

डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी एक समर्पित शिक्षक हैं। उनका व्यवसाय अध्यापन ही रहा है। 1978 से उन्होंने अध्यापक के रूप में अपना निरंतर योगदान दिया है। अब तक वे 40 शोधार्थियों को पी.एच.डी. और 60 विद्यार्थियों को एम.फिल. का लघु शोध करवा चुके हैं। अभी भी वे धर्मशाला के विश्वविद्यालय में चांसलर के रूप में शिक्षा एवं साहित्य को निरंतर अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं।

साहित्यकारों के अनुसार डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी का व्यक्तित्व :

डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी शोधक, समालोचक, अनुवादक होने के साथ-ही-साथ समकालीन हिंदी कविता के विशेष कवि हैं। उन्होंने हिंदी कविता को अनेक खूबसूरत रचनाएं प्रदान की हैं। उनका व्यक्तित्व जितना आलोकपूर्ण है, उतना ही उनका कृतित्व भी उजासपूर्ण है। उनके व्यक्तित्व के आलोक का अध्ययन अन्य साहित्यकारों के अनुसार इस प्रकार हैं।

सुरेश सेठ के अनुसार :

“आज बेदी के साथ मेरा संपर्क पाँच दशक से भी पुराना हो गया। इन पाँच दशकों में बेदी ने हमेशा मुझे वह सम्मान दिया है जो किसी गुरु अथवा परिवार के वरिष्ठ को देते हैं। लेकिन आज मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि बेदी मेरा छात्र ही नहीं अपने अध्यवसाय, उत्साह और शोध काबिलियत के कारण मेरे साथ न केवल कंधे से कंधा भिड़ा कर खड़ा हो गया, बल्कि जीवन पथ पर चलते हुए उसका धीरज और उसकी संघर्ष शक्ति मुझे इतनी प्रेरणा दे रही है कि मुझे यह कहने को जी चाहता है कि कल का मेरा छात्र आज गुरु बन गया।”⁶

डॉ. गीता डोगरा के अनुसार :

“वक्त ने और इल्म ने उन्हें एक बड़ी और मां सरस्वती ने कलम थमा दी पर कहते हैं न दोस्त-दोस्त ही रहता है, वह रोज मिले या लम्बे अरसे के बाद रहता तो दोस्त ही है न.....। डॉ. बेदी के बारे में भी यही धारणा है मेरी, उनकी कविताएं, उनके वक्तव्य, संवाद, उन्हें बड़ा बनाते गए पर उनके भीतर का पुरुष नम्र होता गया।”

प्रो. राम सजन पाण्डेय के अनुसार :

“डॉ. बेदी की व्यक्तित्व का आकलन करना, कोई सहज कार्य नहीं है। इसका कारण यह नहीं कि वे असहज, रहस्यमय हैं। वास्तव में, वे बड़े सहज और आत्मीय हैं। वे न तो अपने व्यक्तित्व को किसी पर आरोपित करते हैं और न ही अपनी विद्वता-प्रभुता से किसी को आतंकित ही। हँसकर, उठकर दोनों हाथ पसारकर वे मिलते हैं। दिल-दिल को, हृदय-हृदय को वे एक कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए तो द्वैत की स्थिति समाप्त हो जाती है। वे मिलने वाले को अपने में अद्वैत भाव से समाहित कर लेते हैं। सचमुच वे आत्मीयता और सृजनता का विग्रह रूप हैं।”⁸

प्रो. केवल धीर के अनुसार :

तीन दर्जन से अधिक पुस्तकों के रचियता अनेकों पुस्तकों के अनुवादक एवं संपादक। दर्जन भर पुस्तकों के लेखक एवं कवि शोधकर्ता व्याख्याता एक अद्भुत : व्यक्तित्व के स्वामी डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी पंजाब की पावन धरती पर हिंदी भाषा के ऐसे वट-वृक्ष हैं जिन पर समस्त हिंदी जगत को गर्व है। हिंदी भाषा एवं साहित्य के विकास में उनकी अनथक यादें अपने आप में इतिहास हैं। जिस प्रकार सभ्यता, संस्कृति और समाज का मार्ग दर्शक होता है। इसी प्रकार डॉ. बेदी का योगदान भविष्य के गर्भ से युग युगान्तरों तक एक दिशा के रूप में समूचे समाज का मार्ग-दर्शन बना रहेगा।”⁹

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी एक खास व्यक्तित्व के धनी हैं वे अच्छे साहित्यकार के साथ-साथ एक योग्य गुरु एवं परम मित्र भी हैं। यही बात है कि जो भी उन्हें मिल पाया वह कभी भी उनके स्नेह से भरे व्यवहार को भूल नहीं पाया। डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी ने बुरे वक्त पर अपने दोस्तों का साथ दिया परन्तु कभी जताया नहीं। कितने ही लोगों ने उनकी उंगली पकड़कर साहित्य यात्रा को पार किया। वे एक पड़ाव तक आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देते हुए उनका मार्गदर्शन करते हैं। और फिर किसी और को मार्गदर्शन देने के लिए उनकी उंगली थाम लेते हैं। यही विशेषता इनके व्यक्तित्व पर चार चाँद लगा देती हैं। आशा है कि वे अपने इसी स्वभाव से लोगों का दिल जीतते रहेंगे एवं साहित्य जगत में उनका पथ प्रदर्शन करते रहेंगे।

अपने आईने में डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी :-

मेरा जन्म 12 मार्च, 1950 को पंजाब के जिला होशियारपुर के मुकेरियां कस्बे में हुआ। तब तक विभाजन की त्रासदी घट चुकी थी। पिता सरदार प्रीतम सिंह बेदी लायलपुर (पाकिस्तान) से दादी, माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ काफिले में पैदल चलकर शरणार्थी बनकर तरनतारन के गुरुद्वारे में आए, फिर धीरे-धीरे परिवार के अन्य सदस्यों को खोजा। पाँच महीने के बाद उन्हें दुबारा मुकेरियाँ कस्बे के पास गौसपुर रेलवे स्टेशन पर बुकिंग क्लर्क की नियुक्ति मिल गई। विभाजन का दर्द बहुत गहरा था। सब कुछ पीछे छूट गया था – धन,

दौलत, ज़मीन और भरा पूरा घर। जब मैंने होश संभाला तो अपने पिता जी के मुँह से अनेकों बार इंसानियत के लहु-लुहान होने की कहानी सुनी। मैंने बहुत कुछ अपने पिता जी से सीखा। वे उर्दू भाषा को बहुत प्यार करते थे। घर में अदबी महौल था। मैंने जब आठवीं कक्षा में हिन्द-पाक युद्ध पर कविता लिखी तो बे बहुत खुश हुए। पिता जी को हिंदी और पंजाबी बहुत कम आती थी, लेकिन मुझे प्रेरणा देते हुए हमेशा कहा कहते थे कि, “तू बड़ी भाषा के साथ जुड़ रहा है तेरा भविष्य भी उज्ज्वल होगा और परिवार भी तेरे कारण पूरे देश में जाना जाएगा।”

मुझे अपने पिता का यह आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा और मैं साहित्यिक एवं अकादमिक दुनिया में पाँव रखना सीख गया। सन् 1969 में गुरु नानक देव जी की 500वीं वर्षगांठ पर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय का नींव पत्थर अमृतसर में तत्कालीन राष्ट्रपति वी. वी. गिरि ने 24 नवंबर को रखा। पंजाब की सांस्कृतिक और साहित्यिक फिजा बदल गई। हिंदी-पंजाबी और धर्मशास्त्र से प्यार करने वालों ने किसी न किसी रूप में अपना नाता गुरु नानक देव युनिवर्सिटी से जोड़ा। बस इन्हीं वर्षों में मैं भी हिंदी भाषा और साहित्य का अध्ययन करने के लिए अमृतसर आ गया। बहुत अच्छा साहित्यिक माहौल था। उस समय हिंदी विभाग में “डॉ. रमेश कुन्तल मेघ” की तूती बोलती थी। डॉ. मेघ का व्यक्तित्व हम सब छात्र-छात्राओं को बहुत आकर्षित करता था। पंजाबी भाषा और साहित्य के विद्वान भी अपने प्रतिभा से हम लोगों को प्रभावित करते थे। मुझे लगता मैं स्वप्न-लोक में दिनभर विचरता हूँ। कभी कभार इन महफिलों में मेरी कविताएँ भी गूँजती। कविता सुनने के बाद पंजाबी शायर कहते, “तू सिर पर पगड़ी बाँधकर अच्छी हिंदी कविता लिख रहा है।” और फिर एक साथ में आशीर्वाद के लिए कई हाथ उठते कि पंजाबी में आने वाला कल तेरी कविताओं का ही होगा। बस फिर मैंने हिंदी का हाथ पकड़ा।

एम.ए., पी.एच.डी., डी.लिट., लैक्चरार, रीडर, प्रोफेसर, अध्यक्ष, डीन तथा युनिवर्सिटी के हर ऊँचे पद को सहजता और सरलता से प्राप्त करता चला गया। इसी दौरान दोस्त भी बने, दुश्मन भी, लेकिन वाहेगुरु की कृपा से मैं इन सबके बीच सच्चाई और ईमानदारी के साथ बड़ी रेखाएं खींचता रहा। लिखने-पढ़ने में पंजाब के हिंदी साहित्य का बार-बार मूल्यांकन करने के जो प्रयास थे वे मुझे बहुत दूर तक ले गए। देश के कोने-कोने में मेरे किए गए कार्यों की चर्चा और प्रशंसा होने लगी। मैं सब कुछ विनम्रता से स्वीकार करता चला गया। बड़ी-बड़ी हिंदी समितियों का सदस्य रहा, देश-विदेश में हिंदी प्रचार और प्रसार के लिए सक्रिय भूमिका निभाता रहा और निभा रहा हूँ। लेखन की दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा शोहरत ‘ओम जय जगदीश हरे’ के कर्ता पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी की रचनाओं को ढूँढ निकालने पर मिली। शुरू में मेरी पहचान पंजाब में साहित्यिक हल्कों में बतौर कवि बनी जो आज तक बरकरार है। ‘गर्म लोहा’ ‘पहचान की यात्रा’ और ‘किसी और दिन’ ‘फिर से फिर’ मेरे चर्चित काव्य संग्रह हैं। संपादन और अनुवाद में भी मैंने खूब परिश्रम किया। नेशनल बुक ट्रस्ट आफ इंडिया, भाषा विभाग, पंजाब एवं गुरु नानक देव युनिवर्सिटी अमृतसर ने इन अनुवादों को समय-समय पर प्रकाशित किया।

पंजाब में उपलब्ध अनेक हस्त-लिखित ग्रंथों का देवनागरी में लिप्यान्तरण कर उन्हें भी आलोकित किया जिससे हिंदी और पंजाबी के रिश्ते प्रौढ़ बने। कई बार लगता है कि वाहेगुरु ने मेरे ऊपर अपार कृपा की है जो सपने मैंने देखे थे उन्हें घर-परिवार के स्तर पर, साहित्य और अकादमिक स्तर पर साकार ही नहीं बनाया बल्कि सम्मान के शिखरों पर मेरा हाथ पकड़ा। अपनी नज़र में मैं भरा-पूरा इंसान हूँ। मेरे अन्दर की दुनिया बहुत खूबसूरत है। जाति-पाति, रंग-नसल के सवाल मुझे छू ही नहीं पाते। अपने आस-पास की दुनियां बहुत अच्छी

लगती है। विश्वविद्यालय के पैंतीस सालों के सेवाकाल में अपने छात्र-छात्राओं को खूब प्यार किया और बदलें में न जाने कितना मान-सम्मान मिला।

आज इंसान और विद्वान के रिश्ते को समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है अच्छे विद्वान से सच्चा इंसान कहीं बेहतर है। आज भी नई पत्रिकाएं, चर्चित किताबें, अच्छी फिल्में, मेहनती और ईमानदार लोग मेरे भीतर के सच को प्रभावित करते हैं और मैं ऐसे परिवेश में जीकर अपनी नज़र को भी साफ करता हूँ तथा नज़र आने वाली वस्तुओं के बारे में भी अच्छे विचार बनाकर साहित्य और कला की दुनिया में नये सृजन की ओर अग्रसर होता हूँ – “बस यही है मेरा अक्स मेरा आईना और परिचय।”¹⁰

संदर्भ सूची :

सहायक सामग्री :

1. पत्रिका, पारसमणि : (डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी : व्यक्तित्व-विभास, प्रो. राम सजन पाण्डेय, पृ : 04)
2. अवतार केसरी (पत्रिका), संपादक शैलेन्द्र सहगल, पृ : 01
3. वही पृ : 02
4. वही पृ : 02 से 08
5. पारसमणि, (डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी कृत्तित्व परिचय), प्रो: राम सजन पाण्डेय, पृ : 63
6. पारसमणि, (डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी मेरा अपना है, मेरा यथबंधु है) पृ : 01
7. पारसमणि, (एक दोस्त से शिष्यतक का सफर) भूमिका से।
8. पारसमणि, (डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी व्यक्तित्व-विभास प्रो. राम सजन पाण्डे) पृ : 07
9. पारसमणि, (डॉ. बेदी तुम्हे सलाम) पृ : 30
10. पारसमणि, (अपने आईने में”, डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी पृ : 65.

9079661524 लैंग्वीज/हउपसणवउ



संगम

Impact Factor : 7.834

Website :
www.ginajournal.com

ISSN : 2321-8037
SANGAM

Vol. 14, Issue 5-6

पृष्ठ : 146-150

गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक-बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTILANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

क्रांति और कलम के सिपाही : अगस्त क्रांति में रामवृक्ष बेनीपुरी की विचारधारा

कल्पना भारती, शोध अध्येता,

प्रो० पंकज कुमार राय, शोध निर्देशक

इतिहास विभाग, बी० आर० ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

सारांश :

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक आंदोलन भी था। इस आंदोलन में अनेक ऐसे साहित्यकार हुए जिन्होंने अपनी लेखनी को राष्ट्रहित में समर्पित कर दिया। इन साहित्यकारों में रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। वे केवल साहित्यकार ही नहीं, बल्कि स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, पत्रकार और क्रांतिकारी चिंतक भी थे। उनकी लेखनी में राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक समानता, किसान-मजदूर हित, लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रता की तीव्र आकांक्षा स्पष्ट दिखाई देती है। 1942 ई. की अगस्त क्रांति, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। रामवृक्ष बेनीपुरी ने इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई और अपनी लेखनी तथा कर्म दोनों के माध्यम से जनता को स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रेरित किया। उनकी विचारधारा में राष्ट्रवाद, समाजवाद, मानवतावाद और जनजागरण का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। एक राजनीति कर्मी की हैसियत से स्वाधीनता आन्दोलन में अनेक बार जेल गये। उन्होंने लगभग नौ साल जेल में गुजारे। उनकी राजनीति समाजवाद की राजनीति थी। कांग्रेस में रहते हुए सोशलिस्ट पार्टी बनाने का स्वप्न सबसे पहले बेनीपुरी ने चौथे दशक के पूर्वार्द्ध में देखा। उसके अनेक वर्षों बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी जिसका नेतृत्व जय प्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने किया। 1942 ई. के भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान जय प्रकाश नारायण जेल से फरार हो गये थे। इस साहसिक कार्य को संभव कराने वाले लोगों में बेनीपुरी की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

मुख्य शब्द : स्वतंत्रता संग्राम, वैचारिक आंदोलन, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक समानता, मानवतावाद।

परिचर्चा :-

एक समय था जब देशभक्ति में राजनीति नहीं होती थी जबकि राजनीति में होने का अर्थ अनिवार्यतः देशभक्ति होता था। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 23 दिसंबर 1899 ई. को बिहार प्रांत के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम फूलवंत सिंह एवं दादा का नाम यदुनंदन सिंह

था। बचपन में ही इनके माता-पिता का देहांत हो गया था। कम ही लोग जानते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में जन्मे सुप्रसिद्ध साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी का स्वतंत्रता आंदोलन में कितना महत्वपूर्ण योगदान था। उन्हें बतौर लेखक, साहित्यकार तो हमने जाना है, पर कितनों को पता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका कितनी अहम थी। बेनीपुरी जी छोटी उम्र से ही पत्र-पत्रिकाओं में लिखने लगे थे। बाद में वे पत्रकारिता में आ गए और इन्होंने 'तरुण भारत', 'किसान मित्र', 'बालक', 'युवक', 'कैदी', 'कर्मवीर', 'जनता', 'तूफान', 'हिमालय' और 'नई धारा' नामक पत्र-पत्रिकाओं का संपादन किया। बेनीपुरी जी की साहित्यिक रचनाओं की संख्या सौ के करीब है, जिनमें से अधिकतर रचनाएं 'बेनीपुरी ग्रंथावली' नाम से प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी कृतियों में से 'गेहूं और गुलाब' (निबन्ध और रेखाचित्र), 'वन्दे वाणी विनायकौ' (ललित गद्य), 'पतितों के देश में' (उपन्यास), 'चिता के फूल' (कहानी संग्रह), 'माटी की मूरतें' (रेखाचित्र), 'अंबपाली' (नाटक) विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं।

बेनीपुरी जी की कलम की तेज धार को लक्ष्य कर दिनकर जी ने एक बार कहा था कि पंडित जी (रामवृक्ष बेनीपुरी) के भीतर केवल वही आग नहीं थी जो कलम से निकल कर साहित्य बन जाती है, वे उस आग के भी धनी थे जो राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को जन्म देती है, जो परंपराओं को तोड़ती है और मूल्यों पर प्रहार करती है, जो चिंतन को निर्भीकता एवं कर्म को गतिशीलता देती है। बेनीपुरी जी के भीतर निरंतर एक तरह की बेचैनी बनी रहती थी जो उन्हें एक बेहतर कवि, चिंतक, क्रान्तिकारी और निर्भीक योद्धा बनाती थी। उनकी आत्मा में देशभक्ति का लहू दौड़ता था। उनकी लेखनी, उनकी वाणी में सरस्वती का वास था तो इसलिए कि वे एक निश्छल आत्मा थे। उनके व्यक्तित्व में ऐसी चमक थी जो उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करती थी। जो उन्हें सुनता था, उनका मुरीद हो जाता था। स्वतंत्रता के पचहत्तर वर्ष पूरे होने पर जब हम अपने महानायकों को याद कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि उस लेखक को भी याद करें जो अपनी कलम से तलवार का काम किया करता था। अपने क्रांतिकारी स्वर के कारण जिसे बार-बार कारावास भोगना पड़ा मगर स्वतंत्रता की ललक ऐसी थी जो घटने के बदले निरंतर परवान चढ़ती गई। आज भले ही देश का युवा नौकरी पाने के लिए देश छोड़कर जा रहा है मगर एक समय वह भी था जब युवा अपने देश के लिए नौकरी छोड़ देते थे।

1920 ई. की बात है, बेनीपुरी जी ने मैट्रिक की परीक्षा भी पास न की थी कि वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। इस क्रम में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा मगर जब्बा देखिए कि हताश होने के बदले, वे जेल के भीतर भी पत्रकारिता और साहित्य साधना में जुटे रहे और नित नए लेखन से इस आंदोलन को तेज करते रहे। उल्लेखनीय है कि उनकी अधिकतर रचनाएं जेल के भीतर लिखी गई हैं। कारावास के अनुभवों को ठीक से जानना है तो 'जंजीरें और दीवारें' नाम से प्रकाशित उनकी आत्मकथा को पढ़ना जरूरी है। जेल के ही अनुभवों को आधार बना कर लिखा गया उनका उपन्यास 'पतितों के देश में' भी बेहद चर्चित रहा। रेखाचित्र 'माटी की मूरतें' भी हिंदी साहित्य की बहुमूल्य कृति बनी तो 'आम्रपाली' उपन्यास का तो हर शब्द जीवंत था। इसके हर शब्द से देशभक्ति की धार बहती थी जो लोगों की रंगों में लहू बनकर दौड़ने लगा था। उनकी अनेक रचना में पाठकों को भाव विभोर कर जाती थीं, जिनमें 'जय प्रकाश', 'नेत्रदान', 'सीता की मां', 'विजेता', 'मील के पत्थर', 'गेहूं और गुलाब' शामिल हैं।

बेनीपुरी जी ने अपने लेखकीय जीवन का प्रारंभ कवि के रूप में किया था मगर स्वतंत्रता आंदोलन की सक्रियता ने इस सुकोमल कवि को प्रखर पत्रकार और गद्यकार में बदल दिया। जब भगत सिंह को फांसी हुई

तब 'इन्कलाब जिंदाबाद' शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ जो 'गेहूं और गुलाब' में संकलित है। इस लेख ने लोगों में जोश भर दिया। लोग वतन पर मर-मिटने को आतुर हो उठे। ब्रिटिश हुकूमत ने इस लेख को आधार बनाकर बेनीपुरी जी पर लोगों को बरगलाने और उकसाने का केस चला दिया।

बेनीपुरी जी कटघरे में खड़े थे।

"इन्कलाब का मतलब क्या होता है?" ब्रिटिश जज ने पूछा।

बलदेव प्रसाद, जो बेनीपुरी जी का केस लड़ रहे थे, उन्होंने जज की ओर देखकर कहा, "आज आप ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से यहां बैठे हैं, आपके पीछे क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर लगी है और यह (बेनीपुरी) मुजरिम कटघरे में खड़ा हैं। कल सत्ता बदलेगी, पीछे क्वीन विक्टोरिया के बदले गांधी जी की तस्वीर होगी और आपकी कुर्सी पर कोई टोपीधारी हिंदुस्तानी जज होगा मगर इस कटघरे में तब भी यही आदमी होगा और आम आदमी के हक के लिए लड़ रहा होगा... यही इन्कलाब है!!"

बलदेव प्रसाद के तर्क से जज साहब नर्म तो पड़े, फिर भी, बेनीपुरी जी को तीन साल के लिए हजारीबाग जेल में नजरबंद कर दिया गया। इस एकाकीपन में बेनीपुरी जी के भीतर का सुकोमल कवि फिर जागृत हुआ और उन्होंने अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बंगला पढ़ना-लिखना सीखा और इसी क्रम में टैगोर, कीट्स, शैली, वर्ड्सवर्थ, जोश और इकबाल की कविताओं का हिंदी अनुवाद किया। 1942 ई. में कारावास में रहते हुए उन्होंने टैगोर की कविताओं का बेहतरीन अनुवाद किया जो आज भी साहित्य की धरोहर है।

1942 ई. में द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार भारतीय जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रही। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने का स्पष्ट संदेश दिया। 8 अगस्त 1942 ई. को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। महात्मा गांधी ने "करो या मरो" का नारा दिया। इसके बाद पूरे देश में जनविद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। बिहार इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना और रामवृक्ष बेनीपुरी जैसे क्रांतिकारी साहित्यकारों ने जनता को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

रामवृक्ष बेनीपुरी की विचारधारा का मूल आधार राष्ट्रवाद था। उनके लिए राष्ट्र केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं था, बल्कि वह करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं, संघर्षों और सपनों का प्रतीक था। वे मानते थे कि भारत की स्वतंत्रता केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी सुनिश्चित होनी चाहिए। उनकी रचनाओं में देशभक्ति की भावना के साथ-साथ जनता के दुरुख-दर्द का यथार्थ चित्रण मिलता है। अगस्त क्रांति के समय उनकी राष्ट्रवादी चेतना और भी अधिक प्रखर हो गई थी। वे जनता को यह समझाने का प्रयास करते थे कि विदेशी शासन केवल राजनीतिक गुलामी ही नहीं, बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक पराधीनता भी उत्पन्न करता है। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्त करना प्रत्येक भारतीय का नैतिक कर्तव्य है। अगस्त क्रांति में रामवृक्ष बेनीपुरी का योगदान बहुआयामी था। उन्होंने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई, जनता को प्रेरित किया, लेखन के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया तथा जेल जाकर स्वतंत्रता संघर्ष की कीमत भी चुकाई। उनकी भूमिका केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता की नहीं थी, बल्कि एक वैचारिक मार्गदर्शक की भी थी। उन्होंने जनता को यह समझाया कि स्वतंत्रता केवल शासन परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी अवसर है। उनके विचारों ने बिहार सहित पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा

प्रदान की।

देश की आजादी और उसके उत्थान को लेकर बेनीपुरी जी की विचारधारा एकदम स्पष्ट थी। उसे लेकर किसी तरह का समझौता उन्हें गवारा न था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी उन्होंने देश के विकास के लिए अपने प्रयासों में किसी तरह की ढील न आने दी। स्वतंत्रता के बाद की एक घटना है, देश का विभाजन हो चुका था और जवाहरलाल नेहरू जी अपने सिपहसालारों के साथ स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बन चुके थे। उनको देखने के लिए हवाई अड्डे पर लोगों की होड़ लगी थी। उसी गहमागहमी में बेनीपुरी जी भी एक कोने में खड़े हो गए और अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगे कि नेहरू जी की निगाह उन पर पड़ी। स्वतंत्रता आंदोलन में इन दोनों ने एकसाथ बहुत काम किया था। नेहरू जी के मन में बेनीपुरी जी के लिए बहुत सम्मान था, वे लपक कर बेनीपुरी जी के पास आए और उनसे मुलाकात की। बेनीपुरी जी ने बताया कि कल पटना साहित्य सम्मेलन की मीटिंग है और उनका नेहरू जी से आग्रह था कि इस मीटिंग में शिरकत करें। अगले दिन तमाम व्यस्तताओं के बावजूद नेहरू जी वहां पहुंचे। बेनीपुरी जी ने मंच से उनका स्वागत करते हुए कहा, “देश आजाद हो गया, हमारा आंदोलन सफल हुआ। देश को प्रधानमंत्री के रूप में आप मिले। अब और क्या चाहिए? अब कृपया हमारे नेता हमें लौटा दीजिए जो अभी भी जेल में बंद हैं”।

नेहरू जी समझ गए कि उनका इशारा जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन की तरफ है। ये दोनों नेता अभी तक लाहौर की जेल में बंद थे। उन्होंने बेनीपुरी जी से माइक ले लिया और उद्घोषणा की, “मैं वचन देता हूं कि सप्ताह भर के अंदर दोनों नेता आपके पास होंगे”। और नेहरू जी ने अपना वचन निभाया भी। ऐसी कई घटनाएं हैं जो बेनीपुरी जी के अगाध देशप्रेम और उनके नेतृत्व कौशल की साक्ष्य हैं।

निष्कर्ष :-

रामवृक्ष बेनीपुरी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन महान व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कलम और कर्म दोनों को राष्ट्रसेवा के लिए समर्पित किया। अगस्त क्रांति में उनकी भूमिका केवल एक स्वतंत्रता सेनानी की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे चिंतक की थी जिसने राष्ट्रवाद, समाजवाद, मानवतावाद और लोकतांत्रिक मूल्यों का समन्वय प्रस्तुत किया। उनकी विचारधारा का मूल उद्देश्य केवल अंग्रेजी शासन से मुक्ति प्राप्त करना नहीं था, बल्कि एक ऐसे भारत का निर्माण करना था जहां सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, राष्ट्रीय एकता और मानवीय गरिमा का सम्मान हो। उन्होंने साहित्य, पत्रकारिता और जनसंघर्ष को एक-दूसरे का पूरक बनाया और स्वतंत्रता आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान किया।

आज भी रामवृक्ष बेनीपुरी की विचारधारा प्रासंगिक है क्योंकि वह हमें यह संदेश देती है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल राजनीतिक आजादी में नहीं, बल्कि सामाजिक समानता, मानवीय सम्मान और जनकल्याण में निहित है। इस दृष्टि से वे वास्तव में “क्रांति और कलम के सिपाही” थे, जिनकी लेखनी और कर्म दोनों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अमूल्य धरोहर हैं।

संदर्भ ग्रंथ :-

1. कुमार, डॉ. विजय (प्र.संपा.), बिहार विभूति, बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, पटना, वर्ष 2012.
2. देसाई, ए.आर., भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, मैकमिलन इंडिया लि., नई दिल्ली, वर्ष 1977.

3. बेनीपुरी, श्री रामवृक्ष, जय प्रकाश नारायण एक जीवनी, किताब घर, नई दिल्ली, वर्ष 2020.
4. बेनीपुरी, श्री रामवृक्ष, स्वाधीनता और समाजवाद, स्वराज प्रकाशन, दिल्ली, वर्ष 2001.
5. राय, रामवचन, रामवृक्ष बेनीपुरी (मोनोग्राफ), साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, वर्ष 1995.
6. चंद्र, बिपिन, आधुनिक भारत का इतिहास, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि., दिल्ली, वर्ष संस्करण 2015.
7. चंद्र, बिपिन, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि., दिल्ली, वर्ष 2009.
8. कुमार, अमित, स्वतंत्रता आंदोलन के विस्मृत सेनानी, शिवांक प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2023.



संगम

Impact Factor : 7.834

Website :
www.ginajournal.com

ISSN : 2321-8037

SANGAM

Vol. 14, Issue 5-6

पृष्ठ : 151-155

गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक-बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTILANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREEED RESEARCH JOURNAL

The Impact of Technology on Modern Society

Mrs. R. Priyadharsini, Assistant Professor, Department of MSW,

Dr. Jayanthi Sobhana. S, Assistant Professor, Department of CommercePA,

Dr. P. Suji, Assistant Professor, Department of MSW,

Dr. V. Deepa, Associate Professor, Department of Information Technology,

Dr. S. Kirubadevi, Assistant Professor, Department of Commerce,

Sri Ramakrishna College of Arts & Science, Nava India, CBE-641006, Tamilnadu.

Introduction :

The Evolution of Technology :

Technology has undergone a remarkable transformation from its earliest forms to the advanced systems we rely on today. In ancient times, simple tools made from stone and wood marked the beginning of human innovation. These early inventions were primarily aimed at survival—hunting, building shelter, and preparing food. Over time, humans began to experiment with metals, agriculture, and mechanical systems, paving the way for more complex societies. The Industrial Revolution marked a major turning point, introducing machines that could perform tasks more efficiently than human labor. This period not only increased productivity but also reshaped economies and social structures across the world.

Technology in Everyday Life :

In modern society, technology plays an integral role in daily life, influencing how individuals communicate, learn, and perform routine tasks. Smartphones, for instance, have become essential tools that combine communication, entertainment, and productivity into a single device. Through various applications, people can access information instantly, connect with others across the globe, and manage their personal and professional responsibilities. Social media platforms have further transformed communication by enabling real-time interaction and the sharing of ideas, cultures, and experiences.

Education has also been significantly impacted by technological advancements. Digital classrooms, online courses, and e-learning platforms have made education more accessible and

flexible. Students can now learn at their own pace, access a wealth of resources, and engage with interactive content that enhances understanding. Similarly, workplaces have been transformed by technology, with remote work, cloud computing, and automation becoming increasingly common. These developments have improved efficiency and opened up new opportunities, but they have also introduced challenges such as work-life balance and job displacement.

Benefits and Challenges of Technological Advancement :

The benefits of technology are vast and far-reaching. In healthcare, technological innovations have led to improved diagnostics, advanced treatments, and increased life expectancy. Medical imaging, robotic surgery, and telemedicine have revolutionized patient care, making it more precise and accessible. In transportation, advancements such as electric vehicles and high-speed rail systems have improved mobility while reducing environmental impact. Technology has also played a crucial role in addressing global challenges, including climate change, food security, and disaster management. However, alongside these benefits come significant challenges. One of the most pressing concerns is the digital divide—the gap between those who have access to technology and those who do not. This disparity can limit opportunities for education, employment, and social participation, particularly in developing regions. Privacy and security issues are also major concerns, as the increasing use of digital platforms raises the risk of data breaches, cyberattacks, and misuse of personal information.

The Future of Technology and Society :

Looking ahead, the relationship between technology and society is expected to become even more complex and intertwined. Emerging technologies such as artificial intelligence, machine learning, and blockchain have the potential to transform industries and redefine how systems operate. These innovations could lead to smarter cities, more efficient healthcare systems, and enhanced decision-making processes across various sectors. At the same time, they raise important ethical questions about accountability, transparency, and the role of human judgment.

Sustainability will be a key focus in the future of technology. As environmental concerns grow, there is an increasing emphasis on developing solutions that minimize ecological impact. Renewable energy technologies, sustainable manufacturing practices, and eco-friendly innovations are likely to play a crucial role in shaping a more sustainable world. Governments, organizations, and individuals will need to collaborate to ensure that technological progress aligns with environmental and social goals.

Education and adaptability will also be critical in preparing for the future. As technology continues to evolve, individuals must develop skills that enable them to navigate and contribute to a rapidly changing world. Lifelong learning, critical thinking, and digital literacy will become

increasingly important. Ultimately, the future of technology depends on how it is used and managed. By prioritizing ethical considerations, inclusivity, and sustainability, society can harness the power of technology to create a better and more equitable world.

The Impact of Technology on Modern Society :

From smartphones to cloud computing, technological innovation has improved efficiency, increased connectivity, and expanded access to knowledge. However, alongside these benefits, it has also introduced new challenges such as privacy concerns, job displacement, and social isolation. Understanding the impact of technology on modern society requires a balanced examination of both its advantages and its drawbacks.

Evolution of Technology :

- **Historical Development :**

Technology has evolved from simple tools used for survival to complex systems that define modern civilization. Early inventions such as the wheel and printing press laid the foundation for industrial and digital revolutions. Today, we are experiencing the Fourth Industrial Revolution, characterized by artificial intelligence, robotics, and advanced computing systems.

- **The Digital Age :**

The rise of the internet and digital technologies has accelerated global transformation. Information can now be shared instantly across the world, enabling globalization and fostering innovation. This digital shift has created a knowledge-based society where information is a key resource.

Impact on Communication :

- **Instant Connectivity :**

Technology has revolutionized communication by making it faster and more accessible. Social media platforms, messaging apps, and video conferencing tools allow people to connect instantly, regardless of geographical distance. This has strengthened global relationships and enabled real-time collaboration.

- **Social Media Influence :**

Social media has reshaped how people interact and share information. While it promotes connectivity, it also raises concerns about misinformation, cyberbullying, and mental health. Technology acts as both a bridge and a barrier in human relationships.

Impact on Education :

- **Access to Knowledge :**

Technology has transformed education by providing access to vast amounts of information. Online learning platforms, digital libraries, and virtual classrooms have made education more inclusive

and flexible.

- **E-Learning and Innovation :**

Students can now learn at their own pace using digital tools. Interactive simulations, educational apps, and artificial intelligence enhance the learning experience and improve understanding.

Impact on Healthcare :

- **Medical Advancements :**

Technological innovations in healthcare have improved diagnosis, treatment, and patient care. Advanced medical equipment and telemedicine allow doctors to treat patients more efficiently and accurately.

- **Improved Life Expectancy :**

Technology has contributed to increased life expectancy by enabling early detection of diseases and providing better treatment options. Wearable devices and health monitoring systems promote preventive healthcare.

Economic Impact :

- **Growth and Productivity :**

Technology drives economic growth by improving productivity and efficiency. Automation and digital systems allow businesses to operate faster and at lower costs.

- **Job Creation and Displacement :**

While technology creates new job opportunities in fields like IT and data science, it also replaces traditional jobs through automation. This shift requires workers to adapt and develop new skills.

Social Impact :

- **Changing Lifestyles :**

Technology has changed daily lifestyles, making life more convenient and efficient. From online shopping to digital banking, people rely heavily on technology for everyday tasks.

Ethical and Privacy Issues :

- **Data Privacy Concerns :**

With the rise of digital platforms, personal data is constantly being collected and stored. This raises concerns about data security and privacy breaches.

- **Ethical Challenges :**

Technologies like artificial intelligence and machine learning raise ethical questions about decision-making, bias, and accountability. Society must develop regulations to ensure responsible use.

Impact on Culture and Society :

- **Globalization :**

Technology has promoted cultural exchange by connecting people worldwide. It allows individuals to experience different cultures and ideas.

- **Cultural Homogenization :**

At the same time, globalization can lead to the loss of local traditions and cultural identities, as dominant cultures influence others.

Future Trends :

- **Artificial Intelligence and Automation :**

AI is expected to play a major role in shaping the future, transforming industries such as healthcare, education, and transportation.

- **Smart Technologies :**

Smart homes, smart cities, and the Internet of Things (IoT) will continue to enhance convenience and efficiency in daily life.

Conclusion :

Technology has had a profound impact on modern society, transforming nearly every aspect of human life. It has improved communication, education, healthcare, and economic growth while also introducing challenges such as privacy concerns and social isolation. The relationship between technology and society is dynamic, with each influencing the other.

As technology continues to evolve, it is important to use it responsibly and ensure that its benefits are accessible to all. By balancing innovation with ethical considerations, society can harness the power of technology to create a better future.

Book References :

- Castells, Manuel. *The Rise of the Network Society*. Wiley-Blackwell.
- Brynjolfsson, Erik & McAfee, Andrew. *The Second Machine Age*. W.W. Norton & Company.
- Harari, Yuval Noah. *Homo Deus: A Brief History of Tomorrow*. Harper.
- Carr, Nicholas. *The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains*. W.W. Norton & Company.

7373043044, 8870989665, 9488179601, 8754226245, 8754012376



संगम

Impact Factor : 7.834

Website :
www.ginajournal.com

ISSN : 2321-8037

SANGAM

Vol. 14, Issue 5-6

पृष्ठ : 156-159

गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक-बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTILANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREEED RESEARCH JOURNAL

The Role of Artificial Intelligence in Social Welfare Systems

Dr. P. Suji, Assistant Professor, Department of MSW,

Mrs. R. Priyadharsini, Assistant Professor, Department of MSW,

Dr. V. Deepa, Associate Professor, Department of Information Technology,

Dr. Charlesbabu. J, Assistant Professor, Department of ECS,

Dr. Jayanthi Sobhana. S, Assistant Professor, Department of Commerce PA,

Dr. C. Thangamani, Associate Professor, Department of Information Technology,

Dr. S. Kirubadevi, Assistant Professor, Department of Commerce,

Sri Ramakrishna College of Arts & Science, Nava India, CBE-641 006, Tamilnadu.

Introduction :

Artificial Intelligence (AI) has emerged as one of the most transformative technologies of the 21st century, significantly influencing various sectors including healthcare, education, finance, and governance. Among these, the integration of AI into social welfare systems has gained increasing attention due to its potential to enhance efficiency, accessibility, and equity in public service delivery. Social welfare systems are designed to provide support to vulnerable populations through programs such as unemployment benefits, healthcare assistance, pensions, and food security schemes. However, these systems often face challenges such as bureaucratic inefficiencies, lack of transparency, and limited outreach. AI offers promising solutions to address these issues and revolutionize the way welfare services are delivered.

Understanding Social Welfare Systems :

Social welfare systems are government-led initiatives aimed at improving the quality of life of citizens, particularly those who are economically or socially disadvantaged. These systems include a wide range of services such as social security, housing assistance, disability benefits, and child welfare programs. Despite their importance, traditional welfare systems often suffer from inefficiencies due to manual processes, fragmented data, and complex eligibility criteria. These challenges can result in delays, errors, and exclusion of deserving beneficiaries.

AI has the potential to transform these systems by automating processes, improving decision-making, and enhancing service delivery. According to research, AI can help streamline administrative tasks, reduce human error, and ensure that benefits reach the right individuals at the right time

Applications of AI in Social Welfare Systems :

1. Automation of Administrative Processes

One of the primary roles of AI in social welfare systems is the automation of repetitive administrative tasks. AI-powered systems can process applications, verify documents, and manage large volumes of data efficiently. This reduces the workload on government officials and speeds up service delivery. For instance, AI can categorize and analyze documents, reducing the time required for claims processing.

2. Predictive Analytics and Risk Assessment :

AI enables governments to use predictive analytics to identify individuals or communities at risk of poverty, unemployment, or health issues. By analyzing large datasets, AI can predict trends and help policymakers design proactive interventions. This approach shifts welfare systems from reactive to preventive models, improving overall social outcomes.

3. Fraud Detection and Prevention :

Fraud is a significant challenge in welfare systems. AI algorithms can detect unusual patterns and flag suspicious activities, helping authorities prevent misuse of resources. This ensures that funds are utilized effectively and reach genuine beneficiaries.

4. Personalized Service Delivery :

AI can personalize welfare services by analyzing individual needs and tailoring benefits accordingly. For example, AI systems can recommend suitable programs based on a person's financial status, employment history, and health conditions. This enhances user experience and increases the effectiveness of welfare programs.

Benefits of AI in Social Welfare :

- **Improved Efficiency and Accuracy :**

AI significantly enhances the efficiency of welfare systems by automating processes and reducing errors. It enables faster decision-making and ensures accurate allocation of resources.

- **Enhanced Accessibility :**

AI-powered chatbots and virtual assistants can provide information and assistance to citizens, making welfare services more accessible. These tools can operate 24/7, ensuring continuous support.

- **Better Resource Allocation :**

AI helps governments allocate resources more effectively by identifying areas of greatest

need. This leads to improved outcomes and reduced wastage of public funds.

- **Proactive Governance :**

AI enables governments to anticipate social issues and take preventive measures. For example, predictive models can identify individuals at risk of unemployment and provide early interventions. According to studies, AI can improve access to benefits, personalize communication, and deliver services more efficiently when implemented effectively.

Challenges and Ethical Concerns :

- **Algorithmic Bias :**

One of the major concerns with AI in social welfare is algorithmic bias. AI systems rely on historical data, which may contain biases. This can lead to unfair treatment of certain groups and reinforce existing inequalities.

- **Lack of Transparency :**

AI decision-making processes are often complex and difficult to understand. This lack of transparency can reduce trust in welfare systems and make it difficult to challenge decisions.

- **Privacy and Data Security :**

Social welfare systems handle sensitive personal data. The use of AI raises concerns about data privacy and security. Ensuring the protection of personal information is crucial for maintaining public trust.

- **Public Skepticism :**

Many beneficiaries are skeptical about AI-driven decisions, particularly when it comes to eligibility for benefits. Studies show that individuals dependent on welfare services often question the fairness of automated systems.

- **Governance and Policy Considerations :**

The successful implementation of AI in social welfare systems requires strong governance frameworks and ethical guidelines. Governments must ensure transparency, accountability, and fairness in AI systems. This includes :

- Establishing clear regulations for AI use
- Ensuring human oversight in decision-making
- Promoting data privacy and security
- Encouraging stakeholder participation

AI systems used in social protection are often considered high-risk and require careful monitoring to prevent harm .

Case Studies and Global Trends :

Many countries are experimenting with AI in social welfare systems. For example, governments are using AI to monitor welfare schemes, verify beneficiaries, and detect fraud. In India, AI is being introduced to improve transparency and efficiency in welfare programs, ensuring that benefits reach the intended recipients.

Globally, organizations such as the OECD emphasize the importance of using AI responsibly to enhance social protection systems while addressing associated risks.

Future Prospects of AI in Social Welfare :

The future of AI in social welfare systems is promising, with advancements in machine learning, natural language processing, and data analytics. AI has the potential to create more inclusive, efficient, and responsive welfare systems. However, achieving this requires a balanced approach that combines technological innovation with ethical considerations.

Future developments may include :

- Fully integrated digital welfare platforms
- Real-time monitoring of social programs
- AI-driven policy design
- Enhanced citizen engagement through digital tools

AI is expected to play a crucial role in shaping the future of governance and social protection.

Conclusion :

Artificial Intelligence is transforming social welfare systems by improving efficiency, accuracy, and accessibility. It offers innovative solutions to longstanding challenges in public service delivery, enabling governments to better serve their citizens. However, the adoption of AI also raises important ethical, social, and governance issues that must be carefully addressed. Ensuring transparency, fairness, and accountability is essential for building trust in AI-driven welfare systems. With the right policies and safeguards, AI can significantly enhance social welfare and contribute to a more equitable society.

Book References :

- Eubanks, Virginia – *Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor*
- O’Neil, Cathy – *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*
- Russell, Stuart & Norvig, Peter – *Artificial Intelligence: A Modern Approach*
- Bostrom, Nick – *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*

9488179601, 7373043044, 8754226245, 9894363500, 8870989665, 9739834742, 8754012376



संगम

Impact Factor : 7.834

Website :
www.ginajournal.com

ISSN : 2321-8037

SANGAM

Vol. 14, Issue 5-6

पृष्ठ : 160-166

गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक-बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTILANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREEED RESEARCH JOURNAL

Ecological Study of Aquatic Plants in Local Water Bodies

Kuldeep Mishra, M.Sc. , 2nd Year

Dr. Santosh Kumar Singh, Assistant Professor

Pt. D.D.U. Government College, Saidabad, Prayagraj.

Abstract :

Aquatic plants are an important biological component of freshwater ecosystems such as ponds, lakes, village tanks, canals, marshes, wetlands and slow-moving streams. These plants, also known as aquatic macrophytes, grow either completely or partially in water and occur in various forms such as free-floating, rooted floating, submerged, emergent and marginal plants. The present research paper examines the ecological diversity, functional role and environmental significance of aquatic plants in local water bodies. Aquatic plants help in nutrient cycling, oxygen production, sediment stabilization, water purification, habitat formation and biodiversity conservation. They are also useful bio-indicators because their presence, absence, abundance and dominance reflect the ecological condition of water bodies. However, excessive growth of some aquatic plants, especially invasive species, may indicate eutrophication, organic pollution and ecological imbalance. The study concludes that aquatic plants should not be viewed merely as weeds; rather, they should be studied as living indicators of freshwater ecosystem health.

Keywords: Aquatic plants, aquatic macrophytes, freshwater ecology, wetlands, biodiversity, water quality, bio-indicators, local water bodies.

1. Introduction

Water bodies are among the most significant ecological units in any local landscape. Ponds, tanks, lakes, canals, ditches, marshes and wetlands support a variety of plants, animals and microorganisms. In rural and semi-urban regions, local water bodies are directly connected with irrigation, fisheries, livestock, groundwater recharge and the everyday life of communities. Among all biological components of these ecosystems, aquatic plants occupy a central place because they influence the

physical, chemical and biological character of water bodies. Aquatic plants are generally described as macrophytes that grow in water or in waterlogged soil and are visible to the naked eye.¹

Aquatic plants are found in different ecological forms. Some float freely on the surface, some remain rooted in the bottom mud with leaves floating above water, some remain submerged under water, and others grow along shallow margins. This diversity of form is itself an ecological adaptation to water depth, light availability, sediment type and nutrient condition.² In a balanced water body, different groups of aquatic plants occur together and support a wide range of aquatic organisms. Their leaves, stems and roots provide shelter, egg-laying sites and feeding surfaces for fish, insects, molluscs, amphibians and birds.³

In common perception, aquatic plants are often considered unwanted weeds because they may obstruct fishing, bathing, irrigation channels or the free flow of water. However, from an ecological point of view, this view is incomplete. Aquatic plants form the biological foundation of many freshwater ecosystems. They participate in primary production, absorb nutrients, reduce turbidity, bind sediments and support aquatic food chains.⁴ Therefore, the ecological study of aquatic plants is necessary for understanding the health and functioning of local water bodies.

2. Objectives of the Study :

The main objectives of the present research paper are :

- To study the ecological diversity of aquatic plants in local water bodies.
- To classify aquatic plants according to their growth forms and habitats.
- To examine the role of aquatic plants in maintaining freshwater ecosystem balance.
- To understand the relationship between aquatic vegetation and water quality.
- To analyse aquatic plants as bio-indicators of pollution and ecological change.
- To suggest conservation and management measures for local aquatic vegetation.

3. Materials and Methods :

The present study is designed as an ecological assessment of aquatic plants in local water bodies such as village ponds, irrigation tanks, small lakes, canal-side wetlands and seasonal marshes. A field-based study of this kind may be conducted during three major seasonal phases: pre-monsoon, monsoon and post-monsoon. Seasonal observation is important because aquatic vegetation changes with rainfall, temperature, water depth, nutrient availability and human activity.⁴

During field visits, the water body may be divided into ecological zones such as marginal zone, shallow-water zone, open-water zone and marshy zone. Plants may be recorded through direct observation, photography, collection of specimens and preparation of a checklist. For identification, standard botanical manuals and floras are useful, especially those dealing with aquatic and wetland

plants. Cook's work on aquatic plants is widely recognized for aquatic plant identification, while Indian floristic studies provide regional support.⁶

The ecological data may include plant habit, abundance, frequency, location in the water body, associated species and human disturbance. Water-quality parameters such as temperature, pH, dissolved oxygen, turbidity, electrical conductivity and nutrient load may also be recorded. Standard water-analysis methods are important for maintaining reliability in such studies.⁷ The combination of plant observation and water-quality data helps in understanding the relationship between aquatic vegetation and environmental condition.

4. Classification of Aquatic Plants :

Aquatic plants may be classified into different ecological groups on the basis of their growth habit and position in water. This classification is important because each group performs a different ecological function.

Free-floating plants are not rooted in the bottom soil. They float on the water surface and move with wind or water movement. Common examples include *Lemna*, *Pistia*, *Azolla* and *Eichhornia*. These plants grow rapidly in nutrient-rich water and may cover the entire water surface if not controlled. Dense mats of floating plants reduce light penetration and affect dissolved oxygen levels.⁸

Rooted floating plants are fixed in the bottom mud, but their leaves and flowers float on the surface. Examples include *Nymphaea*, *Nelumbo* and *Trapa*. These plants are common in ponds and lakes with moderate water depth. They provide shade and shelter to fish and other aquatic organisms.

Submerged plants remain completely or mostly under water. Examples include *Hydrilla*, *Vallisneria*, *Ceratophyllum* and *Potamogeton*. Submerged plants are ecologically important because they release oxygen during photosynthesis, provide hiding places for fish and reduce turbidity by stabilizing sediments.⁹

Emergent plants are rooted in shallow water or wet soil, but their stems and leaves rise above the water surface. Examples include *Typha*, *Phragmites*, *Cyperus* and *Sagittaria*. These plants are commonly found along the margins of ponds, wetlands and canals. They protect banks from erosion and provide nesting and resting places for birds and amphibians.¹⁰

Marginal plants grow near the edges of water bodies in moist or waterlogged soil. They form a transition zone between terrestrial and aquatic habitats. These plants trap sediments, filter runoff and support insects, reptiles and small animals.

5. Ecological Importance of Aquatic Plants :

Aquatic plants perform several ecological functions in freshwater ecosystems. Their first and most basic role is primary production. Through photosynthesis, they convert solar energy into organic

matter and become a source of food for herbivorous organisms. Even when they decay, their organic matter supports detritus-based food chains.¹¹

Secondly, aquatic plants provide habitat and shelter. Fish, tadpoles, aquatic insects, snails and many microorganisms live among aquatic vegetation. Submerged plants provide surfaces for periphyton growth, while emergent plants support insects and birds. In this way, aquatic vegetation increases habitat complexity and supports biodiversity.¹²

Thirdly, aquatic plants are important in nutrient cycling. They absorb nitrogen, phosphorus and other minerals from water and sediments. In moderate amounts, this helps in maintaining water quality. Wetland plants are especially important because wetlands naturally remove nutrients and suspended particles from water.¹³

Fourthly, aquatic plants stabilize sediments and reduce turbidity. The roots and rhizomes of emergent and submerged plants bind bottom soil and reduce sediment resuspension. Clear water allows better light penetration and supports the growth of submerged vegetation. This creates a positive ecological cycle in healthy water bodies.¹⁴

Fifthly, aquatic plants help in natural purification. In wetlands and shallow water bodies, plants and associated microorganisms contribute to the removal of organic matter, nutrients and some pollutants. Constructed wetlands are also based on the same ecological principle, where aquatic plants and microbial communities are used for wastewater treatment.¹⁵

6. Aquatic Plants and Water Quality :

Aquatic vegetation is closely related to water quality. The diversity, abundance and distribution of aquatic plants can reveal the ecological condition of a water body. In clean and balanced water bodies, submerged, floating and emergent plants may occur in a balanced form. However, when water receives excessive nutrients from sewage, agricultural runoff, cattle waste or domestic wastewater, fast-growing plants may become dominant.

The excessive growth of water hyacinth, duckweed and similar floating plants often indicates nutrient enrichment. Such conditions are commonly associated with eutrophication, a process in which high nutrient input leads to excessive plant and algal growth.¹⁶ Eutrophication may reduce oxygen availability, affect fish survival and disturb the ecological balance of the water body.

The disappearance of submerged plants may also indicate ecological stress. When turbidity increases, sunlight cannot penetrate deeply into water, and submerged plants decline. Similarly, heavy organic pollution may reduce dissolved oxygen and change species composition. Therefore, aquatic plants are useful biological indicators because they reflect long-term environmental conditions, not merely the condition of water at the time of sampling.¹⁷

7. Seasonal Variation in Aquatic Plants :

Seasonal variation plays an important role in the growth and distribution of aquatic plants. During the monsoon season, water levels rise and many aquatic species spread rapidly. Seeds, spores and vegetative fragments may be carried by rainwater and runoff from nearby areas. Marginal and emergent plants also expand during this period because of increased moisture.

During the post-monsoon season, water bodies often become stable, and aquatic plants reach their maximum growth. Floating species may spread quickly if nutrient levels are high. Submerged plants may also grow well when water is clear and sunlight penetration is sufficient.

During summer, water levels decline in many ponds and tanks. Some aquatic plants dry up, while others survive through seeds, rhizomes, tubers or dormant vegetative parts. Emergent plants may remain alive in wet sediments even when open water decreases. Thus, seasonal study is necessary for understanding the complete ecological pattern of aquatic vegetation.¹⁸

8. Aquatic Plants as Bio-indicators :

Aquatic plants are valuable bio-indicators of freshwater ecosystem health. Different species respond differently to water depth, nutrient level, turbidity, pollution and sediment condition. Some species prefer relatively clean water, while others tolerate nutrient-rich or polluted water. The presence of diverse submerged vegetation often indicates better ecological conditions, while dominance of one or two floating species may suggest nutrient enrichment and poor circulation.

Bio-indicator studies are useful because chemical parameters may change quickly, but aquatic plant communities reflect cumulative environmental conditions over a longer period. For example, if a pond receives domestic wastewater continuously, the vegetation pattern gradually changes. Sensitive submerged plants may disappear, while pollution-tolerant floating plants may increase. This makes aquatic plants useful for low-cost ecological monitoring of local water bodies.¹⁹

9. Human Impact on Aquatic Vegetation :

Human activities have a strong influence on aquatic plants in local water bodies. Disposal of household waste, sewage inflow, cattle bathing, washing of clothes, agricultural runoff, fertilizer use, pesticide use, religious offerings, idol immersion and encroachment all affect aquatic ecosystems. These activities alter nutrient levels, water chemistry, sediment quality and plant composition.

Agricultural runoff is especially important in rural areas. Fertilizers containing nitrogen and phosphorus may enter ponds and canals during rainfall. This promotes the excessive growth of certain aquatic plants and algae. Pesticides may harm sensitive aquatic species and affect aquatic animals.²⁰ Encroachment and siltation also change aquatic vegetation. When ponds become shallow because of sediment deposition or filling, emergent and marginal plants increase, while open-water and submerged

species decline. In many areas, local ponds are used as dumping grounds, which reduces their ecological value and changes the natural plant community.

10. Management and Conservation :

The management of aquatic plants requires a balanced ecological approach. Complete removal of aquatic vegetation is not desirable because plants are necessary for habitat, oxygen balance, sediment stabilization and biodiversity. At the same time, excessive growth of invasive or dominant species should be controlled.

First, pollution should be reduced by preventing direct discharge of sewage, solid waste and agricultural chemicals into water bodies. Second, buffer vegetation should be maintained around ponds and wetlands. Marginal grasses and plants help filter runoff and reduce soil erosion. Third, local communities should be made aware that aquatic plants are not always harmful weeds; many of them are essential for ecosystem health.

Fourth, invasive species such as water hyacinth should be removed periodically, but native vegetation should be conserved. Fifth, regular ecological surveys should be conducted by schools, colleges and local institutions. Such surveys may include plant checklists, seasonal photographs, water-quality records and biodiversity observations. Community-based monitoring can play an important role in local wetland conservation.²¹

11. Conclusion :

Aquatic plants are vital components of local freshwater ecosystems. They support biodiversity, maintain food chains, stabilize sediments, absorb nutrients, improve water quality and provide habitats for aquatic and semi-aquatic organisms. Their ecological importance is much greater than their common identity as “weeds.” A balanced aquatic plant community reflects the health of a water body, while excessive dominance of a few species may indicate pollution, eutrophication or human disturbance. The ecological study of aquatic plants in local water bodies is important for biodiversity documentation, water-quality assessment and sustainable management. Local ponds, tanks and wetlands are often neglected, but they are valuable ecological resources. Scientific study and community-based conservation can help restore their ecological health. Therefore, aquatic plants should be studied, documented and managed carefully as indicators and supporters of freshwater ecosystem balance.

References :

1. Gopal, B. (1990). Ecology and management of aquatic vegetation in the Indian subcontinent. *Kluwer Academic Publishers*.
2. Subramanyam, K. (1962). Aquatic angiosperms: A systematic account of common Indian aquatic angiosperms. *Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi*.

3. Cook, C. D. K. (1996). Aquatic and wetland plants of India. *Oxford University Press*.
4. Ambasht, R. S. (1971). Ecosystem study of a tropical pond in relation to primary production of different vegetation zones. *Hydrobiologia*, 37, 57–61.
5. Adoni, A. D. (1985). Workbook on limnology. *Pratibha Publishers, Sagar*.
6. Trivedy, R. K., & Goel, P. K. (1986). Chemical and biological methods for water pollution studies. *Environmental Publications, Karad*.
7. APHA. (2017). Standard methods for the examination of water and wastewater (23rd ed.). *American Public Health Association*.
8. Gopal, B., & Sharma, K. P. (1981). Water hyacinth: The most troublesome weed of the world. *Hindasia Publishers, Delhi*.
9. Unni, K. S. (1996). Ecology of river Narmada. *APH Publishing Corporation, New Delhi*.
10. Zutshi, D. P., & Vass, K. K. (1978). *Limnological studies on Dal Lake, Kashmir*. Proceedings of the Indian National Science Academy, 44, 1–12.
11. Singh, J. S., Singh, S. P., & Gupta, S. R. (2014). Ecology, environmental science and conservation. *S. Chand Publishing, New Delhi*.
12. Sharma, B. K. (2001). Water pollution. *Krishna Prakashan Media, Meerut*.
13. Kiran, B. R. (2010). Physico-chemical characteristics of fish ponds of Bhadra Project at Karnataka. *Rasayan Journal of Chemistry*, 3(4), 671–676.
14. Verma, P. S., & Agarwal, V. K. (2000). Environmental biology: Principles of ecology. *S. Chand Publishing, New Delhi*.
15. Kaul, V. (1977). Limnological survey of Kashmir lakes with reference to trophic status and conservation. *International Journal of Ecology and Environmental Sciences*, 3, 29–44.
16. Mishra, S. R. (2005). Water pollution. *APH Publishing Corporation, New Delhi*.
17. Kumar, H. D. (1990). Modern concepts of ecology. *Vikas Publishing House, New Delhi*.
18. *National Wetland Atlas*. (2011). National Wetland Atlas: India. *Space Applications Centre, Indian Space Research Organisation, Ahmedabad*.
19. Ministry of Environment, Forest and Climate Change. (2020). Wetlands of India portal and wetland conservation guidelines. *Government of India, New Delhi*.
20. Central Pollution Control Board. (2008). Guidelines for water quality monitoring. *CPCB, Ministry of Environment and Forests, Government of India, New Delhi*.
21. National Biodiversity Authority. (2014). India's fifth national report to the Convention on Biological Diversity. *Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India*.

शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में अधिगम सामग्री की भूमिका : एक अध्ययन

ज्योति हिण्डोलिया

एम. एड. प्रशिक्षणार्थी, जबलपुर पब्लिक कॉलेज, जबलपुर मध्यप्रदेश।

डॉ. संगीता कौल

शोध निर्देशक एवं सहायक प्राध्यापक, जबलपुर पब्लिक कॉलेज, जबलपुर मध्यप्रदेश।

सारांश -

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए अधिगम सामग्री का उपयोग अत्यंत आवश्यक माना जाता है। अधिगम सामग्री विद्यार्थियों को विषयवस्तु को सरल, स्पष्ट एवं रुचिकर ढंग से समझने में सहायता प्रदान करती है। पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों की अपेक्षा आधुनिक शिक्षण सामग्री विद्यार्थियों की सहभागिता, जिज्ञासा एवं अधिगम स्तर को अधिक विकसित करती है। चार्ट, मॉडल, मानचित्र, चित्र, प्रोजेक्टर, स्मार्ट क्लास, वीडियो, कंप्यूटर एवं डिजिटल सामग्री जैसे संसाधन शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र में शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में अधिगम सामग्री की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। अध्ययन में अधिगम सामग्री के प्रकार, उपयोगिता, प्रभाव, चुनौतियों तथा आधुनिक शिक्षा में इसकी आवश्यकता का विस्तृत वर्णन किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अधिगम सामग्री विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि, समझ, स्मरण शक्ति एवं सहभागिता में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मुख्य शब्द : अधिगम सामग्री, शिक्षण प्रक्रिया, अधिगम स्तर, शैक्षणिक उपलब्धि, शिक्षण तकनीक, स्मार्ट शिक्षा।

1. प्रस्तावना -

शिक्षा मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का प्रमुख आधार है। प्रभावी शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसमें ऐसे साधनों एवं तकनीकों का उपयोग भी आवश्यक होता है जो विद्यार्थियों को विषयवस्तु को बेहतर ढंग से समझने में सहायता प्रदान करें। इन्हीं साधनों को अधिगम सामग्री कहा जाता है।

अधिगम सामग्री शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, जिसके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को जटिल तथ्यों एवं अवधारणाओं को सरल एवं स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में केवल मौखिक शिक्षण पर्याप्त नहीं माना जाता, क्योंकि विद्यार्थी दृश्य एवं क्रियात्मक अनुभवों के माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं।

वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी विकास के कारण अधिगम सामग्री के स्वरूप में भी व्यापक परिवर्तन आया है। पारंपरिक चार्ट एवं मॉडल के स्थान पर अब स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल प्रेजेंटेशन, वीडियो लेक्चर एवं ई-कंटेंट का उपयोग बढ़ रहा है। इससे शिक्षण प्रक्रिया अधिक रोचक, सहभागितापूर्ण एवं विद्यार्थी-केंद्रित बन गई है।

नई शिक्षा नीति 2020 में भी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु गतिविधि आधारित एवं तकनीकी समर्थित अधिगम सामग्री के उपयोग पर विशेष बल दिया गया है। अतः वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अधिगम सामग्री की भूमिका का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।

2. अध्ययन के उद्देश्य –

अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

- शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में अधिगम सामग्री की भूमिका का अध्ययन करना।
- विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री की उपयोगिता का विश्लेषण करना।
- विद्यार्थियों के अधिगम स्तर पर अधिगम सामग्री के प्रभाव का अध्ययन करना।
- अधिगम सामग्री के उपयोग में आने वाली समस्याओं एवं चुनौतियों का अध्ययन करना।
- आधुनिक शिक्षा में ICT आधारित अधिगम सामग्री के महत्व का विश्लेषण करना।

3. साहित्य समीक्षा –

शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में अधिगम सामग्री की भूमिका पर विभिन्न शिक्षाविदों एवं शोधकर्ताओं द्वारा अनेक अध्ययन किए गए हैं। पूर्व अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि अधिगम सामग्री विद्यार्थियों की समझ, रुचि एवं शैक्षणिक उपलब्धि में सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है।

शर्मा (2019) के अनुसार दृश्य-श्रव्य सामग्री विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति एवं सहभागिता को बढ़ाती है। **अग्रवाल (2020)** ने अपने अध्ययन में पाया कि ICT आधारित अधिगम सामग्री शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी एवं विद्यार्थी-केंद्रित बनाती है। **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी** गतिविधि आधारित एवं डिजिटल अधिगम सामग्री के उपयोग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक माना गया है।

4. अनुसंधान पद्धति –

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है। अध्ययन हेतु द्वितीयक तथ्यों का उपयोग किया गया है। विभिन्न पुस्तकों, शोध पत्रों, सरकारी रिपोर्टों, शिक्षा नीति दस्तावेजों एवं ऑनलाइन शैक्षणिक स्रोतों का अध्ययन कर तथ्यों का विश्लेषण किया गया है।

5. अधिगम सामग्री की अवधारणा –

अधिगम सामग्री से आशय उन सभी साधनों एवं संसाधनों से है जिनका उपयोग शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु किया जाता है। ये सामग्री विद्यार्थियों को विषयवस्तु को समझने, देखने, सुनने एवं अनुभव करने का अवसर प्रदान करती है। शिक्षाविद एडगर डेल के अनुसार, “विद्यार्थी प्रत्यक्ष अनुभवों एवं दृश्य सामग्रियों के माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं।”

6. अधिगम सामग्री के प्रकार –

शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री का उपयोग किया

जाता है। सामान्यतः अधिगम सामग्री को दृश्य, श्रव्य, दृश्य-श्रव्य एवं डिजिटल सामग्री के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दृश्य सामग्री के अंतर्गत चार्ट, चित्र, मानचित्र, मॉडल, ग्राफ एवं पोस्टर आदि आते हैं, जो विद्यार्थियों को विषयवस्तु को देखकर समझने में सहायता करते हैं। श्रव्य सामग्री में रेडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, भाषण एवं ध्वनि आधारित संसाधन सम्मिलित होते हैं, जिनसे सुनकर सीखने की क्षमता विकसित होती है। दृश्य-श्रव्य सामग्री जैसे टेलीविजन, प्रोजेक्टर, वीडियो एवं स्मार्ट क्लास शिक्षण को अधिक रोचक एवं प्रभावशाली बनाते हैं। वर्तमान समय में डिजिटल अधिगम सामग्री का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है, जिसमें ई-

कंटेंट, ऑनलाइन वीडियो, मोबाइल एप्लीकेशन, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म एवं स्मार्ट बोर्ड शामिल हैं। ये सभी सामग्री विद्यार्थियों की समझ, रुचि एवं सहभागिता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

अधिगम सामग्री के प्रकार एवं शैक्षणिक उपयोगिता को निम्नानुसार तालिका- 1.1 के अनुसार और आसानी से समझा जा सकता है।

तालिका- 1.1

अधिगम सामग्री के प्रकार एवं शैक्षणिक उपयोगिता

अधिगम सामग्री का प्रकार	प्रमुख उदाहरण	शैक्षणिक उपयोगिता
दृश्य सामग्री	चार्ट, चित्र, मानचित्र, मॉडल, ग्राफ	विषयवस्तु को स्पष्ट एवं दृश्य रूप में समझाने में सहायक
श्रव्य सामग्री	रेडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, भाषण	सुनने की क्षमता एवं भाषा कौशल का विकास
दृश्य-श्रव्य सामग्री	वीडियो, प्रोजेक्टर, टेलीविजन, स्मार्ट क्लास	शिक्षण को रोचक, प्रभावी एवं सहभागितापूर्ण बनाना
गतिविधि आधारित सामग्री	प्रयोगात्मक उपकरण, शैक्षणिक खेल, प्रयोगशाला सामग्री	व्यावहारिक ज्ञान एवं अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा
मुद्रित सामग्री	पाठ्यपुस्तक, पत्रिका, कार्यपुस्तिका, समाचार पत्र	अध्ययन एवं संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराना
डिजिटल अधिगम सामग्री	ई-कंटेंट, मोबाइल एप, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, स्मार्ट बोर्ड	आधुनिक एवं तकनीकी आधारित अधिगम को प्रोत्साहन
ऑनलाइन अधिगम सामग्री	वेबिनार, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, वीडियो लेक्चर	कहीं भी एवं कभी भी अध्ययन की सुविधा प्रदान करना

7. शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में अधिगम सामग्री की भूमिका –

शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी, रोचक एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने में अधिगम सामग्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अधिगम सामग्री वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक विषयवस्तु को सरल, स्पष्ट एवं व्यवस्थित रूप में विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में केवल मौखिक शिक्षण पर्याप्त नहीं माना जाता, क्योंकि विद्यार्थी प्रत्यक्ष अनुभव, दृश्य प्रस्तुतीकरण एवं गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। इस कारण अधिगम सामग्री शिक्षण प्रक्रिया का अनिवार्य अंग बन चुकी है।

अधिगम सामग्री विद्यार्थियों की रुचि एवं जिज्ञासा को बढ़ाने में सहायक होती है। जब शिक्षक चार्ट, मॉडल, चित्र, मानचित्र, वीडियो, स्मार्ट बोर्ड अथवा डिजिटल प्रस्तुतीकरण का उपयोग करते हैं, तब विद्यार्थी विषयवस्तु को अधिक ध्यानपूर्वक समझते हैं। इससे उनकी एकाग्रता एवं सहभागिता में वृद्धि होती है। विशेष रूप से विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में जटिल अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु अधिगम सामग्री अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है।

अधिगम सामग्री विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति एवं समझ विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दृश्य एवं क्रियात्मक अनुभवों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान लंबे समय तक स्मरण रहता है। उदाहरण के लिए, किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया को केवल पढ़ाने की अपेक्षा मॉडल या प्रयोग के माध्यम से समझाना अधिक प्रभावी होता है। इसी प्रकार डिजिटल वीडियो एवं एनीमेशन कठिन विषयों को सरल एवं रोचक बना देते हैं।

वर्तमान समय में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) आधारित अधिगम सामग्री का महत्व तेजी से बढ़ा है। स्मार्ट क्लास, ई-कंटेंट, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म एवं मोबाइल एप्लीकेशन ने शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को आधुनिक एवं विद्यार्थी-केंद्रित बनाया है। इन साधनों के माध्यम से विद्यार्थी अपनी गति एवं सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा ने अधिगम सामग्री की उपयोगिता को और अधिक स्पष्ट किया।

इसके अतिरिक्त अधिगम सामग्री विद्यार्थियों की रचनात्मकता, तार्किक सोच एवं व्यावहारिक ज्ञान के विकास में भी सहायक होती है। यह शिक्षण को केवल सैद्धांतिक न रखकर अनुभवात्मक एवं गतिविधि आधारित बनाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अधिगम सामग्री शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार करने तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

8. विद्यार्थियों के अधिगम स्तर पर अधिगम सामग्री का प्रभाव –

अधिगम सामग्री विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक साधन है। शिक्षण प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री जैसे चार्ट, मॉडल, मानचित्र, प्रयोगात्मक उपकरण, वीडियो, स्मार्ट क्लास एवं डिजिटल संसाधनों के उपयोग से विद्यार्थियों की समझ, रुचि, स्मरण शक्ति एवं शैक्षणिक उपलब्धि में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। पारंपरिक मौखिक शिक्षण की तुलना में अधिगम सामग्री आधारित शिक्षण अधिक प्रभावी एवं विद्यार्थी-केंद्रित माना जाता है।

अधिगम सामग्री विद्यार्थियों को विषयवस्तु को प्रत्यक्ष रूप से समझने का अवसर प्रदान करती है। जब विद्यार्थी किसी विषय को केवल सुनने के बजाय देखकर, समझकर एवं गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं, तब उनका अधिगम स्तर अधिक विकसित होता है। विशेष रूप से प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर दृश्य-श्रव्य सामग्री विद्यार्थियों की जिज्ञासा एवं सक्रिय सहभागिता को बढ़ाती है। इससे सीखने की प्रक्रिया रोचक एवं स्थायी बनती है।

डिजिटल अधिगम सामग्री के उपयोग से विद्यार्थियों की एकाग्रता एवं आत्म-अधिगम क्षमता में भी वृद्धि होती है। स्मार्ट क्लास, वीडियो लेक्चर एवं ऑनलाइन अध्ययन सामग्री विद्यार्थियों को अपनी गति एवं सुविधा के अनुसार अध्ययन करने का अवसर प्रदान करती है। इसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम एवं विषय की समझ में सुधार होता है।

तालिका - 1.2

अधिगम सामग्री का विद्यार्थियों के अधिगम स्तर पर प्रभाव

अधिगम सामग्री का प्रकार	विद्यार्थियों पर प्रभाव
चार्ट एवं चित्र	विषय को सरल एवं स्पष्ट रूप से समझने में सहायता
मॉडल एवं प्रयोगात्मक सामग्री	व्यावहारिक ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि
मानचित्र एवं ग्राफ	विश्लेषणात्मक एवं तार्किक सोच का विकास
वीडियो एवं स्मार्ट क्लास	रुचि, सहभागिता एवं एकाग्रता में वृद्धि
डिजिटल एवं ऑनलाइन सामग्री	स्वअधिगम एवं तकनीकी कौशल का विकास-
गतिविधि आधारित सामग्री	रचनात्मकता एवं सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहन

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जिन विद्यालयों में अधिगम सामग्री का नियमित एवं प्रभावी उपयोग किया जाता है, वहाँ विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि अपेक्षाकृत अधिक होती है। इस प्रकार अधिगम सामग्री विद्यार्थियों के बौद्धिक, रचनात्मक एवं व्यावहारिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाती है।

9. ICT आधारित अधिगम सामग्री का महत्व -

वर्तमान डिजिटल युग में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) आधारित अधिगम सामग्री का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। ICT आधारित सामग्री शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, रोचक एवं विद्यार्थी-केंद्रित बनाती है। स्मार्ट क्लास, ई-कंटेंट, ऑनलाइन वीडियो, डिजिटल बोर्ड, मोबाइल एप्लीकेशन एवं ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे साधनों ने शिक्षा प्रणाली को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया है। इन संसाधनों के माध्यम से विद्यार्थी किसी भी समय एवं स्थान पर अध्ययन कर सकते हैं, जिससे स्व-अधिगम एवं तकनीकी दक्षता का विकास होता है।

ICT आधारित अधिगम सामग्री विद्यार्थियों की रुचि, सहभागिता एवं समझ को बढ़ाने में सहायक होती है। वीडियो, एनीमेशन एवं इंटरैक्टिव सामग्री जटिल विषयों को सरल एवं स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करती है। कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा ने ICT आधारित शिक्षण की आवश्यकता एवं उपयोगिता को और अधिक स्पष्ट किया।

तालिका - 1.3

ICT आधारित अधिगम सामग्री एवं उनकी उपयोगिता

ICT आधारित सामग्री	प्रमुख उपयोगिता
स्मार्ट क्लास	शिक्षण को आकर्षक एवं प्रभावी बनाना
ईकंटेंट-	स्वअध्ययन एवं त्वरित अधिगम-
वीडियो लेक्चर	कठिन विषयों को सरल रूप में समझाना
ईलर्निंग प्लेटफॉर्म-	कहीं भी एवं कभी भी अध्ययन की सुविधा
मोबाइल एप्लीकेशन	डिजिटल एवं व्यक्तिगत अधिगम को बढ़ावा
ऑनलाइन क्विज एवं टेस्ट	त्वरित मूल्यांकन एवं प्रतिक्रिया प्राप्त करना

इस प्रकार ICT आधारित अधिगम सामग्री आधुनिक शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है, जो शिक्षण की गुणवत्ता एवं विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में सुधार करने में प्रभावी भूमिका निभाती है।

10. अधिगम सामग्री के उपयोग में चुनौतियाँ –

अधिगम सामग्री शिक्षण को प्रभावी बनाती है, किन्तु इसके उपयोग में अनेक व्यावहारिक, तकनीकी एवं आर्थिक चुनौतियाँ भी सामने आती हैं।

- **आर्थिक संसाधनों की कमी** : कई विद्यालयों में शिक्षण सामग्री एवं डिजिटल उपकरणों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं होता।
- **तकनीकी ज्ञान का अभाव** : अनेक शिक्षक आधुनिक ICT आधारित अधिगम सामग्री के उपयोग में पूर्णतः प्रशिक्षित नहीं होते।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट समस्या** : कमजोर इंटरनेट एवं बिजली की समस्या डिजिटल शिक्षण में बाधा उत्पन्न करती है।
- **सामग्री की अनुपलब्धता** : सभी विषयों एवं कक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण अधिगम सामग्री उपलब्ध नहीं होती।
- **रखरखाव की समस्या** : स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर एवं कंप्यूटर जैसे उपकरणों के रखरखाव में कठिनाई आती है।
- **विद्यार्थियों की तकनीकी असमानता** : सभी विद्यार्थियों के पास डिजिटल उपकरण एवं इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं होती।
- **समय प्रबंधन की समस्या** : शिक्षकों को अधिगम सामग्री तैयार करने एवं उपयोग करने में अतिरिक्त समय देना पड़ता है।
- **पारंपरिक शिक्षण मानसिकता** : कुछ शिक्षक एवं संस्थान अभी भी पारंपरिक शिक्षण पद्धति को अधिक प्राथमिकता देते हैं।

11. नई शिक्षा नीति 2020 एवं अधिगम सामग्री –

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, कौशल आधारित एवं विद्यार्थी-केंद्रित बनाने पर विशेष बल दिया गया है। इस नीति के अंतर्गत अधिगम सामग्री को केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित न रखकर गतिविधि आधारित, अनुभवात्मक एवं तकनीकी समर्थित बनाने की अनुशंसा की गई है। नीति में विद्यार्थियों की आयु, रुचि एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण सामग्री विकसित करने पर जोर दिया गया है, ताकि शिक्षा अधिक सरल, रोचक एवं व्यावहारिक बन सके।

नई शिक्षा नीति में डिजिटल शिक्षा एवं ICT आधारित अधिगम सामग्री के उपयोग को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। SWAYAM, DIKSHA, e-PG Pathshala, Virtual Labs तथा National Digital Library जैसी डिजिटल पहलों के माध्यम से विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त बहुभाषीय ई-कंटेंट, स्मार्ट क्लास एवं ऑनलाइन शिक्षण संसाधनों को प्रोत्साहित किया गया है। इस प्रकार नई शिक्षा नीति 2020 अधिगम सामग्री के आधुनिकीकरण एवं शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुई है।

12. सुझाव – प्रस्तुत शोध अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं।

- विद्यालयों में पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराई जाए।
- शिक्षकों को अधिगम सामग्री के प्रभावी उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाए।
- ICT आधारित शिक्षण को बढ़ावा दिया जाए।
- ग्रामीण विद्यालयों में डिजिटल संसाधनों का विस्तार किया जाए।
- गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धतियों को अपनाया जाए।
- विद्यार्थियों की आयु एवं आवश्यकता के अनुसार सामग्री विकसित की जाए।
- स्मार्ट क्लास एवं डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किए जाएँ।
- अधिगम सामग्री के उपयोग हेतु सरकारी सहायता बढ़ाई जाए।

13. निष्कर्ष –

शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में अधिगम सामग्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल शिक्षण को प्रभावी एवं रोचक बनाती है, बल्कि विद्यार्थियों की समझ, स्मरण शक्ति, सहभागिता एवं शैक्षणिक उपलब्धि में भी सकारात्मक वृद्धि करती है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अधिगम सामग्री के बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना करना कठिन है।

ICT आधारित अधिगम सामग्री ने शिक्षा को आधुनिक एवं विद्यार्थी-केंद्रित बनाया है। हालाँकि संसाधनों की कमी एवं तकनीकी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं, किन्तु उचित प्रशिक्षण एवं सुविधाओं के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान संभव है।

अतः यह कहा जा सकता है कि अधिगम सामग्री शिक्षण प्रक्रिया का सहायक साधन मात्र नहीं, बल्कि प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आधार है।

संदर्भ सूची –

- अग्रवाल, जे. सी. (2020). शिक्षण तकनीक एवं अधिगम सामग्री. नई दिल्ली: आर. लल बुक डिपो।
- भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय। (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. नई दिल्ली: भारत सरकार।

- इमू। (2021). डिजिटल शिक्षा एवं ई-अधिगम संसाधन. नई दिल्ली: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय।
- कुमार, ए., एवं मिश्रा, पी. (2021). शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में ICT की भूमिका। भारतीय शिक्षा अध्ययन पत्रिका, 14(2), 55–63।
- चौहान, आर. एस. (2018). आधुनिक शिक्षण विधियाँ एवं शैक्षिक तकनीक. जयपुर: यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन।
- शर्मा, आर. एन. (2019). शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं आधुनिक शिक्षण विधियाँ. नई दिल्ली: सूर्य प्रकाशन।
- सिंह, वी. के. (2021). अधिगम सामग्री एवं विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि। भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, 12(3), 45–52।
- यूजीसी। (2022). उच्च शिक्षा में डिजिटल शिक्षण की रिपोर्ट. नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।
- यूनेस्को। (2021). शिक्षा में ICT एवं डिजिटल अधिगम. पेरिस: यूनेस्को प्रकाशन।
- यादव, एस., एवं वर्मा, आर. (2022). डिजिटल अधिगम सामग्री का शिक्षण पर प्रभाव। जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, 15(2), 66–74।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT)। (2021). विद्यालयी शिक्षा में अधिगम सामग्री का महत्व. नई दिल्ली: एनसीईआरटी।
- वर्मा, डी. पी. (2020). शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया एवं अधिगम सामग्री का प्रयोग. भोपाल: शिक्षा प्रकाशन।



संगम

Impact Factor : 7.834

Website :
www.ginajournal.com

ISSN : 2321-8037

SANGAM

Vol. 14, Issue 5-6

पृष्ठ : 175-180

गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक-बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTILANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREEED RESEARCH JOURNAL

समकालीन हिंदी उपन्यासों में विस्थापन की समस्या

दिलीप कुमार

शोधार्थी, हिन्दी विभाग

भूपेन्द्र ना. मंडल विश्वविद्यालय, लालनगर, मधेपुरा-852113 (बिहार)

शोध सार :

समकालीन हिंदी उपन्यासों में आदिवासी जीवन, किसान संकट, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, पूँजीवादी विकास मॉडल तथा वैश्विक आर्थिक नीतियों से उत्पन्न विस्थापन को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है। रणेंद्र, अखिलेश, संजीव, मनीषा कुलश्रेष्ठ, वीरेंद्र जैन, अलका सरावगी, महुआ माजी आदि रचनाकारों ने अपने उपन्यासों के माध्यम से विस्थापित मनुष्य की पीड़ा, संघर्ष और अस्मिता के प्रश्नों को स्वर दिया है। इन उपन्यासों में विकास की अंधी दौड़ के कारण जल, जंगल और जमीन से बेदखल होते आदिवासी समुदायों तथा बदलती सामाजिक संरचना से जूझते सामान्य मनुष्य की त्रासदी को प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया गया है।

समकालीन हिंदी उपन्यास केवल सामाजिक यथार्थ का दर्पण नहीं है, बल्कि वह विस्थापन जैसी जटिल समस्या के प्रति जनचेतना का निर्माण भी करता है। उपन्यासों में विस्थापन के विविध आयामों 'भौतिक, मानसिक, सांस्कृतिक और भाषाई' का चित्रण आधुनिक भारतीय समाज की बदलती परिस्थितियों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बीज शब्द : विस्थापन, समकालीन हिंदी उपन्यास, भूमंडलीकरण, आदिवासी विमर्श, बाजारवाद, अस्मिता, सांस्कृतिक संकट, आंतरिक विस्थापन, उपभोक्तावाद, सामाजिक यथार्थ आदि।

मूल आलेख :

साहित्यिक विधाओं के विकास और परिवर्तन में समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साहित्य ने सदैव जनसामान्य तक पहुँचकर विभिन्न विचारधाराओं को अभिव्यक्ति प्रदान की है। जिस प्रकार सामाजिक परिवर्तनों के साथ साहित्यिक रूपों का विकास होता है, उसी प्रकार उनके साथ जुड़ी विचारधाराएँ भी निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं। हिंदी साहित्य का परिवेश भी अनेक बदलावों और संक्रमणों का साक्षी रहा है। प्रारंभिक काल में महाकाव्य सभ्यता और संस्कृति की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम था। इसका उद्भव सामंती व्यवस्था से पूर्व जनपदीय समाजों में हुआ था। इन महाकाव्यों के कथानक राष्ट्रीय इतिहास तथा जातीय मिथकों पर आधारित होते थे। इनके नायक सामान्यतः अभिजात वर्ग से संबंधित, वीर योद्धा अथवा राजा-महाराजा जैसे धीरोदात्त पात्र होते थे। भारतीय साहित्य में 'रामायण' और 'महाभारत' जैसे विराट महाकाव्य रचे गए, जिन्हें परवर्ती महाकाव्यों की आधारभूमि माना जाता है। हिंदी का प्रारंभिक महाकाव्य चंदबरदाई रचित 'पृथ्वीराज रासो' माना

जाता है, जिसमें पहली बार मानव जीवन के संघर्ष का व्यापक चित्रण दिखाई देता है। 'पद्मावत', 'रामचरितमानस', 'साकेत', 'कामायनी' तथा 'प्रियप्रवास' हिंदी के प्रमुख महाकाव्यों में गिने जाते हैं। समय के साथ सामाजिक परिस्थितियाँ बदलीं, सामंती व्यवस्था का पतन हुआ और एक नई सामाजिक संरचना विकसित हुई। इसी परिवर्तन के साथ विश्व साहित्य में महाकाव्य परंपरा भी क्षीण पड़ने लगी।

प्रेमचंद ने इस संक्रमणकालीन स्थिति को गहराई से समझा और समाज की समस्याओं को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया। उनके उपन्यासों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक यथार्थ प्रमुखता से उभरकर सामने आते हैं। औद्योगीकरण के प्रभाव और बदलती सामाजिक संरचना का चित्रण भी उनके साहित्य में मिलता है। उनके उपन्यासों के नायक कोई आदर्शवादी या धीरोदात्त पात्र नहीं, बल्कि सामान्य मनुष्य और किसान हैं, जो अपने गुण-दोषों और संघर्षों के साथ भारतीय समाज की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। प्रेमचंद ने गाँवों की दुर्दशा के साथ-साथ शहरी जीवन की विसंगतियों को भी चित्रित किया। यदि ऐसे समय में प्रेमचंद का आगमन न हुआ होता, तो संभवतः हिंदी उपन्यास लंबे समय तक केवल मनोरंजन और उपदेशात्मकता तक सीमित रह जाता।

प्रेमचंद युग के अन्य उपन्यासकारों, जैसे चतुरसेन शास्त्री, वृंदावनलाल वर्मा, विश्वंभरनाथ शर्मा 'कौशिक', भगवतीप्रसाद वाजपेयी तथा उषादेवी मित्रा आदि ने भी सामाजिक जीवन के विविध पक्षों को अपने साहित्य में अभिव्यक्ति दी। प्रेमचंदोत्तर काल में लेखकों ने नए भाव-बोध और नवीन दृष्टिकोण के साथ साहित्य-सृजन आरंभ किया। इस दौर में कथा-विन्यास, भाषा, भाव और शिल्प में अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। मनोविश्लेषणवाद, आंचलिकता और प्रगतिवाद जैसे नए साहित्यिक प्रवाहों के आधार पर उपन्यास लिखे जाने लगे। इसी समय ऐसे साहित्यकार भी सक्रिय रहे जिनकी साहित्यिक यात्रा प्रेमचंद काल से ही जारी थी।

सन् 1947 में देश की स्वतंत्रता के साथ विभाजन की भीषण त्रासदी सामने आई। इस घटना ने सांप्रदायिक दंगों, विस्थापन और मानवीय विघटन को जन्म दिया। लाखों लोग अपनी जन्मभूमि छोड़ने के लिए विवश हुए। विभाजन ने केवल देश को दो भागों में विभाजित नहीं किया, बल्कि समाज में सांप्रदायिकता और अलगाव की ऐसी गहरी खाई उत्पन्न की, जिसका प्रभाव आज तक देखा जा सकता है। इस त्रासदी को साहित्यकारों ने कहानियों, उपन्यासों और कविताओं के माध्यम से संवेदनात्मक रूप में अभिव्यक्त किया। दूसरी ओर जैनेन्द्र, अज्ञेय और इलाचंद्र जोशी जैसे रचनाकार मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचना कर रहे थे। उत्तर आधुनिकतावाद, प्रगतिवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, अस्तित्ववाद तथा गांधीवाद जैसी समकालीन विचारधाराओं का प्रभाव भी स्वातंत्र्योत्तर उपन्यासों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने विकास के लिए पश्चिमी मॉडल को अपनाया। औद्योगीकरण और विकास योजनाओं के अंतर्गत अनेक कल-कारखाने स्थापित किए गए, किंतु इनमें से अधिकांश योजनाएँ जनसामान्य के हित में अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकीं। विकास की अंधी दौड़ में औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी सोच के प्रभाव से पूँजीपतियों ने खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया। इसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर आदिवासी और ग्रामीण समुदायों को उनकी जमीनों से विस्थापित किया जाने लगा। इस अन्याय के विरुद्ध अनेक आंदोलन भी हुए। विशेषतः बाँध निर्माण और विकास परियोजनाओं ने आदिवासी समाज और ग्रामीण जीवन को गहरे संकट में डाल दिया। रामचंद्र गुहा ने 'भारत : गांधी के बाद' में 'भारत

: गांधी के बाद' में लिखते हैं – “एक आधुनिक तकनीक जिस पर गांधीवादियों को कड़ी आपत्ति थी वो थी बड़े ‘बांधों का निर्माण। वे उन्हें खर्चीला और प्रकृति विनाशक मानते थे। लेकिन हिंदुस्तानियों को धीरे-धीरे महसूस हो रहा था कि बड़े बांध मानव समुदाय का भी विनाश कर रहे थे। पचास के दशक की शुरुआत में बड़े बांधों द्वारा विस्थापित लोगों की तकलीफों के बारे में खबरें आने लगीं।”¹

पचास के दशक से ही बाँधों द्वारा विस्थापित लोगों की समस्याओं की खबरें सामने आने लगी थीं। उद्योगों और विकास परियोजनाओं के विस्तार के कारण भूमि, जंगल, तालाब और नदियों का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण हुआ, जिससे असंख्य लोग अपने आजीविका-स्रोतों से वंचित होकर विस्थापन के लिए विवश हुए।

उपन्यास ने केवल साहित्यिक विधा के रूप में ही नहीं, बल्कि समाज और इतिहास के दस्तावेज के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से भारतीय समाज की संरचना, उसके अंतर्विरोधों और बदलती सामाजिक परिस्थितियों का सजीव चित्रण सामने आया है। राष्ट्रीय आंदोलन की स्मृतियाँ, सामाजिक रुढ़ियाँ, क्रांतिकारी चेतना, विभिन्न वैचारिक धाराएँ, सामंती जीवन-व्यवस्था, हिन्दू-मुस्लिम संबंधों की जटिलता, धार्मिक कट्टरता तथा राजनीति के जनविरोधी स्वरूप जैसी अनेक समस्याएँ हिंदी उपन्यासों के केंद्र में रही हैं। हिंदी उपन्यास की एक सशक्त धारा ऐतिहासिक घटनाओं और सामाजिक यथार्थ को आधार बनाकर विकसित हुई है। इस संदर्भ में विजय बहादुर सिंह का मत है कि – “समकालीन हिंदी भाषी समाज, बृहत्तर अर्थ में समूचा भारतीय समाज जिन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुश्किलों के बीच फंसा है, उपन्यास उन्हें तरह-तरह से समझने और अपने पाठकों के बिखर से उठे, लगभग संभ्रमित और आत्मबेसुध से हो चुके चित्त को खोजने और पुनःस्थापित करने में जी-जान से लगा हुआ है।”²

सत्तर के दशक के बाद हिंदी उपन्यासों के कथ्य और दृष्टि में व्यापक परिवर्तन दिखाई देता है। नमिता सिंह, कृष्ण बलदेव वैद, सुरेंद्र वर्मा, वीरेंद्र जैन, मनोहर श्याम जोशी, विनोद कुमार शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल, मैत्रेयी पुष्पा, दूधनाथ सिंह, रामदरश मिश्र और मिथिलेश्वर जैसे रचनाकारों ने आधुनिक जीवन-बोध और मूल्य-संकटों को अपने उपन्यासों का आधार बनाया। इस काल के उपन्यासों में विषय-वस्तु के साथ-साथ दृष्टिकोण में भी नवीनता दिखाई देती है। कथा साहित्य का अपने समय और समाज से गहरा संबंध सदैव बना रहा है। भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी उपन्यास ने लोकतांत्रिक स्वरूप को और अधिक व्यापक बनाया। इन उपन्यासों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संघर्षों से जूझते आम भारतीय जन-जीवन की महागाथा चित्रित हुई है तथा साथ ही एक नई सामाजिक व्यवस्था की आकांक्षा भी व्यक्त हुई है।

भूमंडलीकरण ने केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था को ही नहीं, बल्कि साहित्यिक संसार को भी गहरे स्तर पर प्रभावित किया। हिंदी उपन्यासों में भी इसके प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। साहित्यकार अपने लेखन के माध्यम से भूमंडलीकरण के दुष्परिणामों के विरुद्ध जनचेतना को स्वर प्रदान कर रहे हैं। प्रभा खेतान ने माइकेल हार्ट और एंटोनियो नेग्री की पुस्तक ‘साम्राज्य’ का उल्लेख करते हुए कहा है – “विश्व की यह नयी परिस्थिति एक संजाल है, जिसमें दुनिया की महत्वपूर्ण संस्थाओं की परा- राष्ट्रीय पूँजी लगी हुई है। ...यह वही पुराना साम्राज्यवाद है जो नयी-नयी भूमंडलीय एकता और भाईचारे को बुलन्द कर रहा है।”³

समकालीन उपन्यासों में अब ऐतिहासिकता के स्थान पर तात्कालिक घटनाओं और वर्तमान यथार्थ को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। बाबरी मस्जिद विवाद, गुजरात दंगे, कश्मीर संकट, उपभोक्तावाद, बाजारवाद,

प्रव्रजन और विस्थापन जैसी समस्याएँ हिंदी उपन्यासों के प्रमुख विषय बने हैं। इन विषयों के माध्यम से उपन्यास ने अपने लिए एक नया रचनात्मक प्रस्थान—बिंदु निर्मित किया है। आज साहित्य में मुक्ति, संघर्ष और अस्मिता के साथ-साथ विस्थापन की समस्या भी गंभीर चिंतन का विषय बन चुकी है। साहित्य जीवन और समाज के साथ चलते हुए भविष्य निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ा होता है, इसलिए कोई भी सामाजिक विडंबना साहित्य की सीमा से बाहर नहीं रह सकती।

समकालीन हिंदी उपन्यासों में आदिवासी जीवन और उनके संघर्षों को भी नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। मैनेजर पाण्डेय के अनुसार — “किसी रचनाकार की चिन्ता का मुख्य विषय जीवन का यथार्थ है व जीवन का यथार्थ बहुआयामी होता है। रचनाकाल में रचनाकार की चेतना के ऊपरी स्तर व भीतरी अन्तर्दृष्टि में द्वन्द्व होता है। अन्तर्दृष्टि की विजय में यथार्थवाद की विजय निहित होती है।”⁴

यही कारण है कि आधुनिक हिंदी उपन्यासों में सामाजिक विसंगतियों और विस्थापन की त्रासदी को व्यापक रूप में अभिव्यक्ति मिली है। रणेंद्र के ‘ग्लोबल गाँव के देवता’ और ‘गायब होता देश’, अखिलेश के ‘निर्वासन’, संजीव के ‘फॉस’ और ‘जंगल जहाँ शुरू होता है’, मनीषा कुलश्रेष्ठ के ‘शिगाफ’, सुषम बेदी के ‘मोर्चे’, अलका सरावगी के ‘जानकीदास तेजपाल मैनशन’, महुआ माजी के ‘मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ’ तथा वीरेंद्र जैन के ‘डूब’ और ‘पार’ जैसे उपन्यास विस्थापन की समस्या को केंद्र में रखते हैं। इन रचनाओं में विस्थापन के सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक प्रभावों का गहन चित्रण किया गया है।

विस्थापन का प्रश्न केवल उपन्यास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कहानी, कविता और यात्रासाहित्य में भी इसकी अभिव्यक्ति हुई है। ‘यादों का लाल गलियारा रू दंतेवाड़ा’, ‘दर्दा—दर्दा हिमालय’ और ‘कुछ अटके कुछ भटके’ जैसे यात्रावृत्तांतों में भी विस्थापन की समस्या दिखाई देती है, किंतु उपन्यास ने इसे सबसे व्यापक स्तर पर प्रस्तुत किया है। वीरेंद्र जैन के ‘डूब’ में बाँध निर्माण के कारण नष्ट होती मानवीय सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, प्रकृति और आम जनजीवन की त्रासदी अत्यंत मार्मिक ढंग से चित्रित हुई है।

उदारीकरण के बाद अनेक विदेशी कंपनियों ने भारत में निवेश करना आरंभ किया। रियो टिंटो जिंक, बीएचपी, एलकॉन, डी बीयर्स और रेथियोन जैसी कंपनियों द्वारा किए गए खनन कार्यों ने आदिवासी क्षेत्रों में गंभीर संकट उत्पन्न किए। मनोज सिन्हा ने उल्लेख किया है कि — “पश्चिम बंगाल में विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने के लिए सिंगूर में किसानों की जमीन बाजार के मूल्य से कुछ अधिक और उनके परिवार में से एक व्यक्ति को स्थापित फर्म में नौकरी के आश्वासन के साथ जमीन खरीदने का दबाव डाला गया। ...इसे सभी भारतीय राज्यों में पूरा किया जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश के एनसीआर नोएडा, दादरी, दनकौर, गुडगाँव, पानीपत... इन कृषि योग्य क्षेत्रों में एस्टेट अपार्टमेंट उद्योग बड़ी तेजी से फैल रहा है।”⁵

अखिलेश के ‘निर्वासन’ में विस्थापन का मनोवैज्ञानिक पक्ष उभरकर सामने आता है। “चाचा तुम कहाँ—कहाँ से तमाम ऐसी चीजें इस घर में रखे हुए हो जो गायब हो चुकी हैं। जवाब में चाचा कहते हैं, “वे गायब नहीं हुई हैं बल्कि वे अपनी जगह से धकेल दी गई हैं। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। ये देसी आम, ये बर्तन, ढिबरी, लालटेन, ये सिकहर, ये सिल लोढ़ा, ये सब इसी भारत देश में हैं पर अपनी—अपनी जगह से धक्का दे दी गयी हैं। ये ऐसे अँधेरे में गिर गए हैं कि तुम लोगों को दिखाई नहीं देते, पर ये हैं।”⁶

उपन्यास में पात्र यह अनुभव करता है कि अनेक वस्तुएँ वास्तव में समाप्त नहीं हुई हैं, बल्कि उन्हें उनके

मूल स्थान से हटा दिया गया है। यह भाव केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं, बल्कि मनुष्य के सांस्कृतिक और भावनात्मक विस्थापन को भी व्यक्त करता है। धीरेन्द्र अस्थाना के 'देश निकाला' में भूमंडलीकरण और बाजारीकरण के कारण मनुष्य के रिश्तों में आई दूरी और आत्मनिर्वासन की स्थिति को रेखांकित किया गया है। उपन्यास का नायक निजी स्वतंत्रता और एकांत को प्राथमिकता देता है, जिसके परिणामस्वरूप संबंधों में विघटन उत्पन्न होता है। यहाँ उपन्यास की पंक्ति उल्लेखनीय है – “यायावरी और एकांत मेरे प्रोफेशन का तकाजा है। तुम अपने स्वप्नों और जिदों के साथ चारकोप में रहो। मैं अपनी सनक और पैशन के साथ मीरा रोड में हूँ। यह बिल्कुल मत समझना कि हम अलग हो गये हैं। यथार्थ को स्वीकार कर लो मल्लिका। हम दोनों अपने- अपने स्पेस में रहना चाहते हैं, अपनी-अपनी समझ के साथ। कोई प्रोब्लम हो तो मैं मोबाइल पर एवेलेबल हूँ न।”⁷

वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत उन देशों में प्रमुख है जहाँ विकास परियोजनाओं के कारण बड़े पैमाने पर आंतरिक विस्थापन हुआ है। बाँध, खदानें, ताप विद्युत परियोजनाएँ, एक्सप्रेस-हाइवे, औद्योगिक नगर, राष्ट्रीय उद्यान और सैन्य परियोजनाएँ लाखों लोगों के विस्थापन का कारण बनी हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाएँ भी विस्थापन की एक बड़ी वजह हैं। हर वर्ष बाढ़ के कारण बिहार, असम, बंगाल, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश और अन्य राज्यों में हजारों लोग अपना घर छोड़ने के लिए विवश होते हैं। कश्मीर में आतंकवाद, सांप्रदायिकता और अतिधर्मवाद ने भी विस्थापन की समस्या को गंभीर बनाया है। ग्राम्शी का मत है कि – “मुक्त व्यापार भी एक प्रकार का नियंत्रण है जो कानून और ताकत से लागू किया जाता है। वह जानबूझकर बनाई गयी ऐसी नीति है, जो अपने लक्ष्यों के बारे में सचेत है। वह आर्थिक स्थिति का स्वभाविक और स्वतंत्र विकास नहीं है।”⁸

नेतरहाट, होरहाप और देवरी-डुमरी फायरिंग रेंज के कारण हजारों आदिवासी परिवार विस्थापन के खतरे से घिर गए। रमणिका गुप्ता के अनुसार – “भारत सरकार ने वर्ष 1993 में अधिसूचित नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को अधिग्रहित रेंज बनाने के लिए विशाल पायलट प्रोजेक्ट योजना बनाई थी, जिसे गुमला और पलामू जिला के 245 आदिवासी बहुल गाँवों के 25000 परिवारों के लगभग 2, 35, 000 लोगों के विस्थापित होने का खतरा था। ...9 अप्रैल 1994 को रांची और नयी दिल्ली में विशाल प्रदर्शन कर विस्थापन के खिलाफ आदिवासियों के जंगल-जमीन पर अधिकार का नारा बुलंद किया। फलस्वरूप भारत सरकार को इस योजना को रद्द करना पड़ा।”⁹

भाषा पर विस्थापन के प्रभाव को मनीषा कुलश्रेष्ठ ने 'शिगाफ' में अत्यंत संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया है। उपन्यास की पात्रा अनुभव करती है कि बचपन की भाषा अब उसके लिए परिचित होकर भी अपरिचित हो गई है। उसने अनेक नई भाषाएँ सीख ली हैं और प्रत्येक नई भाषा उसके लंबे विस्थापन के इतिहास की गवाही देती है। इससे स्पष्ट होता है कि विस्थापन केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि भाषाई और सांस्कृतिक स्तर पर भी मनुष्य को प्रभावित करता है।

इस प्रकार समकालीन हिंदी उपन्यासों में विस्थापन की समस्या को विविध स्तरों पर अभिव्यक्त किया गया है। विस्थापन व्यक्ति को उसकी भूमि, भाषा, संस्कृति, जीवन-शैली और संबंधों से अलग कर देता है, जिससे उसके मानसिक और भावनात्मक संसार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत में उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तमिलनाडु जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर आंतरिक विस्थापन हुआ है। वहीं वैश्विक स्तर पर सीरिया, लीबिया, सूडान, म्यांमार और मलेशिया जैसे देशों के लोग भी विभिन्न कारणों से विस्थापन की पीड़ा

झेल रहे हैं। समय के साथ विस्थापन संबंधी आँकड़े और रिपोर्टें बदलती रहेंगी, किंतु विस्थापित लोगों की जीवन-स्थितियों में अपेक्षित सुधार आज भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

संदर्भ सूची :

1. गुहा, रामचंद्र, भारत : गांधी के बाद, पेंगुइन प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण — 2012, पृ. — 279
2. सिंह, विजय बहादुर, उपन्यास समय और संवेदना, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण — 2013, पृ. — 18
3. खेतान, प्रभा, भूमंडलीकरण ब्रांड संस्कृति और राष्ट्र, सामयिक प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण — 2024, पृ. — 177
4. पाण्डेय, मैनेजर, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, हरियाणा साहित्य अकादमी, चंडीगढ़, संस्करण 1989, पृ. — 134
5. सिन्हा, मनोज (संपा.), समकालीन भारत एक परिचय, ओरिएंट ब्लैकस्वान, दिल्ली, संस्करण—2014, पृ. — 156
6. अखिलेश, निर्वासन, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण—2016, पृ. — 215
7. अस्थाना, धीरेन्द्र, देश निकाला, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण—2026, पृ. — 120
8. पाण्डेय, मैनेजर, भारतीय समाज में प्रतिरोध की परम्परा, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण—2025, पृ. — 192
9. गुप्ता, रमणिका (संपा.), आदिवासी विकास से विस्थापन, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण—2018, पृ. — 73



संगम

Impact Factor : 7.834

Website :
www.ginajournal.com

ISSN : 2321-8037

SANGAM

Vol. 14, Issue 5-6

पृष्ठ : 181-184

गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक-बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTILANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREEED RESEARCH JOURNAL

Effect of Pranayama on Concentration, Memory Power and Fatigue Level among High School Students

Vishal Dhaka, Research Scholar

Dr. Surjeet Singh Kaswan (Professor), Research Supervisor

Faculty of Physical Education, Tania University, Sri Ganganagar (Raj.)

Abstract :

The purpose of the present study was to examine the effect of Pranayama on concentration, memory power, and fatigue level among high school students. Adolescents frequently experience academic stress, emotional instability, and cognitive fatigue that negatively affect educational performance. Yogic breathing exercises are increasingly recognized for improving mental relaxation, autonomic regulation, and cognitive functioning.

Thirty high school boys aged 14–16 years participated in a sixteen-week Pranayama training programme consisting of Nadi-Shodhana, Bhramari, Sheetal, and Shitkari practices. Standardized tests were administered before and after the intervention. Data were analyzed using dependent t-test and ANCOVA.

The findings demonstrated significant improvement in concentration and memory power along with a reduction in fatigue level following Pranayama practice. The study concluded that Pranayama is highly effective for enhancing cognitive efficiency and mental well-being among school students.

Keywords : Pranayama, Concentration, Memory Power, Fatigue, Yoga Education, Adolescents

Introduction :

Modern educational systems place enormous psychological demands upon adolescents. Continuous academic competition, examination pressure, social expectations, and technological distractions contribute to concentration difficulties, memory problems, and mental fatigue.

Pranayama is one of the most important yogic practices involving conscious regulation of breathing. The word Pranayama consists of “Prana” meaning life force and “Ayama” meaning control

or expansion.

Scientific investigations indicate that Pranayama improves cerebral oxygenation, autonomic balance, neural efficiency, emotional stability, and cognitive functioning.

The present study aimed to scientifically examine the effectiveness of Pranayama on concentration, memory power, and fatigue among adolescents.

Objectives :

- To determine the effect of Pranayama on concentration.
- To determine the effect of Pranayama on memory power.
- To determine the effect of Pranayama on fatigue level.

Hypotheses :

- Pranayama would significantly improve concentration.
- Pranayama would significantly improve memory power.
- Pranayama would significantly reduce fatigue level.

Review of Literature :

Bhavanani A.B. reported significant improvement in concentration and emotional stability after Pranayama training.

Jerath Ravinder found that breathing exercises improve autonomic nervous system functioning and reduce stress.

Saoji A.A. demonstrated that Bhramari Pranayama improves concentration and reduces stress among students.

These studies indicate that Pranayama positively influences psychological and cognitive variables.

Methodology :

Research Design :

Experimental pre-test and post-test design.

Subjects :

Thirty high school boys aged 14–16 years were selected.

Pranayama Training Programme :

Duration : Sixteen weeks

Frequency: Six days per week

Practices Included :

- Nadi-Shodhana Pranayama
- Bhramari Pranayama

- Sheetali Pranayama
- Shitkari Pranayama

Variables :

Independent Variable :

- Pranayama

Dependent Variables :

- Concentration
- Memory Power
- Fatigue Level

Tools Used :

Variable	Tool
Concentration	Letter Cancellation Task
Memory Power	PGI Battery
Fatigue Level	PedsQL-MFS

Statistical Analysis :

- Dependent t-test
- ANOVA
- ANCOVA
- LSD Post Hoc Test

Results and Discussion :

The study revealed significant improvement in concentration and memory power after Pranayama practice. Fatigue levels were significantly reduced.

Pranayama improves cognitive functioning through enhanced oxygen supply to the brain, autonomic nervous system regulation, and stress reduction mechanisms.

Slow breathing stimulates vagal activity and promotes parasympathetic dominance, leading to emotional calmness and mental clarity.

The findings support previous investigations reporting that yogic breathing improves attention, emotional stability, reaction time, and mental efficiency.

Findings :

- Pranayama significantly improved concentration.
- Pranayama significantly enhanced memory power.
- Pranayama significantly reduced fatigue.

Educational Implications

- Pranayama may be incorporated into school physical education programmes.
- Breathing exercises may help students manage examination stress.
- Schools may organize regular yoga wellness sessions.
- Pranayama can improve classroom attention and learning efficiency.

Conclusion :

The study concluded that Pranayama is an effective yogic intervention for improving concentration and memory while reducing fatigue among adolescents. Regular breathing exercises promote mental relaxation, cognitive clarity, and emotional balance, making them highly beneficial for school education and adolescent mental health.

References :

- Bhavanani, A.B. Pranayama and Cognitive Functions.
- Jerath, R. Breathing Practices and Neural Regulation.
- Saoji, A.A. Effects of Bhramari Pranayama.
- Telles, S. Alternate Nostril Breathing and Attention.
- Benson, H. Relaxation Response Theory.
- Khalsa, S.B. Yoga and Student Mental Health.



INFLUENCE OF PHYSIOLOGICAL VARIABLES ON PLAYING PERFORMANCE AMONG DIFFERENT CATEGORIES OF CRICKET PLAYERS

Ekta Pramod Singh, Research Scholar

Dr. Arun Mathur, Research Supervisor

Dean and Director of Sports, Suresh Gyan Vihar University, Jaipur (Rajasthan)

Abstract :

The purpose of the present investigation was to examine the influence of selected physiological variables on playing performance among different categories of cricket players. Cricket is a sport that requires a combination of technical skills, tactical understanding, psychological preparedness, and physiological efficiency. Physiological fitness plays a crucial role in sustaining performance during prolonged matches and repeated high-intensity activities. The study was conducted on one hundred and fifty male cricketers comprising fifty batsmen, fifty pacers, and fifty spinners who had participated at inter-collegiate, inter-university, and national coaching camp levels.

The physiological variables selected for the study included resting pulse rate, resting blood pressure, vital capacity, resting respiratory rate, maximum breath-holding time, air flow rate, and cardiovascular efficiency. Standard physiological testing procedures were adopted to collect the required data. Descriptive statistics, correlation analysis, and discriminate function analysis were employed to analyze the data.

The findings revealed that pacers demonstrated superior physiological characteristics compared to batsmen and spinners. Pacers recorded higher values of vital capacity (4.5 ± 0.48 liters), maximum breath-holding time (48.2 ± 5.85 seconds), air flow rate (4.2 ± 0.68 L/sec), and cardiovascular efficiency (88.6 ± 4.85). Furthermore, cardiovascular efficiency ($r = 0.45$), maximum breath-holding time ($r = 0.41$), and vital capacity ($r = 0.38$) showed significant positive correlations with playing

performance.

The study concluded that physiological fitness significantly contributes to successful cricket performance. Enhanced cardiovascular and respiratory efficiency enables players to sustain performance levels during prolonged competition and recover more effectively between bouts of activity. The findings provide valuable information for coaches, trainers, sports scientists, and selectors involved in cricket talent identification and player development programs.

Keywords : Cricket, Physiological Variables, Cardiovascular Efficiency, Vital Capacity, Breath Holding Time, Playing Performance, Sports Physiology.

1. Introduction :

Cricket has undergone remarkable transformation over the past few decades. The introduction of limited-over formats, Twenty-20 cricket, and increasingly competitive international schedules has elevated the physical and physiological demands placed upon players. Modern cricketers are expected to maintain high levels of performance throughout extended matches while simultaneously executing technically demanding skills under conditions of physical and psychological stress.

Physiological fitness has become one of the most important determinants of sports performance. The ability of the cardiovascular and respiratory systems to efficiently transport oxygen and nutrients to working muscles directly influences athletic performance. In cricket, physiological fitness contributes not only to endurance but also to concentration, recovery, agility, and sustained skill execution.

Different categories of cricket players are exposed to varying physiological demands. Fast bowlers perform repeated high-intensity actions involving explosive movements and substantial cardiovascular stress. Batsmen require sustained concentration, efficient energy utilization, and resistance to fatigue during prolonged innings. Spinners depend heavily upon technical consistency and repetitive bowling actions requiring efficient physiological recovery.

The assessment of physiological characteristics such as resting pulse rate, blood pressure, vital capacity, respiratory rate, breath-holding ability, air flow rate, and cardiovascular efficiency provides valuable insight into an athlete's functional capacity. Understanding these characteristics helps coaches identify strengths and weaknesses, optimize training programs, and improve competitive performance.

The present investigation was therefore undertaken to determine the influence of selected physiological variables on playing performance among different categories of cricket players.

2. Review of Related Literature :

Sports scientists have consistently emphasized the importance of physiological fitness in

athletic performance.

Wilmore and Costill (2019) reported that cardiovascular efficiency is strongly associated with sports performance and recovery capacity. Athletes possessing superior cardiovascular fitness can sustain high levels of physical activity for longer durations.

Noakes (2018) observed that respiratory efficiency significantly influences endurance and recovery during prolonged sports participation. Enhanced lung function improves oxygen delivery and reduces fatigue.

Stretch (2013) investigated physiological characteristics among elite cricketers and concluded that fast bowlers generally demonstrate superior aerobic and anaerobic capacities compared to other playing categories.

Pyne et al. (2006) reported that physiological variables such as heart rate, lung function, and aerobic fitness contribute significantly to cricket performance.

McArdle, Katch, and Katch (2018) suggested that physiological profiling should be incorporated into athlete selection and talent identification programs.

The available literature clearly indicates that physiological characteristics influence sports performance and may contribute substantially to success in cricket.

3. Statement of the Problem :

The purpose of the study was to investigate the influence of selected physiological variables on playing performance among batsmen, pacers, and spinners.

4. Objectives of the Study :

The following objectives were formulated :

- To assess selected physiological variables among batsmen, pacers, and spinners.
- To compare physiological characteristics among different categories of cricket players.
- To determine the relationship between physiological variables and playing performance.
- To identify the physiological predictors of cricket performance.
- To provide recommendations for physiological conditioning programs.

5. Hypotheses :

The following hypotheses were tested :

H1: Significant differences would exist among batsmen, pacers, and spinners in selected physiological variables.

H2 : Selected physiological variables would significantly correlate with playing performance.

H3 : Physiological fitness would contribute significantly to successful cricket performance.

6. Methodology :

6.1 Participants :

The study was conducted on 150 male cricket players aged between 18 and 25 years.

The sample consisted of :

- 50 Batsmen
- 50 Pacers
- 50 Spinners

Participants were selected through purposive sampling from inter-collegiate, inter-university, and national coaching camps.

6.2 Variables Selected :

The following physiological variables were selected :

- Resting Pulse Rate
- Resting Blood Pressure
- Vital Capacity
- Resting Respiratory Rate
- Maximum Breath Holding Time
- Air Flow Rate
- Cardiovascular Efficiency

6.3 Instruments Used :

The following instruments were employed :

- Digital Sphygmomanometer
- Spirometer
- Peak Flow Meter
- Stopwatch
- Harvard Step Test Bench
- Heart Rate Monitor

6.4 Testing Procedure :

All physiological measurements were recorded during morning hours under standardized laboratory conditions.

Participants were instructed to avoid strenuous activity twenty-four hours before testing. Adequate warm-up and familiarization sessions were provided prior to data collection.

6.5 Statistical Analysis :

The following statistical techniques were employed :

- Mean
- Standard Deviation
- Pearson Product Moment Correlation
- Discriminant Function Analysis
- Percentage Analysis

The level of significance was fixed at 0.05.

7. Results

7.1 Resting Pulse Rate :

Category	Mean	SD
Batsmen	62.5	4
Pacers	61.8	4
Spinners	63.2	5

Pacers exhibited the lowest resting pulse rate, indicating superior cardiovascular adaptation.

7.2 Resting Blood Pressure :

Category	Mean	SD
Batsmen	118.4	6
Pacers	120.2	6
Spinners	116.8	5

Minor differences were observed among the groups.

7.3 Vital Capacity :

Category	Mean	SD
Batsmen	4.2	1
Pacers	4.5	0
Spinners	4	1

Pacers demonstrated the highest vital capacity.

7.4 Resting Respiratory Rate :

Category	Mean	SD
Batsmen	14.2	2
Pacers	13.8	2
Spinners	14.5	2

Pacers exhibited the lowest respiratory rate.

7.5 Maximum Breath Holding Time :

Category	Mean	SD
Batsmen	45.5	6
Pacers	48.2	6
Spinners	44.8	7

Pacers demonstrated superior respiratory endurance.

7.6 Air Flow Rate :

Category	Mean	SD
Batsmen	3.8	1
Pacers	4.2	1
Spinners	3.6	1

Pacers recorded the highest air flow rate.

7.7 Cardiovascular Efficiency :

Category	Mean	SD
Batsmen	85.4	5
Pacers	88.6	5
Spinners	84.2	5

Pacers exhibited superior cardiovascular fitness.

8. Correlation of Physiological Variables with Playing Performance :

Physiological Variable	Correlation (r)
Cardiovascular Efficiency	0.45
Maximum Breath Holding Time	0.41
Vital Capacity	0.38
Air Flow Rate	0.34
Resting Respiratory Rate	-0.18
Resting Pulse Rate	-0.24

The results indicate that cardiovascular efficiency demonstrated the strongest relationship with playing performance.

9. Discussion :

The findings of the present study demonstrate that physiological fitness is a significant determinant of cricket performance. Among all variables examined, cardiovascular efficiency emerged as the strongest predictor of playing success.

The superior cardiovascular efficiency exhibited by pacers may be attributed to the repeated high-intensity efforts involved in fast bowling. Enhanced cardiovascular fitness enables greater oxygen

transport, improved recovery, and reduced fatigue during competition.

Vital capacity also demonstrated a positive relationship with performance. Athletes possessing greater lung volumes can transport and utilize oxygen more effectively, thereby supporting sustained performance.

Maximum breath-holding time was another significant predictor of performance. This variable reflects respiratory control and lung function, both of which contribute to physiological efficiency during prolonged activity.

The lower resting pulse rate observed among pacers indicates improved cardiac efficiency. Athletes with lower resting heart rates generally possess stronger cardiovascular adaptations resulting from systematic training.

The findings support previous investigations conducted by Stretch (2013), Wilmore and Costill (2019), Noakes (2018), and Pyne et al. (2006), who reported similar relationships between physiological fitness and sports performance.

10. Practical Applications :

The findings of the study have several practical implications :

- Physiological profiling should be incorporated into cricket talent identification programs.
- Cardiovascular conditioning should be emphasized in cricket training.
- Respiratory training may improve breath-holding ability and lung function.
- Periodic physiological testing should be conducted to monitor player fitness.
- Coaches should develop position-specific conditioning programs based on physiological requirements.

11. Conclusion :

The present study concludes that physiological variables significantly influence playing performance among cricket players. Pacers demonstrated superior physiological characteristics compared to batsmen and spinners. Cardiovascular efficiency, maximum breath-holding time, and vital capacity emerged as the most important predictors of cricket performance.

The findings highlight the importance of systematic physiological conditioning in cricket and support the integration of physiological assessments into talent identification, player selection, and performance enhancement programs.

12. Recommendations :

- Similar studies should be conducted on female cricketers.
- Longitudinal investigations should be undertaken to examine physiological adaptations over time.

- Additional physiological variables such as VO₂ max and lactate threshold should be included.
- Comparative studies involving international players should be conducted.
- Physiological monitoring should become a regular component of elite cricket training programs.

References :

- McArdle, W. D., Katch, F. I., & Katch, V. L. (2018). Exercise Physiology: Nutrition, Energy, and Human Performance. Wolters Kluwer.
- Noakes, T. (2018). Lore of Running (5th ed.). Human Kinetics.
- Pyne, D. B., Duthie, G. M., Saunders, P. U., Petersen, C. A., & Portus, M. R. (2006). Anthropometric and physiological characteristics of elite cricket players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 20(3), 621–626.
- Stretch, R. A. (2013). Anthropometric and physiological profiles of elite cricketers. *Journal of Sports Sciences*, 31(14), 1587–1595.
- Wilmore, J. H., Costill, D. L., & Kenney, W. L. (2019). Physiology of Sport and Exercise (7th ed.). Human Kinetics.
- Bompa, T. O., & Buzzichelli, C. (2019). Periodization: Theory and Methodology of Training. Human Kinetics.
- Powers, S. K., & Howley, E. T. (2018). Exercise Physiology: Theory and Application to Fitness and Performance. McGraw-Hill Education.



संगम

Impact Factor : 7.834

Website :
www.ginajournal.com

ISSN : 2321-8037
SANGAM

Vol. 14, Issue 5-6

पृष्ठ : 193-195

गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक-बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTILANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREEED RESEARCH JOURNAL

संतों द्वारा वैश्विक मानवता का संदेश

डॉ. ललिता बी.एन.

असोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग

प्रेसिडेंसी कॉलेज, केंपापुरा, हेब्बाल, बेंगलूरु-24

बेंगलूरु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पालेस रोड, बेंगलूरु, कर्नाटक-560009

हिन्दी साहित्य इतिहास में भक्तिलीन ज्ञानाश्रयी भक्तों के साहित्य को संत-साहित्य कहा गया है। निर्गुणोपासकों के लिए संत और सगुणोपासकों के लिए भक्त शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है। 'धार्मिक या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्यत्व का बाधक नहीं है। अगर उसे बाधक समझा जाय तो हिन्दी के भक्तिकाल के सभी भक्तों और संतों की रचनाओं को असाहित्यिक घोषित करना होगा।'¹ इससे यह बात स्पष्ट होती है कि आदिकाल में लिखा गया जैन, बौद्ध, सिद्ध धार्मिक रचनाएँ होने के बावजूद वह हिन्दी साहित्य की अनुपम निधि है। जिसमें नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक उपदेशों को सरलता के साथ लिखा गया है।

आधुनिक युग के संत आचार्य विनोबा के शब्दों में— 'संत वह है जिसका हृदय शुद्ध, निर्मल, भक्ति-परायण और सत्य निष्ठ है।' डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल का कहना है, 'संत वह है जो पृथ्वी पर निवास करते हुए दिव्य-लोक का संदेश भूतल पर लाता है, जो पक्षी के समान आकाश में उड़कर भी वृक्ष पर आकर विश्राम करता है जो व्याप्ति के केंद्र में ऊँचा उठकर समष्टि जीवन के प्रति आस्थावान होता है, जो स्वार्थ को त्याग कर सामूहिक-हित की बातें सोचता है।'²

जैन मुनियों ने सबसे अधिक बल अहिंसा पर दिया है। अहिंसा को लेकर किये हुए उनके उपदेश शायद ही किसी कालखंड में इतने अधिक प्रासंगिक रहे होंगे जितने वर्तमान परिवेश में हैं। जैन आचार्य मुनि तथा भगवान महावीर, बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अहिंसा आधुनिक युग में महात्मा गाँधी के माध्यम से पुनः प्रकाशित हो आतंक की छाया में पल रहे विश्व का पथ-प्रदर्शन करने में समर्थ है।

वर्तमान समय में सामाजिक वातावरण विषाक्तता की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसलिए कबीर की शिक्षाएँ जितनी उनके समय में प्रासंगिक थी उससे कहीं बहुत अधिक आज के समय में प्रासंगिक है। वह सदाचार को बढ़ावा देने वाले और मानवता का पाठ पढ़ाने वाले, समाज में व्याप्त पाखण्ड एवं रूढ़ियों का विध्वंस कर देने वाले कवि हैं। ऊँचे कर्म करने से ही मनुष्य ऊँचा बन सकता है। कबीर ने आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व हिन्दू और मुस्लिम दोनों धर्मों को समझाने के लिए जो बातें कहीं थी वे आज भी प्रासंगिक हैं क्योंकि धर्म के नाम पर आडम्बर आज भी फैला हुआ है।

संत अपने आचरण के कारण सार्वभौमिक और सर्वकालिक जनप्रिय हो गया है। भारतीय साहित्य के

अंतर्गत हिन्दी के भक्तिकालीन संत और उनका साहित्य वे जीवन के भीषण आग में तपकर कुंदन बने थे। संतों की वाणियों में अभिव्यक्त ईश्वर निर्गुण, निराकार, अनंत, अगोचर होने के साथ वह सृष्टि के कण-कण में विराजमान हैं। बहुदेववाद, जाति, धर्म, सम्प्रदाय आदि में बँटे समाज को एकसूत्र में पिरोने के लिए वैश्विक एकेश्वरवाद की स्थापना की जो सर्वसुलभ हैं। निराशा और अंधकार में भटकने वाले भारतीय जन समाज में संतों ने अपने आचरण और वाणी से आशा और विश्वास का संचार किया था। संतों ने एकता-बन्धुता के साथ सर्वसुलभ ईश्वर का मार्ग बताया। जिस कारण आशा और विश्वास की स्थापना हुई।

तुलसीदास भले ही संत काव्यधारा के कवि नहीं हैं किन्तु वे भक्तिकालीन सगुण भक्त संत थे। उन्होंने बताया कि धरती पर जब-जब अधर्म और पाप बढ़ेंगे। तब-तब ईश्वर विभिन्न अवतार लेकर अवतरित होंगे और पापियों का संहार कर जनता की रक्षा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास की रामकथा एवं समस्त रचनाएँ उनके इष्टदेव राम से संबंध रखती है। मानस के नायक राम के चरित्र को गोस्वामी जी ने उदात्त भूमि पर प्रतिष्ठित किया है। तुलसीदास एक वैदिक सनातन धर्म के प्रतिष्ठित विद्वान तथा भगवान भक्त थे। रामचरितमानस में प्रतिपादित धर्म किसी संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं है। उसका संबंध केवल मानवोचित कर्तव्यों के प्रति आस्था एवं निष्ठा से है।

संत काव्य आत्मविश्वास आशावाद और आस्था की भावना संस्थापित करने में सहायक साहित्य है। यह जीवन-शक्ति का अजस्त्र स्रोत है। इस काव्य का प्रमुख प्रयोजन है-त्रस्त, संतप्त, उपेक्षित, उत्पीडित मानव को परिज्ञान प्रदान करना। इसमें जीवन का स्वरूप-विश्लेषण और व्याख्या उपलब्ध होती है। संतों ने कूरीति-प्रथा आदि का निर्भीक होकर विरोध किया। उनका उद्देश्य समाज की बुराइयों को समाप्त कर प्रेम और मानवता की स्थापना करना था। संतों ने सभी धर्मों और धर्मग्रंथों का सार प्रेम को बताते हुए, प्रेम को सर्वश्रेष्ठ बताया।

संतों ने समाज में स्थित विभिन्न कमियों, बुराई का कठोर विरोध किया था। ताकि स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकें। संतों का उद्देश्य कविता करना नहीं था। उदाहरण के लिए- 'मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागर की लेखी कबीर' 'मसि कागज छुयो नहीं, कलम गह्यों नहिं हाथ' प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. नगेन्द्र इस संदर्भ में कहते हैं कि, 'सत्य का निरूपण, सत्य का विवेचन एवं सत्य का प्रचार-प्रसार उनकी कविता का मूल लक्ष्य था। उनकी रचनाओं में जन-जन के हित और उनके उद्बोधन की भावना सन्निहित है।'³

संतों ने वैश्विक धर्म, वैश्विक ईश्वर, वैश्विक समाज, वैश्विक मानवता के बीजारोपण कर तन और मन से समाज को सुदृढ़ बनाने का कार्य किया है। हिन्दी साहित्य के मध्यकाल में चारों ओर व्याप्त धार्मिक अराजकता, छुआछूत, दिखाया तथा अन्धविश्वासों के घने कुहरे को निर्भीकतापूर्वक भेदने वाले, मस्तमौला और फक्कड़ संत कबीर और मराठी संत कवि तुकाराम निरन्तर संघर्ष-चेतना को गतिशील बनाए रखने वाले व्यक्तित्व हैं। लापरवाह, दृढ़ और उग्र, मस्तमौला कबीर का व्यक्तित्व सदियों से भारतीय सामाजिक चिन्तन को प्रभावित करता रहा है। आज के परिवेश में भी उनके व्यक्तित्व की उपयोगिता और महत्व की महक है और जब तक व्यवस्था संतुलित तथा समतुल्य नहीं हो जाती, तब तक ऐसे संत कवि अपनी इसी खुशबू में जीवन्त रहेंगे, महकते रहेंगे।

संदर्भ :

1 डॉ. माधव सोनटक्के, हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ 127

- 2 भूमिक्रांति साप्ताहिक, इंदौर 30 सितंबर, 1960, पृ. 1 बैजनाथ—बाबा फिर इंदौर में।
- 3 कबीर की सामाजिक चेतना — डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी।
- 4 हिन्दी साहित्य का इतिहास — डॉ. नगेन्द्र—पृ. 143
- 5 हिन्दी साहित्य का इतिहास — डॉ. नगेन्द्र— पृ. 128
- 6 हिन्दी साहित्य का इतिहास — डॉ. नगेन्द्र— पृ. 128
- 7 हिन्दी साहित्य का इतिहास — डॉ. नगेन्द्र— पृ. 123

फोन नं : 9591147854

Lalithabn.76@gmail.com

क्रोनिक किडनी डिजीज में बहुआयामी हस्तक्षेपों (पोषण, जीवनशैली एवं सामाजिक समर्थन) का समेकित प्रभाव : वाराणसी जनपद के परिप्रेक्ष्य में

दिव्या सिंह, शोधार्थीनी

डॉ० मोनिका गुप्ता, शोध निर्देशिका

डॉ० शिखा खरे, सह शोध निर्देशिका

नेहरु ग्राम भारती (मानित) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

1. सार :

क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) आधुनिक युग में एक बहुआयामी स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभरकर सामने आई है, जो केवल एक चिकित्सीय स्थिति न होकर सामाजिक, आर्थिक एवं व्यवहारिक आयामों से भी गहराई से जुड़ी हुई है। यह रोग धीरे-धीरे विकसित होता है तथा प्रारंभिक अवस्था में इसके लक्षण स्पष्ट नहीं होते, जिसके कारण अधिकांश रोगियों में इसका निदान देर से होता है। परिणामस्वरूप, रोग की जटिलता बढ़ जाती है और उपचार अधिक कठिन एवं महंगा हो जाता है।

इस शोध-पत्र का उद्देश्य CKD रोगियों में पोषण, जीवनशैली एवं सामाजिक समर्थन जैसे बहुआयामी हस्तक्षेपों के समेकित प्रभाव का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोध-पत्रों, सार्वजनिक स्वास्थ्य रिपोर्टों तथा चिकित्सा संस्थानों द्वारा प्रकाशित आँकड़ों पर आधारित है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यदि रोगी केवल औषधीय उपचार पर निर्भर रहते हैं, तो अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होते; जबकि यदि पोषण प्रबंधन, जीवनशैली सुधार तथा सामाजिक समर्थन को सम्मिलित किया जाए, तो रोग की प्रगति को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है।

इस शोध में यह भी पाया गया कि सामाजिक समर्थन, जैसे परिवार, समुदाय एवं स्वास्थ्यकर्मियों का सहयोग, रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है, जिससे उपचार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त, संतुलित आहार एवं नियमित शारीरिक गतिविधि किडनी पर पड़ने वाले दबाव को कम करते हैं और रोग की जटिलताओं को घटाते हैं।

अतः यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया जा सकता है कि CKD के प्रभावी प्रबंधन के लिए बहुआयामी हस्तक्षेपों का समेकित उपयोग अत्यंत आवश्यक है, जो रोगियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ-साथ स्वास्थ्य प्रणाली पर पड़ने वाले बोझ को भी कम कर सकता है।

मुख्य शब्द : क्रोनिक किडनी डिजीज, समेकित हस्तक्षेप, पोषण, जीवनशैली, सामाजिक समर्थन, स्वास्थ्य परिणाम

2. प्रस्तावना :

मानव शरीर की संरचना अत्यंत जटिल एवं संतुलित होती है, जिसमें प्रत्येक अंग का अपना विशिष्ट कार्य होता है। गुर्दे (किडनी) शरीर के उन महत्वपूर्ण अंगों में से एक हैं, जो रक्त को शुद्ध करने, विषैले पदार्थों को बाहर निकालने तथा जल एवं लवण संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। जब गुर्दों की कार्यक्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है और यह स्थिति दीर्घकाल तक बनी रहती है, तब इसे क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) कहा जाता है।

CKD एक प्रगतिशील रोग है, जो समय के साथ गंभीर रूप धारण कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि प्रारंभिक अवस्था में इसके लक्षण स्पष्ट नहीं होते, जिसके कारण रोगी को इसका ज्ञान तब होता है जब रोग उन्नत अवस्था में पहुँच चुका होता है।¹

भारत सहित विश्व के अनेक देशों में CKD के मामलों में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। इसके पीछे मुख्य कारण बदलती जीवनशैली, असंतुलित आहार, बढ़ता तनाव तथा शारीरिक निष्क्रियता हैं।² भारत में CKD की व्यापकता वर्ष 2011–2017 के दौरान लगभग 11.12% थी, जो बढ़कर वर्ष 2018–2023 के बीच लगभग 16.38% तक पहुँच गई है। यह वृद्धि इस तथ्य को दर्शाती है कि भारत में किडनी रोगों का बोझ निरंतर बढ़ रहा है और यह समस्या अब “मौन महामारी” का रूप ले चुकी है।

इसके अतिरिक्त, CKD से प्रभावित कुल रोगियों की संख्या भी अत्यधिक है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) तथा विभिन्न महामारी विज्ञान अध्ययनों के अनुसार, भारत में लगभग 12 से 14 करोड़ लोग किसी न किसी स्तर पर CKD से प्रभावित हैं। साथ ही, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (भारत सरकार) के अनुसार, हर वर्ष लगभग 2.2 लाख नए रोगी अंतिम अवस्था के किडनी रोग में प्रवेश करते हैं, जिन्हें डायलिसिस या प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है। यह स्थिति न केवल स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव डालती है, बल्कि रोगियों एवं उनके परिवारों पर गंभीर आर्थिक बोझ भी उत्पन्न करती है।

हाल के वर्षों में डायलिसिस सेवाओं की मांग में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं निजी स्वास्थ्य संस्थानों की रिपोर्टों के अनुसार, डायलिसिस रोगियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो CKD के उन्नत चरण के बढ़ते मामलों को दर्शाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे भी अधिक हो सकती है, क्योंकि अधिकांश मामलों में रोग का प्रारंभिक अवस्था में निदान नहीं हो पाता। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह समस्या और भी गंभीर है, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, जागरूकता का स्तर तथा आर्थिक संसाधनों की कमी रोग के प्रभाव को और अधिक बढ़ा देती है।³

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि CKD केवल एक जैविक रोग नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक एवं व्यवहारिक कारकों से भी प्रभावित होता है। अतः इसके प्रभावी प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जिसमें पोषण, जीवनशैली एवं सामाजिक समर्थन को समान महत्व दिया जाए।

3. शोध उद्देश्य :

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) रोगियों में पोषण, जीवनशैली एवं सामाजिक समर्थन की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।
2. CKD रोगियों पर पोषण प्रबंधन (संतुलित आहार, नमक एवं प्रोटीन नियंत्रण) के प्रभाव का विश्लेषण करना।
3. जीवनशैली संबंधी कारकों, जैसे शारीरिक गतिविधि, तनाव प्रबंधन एवं दैनिक दिनचर्या, का रोग की प्रगति पर प्रभाव ज्ञात करना।
4. सामाजिक समर्थन (परिवार, समुदाय एवं स्वास्थ्य सेवाओं) की भूमिका का रोग नियंत्रण एवं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करना।
5. बहुआयामी हस्तक्षेपों (पोषण + जीवनशैली + सामाजिक समर्थन) के संयुक्त प्रभाव की तुलना केवल औषधीय उपचार से करना।
6. वाराणसी जनपद के संदर्भ में CKD रोगियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता का मूल्यांकन करना।

4. साहित्य समीक्षा :

विभिन्न विभिन्न शोधों से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि CKD के प्रबंधन में बहुआयामी हस्तक्षेपों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली है। केवल औषधीय उपचार पर निर्भर रहने के स्थान पर यदि पोषण, जीवनशैली तथा सामाजिक सहयोग को एक साथ सम्मिलित किया जाए, तो रोग के नियंत्रण एवं प्रबंधन में अधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं।

चौधरी (2017) के अध्ययन में यह पाया गया कि जिन रोगियों ने संतुलित आहार तथा नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया, उनमें गुर्दों की कार्यक्षमता अपेक्षाकृत स्थिर रही और रोग की प्रगति धीमी पाई गई। □ यह निष्कर्ष इस बात को रेखांकित करता है कि उचित पोषण एवं शारीरिक सक्रियता किडनी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होती है।

प्रसाद एवं सहकर्मियों (2019) ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला कि सामाजिक समर्थन की उपलब्धता रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करती है। □ जब रोगी को परिवार एवं समुदाय का सहयोग प्राप्त होता है, तो वह उपचार के प्रति अधिक सजग एवं अनुशासित रहता है, जिससे उपचार के परिणाम अधिक प्रभावी होते हैं।

सरकार (2020) के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले रोगियों में जीवनशैली से संबंधित जोखिम अधिक पाए जाते हैं, जैसे अनियमित भोजन, शारीरिक निष्क्रियता तथा मानसिक तनाव, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, जागरूकता का अभाव एवं संसाधनों की सीमित उपलब्धता प्रमुख समस्या के रूप में सामने आती है। □ यह भिन्नता इस बात को दर्शाती है कि CKD का स्वरूप सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता है।

दास आदि (2021) के अध्ययन में यह पाया गया कि जिन रोगियों ने बहुआयामी हस्तक्षेपों—जैसे संतुलित आहार, नियमित व्यायाम एवं सामाजिक सहयोग—को अपनाया, उनमें अस्पताल में भर्ती होने की दर कम पाई गई। □ इससे यह स्पष्ट होता है कि समेकित दृष्टिकोण अपनाने से रोग की जटिलताओं को कम किया जा सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार संतुलित आहार एवं सक्रिय जीवनशैली गैर-संचारी रोगों के नियंत्रण में अत्यंत प्रभावी सिद्ध होती है। □ यह तथ्य CKD के संदर्भ में भी समान रूप से लागू होता है, क्योंकि यह रोग भी जीवनशैली से गहराई से जुड़ा हुआ है।

इसके अतिरिक्त, सिंह (2022) के अध्ययन में यह पाया गया कि जिन रोगियों को पर्याप्त सामाजिक सहयोग प्राप्त नहीं होता, उनमें उपचार के प्रति अनुशासन एवं पालन कम होता है, जिसके कारण रोग की स्थिति अधिक गंभीर हो जाती है। □

उपरोक्त सभी अध्ययनों के समेकित विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि CKD के प्रभावी प्रबंधन के लिए बहुआयामी हस्तक्षेपों—विशेषकर पोषण, जीवनशैली सुधार एवं सामाजिक समर्थन—का समन्वित उपयोग अत्यंत आवश्यक है, जो न केवल रोग की प्रगति को नियंत्रित करता है, बल्कि रोगियों की जीवन गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार लाता है।

5. सैद्धांतिक आधार :

इस अध्ययन का आधार “समेकित स्वास्थ्य दृष्टिकोण” पर आधारित है, जिसके अनुसार किसी भी रोग के प्रभावी प्रबंधन के लिए जैविक, व्यवहारिक एवं सामाजिक कारकों को सम्मिलित करना आवश्यक है। □

6. बहुआयामी हस्तक्षेप की अवधारणा :

CKD के संदर्भ में बहुआयामी हस्तक्षेप एक समग्र एवं समन्वित उपचार दृष्टिकोण को व्यक्त करता है, जिसमें रोग के प्रबंधन हेतु केवल औषधीय उपायों पर निर्भर न रहकर, विभिन्न सहायक कारकों को भी सम्मिलित किया जाता है। यह अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि CKD एक बहु-कारक रोग है, जिसका संबंध केवल शारीरिक विकारों से नहीं, बल्कि व्यक्ति की जीवनशैली, आहार व्यवहार तथा सामाजिक परिस्थितियों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इस संदर्भ में बहुआयामी हस्तक्षेप तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित होता है—

- i. **पोषण :** संतुलित एवं नियंत्रित आहार, जो किडनी पर अतिरिक्त दबाव को कम करता है।
- ii. **जीवनशैली :** नियमित शारीरिक गतिविधि, मानसिक संतुलन एवं स्वस्थ दैनिक दिनचर्या।

iii. **सामाजिक समर्थन :** परिवार, समुदाय एवं स्वास्थ्यकर्मियों का सहयोग, जो रोगी को मानसिक एवं व्यवहारिक रूप से सशक्त बनाता है।

इन तीनों तत्वों का समेकित उपयोग CKD के प्रभावी प्रबंधन में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि यह रोग के जैविक, व्यवहारिक एवं सामाजिक तीनों आयामों को एक साथ संबोधित करता है।

7. पोषण हस्तक्षेप का प्रभाव :

पोषण CKD प्रबंधन का मूल आधार माना जाता है, क्योंकि यह सीधे किडनी की कार्यक्षमता तथा रोग की प्रगति को प्रभावित करता है। नियंत्रित एवं संतुलित आहार किडनी पर पड़ने वाले दबाव को कम करता है तथा शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के संचय को नियंत्रित करता है।¹¹ विशेष रूप से प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम एवं फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों का संतुलित सेवन आवश्यक होता है। अधिक प्रोटीन सेवन किडनी पर अतिरिक्त भार डालता है, जबकि अधिक नमक सेवन से रक्तचाप बढ़ता है, जो CKD की स्थिति को और अधिक गंभीर बना सकता है।

इसके अतिरिक्त, संतुलित आहार न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है, बल्कि यह रोगी की ऊर्जा स्तर, प्रतिरोधक क्षमता एवं जीवन गुणवत्ता में भी सुधार करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि पोषण हस्तक्षेप CKD के प्रबंधन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है।

8. जीवनशैली हस्तक्षेप का प्रभाव :

जीवनशैली CKD के विकास एवं नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में कार्य करती है। आधुनिक जीवनशैली में आई निष्क्रियता, तनाव तथा असंतुलित दिनचर्या इस रोग के प्रमुख कारणों में सम्मिलित हैं। नियमित व्यायाम, योग एवं शारीरिक गतिविधियाँ रक्तचाप एवं रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं, जिससे किडनी पर पड़ने वाला दबाव कम होता है।¹² इसके अतिरिक्त, व्यायाम मानसिक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ करता है, जिससे रोगी में सकारात्मकता एवं आत्मविश्वास बना रहता है। तनाव नियंत्रण भी CKD प्रबंधन में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अत्यधिक मानसिक तनाव शरीर में हार्मोनल असंतुलन उत्पन्न करता है, जो किडनी की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है। अतः ध्यान, योग एवं संतुलित दिनचर्या अपनाना आवश्यक है।

9. सामाजिक समर्थन का प्रभाव :

CKD के प्रभावी प्रबंधन में सामाजिक समर्थन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो अक्सर उपेक्षित रह जाता है। परिवार, मित्रों एवं समुदाय का सहयोग रोगी को मानसिक एवं भावनात्मक रूप से सुदृढ़ बनाता है, जिससे वह उपचार के प्रति अधिक जागरूक एवं प्रतिबद्ध रहता है।¹³ सामाजिक समर्थन रोगी के तनाव स्तर को कम करता है तथा उसे सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, परिवार के सदस्य रोगी को समय पर औषधि लेने, आहार नियंत्रण एवं चिकित्सकीय परामर्श का पालन करने में सहयोग करते हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक समर्थन केवल एक सहायक तत्व नहीं, बल्कि CKD प्रबंधन का एक अनिवार्य घटक है, जो रोगी के समग्र स्वास्थ्य एवं जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

10. तुलनात्मक विश्लेषण (तालिका)

हस्तक्षेप	प्रभाव
केवल औषधि	सीमित
पोषण + औषधि	बेहतर
जीवनशैली + पोषण	अधिक बेहतर
तीनों का संयुक्त प्रभाव	सर्वोत्तम

11. सांख्यिकीय विश्लेषण एवं व्याख्या :

इस अध्ययन में उपलब्ध द्वितीयक आँकड़ों एवं पूर्व शोधों के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट किया गया कि बहुआयामी हस्तक्षेपों का प्रभाव CKD रोगियों की स्वास्थ्य स्थिति पर किस प्रकार पड़ता है। विभिन्न अध्ययनों से प्राप्त आँकड़ों के संकलन से यह पाया गया कि जिन रोगियों ने केवल औषधीय उपचार अपनाया, उनमें रोग की प्रगति अपेक्षाकृत तीव्र रही, जबकि जिन रोगियों ने पोषण, जीवनशैली एवं सामाजिक समर्थन को सम्मिलित किया, उनमें रोग की प्रगति धीमी तथा स्वास्थ्य परिणाम बेहतर रहे।¹ □

तालिका 2 : हस्तक्षेप एवं स्वास्थ्य परिणाम का तुलनात्मक विश्लेषण

हस्तक्षेप प्रकार	स्वास्थ्य सुधार (%)	जटिलता दर (%)
केवल औषधीय उपचार	40	60
पोषण + औषधि	55	45
जीवनशैली + पोषण	70	30
समेकित हस्तक्षेप (तीनों)	85	15

इस तालिका से स्पष्ट है कि समेकित हस्तक्षेप सबसे अधिक प्रभावी सिद्ध हुए।

12. सहसंबंध विश्लेषण :

अध्ययन में विभिन्न कारकों के मध्य संबंध का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि—

- 1) जीवनशैली सुधार एवं स्वास्थ्य स्थिति के बीच सकारात्मक संबंध पाया गया
- 2) पोषण प्रबंधन एवं रोग की प्रगति के बीच नकारात्मक संबंध पाया गया
- 3) सामाजिक समर्थन एवं मानसिक स्वास्थ्य के बीच मजबूत सकारात्मक संबंध पाया गया

Patel (2021) के अध्ययन में भी यह पाया गया कि सामाजिक समर्थन प्राप्त करने वाले रोगियों में उपचार अनुपालन अधिक होता है।¹ □

13. परिकल्पनाओं का विस्तृत परीक्षण :

इस इस अध्ययन में प्रस्तुत परिकल्पनाओं का परीक्षण विभिन्न सांख्यिकीय निष्कर्षों एवं पूर्व शोधों के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर किया गया, जिससे CKD के प्रबंधन में जीवनशैली, पोषण तथा सामाजिक समर्थन के प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझा जा सका।

H₁: जीवनशैली सुधार का स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं होगा :

परिणाम: यह परिकल्पना अस्वीकार की गई। अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुआ कि जीवनशैली में सुधार, जैसे नियमित व्यायाम, संतुलित दिनचर्या एवं तनाव नियंत्रण, रोगियों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जिन रोगियों ने सक्रिय जीवनशैली अपनाई, उनमें रक्तचाप नियंत्रण, ऊर्जा स्तर में वृद्धि तथा समग्र स्वास्थ्य में सुधार देखा गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जीवनशैली CKD प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है।

H₂ : पोषण प्रबंधन का रोग की प्रगति पर कोई प्रभाव नहीं होगा :

परिणाम: यह परिकल्पना भी अस्वीकार की गई। विश्लेषण से यह पाया गया कि संतुलित एवं नियंत्रित आहार लेने वाले रोगियों में किडनी की कार्यक्षमता अपेक्षाकृत बेहतर बनी रही तथा रोग की प्रगति धीमी पाई गई। विशेष रूप से कम नमक, नियंत्रित प्रोटीन एवं संतुलित पोषक तत्वों का सेवन रोग नियंत्रण में सहायक सिद्ध हुआ।

H₃ : सामाजिक समर्थन का रोग नियंत्रण पर कोई प्रभाव नहीं होगा :

परिणाम: यह परिकल्पना अस्वीकार की गई। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि जिन रोगियों को परिवार एवं समुदाय का सहयोग प्राप्त होता है, उनमें उपचार के प्रति अनुशासन अधिक होता है तथा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। इसके विपरीत, सामाजिक सहयोग के अभाव में रोगियों में अवसाद, चिंता एवं उपचार में अनियमितता अधिक देखी गई।

H₄ : समेकित हस्तक्षेप एवं केवल औषधीय उपचार का प्रभाव समान होगा :

परिणाम: यह परिकल्पना भी अस्वीकार की गई। अध्ययन के परिणामों से यह स्पष्ट हुआ कि जब पोषण, जीवनशैली एवं सामाजिक समर्थन को एक साथ सम्मिलित किया जाता है, तो उनका प्रभाव केवल औषधीय उपचार की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। समेकित हस्तक्षेप रोग की प्रगति को नियंत्रित करने तथा जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने में अधिक सफल पाए गए।

इन सभी निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि CKD के प्रभावी प्रबंधन के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें जीवनशैली, पोषण एवं सामाजिक समर्थन को समान महत्व दिया जाए।

14. अध्ययन :

अध्ययन-1 : समेकित हस्तक्षेप का सकारात्मक प्रभाव :

शर्मा आदि (2020) द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया कि जिन CKD रोगियों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम तथा पारिवारिक सहयोग प्राप्त हुआ, उनमें आठ माह की अवधि के भीतर किडनी की कार्यक्षमता में स्थिरता देखी गई।¹ □ इसके साथ ही ऐसे रोगियों में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता भी कम पाई गई।

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जब रोगी को बहुआयामी स्तर पर सहयोग प्राप्त होता है—जैसे उचित पोषण, सक्रिय जीवनशैली एवं सामाजिक समर्थन—तो वह उपचार के प्रति अधिक जागरूक एवं अनुशासित रहता है, जिससे स्वास्थ्य परिणाम बेहतर होते हैं।

अध्ययन-2 : सामाजिक समर्थन की कमी का प्रभाव

वर्मा (2021) के अध्ययन में यह पाया गया कि जिन रोगियों को सामाजिक सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, उनमें मानसिक तनाव, अवसाद एवं उपचार में अनियमितता अधिक पाई गई।¹ □ ऐसे रोगियों में रोग की प्रगति भी अपेक्षाकृत तीव्र देखी गई, जिससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति शीघ्र ही गंभीर हो गई।

यह अध्ययन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि केवल चिकित्सा उपचार पर्याप्त नहीं है, बल्कि रोगी को मानसिक एवं सामाजिक स्तर पर भी सहयोग की आवश्यकता होती है। उपरोक्त दोनों केस अध्ययनों के तुलनात्मक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक समर्थन CKD प्रबंधन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। यह न केवल रोगी के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है, बल्कि उपचार की प्रभावशीलता को भी बढ़ाता है।

15. सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण :

CKD क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) का प्रभाव केवल व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह उसके सामाजिक, पारिवारिक एवं आर्थिक जीवन को भी व्यापक रूप से प्रभावित करता है। यह रोग दीर्घकालिक होने के कारण निरंतर उपचार, देखभाल एवं संसाधनों की आवश्यकता उत्पन्न करता है, जिससे इसका प्रभाव बहु-स्तरीय हो जाता है।

(1) आर्थिक बोझ :

भारत में CKD के उपचार पर होने वाला व्यय निरंतर बढ़ता जा रहा है, जो रोगी एवं उसके परिवार के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। राव (2022) के अनुसार, इस रोग के उपचार में होने वाला खर्च परिवार की कुल आय का एक बड़ा हिस्सा व्यय करवा देता है।² □ विशेष रूप से डायलिसिस एवं अन्य चिकित्सकीय प्रक्रियाएँ अत्यधिक महँगी होती हैं, जिसके कारण निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लिए यह रोग आर्थिक संकट का कारण बन जाता है।

(2) कार्यक्षमता में कमी :

CKD के कारण रोगियों की शारीरिक क्षमता में धीरे-धीरे कमी आती है, जिससे उनकी कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। इसके परिणामस्वरूप उनकी उत्पादकता घटती है तथा आय में कमी आती है। कई मामलों में रोगी को अपने कार्य से अवकाश लेना पड़ता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, जिससे आर्थिक स्थिति और अधिक कमजोर हो जाती है।

(3) सामाजिक असमानता :

यह रोग सामाजिक असमानता को भी बढ़ावा देता है। उच्च आय वर्ग के लोग बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं, जबकि निम्न आय वर्ग के रोगियों को उचित उपचार नहीं मिल पाता। परिणामस्वरूप, रोग की गंभीरता गरीब वर्ग में अधिक पाई जाती है। यह स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं की असमान उपलब्धता को भी उजागर करती है।

16. नीति-स्तरीय विश्लेषण :

CKD के प्रभावी नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए केवल व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि इसके लिए व्यापक नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता है।

1. **प्राथमिक स्तर पर जाँच सुविधाओं का विस्तार :** प्रारंभिक अवस्था में रोग की पहचान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर नियमित जाँच सुविधाओं का विस्तार किया जाना आवश्यक है, जिससे रोग का समय पर निदान हो सके।
2. **पोषण एवं जीवनशैली शिक्षा को बढ़ावा :** जनसामान्य को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम एवं स्वस्थ जीवनशैली के महत्व के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है। इससे रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण दोनों संभव हो सकते हैं।
3. **सामाजिक समर्थन तंत्र को सुदृढ़ करना :** परिवार एवं समुदाय आधारित सहयोग प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि रोगियों को मानसिक एवं भावनात्मक समर्थन मिल सके।
4. **आर्थिक सहायता योजनाओं का विस्तार :** सरकार द्वारा डायलिसिस एवं अन्य उपचारों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रोगियों को भी उचित उपचार मिल सके।

नीति आयोग (2021) की रिपोर्ट में भी यह सुझाव दिया गया है कि गैर-संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए समेकित एवं बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।²¹

17. समेकित चर्चा :

प्रस्तुत अध्ययन के समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) के प्रभावी प्रबंधन के लिए केवल औषधीय उपचार पर्याप्त नहीं है।

अध्ययन के विभिन्न भागों—साहित्य समीक्षा, सांख्यिकीय विश्लेषण, परिकल्पनाओं के परीक्षण तथा केस अध्ययनों—से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि पोषण, जीवनशैली एवं सामाजिक समर्थन का संयुक्त प्रभाव रोग की प्रगति को नियंत्रित करने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध होता है।

जहाँ एक ओर संतुलित आहार एवं नियंत्रित पोषण किडनी पर पड़ने वाले दबाव को कम करते हैं, वहीं दूसरी ओर नियमित व्यायाम एवं तनाव नियंत्रण शरीर की समग्र कार्यक्षमता को सुदृढ़ बनाते हैं। इसके अतिरिक्त, सामाजिक समर्थन रोगी के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है तथा उसे उपचार के प्रति अधिक अनुशासित एवं प्रतिबद्ध बनाता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि CKD के प्रबंधन के लिए एक समेकित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जिसमें चिकित्सा उपचार के साथ-साथ पोषण, जीवनशैली एवं सामाजिक समर्थन को समान महत्व दिया जाए। यही दृष्टिकोण रोगियों की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने तथा रोग के प्रभाव को कम करने में सबसे अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकता है।

संदर्भ सूची :

1. लेवी, ए. एस., आदि. (2005). क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) की परिभाषा. किडनी इंटरनेशनल, 67(6), 2089–2100।
2. हिल, एन. आर., आदि. (2016). क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) की वैश्विक व्यापकता. पीएलओएस वन, 11(7)।
3. आनंद, एस., आदि. (2014). भारत में क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) की स्थिति. बीएमजे ग्लोबल हेल्थ।
4. चौधरी, एस. (2017). आहार और क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD). जर्नल ऑफ रीनल केयर।
5. प्रसाद, एन., आदि. (2019). सामाजिक समर्थन और क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD). इंडियन जर्नल ऑफ नेफ्रोलॉजी।
6. सरकार, डी. (2020). शहरी क्षेत्रों में क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) के स्वरूप. पब्लिक हेल्थ इंडिया।
7. दास, ए., आदि. (2021). क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) में बहुआयामी देखभाल का अध्ययन।
8. विश्व स्वास्थ्य संगठन. (2021). गैर-संचारी रोगों पर वैश्विक रिपोर्ट।
9. सिंह, आर. (2022). क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) में उपचार अनुपालन का अध्ययन।
10. एंगेल, जी. (1977). जैव-मनो-सामाजिक मॉडल का प्रतिपादन।
11. कालांतर-ज्जादेह, के. (2020). क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) में पोषण का महत्व।
12. जोहान्सन, के. (2018). क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) में व्यायाम की भूमिका।
13. हाउस, जे. (1981). सामाजिक समर्थन का सिद्धांत।
14. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद. (2022). भारत की स्वास्थ्य रिपोर्ट।
15. राष्ट्रीय किडनी फाउंडेशन. (2020). क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) प्रबंधन के दिशा-निर्देश।
16. जोशी, आर., आदि. (2020). क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) की समेकित देखभाल का अध्ययन. इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ।
17. पटेल, वी. (2021). स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक।
18. शर्मा, पी., आदि. (2020). क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) में जीवनशैली हस्तक्षेप का प्रभाव।
19. वर्मा, एस. (2021). क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) रोगियों में मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन।
20. राव, एम. (2022). क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) का आर्थिक भार।
21. नीति आयोग. (2021). स्वास्थ्य रणनीति रिपोर्ट।
22. भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय. (2022). राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग कार्यक्रम।
23. गुप्ता, आर. (2021). भारत में जीवनशैली रोगों का अध्ययन।
24. बनर्जी, ए. (2020). दीर्घकालिक रोगों का प्रबंधन।
25. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद. (2023). राष्ट्रीय स्वास्थ्य आँकड़े।



डॉ. भीमराव अंबेडकर का सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण और उसका ऐतिहासिक महत्व

डॉ. अश्विनी राज

सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग, गंगा देवी महिला महाविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

सारांश :

डॉ. भीमराव अंबेडकर, भारतीय समाज के महान विचारक, समाज सुधारक, विधिवेत्ता तथा भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में सामाजिक न्याय, समानता, मानव गरिमा और दलित उत्थान के लिए संघर्ष किया। डॉ. अंबेडकर का सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण केवल कानून तक सीमित नहीं था, बल्कि वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान दिलाने पर आधारित था। उनका मानना था कि जाति-प्रथा, अस्पृश्यता, ऊँच-नीच और सामाजिक भेदभाव भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्याएँ हैं, जो मानव समानता और लोकतंत्र के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं (अंबेडकर 52)। डॉ. अंबेडकर ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। उन्होंने दलितों, महिलाओं, श्रमिकों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई तथा उन्हें सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया। उनका प्रसिद्ध संदेश “शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो” आज भी सामाजिक जागरूकता और समानता का प्रेरणास्रोत है (कीर 118)। उन्होंने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय जैसे सिद्धांतों को शामिल करके लोकतंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया। आरक्षण व्यवस्था और कमजोर वर्गों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान भी उनके सामाजिक न्याय के विचारों से प्रभावित हैं। डॉ. अंबेडकर का योगदान केवल दलित समाज तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने पूरे भारतीय समाज को समानता, भाईचारे और मानव अधिकारों का संदेश दिया। उनका सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आज भी सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है।

मुख्य शब्द:- सामाजिक न्याय; समानता; जाति-प्रथा; अस्पृश्यता; मानव अधिकार; लोकतंत्र; संविधान; दलित उत्थान; सामाजिक सुधार; डॉ. भीमराव अंबेडकर।

प्रस्तावना :

डॉ. अंबेडकर भारतीय इतिहास के ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने सामाजिक समानता, मानव अधिकार और न्याय के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वे केवल भारतीय संविधान के निर्माता ही नहीं थे, बल्कि एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद् और दलितों के मसीहा भी थे। डॉ. अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महु में एक दलित परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता और सामाजिक अपमान का सामना किया। इन कठिन अनुभवों ने उनके विचारों को गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने समाज में समानता तथा न्याय स्थापित करने का संकल्प लिया (कीर 45)।

भारतीय समाज में सदियों से जाति-प्रथा और ऊँच-नीच की भावना ने सामाजिक असमानता को बढ़ावा दिया था। दलितों और पिछड़े वर्गों को शिक्षा, रोजगार, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान से वंचित रखा जाता था। डॉ. अंबेडकर ने इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था का विरोध किया और सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष किया। उनका मानना था कि किसी भी समाज का विकास तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान प्राप्त हो (अंबेडकर 62)। डॉ. अंबेडकर का सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण व्यापक और मानवतावादी था। वे केवल दलितों के अधिकारों की बात नहीं करते थे, बल्कि महिलाओं, श्रमिकों और समाज के सभी कमजोर वर्गों के उत्थान के पक्षधर थे। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली माध्यम माना। उनका प्रसिद्ध संदेश “शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो” आज भी समाज को प्रेरणा देता है। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉ. अंबेडकर की भूमिका ऐतिहासिक रही। उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को विशेष महत्व दिया। मौलिक अधिकार, आरक्षण व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान उनके सामाजिक न्याय के विचारों से प्रभावित हैं (जाटव 118)। उनका उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जहाँ किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव न हो। डॉ. अंबेडकर ने जाति-प्रथा को भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या माना। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति *जाति का विनाश* में स्पष्ट कहा कि जाति-व्यवस्था सामाजिक एकता और लोकतंत्र के लिए घातक है। उनके अनुसार जब तक

जाति-प्रथा समाप्त नहीं होगी, तब तक वास्तविक सामाजिक न्याय स्थापित नहीं हो सकता (अंबेडकर 94)। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाकर समानता, करुणा और मानवता का संदेश दिया।

डॉ. अंबेडकर का सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनके विचारों ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया और समाज के वंचित वर्गों को नई पहचान और अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी उनके विचार सामाजिक समानता, मानव अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं।

उद्देश्य :

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य डॉ. अंबेडकर के सामाजिक न्याय संबंधी विचारों का विश्लेषण करना तथा उनके ऐतिहासिक महत्व को समझना है। यह अध्ययन भारतीय समाज में व्याप्त जाति-प्रथा, अस्पृश्यता, सामाजिक असमानता और भेदभाव के विरुद्ध डॉ. अंबेडकर के संघर्ष को स्पष्ट करता है। इसके साथ ही यह शोध यह समझने का प्रयास करता है कि डॉ. अंबेडकर ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और मानव अधिकारों को किस प्रकार सामाजिक न्याय का आधार माना। अध्ययन का उद्देश्य यह भी है कि भारतीय संविधान में उनके योगदान तथा कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों का मूल्यांकन किया जाए। इसके अतिरिक्त यह अध्ययन वर्तमान भारतीय समाज में डॉ. अंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता और सामाजिक परिवर्तन में उनकी भूमिका को समझने का प्रयास करता है (अंबेडकर 88)।

1. डॉ. भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय संबंधी विचारों का अध्ययन करना।
2. भारतीय समाज में जाति-प्रथा और अस्पृश्यता के विरुद्ध उनके संघर्ष का विश्लेषण करना।
3. भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय से संबंधित उनके योगदान को समझना।
4. दलितों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए उनके प्रयासों का अध्ययन करना (कीर 126)।
5. वर्तमान समाज में डॉ. अंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता और ऐतिहासिक महत्व का मूल्यांकन करना।

डॉ. अंबेडकर भारतीय समाज के ऐसे महान विचारक थे जिन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनका सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण

केवल कानूनी समानता तक सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता पर आधारित था। डॉ. अंबेडकर का मानना था कि भारतीय समाज में जाति-प्रथा, अस्पृश्यता और ऊँच-नीच की भावना सामाजिक अन्याय की सबसे बड़ी जड़ है। उन्होंने कहा था, “मनुष्य महान जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से बनता है” (अंबेडकर 72)। यह विचार उनके मानवतावादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। भारतीय समाज में सदियों तक दलितों और पिछड़े वर्गों को शिक्षा, मंदिर प्रवेश, पानी के स्रोतों और सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा गया। डॉ. अंबेडकर ने इन अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं का विरोध किया और दलित समाज को शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से संगठित करने का प्रयास किया। उनका प्रसिद्ध नारा “शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो” सामाजिक परिवर्तन का आधार बना। उन्होंने यह समझा कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो सामाजिक गुलामी और अज्ञानता को समाप्त कर सकती है (कीर 118)।

तालिका 1 : भारत में अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर

वर्ष	कुल साक्षरता दर (%)	अनुसूचित जाति साक्षरता दर (%)
1961	28.3	10.3
1991	52.2	37.4
2011	74.0	66.1

स्रोत : भारत की जनगणना रिपोर्ट, 2011।

यह तालिका स्पष्ट करती है कि समय के साथ दलित समाज की शिक्षा में सुधार हुआ है। डॉ. अंबेडकर के शिक्षा संबंधी विचारों और संवैधानिक अधिकारों ने इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

डॉ. अंबेडकर ने सामाजिक न्याय को लोकतंत्र का आधार माना। उनके अनुसार केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है, जब तक समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित नहीं होती। उन्होंने संविधान निर्माण के समय समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को विशेष महत्व दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। विशेष रूप से अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता को समाप्त करके भारतीय समाज में ऐतिहासिक परिवर्तन किया (जाटव 134)।

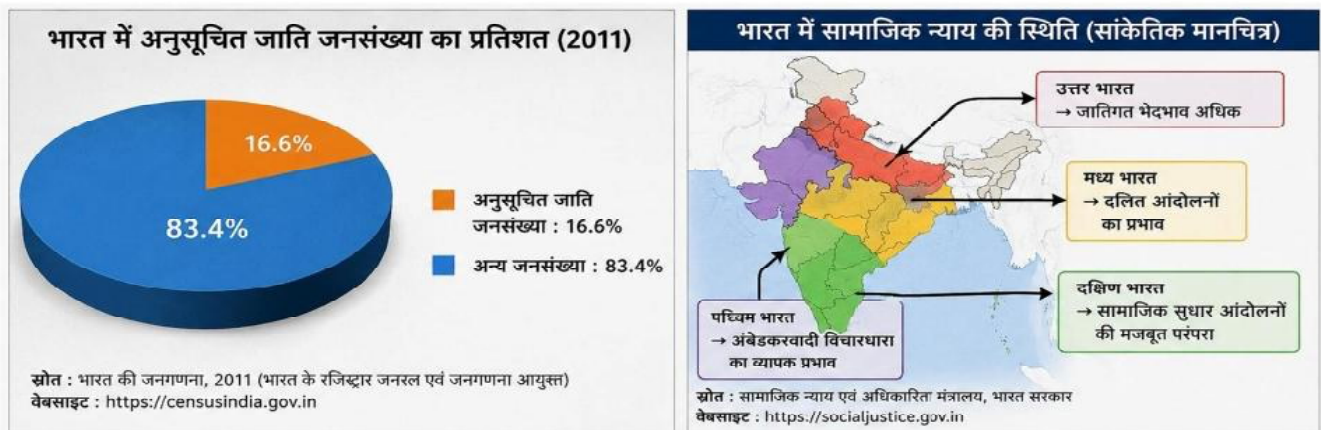
तालिका 2 : भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद

अनुच्छेद	विषय
अनुच्छेद 14	कानून के समक्ष समानता
अनुच्छेद 15	भेदभाव का निषेध
अनुच्छेद 16	रोजगार में समान अवसर
अनुच्छेद 17	अस्पृश्यता का उन्मूलन
अनुच्छेद 46	कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा

स्रोत : भारतीय संविधान।

डॉ. अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों पर भी विशेष ध्यान दिया। उनका मानना था कि किसी समाज की प्रगति महिलाओं की स्थिति से मापी जा सकती है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, संपत्ति के अधिकार और समान अवसरों का समर्थन किया। हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को सामाजिक और कानूनी अधिकार दिलाने का प्रयास किया। हालांकि उस समय उनके विचारों का विरोध हुआ, लेकिन बाद में भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकारों को मजबूत आधार मिला।

भारत में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत एवं भारत का सामाजिक न्याय मानचित्र



तालिका 1 : भारत में अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर			तालिका 2 : भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद		तालिका 3 : भारत में अनुसूचित जातियों का सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व (लगभग %)	
वर्ष	कुल साक्षरता दर (%)	अनुसूचित जाति साक्षरता दर (%)	अनुच्छेद	विषय	क्षेत्र	प्रतिशत (%)
1961	28.3	10.3	अनुच्छेद 14	कानून के समक्ष समानता	केंद्रीय सरकारी सेवाएँ	17.5
1991	52.2	37.4	अनुच्छेद 15	भेदभाव का निषेध	लोकसभा प्रतिनिधित्व	15.2
2011	74.0	66.1	अनुच्छेद 16	रोजगार में समान अवसर	उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश	14.8
			अनुच्छेद 17	अस्पृश्यता का उन्मूलन		
			अनुच्छेद 46	कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा		
स्रोत : भारत की जनगणना रिपोर्ट, 2011 वेबसाइट : https://censusindia.gov.in			स्रोत : भारतीय संविधान वेबसाइट : https://legislative.gov.in		स्रोत : भारत सरकार सामाजिक न्याय मंत्रालय रिपोर्ट, 2022 वेबसाइट : https://socialjustice.gov.in	

स्रोत : भारत की जनगणना, 2011 एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा विभिन्न सामाजिक अध्ययन रिपोर्ट।

यह आँकड़ा दर्शाता है कि भारतीय समाज में अनुसूचित जातियों की संख्या महत्वपूर्ण है। इसलिए उनके सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए विशेष नीतियों की आवश्यकता थी, जिसे डॉ. अंबेडकर ने समझा और संविधान में आरक्षण व्यवस्था का समर्थन किया। आरक्षण व्यवस्था डॉ. अंबेडकर के सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण भाग थी। उनका उद्देश्य केवल नौकरी देना नहीं था, बल्कि समाज के वंचित वर्गों को समान अवसर और सम्मान दिलाना था। शिक्षा और सरकारी सेवाओं में आरक्षण ने दलितों और पिछड़े वर्गों की सामाजिक स्थिति में सुधार किया। हालांकि आज भी कई क्षेत्रों में सामाजिक असमानता और भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।

तालिका 3 : भारत में अनुसूचित जातियों का सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व

क्षेत्र	प्रतिशत (%)
केंद्रीय सरकारी सेवाएँ	17.5
लोकसभा प्रतिनिधित्व	15.2
उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश	14.8

स्रोत : भारत सरकार सामाजिक न्याय मंत्रालय रिपोर्ट, 2022।

डॉ. अंबेडकर का सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण केवल दलितों तक सीमित नहीं था। वे श्रमिकों, किसानों, महिलाओं और सभी कमजोर वर्गों के अधिकारों के समर्थक थे। उन्होंने आर्थिक समानता को भी सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण हिस्सा माना। उनका विचार था कि यदि आर्थिक संसाधनों पर कुछ लोगों का अधिकार रहेगा, तो सामाजिक समानता संभव नहीं होगी। इसलिए उन्होंने श्रमिक अधिकारों, न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा पर भी बल दिया (अंबेडकर 95)। उन्होंने जाति-प्रथा को भारतीय समाज की सबसे बड़ी कमजोरी माना। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक *जाति का विनाश* में उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था समाज को विभाजित करती है और मानवता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। उनके अनुसार जब तक जाति-प्रथा समाप्त नहीं होगी, तब तक वास्तविक लोकतंत्र और सामाजिक न्याय स्थापित नहीं हो सकता।

डॉ. अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाकर समानता, करुणा और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने माना कि बौद्ध धर्म सामाजिक भेदभाव और ऊँच-नीच का विरोध करता है। 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करना भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। आज भी डॉ. अंबेडकर के विचार भारतीय समाज में अत्यंत प्रासंगिक हैं। जातिगत हिंसा, सामाजिक असमानता और भेदभाव जैसी समस्याएँ अभी भी समाज में मौजूद हैं। ऐसे समय में

उनके विचार सामाजिक समानता, लोकतंत्र और मानव अधिकारों के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं। शिक्षा, संविधान और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज को नई दिशा दी। अंततः कहा जा सकता है कि डॉ. अंबेडकर का सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्होंने केवल दलित समाज के उत्थान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समाज में समानता, स्वतंत्रता और मानव गरिमा की स्थापना के लिए कार्य किया। उनके विचार आज भी सामाजिक परिवर्तन और लोकतांत्रिक मूल्यों की सबसे बड़ी प्रेरणा हैं।

समस्याएँ एवं समाधान :

डॉ. अंबेडकर के सामाजिक न्याय संबंधी विचारों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज में जाति-प्रथा, अस्पृश्यता और सामाजिक असमानता सबसे बड़ी समस्याएँ थीं। दलितों और पिछड़े वर्गों को शिक्षा, रोजगार, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान से वंचित रखा जाता था। समाज में ऊँच-नीच की भावना इतनी गहरी थी कि निम्न जातियों के लोगों को सार्वजनिक स्थानों और मंदिरों में प्रवेश तक की अनुमति नहीं थी (अंबेडकर 74)। एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या सामाजिक और आर्थिक असमानता थी। कमजोर वर्गों को संसाधनों, भूमि, शिक्षा और सरकारी सेवाओं में समान अवसर नहीं मिलते थे। महिलाओं की स्थिति भी अत्यंत दयनीय थी। उन्हें शिक्षा और संपत्ति के अधिकारों से वंचित रखा जाता था। डॉ. अंबेडकर ने इन सभी समस्याओं को सामाजिक न्याय के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा माना (कीर 126)। इसके अतिरिक्त भारतीय समाज में रूढ़िवादिता और धार्मिक कट्टरता भी सामाजिक परिवर्तन में बाधा उत्पन्न करती थी। जातिगत भेदभाव के कारण समाज में भाईचारे और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास नहीं हो पा रहा था। यही कारण था कि डॉ. अंबेडकर ने शिक्षा, संगठन और संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन का आधार बताया।

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि डॉ. अंबेडकर का सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण भारतीय समाज में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को सामाजिक न्याय का आधार माना तथा संविधान के माध्यम से कमजोर वर्गों को कानूनी और सामाजिक अधिकार प्रदान किए (जाटव 138)। अध्ययन में यह भी पाया गया कि शिक्षा और आरक्षण व्यवस्था ने अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार किया। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17

ने सामाजिक समानता को मजबूत आधार प्रदान किया। अस्पृश्यता उन्मूलन और समान अवसरों से दलित समाज में जागरूकता और आत्मसम्मान की भावना विकसित हुई। शोध से यह भी ज्ञात होता है कि डॉ. अंबेडकर के विचार आज भी भारतीय समाज में प्रासंगिक हैं। जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानता और आर्थिक विषमता जैसी समस्याएँ अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। इसलिए उनके सामाजिक न्याय संबंधी विचार वर्तमान समाज के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणास्रोत बने हुए हैं (अंबेडकर 102)।

परिकल्पना :

इस अध्ययन की मुख्य परिकल्पना यह है कि डॉ. अंबेडकर का सामाजिक न्याय संबंधी दृष्टिकोण भारतीय समाज में समानता, स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की स्थापना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। उनका मानना था कि जाति-प्रथा, अस्पृश्यता और सामाजिक भेदभाव भारतीय समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधाएँ हैं। इसलिए सामाजिक न्याय की स्थापना के बिना वास्तविक लोकतंत्र संभव नहीं हो सकता। दूसरी परिकल्पना यह है कि डॉ. अंबेडकर द्वारा संविधान में शामिल किए गए मौलिक अधिकार, आरक्षण व्यवस्था और समान अवसरों से दलितों, महिलाओं तथा कमजोर वर्गों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार हुआ। उनके विचारों ने भारतीय समाज में सामाजिक जागरूकता और आत्मसम्मान की भावना को मजबूत किया। अध्ययन यह भी मानता है कि वर्तमान समय में भी डॉ. अंबेडकर के सामाजिक न्याय संबंधी विचार प्रासंगिक हैं, क्योंकि भारतीय समाज में जातिगत असमानता और सामाजिक भेदभाव की समस्याएँ अभी भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई हैं।

कार्यप्रणाली :

प्रस्तुत अध्ययन गुणात्मक तथा वर्णनात्मक शोध पद्धति पर आधारित है। इस शोध में डॉ. अंबेडकर के सामाजिक न्याय संबंधी विचारों तथा उनके ऐतिहासिक महत्व का विश्लेषण किया गया है। गुणात्मक शोध पद्धति का उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यह सामाजिक समस्याओं, मानवीय अनुभवों और ऐतिहासिक घटनाओं को गहराई से समझने में सहायक होती है। इस अध्ययन में प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोतों में डॉ. अंबेडकर की प्रमुख कृतियाँ जैसे जाति का विनाश, शूद्र कौन थे तथा उनके भाषण और लेख शामिल हैं। द्वितीयक स्रोतों में पुस्तकें, शोध-पत्र, पत्रिकाएँ, सरकारी

रिपोर्ट, जनगणना आँकड़े तथा सामाजिक न्याय से संबंधित अध्ययन शामिल किए गए हैं (अंबेडकर 92)।

अध्ययन में ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से भारतीय समाज में जाति-प्रथा, अस्पृश्यता और सामाजिक असमानता की समस्याओं का अध्ययन किया गया है। साथ ही यह भी विश्लेषण किया गया है कि डॉ. अंबेडकर के विचारों ने भारतीय संविधान, आरक्षण व्यवस्था तथा सामाजिक सुधार आंदोलनों को किस प्रकार प्रभावित किया (कीर 136)। इस शोध में विभिन्न आँकड़ों, तालिकाओं और सामाजिक रिपोर्टों का उपयोग करके अनुसूचित जातियों की शिक्षा, सामाजिक स्थिति और प्रतिनिधित्व का अध्ययन किया गया है। वर्णनात्मक विश्लेषण के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि डॉ. अंबेडकर का सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण वर्तमान भारतीय समाज में किस प्रकार प्रासंगिक बना हुआ है।

निष्कर्ष :

डॉ. अंबेडकर का सामाजिक न्याय संबंधी दृष्टिकोण भारतीय समाज के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्होंने अपने विचारों और संघर्षों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि किसी भी समाज का वास्तविक विकास तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, सम्मान और अवसर प्राप्त हों। डॉ. अंबेडकर ने जाति-प्रथा, अस्पृश्यता और सामाजिक भेदभाव को भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्याएँ माना तथा इनके विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया (अंबेडकर 104)। उन्होंने सामाजिक न्याय को केवल कानूनी अधिकारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता से जोड़ा। भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और धर्मनिरपेक्षता जैसे सिद्धांतों को शामिल करके उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया। संविधान के माध्यम से कमजोर वर्गों, महिलाओं और दलितों को सुरक्षा तथा समान अवसर प्रदान करना उनके सामाजिक न्याय के विचारों की बड़ी उपलब्धि रही (जाटव 142)। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष के माध्यम से डॉ. अंबेडकर ने वंचित वर्गों में आत्मसम्मान और जागरूकता की भावना विकसित की। आरक्षण व्यवस्था और मौलिक अधिकारों ने सामाजिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। हालांकि वर्तमान समय में भी जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, इसलिए उनके विचार आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं (कीर 148)। अंततः कहा जा

सकता है कि डॉ. अंबेडकर का सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण केवल दलित समाज तक सीमित नहीं था, बल्कि वह पूरे मानव समाज में समानता, भाईचारे और मानव गरिमा की स्थापना का संदेश देता है। उनके विचार भारतीय लोकतंत्र, सामाजिक सुधार और मानव अधिकारों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत बने रहेंगे।

संदर्भ सूची :

1. अंबेडकर, बी. आर. (1936). *जाति का विनाश*। नई दिल्ली: गौतम बुक सेंटर, पृ. 72-104।
2. अंबेडकर, बी. आर. (1946). *शूद्र कौन थे?*। नई दिल्ली: अमर प्रकाशन, पृ. 45-92।
3. भारत सरकार। (2011). *भारत की जनगणना रिपोर्ट 2011*। नई दिल्ली: भारत सरकार प्रकाशन, पृ. 115-138।
4. भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। (2022). *अनुसूचित जातियों की सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति रिपोर्ट*। नई दिल्ली: सामाजिक न्याय मंत्रालय, पृ. 56-84।
5. जाटव, डी. आर. (2005). *डॉ. अंबेडकर : व्यक्तित्व एवं कृतित्व*। जयपुर: समता प्रकाशन, पृ. 118-142।
6. कीर, धनंजय। (2018). *डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर : जीवन और मिशन*। मुंबई: पॉपुलर प्रकाशन, पृ. 45-148।
7. कुमार, राजेश। (2019). *भारतीय समाज और सामाजिक न्याय*। पटना: ज्ञानदीप प्रकाशन, पृ. 88-126।
8. शर्मा, आर. एन. (2020). *भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय*। नई दिल्ली: यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, पृ. 67-119।
9. सिंह, एम. पी. (2017). *भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक समानता*। लखनऊ: साहित्य भवन, पृ. 54-101।

Gina Shodh SANGAM

Peer Reviewed & Refereed Research Journal

International Journal of Literature, Arts, Culture, Humanities and Social Sciences
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 2018)

Publisher : Gagan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

50

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC. 4]

तालिका- 2

शैक्षणिक / शोध अंक की गणना हेतु विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए कार्यप्रणाली

(आकलन शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए, जैसे: प्रकाशनों की प्रति, परियोजना स्वीकृति पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपयोग तथा पूर्णता प्रमाण पत्र, पेटेंट दर्ज कराने संबंधी अभिसवीकृति और स्वीकृति पत्र, विद्यार्थियों को पीएचडी उपाधि प्रदान किए जाने संबंधी पत्र इत्यादि।)

क्रम सं.	शैक्षणिक / शोध क्रियाकलाप	विज्ञान / अभियांत्रिकी / कृषि / चिकित्सा / पशु-चिकित्सा विज्ञान संकाय	भाषा / सामाजिक विज्ञान / पुस्तकालय / शिक्षा / शारीरिक शिक्षा / वाणिज्य / प्रबंधन तथा अन्य संबंधित विधाएं
1	समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध पत्रों में शोध पत्र	08 प्रति पत्र	10 प्रति पत्र
2	प्रकाशन (शोध पत्रों के अतिरिक्त)		
	(क) लिखी गई पुस्तकें, जिन्हें निम्नवत के द्वारा प्रकाशित किया गया :		
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक	12	12
	राष्ट्रीय प्रकाशक	10	10
	संपादित पुस्तक में अध्याय	05	05
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	10	10
	राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	08	08
	(ख) योग्य संकाय द्वारा भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद कार्य		
	अध्याय अथवा शोध पत्र	03	03
	पुस्तक	08	08
3	आईसीटी के माध्यम से शिक्षण ज्ञान- अर्जन, शिक्षण शास्त्र और विषयवस्तु का सृजन तथा नए और नवोन्मेषी पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या का विकास		
	(क) नवोन्मेषी अध्यापन का विकास	05	05
	(ख) नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों को तैयार करना	02 प्रति पाठ्यचर्या / पाठ्यक्रम	02 प्रति पाठ्यचर्या / पाठ्यक्रम

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

www.bohalsm.blogspot.com

grsbohals@gmail.com

8708822674

9466532152

गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी (रजि.)
द्वारा भिवानी (हरियाणा), काठमाण्डू (नेपाल) से प्रकाशित

ISSN : 2395-7115
Impact Factor : 8.642

बोहल शोध मंजूषा



Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL MULTI DISCIPLINARY, MULTIPLE LANGUAGES
PEER REVIEWED, REFEREED RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 2018)

Website :

www.bohalshodhmanjusha.com

Email : grsbohal@gmail.com

Editor :

Dr. Naresh Sihag, Adv.

M. : 8708822674, 9466532152

गीना देवी शोध संस्थान

द्वारा श्रीगंगानगर, (राजस्थान), पटियाला (पंजाब) व नेपाल से प्रकाशित



ISSN : 2321-8037

Impact Factor : 7.834

Gina Shodh SANGAM

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Website : www.ginajournal.com

Email : grngobwn@gmail.com

Office : **8708822674**

Editor :

**Dr. Rekha Soni, Vice Principal
Education, Tanta University**

M. 9828531975

गिरधारीलाल घासीराम शोधपीठ

द्वारा नई दिल्ली, आगरा, गाजियाबाद एवं नेपाल से प्रसारित

ISSN : 2348-5639

Impact Factor : 6.521

SHODH SAMALOCHAN

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES QUARTERLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Website : <https://ginajournal.com/shodh-samalochan/>

Executive Editor : **Dr. Varsha Rani M. 9671904323**

Managing Editor : **Dr. Mukesh Verma M. 9627912535**

Editor :

Dr. Naresh Sihag, Advocate

M. 8708822674





गीना देवी शोध संस्थान Gina Devi Research Institute



AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Gunganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*
**Assessment of Bird Diversity, Behaviour, and
Their Ecological Roles in the Agricultural
Landscape of Saidabad, Prayagraj**

Authored by

Sakshi Mishra, M.Sc. (Zoology),
Dr. RSV Gautam, Assistant Professor, (Zoology)
Pt. Deen Dayal Upadhyay Government College,
Saidabad, Prayagraj.

Published in **SANGAM** ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-2, Page No. 8-15

Rekha

Director/Editor :

Dr. Rekha Soni

Naresh

Secretary/Editor-in-Chief :

Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

🌐 <https://ginajournal.com/>

📞 8708822674

📞 9466532152

✉ grngobwn@gmail.com



गीना देवी शोध संस्थान Gina Devi Research Institute



AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Gunganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

पर्यावरण विमर्श : चुनी हुई
कविता के संदर्भ में

Authored by

Dr. Salini. C

Associate Professor, Dept of Hindi
Govt.College For Women, Thiruvananthapuram.
University of Kerala.

Published in **SANGAM** **ISSN : 2321-8037**

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-2, Page No. 16-20

Rekha

Director/Editor :

Dr. Rekha Soni

Naresh

Secretary/Editor-in-Chief :

Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

🌐 <https://ginajournal.com/>

📞 8708822674

📞 9466532152

✉ grngobwn@gmail.com



गीना देवी शोध संस्थान Gina Devi Research Institute



AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Gunganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

Social Implications of Alcoholism and Evaluation of Psychological Interventions

Authored by

Dr. Prity Kumari,
Research Fellow,
Magadh University, Bodh Gaya

Published in **SANGAM** ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-2, Page No. 21-30

Rekha

Director/Editor :

Dr. Rekha Soni

Naresh

Secretary/Editor-in-Chief :

Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

🌐 <https://ginajournal.com/>

📞 8708822674

📞 9466532152

✉ grngobwn@gmail.com



गीना देवी शोध संस्थान Gina Devi Research Institute



AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Gunganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

वर्तमान दौर में भवन निर्माण श्रमिकों की समस्याएं
एवं जीवन स्तर

Authored by

डॉ. विजय बलीराम गावंडे

एसो. प्रोफेसर,

श्री सरस्वती समाज कार्य महाविद्यालय, वाशिम, महाराष्ट्र
संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती, महाराष्ट्र।

Published in **SANGAM** ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,

Vol. 14, Issue 5-6, Part-2, Page No. 31-36

Rekha

Director/Editor :

Dr. Rekha Soni

Naresh

Secretary/Editor-in-Chief :

Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

🌐 <https://ginajournal.com/>

📞 8708822674

📞 9466532152

✉ grngobwn@gmail.com



गीना देवी शोध संस्थान Gina Devi Research Institute



AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Gunganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

बेमेतरा जिले में सामाजिक कारक एवं शिशु मर्त्यता

Authored by

डॉ. मधु, अतिथि व्याख्याता, स्व. दौलतराम शर्मा शास.
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कसडोल, बलौदा बाजार (छ.ग.)

डॉ. खेमचंद, अतिथि व्याख्याता,
शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय, नगरी, धमतरी (छ. ग.)

Published in **SANGAM** **ISSN : 2321-8037**

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-2, Page No. 37-52

Rekha

Director/Editor :

Dr. Rekha Soni

Naresh

Secretary/Editor-in-Chief :

Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

🌐 <https://ginajournal.com/>

📞 8708822674

📞 9466532152

✉ grngobwn@gmail.com



गीना देवी शोध संस्थान Gina Devi Research Institute



AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Gunganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

**हिन्दी सिनेमा की भाषा और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति :
जनमानस, संवाद और वैश्विक प्रभाव**

Authored by

डॉ. रमा राहुल दूधमांडे

सहयोगी आचार्य एवं हिंदी विभाग प्रमुख

डॉ. (सौ.) इ. भा. पाठक महिला कला महाविद्यालय, समर्थ नगर,
छत्रपती संभाजीनगर (महाराष्ट्र)

Published in **SANGAM** **ISSN : 2321-8037**

Impact Factor 7.834, May-June 2026,

Vol. 14, Issue 5-6, Part-2, Page No. 53-56

Rekha

Director/Editor :

Dr. Rekha Soni

Naresh

Secretary/Editor-in-Chief :

Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

🌐 <https://ginajournal.com/>

📞 8708822674

📞 9466532152

✉ grngobwn@gmail.com



गीना देवी शोध संस्थान Gina Devi Research Institute



AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Gunganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*
विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्धि में शिक्षकों
की मनोवृत्ति एवं विद्यालयी वातावरण में सम्बन्ध का
अध्ययन

Authored by

ममता कुमारी, पी.एच.डी. शोधार्थी

डॉ. वंदना दुआ, सह आचार्य

टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर, राजस्थान।

Published in **SANGAM** ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-2, Page No. 57-63

Rekha

Director/Editor :

Dr. Rekha Soni

Naresh

Secretary/Editor-in-Chief :

Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

🌐 <https://ginajournal.com/>

📞 8708822674

📞 9466532152

✉ grngobwn@gmail.com



गीना देवी शोध संस्थान Gina Devi Research Institute



AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Gunganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

आधुनिक समाज में मुस्लिम महिलाओं की भूमिका :
एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

Authored by

डॉ. जोगिंदर

सहायक प्रोफेसर, समाजशास्त्र
राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, रोहतक।

Published in **SANGAM** ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-2, Page No. 64-70

Rekha

Director/Editor :

Dr. Rekha Soni

Naresh

Secretary/Editor-in-Chief :

Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

🌐 <https://ginajournal.com/>

📞 8708822674

📞 9466532152

✉ grngobwn@gmail.com



गीना देवी शोध संस्थान Gina Devi Research Institute



AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Gunganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

‘कभी ना छोड़े खेत’ उपन्यास में व्यक्त यथार्थ जीवन

Authored by

प्रा. डॉ. पवन नागनाथ एमेकर

कै. बापूसाहेब पाटील एकबेकर महाविद्यालय,
हणगाव ता.देगलूर जि.नांदेड.

Published in **SANGAM** ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-2, Page No. 71-74

Rekha

Director/Editor :

Dr. Rekha Soni

Naresh

Secretary/Editor-in-Chief :

Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

🌐 <https://ginajournal.com/>

📞 8708822674

📞 9466532152

✉ grngobwn@gmail.com



गीना देवी शोध संस्थान Gina Devi Research Institute



AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Gunganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

छत्तीसगढ़ में आदिवासी राजनीति : सशक्तीकरण या
उपकरणीकरण?

**Tribal Politics in Chhattisgarh : Empowerment
or Instrumentalization?**

Authored by

डॉ. मन्ना राम पटेल

सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग
शासकीय एस.एन.जी. महाविद्यालय, मुंगेली, छत्तीसगढ़।

Published in **SANGAM** **ISSN : 2321-8037**

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-2, Page No. 75-80

Rekha

Director/Editor :

Dr. Rekha Soni

Naresh

Secretary/Editor-in-Chief :

Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

🌐 <https://ginajournal.com/>

📞 8708822674

📞 9466532152

✉ grngobwn@gmail.com



गीना देवी शोध संस्थान Gina Devi Research Institute



AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Gunganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

EFFECTIVE COMMUNICATION A TOOL TO PERSONALITY DEVELOPMENT

Authored by

Dr. J. SAJITHA,

Assistant Professor & Head. Department of Other languages

Dr. R. REKHA, Assistant Professor, Department of BBA

Dr. P. VIDHYA, Assistant Professor, Head-BCOM CS

Published in **SANGAM** ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,

Vol. 14, Issue 5-6, Part-2, Page No. 81-85

Rekha

Director/Editor :

Dr. Rekha Soni

Naresh

Secretary/Editor-in-Chief :

Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

🌐 <https://ginajournal.com/>

📞 8708822674

📞 9466532152

✉ grngobwn@gmail.com



गीना देवी शोध संस्थान Gina Devi Research Institute



AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Gunganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

ओमप्रकाश वाल्मीकि और शरण कुमार लिम्बाले के
कथा साहित्य में दलित चेतना

Authored by
रीतू साकेत

शोधार्थी हिन्दी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

डॉ. प्रदीप विश्वकर्मा

सहायक प्राध्यापक हिन्दी, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह, महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

Published in **SANGAM** ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-2, Page No. 86-88

Rekha

Director/Editor :

Dr. Rekha Soni

Naresh

Secretary/Editor-in-Chief :

Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

🌐 <https://ginajournal.com/>

📞 8708822674

📞 9466532152

✉ grngobwn@gmail.com



गीना देवी शोध संस्थान Gina Devi Research Institute



AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Gunganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

हिन्दी सिनेमा का कलात्मक स्वरूप

Authored by

डॉ. प्रकाश नारायण सिंह चौहान

सहायक प्राध्यापक, हिन्दी

कमला स्मृति महाविद्यालय सीधी (म.प्र.)

Published in **SANGAM** **ISSN : 2321-8037**

Impact Factor 7.834, May-June 2026,

Vol. 14, Issue 5-6, Part-2, Page No. 89-94

Rekha

Director/Editor :

Dr. Rekha Soni

Naresh

Secretary/Editor-in-Chief :

Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

🌐 <https://ginajournal.com/>

📞 8708822674

📞 9466532152

✉ grngobwn@gmail.com



गीना देवी शोध संस्थान Gina Devi Research Institute



AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Gunganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

Ecological Diversity Indices and Limnological Relationship of Zooplankton in Rajsamand Lake

Authored by

Dr. Prem Singh

S.P.C. GOVT COLLEGE BHIM, RAJSATHAN

Prof. Deepali Lal

S.D. GOVERNMENT COLLEGE BEAWAR, RAJSATHAN

Published in **SANGAM** ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-2, Page No. 95-100

Rekha

Director/Editor :

Dr. Rekha Soni

Naresh

Secretary/Editor-in-Chief :

Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

🌐 <https://ginajournal.com/>

📞 8708822674

📞 9466532152

✉ grngobwn@gmail.com



गीना देवी शोध संस्थान Gina Devi Research Institute



AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Gunganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

कृष्णा सोबती के संस्मरणों में सांस्कृतिक परिवेश एवं
मानवीय संबंधों का अध्ययन

Authored by

रामानंदी अंजना आशारामभाई

मुलाकाती प्राध्यापिका एवं शोध छात्रा, हिन्दी विभाग,
क्रांतिगुरु श्यामजी कृष्णवर्मा कच्छ युनिवर्सिटी, भुज, गुजरात।

Published in **SANGAM** ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-2, Page No. 101-112

Rekha

Director/Editor :

Dr. Rekha Soni

Naresh

Secretary/Editor-in-Chief :

Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

🌐 <https://ginajournal.com/>

📞 8708822674

📞 9466532152

✉ grngobwn@gmail.com



गीना देवी शोध संस्थान Gina Devi Research Institute



AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Gunganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

दलित महिलाओं की पंचायती राज्य व्यवस्था में
भूमिका (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)

Authored by

अंजुलि शुक्ला, शोधार्थी

डॉ. एस.पी. शुक्ला, प्राध्यापक

राजनीति शास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह (स्वशासी)
महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

Published in **SANGAM** ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-2, Page No. 113-122

Rekha

Director/Editor :

Dr. Rekha Soni

Naresh

Secretary/Editor-in-Chief :

Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

🌐 <https://ginajournal.com/>

📞 8708822674

📞 9466532152

✉ grngobwn@gmail.com



गीना देवी शोध संस्थान Gina Devi Research Institute



AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Gunganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

नागपुरी नाटक साहित्य में महिला साहित्यकारों का
योगदान

Authored by

डॉ० प्रवीण सिंह

शोधार्थी, नागपुरी विभाग
जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, रांची विश्वविद्यालय रांची।

Published in **SANGAM** ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-2, Page No. 123-127

Rekha

Director/Editor :

Dr. Rekha Soni

Naresh

Secretary/Editor-in-Chief :

Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

🌐 <https://ginajournal.com/>

📞 8708822674

📞 9466532152

✉ grngobwn@gmail.com



गीना देवी शोध संस्थान Gina Devi Research Institute



AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Gunganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

डॉ० गजाधर महतो प्रभाकर का खोरठा साहित्य में
योगदान : एक समीक्षा

Authored by

अमित कुमार करमाली

शोधार्थी, स्नातकोत्तर खोरठा विभाग,
राँची विश्वविद्यालय, राँची।

Published in **SANGAM** ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-2, Page No. 128-131

Rekha

Director/Editor :

Dr. Rekha Soni

Naresh

Secretary/Editor-in-Chief :

Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

🌐 <https://ginajournal.com/>

📞 8708822674

📞 9466532152

✉ grngobwn@gmail.com



गीना देवी शोध संस्थान Gina Devi Research Institute



AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Gunganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

Plagiarism Detection in Academic English Writing Using Machine Learning

Authored by

Dr. S. Sudha, Assistant Professor, Department of English,
Dr. M. Mary Velanganni, Assistant Professor, Department of English,
Dr. Vijayalakshmi. S, Assistant Professor, Department of English,
Dr. B. Abirami, Assistant Professor, Department of English,
Mr. B. Manojkumar, Assistant Professor, Department of English,
Dr. K. Angel Vinoliya, Assistant Professor, Department of English,
Dr. Prema. K, Associate Professor, Department of Computer Science,
Sri Ramakrishna College of Arts & Science, Nava India, CBE-641 006, Tamilnadu.

Published in **SANGAM** ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-2, Page No. 132-136

Rekha

Director/Editor :

Dr. Rekha Soni

Naresh

Secretary/Editor-in-Chief :

Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

🌐 <https://ginajournal.com/>

📞 8708822674

📞 9466532152

✉ grngobwn@gmail.com



गीना देवी शोध संस्थान Gina Devi Research Institute



AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Gunganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

पंजाब के गौरवमयी साहित्यकार
डॉ. हरमहेन्द्र सिंह बेदी

Authored by

डॉ. अजयपाल सिंह

अध्यक्ष, हिन्दी विभाग,
देश भगत विश्वविद्यालय मंडी गोबिन्दगढ़, पंजाब।

Published in **SANGAM** ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-2, Page No. 137-145

Rekha

Director/Editor :

Dr. Rekha Soni

Naresh

Secretary/Editor-in-Chief :

Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

🌐 <https://ginajournal.com/>

📞 8708822674

📞 9466532152

✉ grngobwn@gmail.com



गीना देवी शोध संस्थान Gina Devi Research Institute



AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Gunganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

क्रांति और कलम के सिपाही : अगस्त क्रांति में
रामवृक्ष बेनीपुरी की विचारधारा

Authored by

कल्पना भारती, शोध अध्येता,
प्रो० पंकज कुमार राय, शोध निर्देशक
इतिहास विभाग, बी० आर० ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

Published in **SANGAM** ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-2, Page No. 146-150

Rekha

Director/Editor :

Dr. Rekha Soni

Naresh

Secretary/Editor-in-Chief :

Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

🌐 <https://ginajournal.com/>

📞 8708822674

📞 9466532152

✉ grngobwn@gmail.com



गीना देवी शोध संस्थान Gina Devi Research Institute



AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Gunganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

The Impact of Technology on Modern Society

Authored by

Mrs. R. Priyadharsini, Assistant Professor, Department of MSW,
Dr. Jayanthi Sobhana. S., Assistant Professor, Department of CommercePA,
Dr. P. Suji, Assistant Professor, Department of MSW,
Dr. V. Deepa, Associate Professor, Department of Information Technology,
Dr. S. Kirubadevi, Assistant Professor, Department of Commerce,
Sri Ramakrishna College of Arts & Science, Nava India, CBE-641006,
Tamilnadu.

Published in **SANGAM** ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-2, Page No. 151-155

Rekha

Director/Editor :

Dr. Rekha Soni

Naresh

Secretary/Editor-in-Chief :

Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

🌐 <https://ginajournal.com/>

📞 8708822674

📞 9466532152

✉ grngobwn@gmail.com



गीना देवी शोध संस्थान Gina Devi Research Institute



AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Gunganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled* **The Role of Artificial Intelligence in Social Welfare Systems**

Authored by

Dr. P. Suji, Assistant Professor, Department of MSW,
Mrs. R. Priyadharsini, Assistant Professor, Department of MSW,
Dr. V. Deepa, Associate Professor, Department of Information Technology,
Dr. Charlesbabu. J., Assistant Professor, Department of ECS,
Dr. Jayanthi Sobhana. S., Assistant Professor, Department of Commerce PA,
Dr. C. Thangamani, Associate Professor, Department of Information Technology,
Dr. S. Kirubadevi, Assistant Professor, Department of Commerce,
Sri Ramakrishna College of Arts & Science, Nava India, CBE-641 006, Tamilnadu.

Published in **SANGAM** ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-2, Page No. 156-159

Director/Editor :

Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :

Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

🌐 <https://ginajournal.com/>

📞 8708822674

📞 9466532152

✉ grngobwn@gmail.com



गीना देवी शोध संस्थान Gina Devi Research Institute



AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Gunganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*
**Ecological Study of Aquatic Plants in Local
Water Bodies**

Authored by

Kuldeep Mishra, M.Sc. , 2nd Year

Dr. Santosh Kumar Singh, Assistant Professor
Pt. D.D.U. Government College, Saidabad, Prayagraj.

Published in **SANGAM** ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-2, Page No. 160-166

Rekha

Director/Editor :

Dr. Rekha Soni

Naresh

Secretary/Editor-in-Chief :

Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

🌐 <https://ginajournal.com/>

📞 8708822674

📞 9466532152

✉ grngobwn@gmail.com



गीना देवी शोध संस्थान Gina Devi Research Institute



AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Gunganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में अधिगम सामग्री की
भूमिका : एक अध्ययन

Authored by

ज्योति हिण्डोलिया, एम. एड. प्रशिक्षणार्थी, जबलपुर पब्लिक
कॉलेज, जबलपुर मध्यप्रदेश।

डॉ. संगीता कौल, शोध निर्देशक एवं सहायक प्राध्यापक,
जबलपुर पब्लिक कॉलेज, जबलपुर मध्यप्रदेश।

Published in **SANGAM** ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,

Vol. 14, Issue 5-6, Part-2, Page No. 167-174

Rekha

Director/Editor :

Dr. Rekha Soni

Naresh

Secretary/Editor-in-Chief :

Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

🌐 <https://ginajournal.com/>

📞 8708822674

📞 9466532152

✉ grngobwn@gmail.com



गीना देवी शोध संस्थान Gina Devi Research Institute



AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Gunganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

समकालीन हिंदी उपन्यासों में विस्थापन की समस्या

Authored by

दिलीप कुमार

शोधार्थी, हिन्दी विभाग

भूपेन्द्र ना. मंडल विश्वविद्यालय, लालूनगर, मधेपुरा-852113 (बिहार)

Published in **SANGAM** ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,

Vol. 14, Issue 5-6, Part-2, Page No. 175-180

Rekha

Director/Editor :

Dr. Rekha Soni

Naresh

Secretary/Editor-in-Chief :

Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

🌐 <https://ginajournal.com/>

📞 8708822674

📞 9466532152

✉ grngobwn@gmail.com



गीना देवी शोध संस्थान Gina Devi Research Institute



AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Gunganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

Effect of Pranayama on Concentration, Memory Power and Fatigue Level among High School Students

Authored by

Vishal Dhaka, Research Scholar

Dr. Surjeet Singh Kaswan (Professor), Research Supervisor
Faculty of Physical Education, Tanta University, Sri Ganganagar (Raj.)

Published in **SANGAM** ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-2, Page No. 181-184

Rekha

Director/Editor :

Dr. Rekha Soni

Naresh

Secretary/Editor-in-Chief :

Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

🌐 <https://ginajournal.com/>

📞 8708822674

📞 9466532152

✉ grngobwn@gmail.com



गीना देवी शोध संस्थान Gina Devi Research Institute



AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Gunganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

INFLUENCE OF PHYSIOLOGICAL VARIABLES ON PLAYING PERFORMANCE AMONG DIFFERENT CATEGORIES OF CRICKET PLAYERS

Authored by

Ekta Pramod Singh, Research Scholar

Dr. Arun Mathur, Research Supervisor

Dean and Director of Sports, Suresh Gyan Vihar University,
Jaipur (Rajasthan)

Published in **SANGAM** ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,

Vol. 14, Issue 5-6, Part-2, Page No. 185-192

Rekha

Director/Editor :

Dr. Rekha Soni

Naresh

Secretary/Editor-in-Chief :

Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

🌐 <https://ginajournal.com/>

📞 8708822674

📞 9466532152

✉ grngobwn@gmail.com



गीना देवी शोध संस्थान Gina Devi Research Institute



AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Gunganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

संतों द्वारा वैश्विक मानवता का संदेश

Authored by

डॉ. ललिता बी.एन.

असोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग

प्रेसिडेंसी कॉलेज, केंपापुरा, हेब्बाल, बेंगलूरु-24

बेंगलूरु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पालेस रोड, बेंगलूरु, कर्नाटक-560009

Published in **SANGAM** **ISSN : 2321-8037**

Impact Factor 7.834, May-June 2026,

Vol. 14, Issue 5-6, Part-2, Page No. 193-195

Rekha

Director/Editor :

Dr. Rekha Soni

Naresh

Secretary/Editor-in-Chief :

Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

🌐 <https://ginajournal.com/>

📞 8708822674

📞 9466532152

✉ grngobwn@gmail.com



गीना देवी शोध संस्थान Gina Devi Research Institute



AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Gunganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

क्रोनिक किडनी डिजीज में बहुआयामी हस्तक्षेपों
(पोषण, जीवनशैली एवं सामाजिक समर्थन) का
समेकित प्रभाव : वाराणसी जनपद के परिप्रेक्ष्य में

Authored by

दिव्या सिंह, शोधार्थीनी

डॉ० मोनिका गुप्ता, शोध निर्देशिका

डॉ० शिखा खरे, सह शोध निर्देशिका

नेहरु ग्राम भारती (मानित) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

Published in **SANGAM** ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,

Vol. 14, Issue 5-6, Part-2, Page No. 196-205

Rekha

Director/Editor :

Dr. Rekha Soni

Naresh

Secretary/Editor-in-Chief :

Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

🌐 <https://ginajournal.com/>

📞 8708822674

📞 9466532152

✉ grngobwn@gmail.com



गीना देवी शोध संस्थान Gina Devi Research Institute



AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Gunganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

डॉ. भीमराव अंबेडकर का सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण
और उसका ऐतिहासिक महत्व

Authored by

डॉ. अश्विनी राज

सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग, गंगा देवी महिला
महाविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

Published in **SANGAM** ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-2, Page No. 206-215

Rekha

Director/Editor :

Dr. Rekha Soni

Naresh

Secretary/Editor-in-Chief :

Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

📍 202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

🌐 <https://ginajournal.com/>

📞 8708822674

📞 9466532152

✉ grngobwn@gmail.com